खण्ड-331, अंक-3
सोमवार, 20 चैत्र, शक संवत् 1900
(10 अप्रैल, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 331 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

चित्रकूट, जिला बांदा म होने वाले रामायण मेले को जाने वाली रोडवेज बसों पर कर्वी के पास विद्यार्थियों द्वारा पथराव किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. ४०५–४०८

पुलिस द्वारा डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के छात्रों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस तथा रबर गोलियों के प्रयोग के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. ४०८–४१९

हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षा में अनुपस्थिति के आधार पर विद्यार्थियों को बहिष्कृत किये जाने सम्बन्धी नियम ३०१ की सूचना के बिषय में वक्तव्य देने के लिये शिक्षा मन्त्री के लिये निर्देश .. ४१९–४२०

गन्ने की पेराई की समुचित व्यवस्था न होने तथा घोषित मूल्य से कम पर खरीदे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा .. ४२०–४५१

हाई स्कूल एवं इंटर मीडिएट परीक्षाओं में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा से बहिष्कृत किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य .. ४५१–४५२

नत्थियां .. ४५३–४५४

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य २६३

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेई श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र मणी बड़ौनी, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० आइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविंद सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान,, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री

दिवाकर विक्रम सिंह, श्री

दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिशन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भीषम, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूबुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री

राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज वृज राज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर, कोरी, श्री
राम बक्ष, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन श्री
राम सागर, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियाकत हुसैन, श्री
लक्खो सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शम्भू नाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बक्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार श्री

नोट—गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १० अप्रैल, १९७८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी गेहूं के रूप में देने हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त गेहूं का कोटा

**१–श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि केन्द्र सरकार ने इस वर्ष सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्यों के लिए मजदूरों को मजदूरी के रूप में गेहूं देने की योजना बनाई थी और इसके लिए प्रदेश सरकार को गेहूं का आवंटन किया था ? यदि हां, तो अब तक कितना गेहूं केन्द्र सरकार ने आवंटित किया और क्या सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य पूरा हो गया ? क्या यह भी सही है कि आवंटित गेहूं का पूरा कोटा केन्द्र सरकार को बिना कार्य कराए वापस लौटा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद–(ग्राम्य विकास मंत्री)––

यह सही है कि भारत सरकार ने श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार को श्रम के बदले खाद्यान्न देने के लिए वर्ष १९७७–७८ में ४२,००० टन गेहूं आवंटित किया था । इस योजना के अन्तर्गत गेहूं का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यों के रख–रखाव के अतिरिक्त नवीन कार्यों एवं चल रहे कार्यों पर श्रमिकों को खाद्यान्न के रूप में मजदूरी का भुगतान किया जा सकता था । इन कार्यों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है । सम्पर्क मार्ग व अन्य कार्यों पर लगे मजदूरों को देने के लिए फरवरी, १९७८ के अन्त तक लगभग २१,२५४ टन गेहूं का उपयोग किया जा चुका था तथा मार्च, ११७८ के अन्त तक लगभग ४०,००० टन गेहूं का उपयोग हो जाने का अनुमान है। भारत सरकार द्वारा आवंटित गेहूं को लौटा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिकेवल प्रसाद––

[× × ×]

श्री अध्यक्ष––

कृपया आप आक्षेप न कीजिये, प्रश्न पूछिए ।

श्री हरि केवल प्रसाद––

यह आक्षेप नहीं है ।

श्री अध्यक्ष––

यह कार्यवाही में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री प्रधान के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मंत्रि परिषद् के सभी सदस्यों ने समय-समय पर हर जगह पर भाषण दिए कि बड़े गांवों को पक्की सड़क के सम्पर्क मार्गों के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो मैं मंत्री जी से तीन बातें जानना चाहता हूं, नम्बर—१, पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला अधिकारी को पंचायती राज विभाग से निर्देश जारी किए गए थे कि वह अपने जिले में हर ब्लाक में ५ सम्पर्क मार्गों का चयन कर लें और उस पर काम शुरू कर दिया जाए, और उसके लिए मुख्यालय पर एक योजना आई थी और उसके लिए इंतजार था कि जब केन्द्र गेहूं दे देगा तो उन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा, तो वह योजना प्रत्येक जिले से मुख्यालय पर कितने किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए प्राप्त हुई और दूसरा प्रश्न...

श्री अध्यक्ष—

इतना लम्बा प्रश्न है, पहले एक-एक प्रश्न आने दीजिए ।

श्री जमुना प्रसाद--

माननीय सदस्य ने एक ही प्रश्न पूछा कि पंचायत राज की ओर से जो हर ब्लाक से ५-५ सम्पर्क मार्गों के लिए योजना आई थी, उस पर क्या हुआ, इस सम्बन्ध में जो निदेशक, पंचायत राज थे, उन्होंने शासन को अन्धकार में रखा और इसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की गई और वह इस विभाग से हटा दिए गए हैं ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो गेहूं केन्द्र से राज्य को प्राप्त हुआ है, वह किन-किन तारीखों में कितना-कितना गेहूं प्राप्त हुआ है ?

श्री जमुना प्रसाद--

भारत सरकार ने ७७-७८ के मध्य में ६५ हजार टन गेहूं देने को कहा था, उसमें से दिसम्बर, ७७ तक २२ हजार टन और जनवरी, ७८ तक २० हजार टन, इस प्रकार से कुल ४२ हजार टन गेहूं आवंटित किया गया था ।

श्री सुधामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

जो १० लाख रुपया हैंडलिंग चार्जेज के लिए मिला, वह खर्च कर दिया गया या नहीं, और नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आपने १० लाख के बारे में प्रश्न किया है तो वह १० लाख रुपया हैंडलिंग चार्जेज शासन की ओर से मंजूर किया गया था, किन्तु वह बिना शासन की जानकारी के सरेन्डर कर दिया गया, तो जो निदेशक, पंचायत राज को हटाया गया, उसमें एक कारण यह भी शामिल था ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

मंत्री जी ने २८ फरवरी तक की फीगर दी है, किन्तु क्या मंत्री जी बता सकते हैं कि ३१ मार्च तक कितना गेहूं खर्च में लग गया था और कितना बाकी है ?

श्री जमुना प्रसाद—

माननीय, ३१ मार्च तक के पूरे प्रदेश से आंकड़े इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते हैं। आंकड़े मंगाये जा रहे हैं।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मंत्री जी तो बहुत अच्छे मालूम होते हैं (हंसी)।

श्री अध्यक्ष—

अपना प्रश्न कीजिए।

श्री लक्खी सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कार्य में जिलाधिकारियों ने शिथिलता बरती जिसके कारण गेहूं वापस किया गया। तो अब क्या माननीय मंत्री जी इस कार्य में तेजी लायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

सका उत्तर दिया जा चुका है कि गेहूं वापस क्यों किया गया। क्या इस कार्य को तेजी से कराने की व्यवस्था की जाएगी इतना उत्तर दीजिए ?

श्री जमुना प्रसाद—

प्रश्न फिर से दुहरा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय लक्खी सिंह का कहना है कि इस कार्य में जो इतना विलम्ब हुआ तो क्या अब इसमें तेजी लाई जावेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

भारत सरकार की ओर से जो गेहूं आता है तो उसके आने में विलम्ब हुआ उसमें ढिलाई का कुछ कारण यह रहा। पुनः हमने मांग की है और शीघ्रता होगी।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

४२ हजार टन गेहूं मान्यवर आया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि ६ महीने में २१ हजार टन गेहूं उपयोग किया गया और मार्च में १६ हजार होगा तो क्या मार्च में सभी सड़कें बन रही हैं। इसकी किस तरह से व्यवस्था हुई है इसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें?

श्री जमुना प्रसाद—

काम तो शुरू हो गया था और जो शेष था वह तीव्रगति से हो रहा है।

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय, अगर आप इस उत्तर से संतुष्ट हो तो आगे बढ़ा जाये। मेरे प्रश्न का तो उत्तर आया नहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि डाइरेक्टरेट आफ पंचायत राज में तो यह कार्य शुरू ही नहीं हुआ तो मार्च में १६ हजार टन गेहूं खर्च कैसे हो गया ?

श्री जमुना प्रसाद--

यह जो लिंक रोड के लिए खाद्यान्न आया था वह केवल पंचायत राज विभाग के लिए ही नहीं आया था पी० डब्लू० डी, सिंचाई विभाग, वन विभाग, मन्डी परिषद् के लिए भी आया था । सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए १७ हजार ६२५, सिंचाई विभाग के लिए ३ हजार, वन विभाग के लिए २३७५ और १६ मंडी परिषद् के लिए आवंटित किया गया था ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

केन्द्रीय सरकार ने जो ३१ मार्च तक देने के लिए कहा था, वह अब मई, १६७८ तक कर दिया गया है । माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिकारियों ने उनको अन्धकार में रखकर यह कहा कि केन्द्रीय सरकार ने गेहूं देना बन्द कर दिया है । इसलिए यह काम बन्द कर दिया और माननीय मंत्री जी केन्द्रीय राज्य कृषि मंत्री से भेंट भी की थी, तो उन्होंने क्या कहा, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, इसका उत्तर माननीय सदन को दिया जा चुका है । इसी कारण पंचायत राज के अधिकारियों को हटा दिया गया है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, इनका नारा है "गांवों की ओर चलो" । इस सम्बन्ध में मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

इस पर १० मिनट हो चुके हैं ।

शारदा चीनी मिल लि० पलिया, जिला खीरी में गन्ना पेराई का कार्य

**२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या गन्ना विकास मंत्री को इसकी जानकारी है कि शारदा सहकारी चीनी मिल पलिया, जिला खीरी काफी दिनों से बन्द है जिसके कारण अभी कुल ११.५ लाख क्विन्टल गन्ना ही पेरा जा चुका है जबकि ६० लाख टन गन्ना पेरने का अनुमान था ? यदि हां, तो मिल चलवाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

गन्ना विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

शारदा चीनी मिल लि० पलिया (खीरी) श्रमिकों की हड़ताल के कारण दिनांक १७-३-७८ को बन्द हो गई थी किन्तु उसने दिनांक ३१-३-७८ को दिन के ३ बजे से गन्ना पेराई का कार्य पुनः चालू कर दिया है ।

चीनी मिल द्वारा दिनांक ३१-३-७८ तक लगभग ११.६७ लाख क्विन्टल गन्ना पेरा जा चुका है ।

चीनी मिल का वर्ष ७७-७८ में गन्ना पेरने का अनुमान २६.६५ लाख क्विन्टल का है ।

उक्त चीनी मिल में श्रमिकों की हड़ताल गैर कानूनी होने के कारण २६ मार्च, १६७८ को निषिद्ध कर दी गई थी । तदुपरांत श्रमिकों ने अपनी हड़ताल वापिस ले ली । चूंकि दिनांक ३१-३-७८ को चीनी मिल चालू हो गई है अतः उसको चलवाने की व्यवस्था करने का अब कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी १८ लाख क्विन्टल गन्ना खेतों में खड़ा है। यह १८ लाख क्विन्टल गन्ना वह है जिसका सट्टा हो गया था । अभी वहां पर ६० लाख क्विन्टल गन्ना उस क्षेत्र में खड़ा है । उसको पिरवाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

यह जो बौंडेड गन्ना है उसको एरा मिल में डाइवर्ट कर दिया गया है जो एक्सेस है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में जो समझौता हुआ वह किन शर्त पर हुआ और उसको ठीक तौर से लागू कराने के लिए सरकार क्या कर रही है

श्रीमती चन्द्रावती--

श्रीमन्, इनकी ४ मांगें थीं जिनमें से एक यह थी कि १५ दिन की हड़ताल की अवधि का उनको वेतन दिया जाय, दूसरी थी कि उनको वर्ष १६७७-७८ का बोनस दिया जाय । १५ दिन का वेतन देना प्रबन्धकों ने मान लिया है बशर्ते कि इस सीजन में हड़ताल न हो और बोनस के लिए उनका कहना है कि चूंकि मिल घाटे में चल रही है, इसलिए उसको देने के लिए तैयार नहीं है ।

श्री रियासत हुसेन--

११ लाख क्विन्टल ४ महीने में पेरा गया और १८ लाख क्विन्टल को डाइवर्ट कर दिया । तो उनमें से कितना- कितना गन्ना किस-किस फैक्टरी में पेरा जा चुका है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

यह जो अनुमान है २६ लाख क्विन्टल का इसमें से ६ लाख क्विन्टल को एरा मिल को डाइवर्ट किया है । अभी आर्डर्स हो चुके हैं, कार्यान्वयन होना शेष है ।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)—

यह जो कहा गया कि ६ लाख क्विन्टल गन्ना डाइवर्ट कर दिया गया तो [illegible] गन्ने को शार्टेज हो और यदि सरप्लस है तो उसको पेरने के सिलसिले में सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

ये दोनों मिल्स सिस्टर कन्सेन्स है, इनके एक ही मालिक हैं । तो वह गन्ना वहां पर पेराया जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि क्या वहां पर गन्ने की कमी है या जितना आपने डाइवर्ट किया है क्या यह उनकी डिमान्ड थी ? यदि नहीं, तो फिर उसको पेरने के लिए कैसे व्यवस्था होगी कि वे अपना भी गन्ना पेरे और सरप्लस को भी पेरें ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि वह स्थिति जो है, जहां पर कि सरप्लस है, वह किस मिल द्वारा पिराई जा सकती है, यह अपने विभाग से सूची तैयार करा ली है जो मिलों द्वारा डाइवर्ट हो सकती है । उसी व्यवस्था के अन्तर्गत यह किया गया है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस मिल को उन्होंने डाइवर्ट किया है, क्या उसका नाम वह बताने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, गोविन्द नगर शुगर मिल ।

श्री बाबू सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि लगभग सभी चीनी मिलें क्षमता से कम पिराई कर रही हैं ? यदि हां, तो आपने उनके लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका प्रश्न व्यापक है । आपने तमाम प्रदेश के बारे में सवाल किया । माननीय मंत्री जी यदि यह कह दें कि सूचना की आवश्यकता है, तो इससे कोई लाभ नहीं है ।

श्री बाबू सिंह—

मान्यवर, तो उस मिल के बारे में ही बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

तो आप यह प्रश्न कीजिए कि पलिया की मिल क्या अपनी कैपेसिटी से कम पिराई कर रही है ?

श्री बाबू सिंह—

यही मान्यवर, समझ लें ।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, १४ दिन की हड़ताल के कारण, बीच में काफी व्यवधान रहा, जिससे मिल कम चली है । वैसे मिल के पेरने की क्षमता १३०० कुंटल है ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मंत्री जी ने ऐसी सूची गन्ना फैक्टरियों की बनवाई है, जिनके पास गन्ना जरूरत से ज्यादा है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, जिसके पास ज्यादा है, वही तो डाइवर्ट किया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

वह यह कह रहे हैं कि कोई सूची आपने बनवाई है कि कहां गन्ना उत्तर प्रदेश भर में सरप्लस है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, पूरी सूचना है ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, तहसील ठाकुरद्वारा का जो गन्ना है, उसका केवल १६ फीसदी गन्ना अब तक कटा है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां के गन्ने को सिवारा या आदमपुर शुगर मिल में भेजवाने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे पैदा नहीं होता ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इस मिल के पेरने की क्षमता १३०० कुंटल है और १४ दिन आंदोलन के कारण मिल बन्द रही, तो इस तरह १७ हजार २०० कुंटल गन्ना १४ दिन में न पिर सका, जबकि अनुमानित पिराई ६५ लाख की होनी चाहिए थी । तो इतने पैमाने पर जो पिराई नहीं हो सकी, तो क्या आपने इसके कारणों को ढूंढने की कोशिश की ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मैंने मान्यवर, बतला दिया है कि दो महीने बाद में चली, उसकी मशीनरी वगैरह की खराबी है, १३ हजार की पिराई कर सकती है, वह ८ हजार की पिराई कर रही है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, जो पिराई न होने के कारण काश्तकारों का नुकसान हुआ है, सरकार उस नुकसान को पूरा कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

तारांकित प्रश्न

जसवन्त शुगर मिल, मलियाना मेरठ के चीफ केमिस्ट की सेवायें तथा आवास सम्बन्धी सुविधा

*१--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या चीनी उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जसवन्त शुगर मिल्स, मलियाना (मेरठ) के चीफ कैमिस्ट की दिनांक ३ सितम्बर, १९७७ को सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो वे अभी तक शुगर मिल के बंगले आदि की सुविधा क्यों प्राप्त कर रहे हैं ? इनकी सेवाएं किन कारणों से समाप्त की गयी हैं ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी हां । जसवन्त शुगर मिल्स मलियाना (मेरठ) के चीफ केमिस्ट की सेवायें ३-९-१९७७ को उनकी नियुक्ति सम्बन्धी शर्तों के अनुसार समाप्त की गई । श्री वर्मा ने फैक्ट्री के बंगले को खाली करने के लिए अपने बकाया देयों का भुगतान करने को कहा । उनके देयों का भुगतान ३१-१०-७७ को कर दिया गया परन्तु उन्होंने अपना मामला संराधन बोर्ड (Conciliation Board) में वायर कर दिया व अब भी मकान में रह रहे हैं । अब सिविल कोर्ट द्वारा ही मकान खाली कराया जाना सम्भव है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मेरा प्रश्न यह था कि इनकी सेवायें क्यों समाप्त की गयी ? जो उत्तर आया है वह स्पष्ट नहीं है । स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें तथा यह बतायें कि क्या उनके खिलाफ ३ लाख रुपये की चीनी के घपले का भी आरोप था ?

श्रीमती चन्द्रावती--

तीन लाख रुपये के घपले वाली बात गलत है । सेवाओं की जो शर्तें हैं उनके अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह पूछा है उन्होंने कि क्यों समाप्त की गयीं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

श्री करन सिंह वर्मा जुलाई, १९७६ में डिप्टी चीफ कैमिस्ट के पद पर रक्खे गये थे । श्री वर्मा को उनके पद से ३-९-७७ को हटाया गया ताकि एक अधिक अनुभवी चीफ कैमिस्ट रक्खा जा सके । कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा उनको डिप्टी चीफ कैमिस्ट के पद पर लेने की स्वीकृति दी गयी, पर इसके लिये वे सहमत नहीं हुये ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मकान खाली कराने के लिये क्या कोई मुकदमा दायर किया गया और उन्होंने बोर्ड के सामने अपना मुकदमा कब दायर किया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

अब लेटेस्ट यह है कि उन्होंने लिख कर दे दिया है और अपन आरोप वापस ले लिये हैं । उनको डिप्टी जनरल मैनेजर (टेक्नीकल) एवं फैक्टरी मैनेजर के पद पर १८००) रुपये मासिक पर रख लिया गया है । अब मकान खाली कराने का प्रश्न नहीं है । दूसरा मकान दे दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

इस मकान का क्या होगा ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मकान इनको पद के अनुसार 'ए' टाइप का दिया जायेगा ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मूल उत्तर में यह बताया गया कि सिविल कोर्ट द्वारा खाली कराया जायेगा । अब अनुपूरक में बताया कि खाली नहीं कराया जायेगा दूसरा मकान दिया जायेगा, तो सही उत्तर क्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

अब लेटेस्ट स्थिति यही है कि चूंकि उन्होंने आरोप अपने वापस ले लिये हैं और उनको दूसरे पद पर रख लिया है, इसलिये उनके पद के अनुरूप उनको मकान दिया जायेगा ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, उत्तर के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी ने जो अंतिम बात कही मैं उसको माना गया कि सही है । तो एक नियुक्ति हो गयी है इसलिये मन्त्रालय का फर्ज था जो उत्तर आया है उसी तरह संशोधित रूप में आता न कि कुछ दिन पहले लिखा हुआ ।

श्री अध्यक्ष --

मन्त्री जी जब आपको सूचना मिल गयी कि केन आफिसर बना दिया और दूसरा मकान उनको मिलना है । तो फिर सिविल कोर्ट से हटाने का प्रश्न नहीं था । इसलिये मन्त्री जी बेहतर होता कि संशोधित उत्तर देना चाहिये था । अतः संशोधित उत्तर बाद में दे दें ।

*२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[३ रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

कैसरबाग डिपो, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ में कार्यरत सहायक कैशियर पर गबन का आरोप

*१—श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (कैसरबाग डिपो, लखनऊ) में कुछ ऐसे कैशियर तथा

सहायक कैशियर हैं जिनके ऊपर गबन के आरोप हैं और फिर भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

कैसरबाग डिपो, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ में कोई भी कैशियर कार्यरत नहीं है। प्रत्युत कुल ६ सहायक कैशियर कार्यरत हैं। इनमें से केवल एक के ऊपर गबन का आरोप है जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है।

विकास खण्ड डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़, ग्राम बरनाएरी में निर्मित हरिजन पेयजल योजना

*२—श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड, डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम बरना एरी में सन् १९७३-७४, १९७४-७५ में कोई हरिजन पेयजल योजना निर्मित की गयी थी ? यदि हां तो इसमें लगे नल किस फर्म से खरीदे गए थे और इसमें लगे मजदूरों तथा ठेकेदार का भुगतान न किए जाने के कारण शासन को कोई शिकायत क्षेत्र समिति के सदस्यों द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम बरनाएरी में सन् १९७३-७४, १९७४-७५ में हरिजन पेयजल योजना निर्मित की गयी थी तथा इसमें लगे नल मेसर्स मदनलाल बृजलाल, हल्द्वानी तथा मेसर्स नवीन जनरल स्टोर, पिथौरागढ़ से खरीदे गए थे।

इसमें लगे मजदूरों तथा ठेकेदारों को भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में क्षेत्र समिति के सदस्यों द्वारा की गयी कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

मान्यवर, मुझे उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष —

खेद है, उत्तर फौरन दिया जाय। इसमें विभाग से उत्तर १० बजे प्राप्त हुआ है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रश्नों के उत्तर विधान सभा सचिवालय में प्रश्न पूछने के एक दिन पहले निश्चित रूप से आ जाना चाहिये ताकि सदस्यों को मिल सकें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपके सचिवालय में एक दिन पहले मिल जायें तब तो वह बट सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यही तो मैंने कहा है कि एक दिन पहले। मैं सभी मन्त्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भविष्य में प्रश्नों के उत्तर एक दिन पहले आ जाना चाहिये।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह उत्तर पूर्ण रूप से गलत है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जब मैं ब्लाक प्रमुख था और क्षेत्र समिति के सदस्यों द्वारा शिकायतें की गयी हैं। ो बल्देव सिंह आर्य जब मन्त्री थे तो उनको भी शिकायत की गयी है। इसलिये उत्तर गलत है और उत्तर न मिलने से जो तिथियां उपलब्ध हैं उनको भी मैं नहीं दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष —

आपको प्रश्न पूछना था कि क्या मेरी शिकायत या क्षेत्र समिति के सदस्यों की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नहीं ? मन्त्री जी बतायें कि उनको शिकायतें मिली हैं कि नहीं ?

श्री जमुना प्रसाद—

मैंने बताया कि कोई शिकायत शासन को नहीं प्राप्त हुई है।

श्री अध्यक्ष —

माननीय सदस्य कहते हैं कि उनके द्वारा शिकायत की गयी है और क्षेत्र समिति के सदस्यों ने भी किया है। आप कहते हैं कि शिकायत नहीं की है। तो इन दोनों में कौन सी बात सही है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैं किसी सदस्य को कैसे गलत कहूं।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

१९७३-७४ और १९७४-७५ में मैं स्वयं ब्लाक प्रमुख था। उस समय मैंने और सदस्यों ने शिकायत की। शिकायत ही नहीं की गयी यह कहना गलत है।

श्री रियासत हुसैन—

यह बड़ा गम्भीर विषय हो गया जबकि माननीय सदस्य ने खुद कहा कि १९७४-७५ में वह ब्लाक प्रमुख थे तब शिकायत की। माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि उस समय जब माननीय सदस्य ब्लाक प्रमुख थे शिकायत की गयी और वह गायब तो नहीं करा दी गयी ?

श्री जमुना प्रसाद—

क्षेत्र समिति के सदस्यों द्वारा कोई शिकायत की गयी थी यहां नहीं तो क्षेत्र समिति के द्वारा हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष—

उनका यह निश्चित कहना है कि जब वह ब्लाक प्रमुख थे उन्होंने और अन्य सदस्यों ने शिकायत की । कृपया इसकी जांच करायें और जिन अधिकारियों न आपको गलत सूचना दी है उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें और सदन को सूचित करें ।

राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर मण्डल में कर्मचारियों की जमानत की धनराशि का गबन

*३—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के जमानत की धनराशि लगभग दो लाख रुपए का गबन इस वर्ष पकड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर पूर्ण तथ्य प्रकाश में लाएगी ?

श्री आबिद अली—

जी नहीं । गोरखपुर मन्डल में इस वर्ष ऐसा कोई गबन नहीं पकड़ा गया । वर्ष १९६६-६७ व १९६८ में गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारियों की जमानत की धन-राशि रु० ६९३६४-१५ पैसे के गबन का मामला प्रकाश में आया था । श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी सिक्योरिटी क्लर्क ने जालसाजी करके ११८ कर्मचारियों की जमानत की धनराशि रु० ६९३६४-१५ पैसे का गबन कर लिया था ।

यह मामला पुलिस के सुपुर्द किया गया । पुलिस ने कार्यवाही करके मामला न्यायालय में सुपुर्द कर दिया जहां उन्हें सजा हो गयी और सेवा से पृथक् भी कर दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस धनराशि का गबन किया गया इसमें किस-किस श्रेणी के कर्मचारी थे और उसकी कितनी-कितनी धनराशि का गबन किया गया ?

श्री आबिद अली—

११४ कर्मचारी थे जिनकी जमानत की धनराशि रु० ६९३६४·१५ पैसे थी ।

श्री अध्यक्ष—

आपने उत्तर में तो ११८ लिखा है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मेरा प्रश्न था कि यह जो ११८ कर्मचारी हैं इनमें किस-किस श्रेणी के कर्मचारी हैं ?

श्री आबिद अली—

इसके लिए सूचना की जरूरत है ।

श्री धर्मवीर सिंह जिला (मेरठ)--

६६,३६४·१५ रुपये की धनराशि का गबन हुआ और उनके खिलाफ अदालत में कार्यवाही चल रही है । जिन कर्मचारियों की यह धनराशि थी उनके हिसाब में यह दर्ज है और उनको यह दी जायगी, इसका क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री आबिद अली--

जिसकी जो धनराशि है, उनको दी जायगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर मंडल के परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके बारे में महालेखा निरीक्षक ने भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

श्री आबिद अली--

यह तो एक अलग सवाल हो जाता है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला अगरा)--

जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 118 कर्मचारियों की जमानत की धनराशि एक व्यक्ति खा गया और उस पर क्रिमिनल केस कर दिया गया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन की ओर से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दीवानी का केस उस रुपये की वसूली के लिए किया गया है कि नहीं ?

श्री आबिद अली--

माननवर, दीवानी में उसके खिलाफ पैसा रिकवर करने के लिए दरख्वास्त दी गई है और अदालत ने वसूल करने के लिये आर्डर दे दिया है ।

जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन से काटी गई सिक्योरिटी मनी

*४--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी, हरदोई के कार्यालय में वर्ष १९६९-७० तथा १९७०-७१ में किन-किन कर्मचारियों की तथा कितनी-कितनी सिक्योरिटी मनी उनके वेतन से काटी गई और क्या वहां के कर्मचारियों द्वारा इस बात की कई शिकायतें फरवरी से अगस्त, १९७१ प्राप्त हुई हैं कि काटी गई सिक्योरिटी मनी कहीं पर जमा नहीं की गयी है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

(कृषि मन्त्री) श्री राजेन्द्र सिंह--

जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के कार्यालय में वर्ष १९६९-७० तथा १९७०-७१ में कर्मचारियों के वेतन से काटी गई सिक्योरिटीमनी के विवरण तालिका † में सदन के पटल पर रख दिये गये हैं । कथित अवधि में कर्मचारियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । परन्तु काटी गई धनराशि में उक्त अवधि का ७० रु० जमा नहीं किया गया । विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह तो स्वीकार कर ही लिया है कि ७० रुपये की कटौती की गयी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूंछना चाहता हूं कि कृषि अधिकारी, हरदोई और वहां के जो कैशियर थे, उन्हें विभागीय नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा या नहीं ? साथ ही यह भी पूंछना चाहता हूं कि १९७०–७१ का मामला है तो कब यह कार्यवाही पूरी हो जायेगी, कितने वर्ष और लगेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इस केस में चोरी हुई थी १३/१४ सितम्बर, १९७१ में। वह १९,८४८·५० रु० है जिसमें यह ७० रु० शामिल है। इसकी एफ० आई० आर० पुलिस में दर्ज कराई गयी। उन सेशन जज के न्यायालय के कैशियर के खिलाफ केस चलाया। लेकिन बेनीफिट आफ डाउट देते हुए उसको छोड़ दिया गया। जजमेंट ३१–३–७५ में हुआ। उसके बाद विभागीय कार्यवाही चल रही है। जजमेन्ट में यह जरूर बतलाया है कि इसमें एडीशनल कृषि अधिकारी पर कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाला है। उसी सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है और जजमेन्ट की विवेचना करा रहे हैं और तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि इसमें सीधे जिम्मेदार कृषि अधिकारी, हरदोई है। ड्राइंग अफिसर जब कोई राशि ड्रा करते हैं तो गवर्नमेन्ट जी० ओ० के अनुसार और डिपार्टमेन्टल आर्डर्स के अनुसार भी कैश बुक को चेक करने के लिए वे जिम्मेदार हैं। तो क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे जब उन्होंने सन् १९७०–७१ में उसको देखा था, तो उसके बाद कृषि अधिकारी और कैशियर पर क्या जिम्मेदारी आ जाती है ? तो उसके ऊपर उनको दण्डित किया गया और नहीं किया गया तो क्या दण्डित करने का सरकार का इरादा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, डुप्लीकेट चाभी अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी के पास रहती थी जजमेन्ट में लिखा गया है कि अगर इनको भी अक्यूज्ड बनाया गया होता तो तथ्य और प्रकाश में आते। लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि जिला कृषि अधिकारी थोड़ा दोषी पाये जाते हैं। उसी की विवेचना हो रही है कि वे कितने दोषी हैं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जिस अधिकारी के बारे में यह सवाल आया है, पिछली बार सदन में उसी कृषि अधिकारी के खिलाफ तमाम गड़बड़ घोटालों के बारे में प्रश्न था और मंत्री जी ने सदन के सामने माना था कि शिकायत सही पायी गयी थी। उसके साथ साथ यह नया सवाल पैदा हो गया है कि शासनादेश संख्या ४९६६ एस० ए० सरकुलर, दिनांक १३–८–१९६५ तथा ए० आई० ३३९१–XX–१९५६, दिनांक १८–९–१९६१ के अनुसार १९७०–७१ में क्या जिला कृषि अधिकारी, हरदोई ने नियमित रूप से अपनी कैशबुक की चेकिंग की ? इस आदेश के मुताबिक यह उनका काम था कि नियमित रूप से कैशबुक की चेकिंग करें और यदि कैशबुक की चेकिंग नहीं की तो क्या इनका नाम भी दोषी लोगों के साथ शामिल किया गया यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, यह सच है कि जिला कृषि अधिकारी ने अगस्त में वेरिफिकेशन कैशबुक का नहीं किया। जैसा मैंने पहले कहा कि इसको निर्धारित किया जायगा कि किसका कितना दोष है। वेरिफिकेशन तो डेली होना चाहिये था। इसे भी निश्चित करना पड़ेगा कि कृषि अधिकारी का कितना दोष है।

[सोमवार, १० अप्रैल, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सीनियर फोरमैन, क्षेत्रीय कार्यशाला, लखनऊ द्वारा अनधिकृत रूप से निर्मित पिंजड़ा

*१—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय कार्यशाला, लखनऊ में मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने २३ अप्रैल, १९७७ को एक पिंजड़ा अनधिकृत रूप से बना हुआ पकड़ा था ? यदि हां, तो उसे किसने बनवाया था और बनवाने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री आबिद अली—

१—जी हां।

यह पिंजड़ा सहायक परिवहन अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यशाला, लखनऊ के निर्देशानुसार सीनियर फोरमैन क्षेत्रीय कार्यशाला, लखनऊ द्वारा अनधिकृत रूप से निर्मित कराया जा रहा था। उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस अधिकारी को अनधिकृत रूप से पिंजड़े का निर्माण करते हुय पकड़ा गया था उसके खिलाफ अब तक क्या कायवाही की गयी, कार्यवाही में कितनी प्रगति हुई और जो कार्यवाही में देरी की जा रही है उसका क्या कारण है ?

श्री आबिद अली—

जैसा मैंने निवेदन किया कि ए० टी० ई० का जिसके कहने पर यह बनाया गया था उसका तबादला कर दिया गया है और उस पर डिपार्टमेन्टल ऐक्शन लिया जायगा। दूसरा आदमी सीनियर फोरमैन बाबू लाल वह भी वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया है और उसके कैरेक्टर रोल में एडवर्स इन्ट्री कर दी गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इतनी घोर अनियमित काम करने के लिए किसी अधिकारी को सजा देने में इसलिए देर की जा रही है

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

देखिये इसकी अनुमति मैं नहीं दे रहा हूं। यह आक्षेप है और यह कार्यवाही म नहीं लिखा जायेगा।

[* * *]

नोट—यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

आक्षेप हटा कर यह कह रहा हूं । मान्यवर, जब यह बात मंत्री जी को पता लग गयी है कि सम्बन्धित अधिकारी अनधिकृत रूप से पिंजड़े का निर्माण करवा रहा था तथा इसका प्रभाव पूरे विभाग में भ्रष्टाचार को और बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा था, स्थानान्तरण क्या उसकी सजा है ?

श्री आबिद अली--

जैसा मैंने पहले निवेदन किया था ए० टी० ई० के खिलाफ डिपार्टमेन्टल ऐक्शन लिया जा रहा है और बाबू लाल के खिलाफ एडवर्स इन्ट्री कर दी गयी है । तो तबादला है, एडवर्स इन्ट्री है, डिपार्टमेन्टल एक्शन भी है और इससे ज्यादा पिंजड़े के लिए . . . ।

(व्यवधान)

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि चार्जेज साबित हैं तो क्या इतनी ही सजा सफिसियेन्ट है या इसके लिए और कोई सजा देंगे ?

श्री आबिद अली--

अब मैं समझता हूं पिंजड़े को देखते हुए यह सजा काफी है ।

क्षेत्रीय भण्डार, लखनऊ में टास्क फोर्स द्वारा पकड़ा गया गबन

*२--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह सही है कि जनवरी, १९७६ में टास्क फोर्स द्वारा क्षेत्रीय भण्डार, लखनऊ का निरीक्षण किया गया और उसमें साढ़े चार लाख रुपये मूल्य का भ्रष्टाचार पकड़ा गया ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाए गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री आबिद अली--

यह निरीक्षण टास्क फोर्स द्वारा जनवरी, १९७६ में नहीं बल्कि ३-२-१९७६ से २-३-१९७६ तक हुआ था और इसमें ४,२१,००७ रुपया का गोलमाल पकड़ा गया था ।

इसमें दो तत्कालीन सेवा प्रबन्धक, लखनऊ, तत्कालीन लेखाधिकारी, सहायक भन्डारपाल, लेजर कीपर, दो भण्डारपाल तथा एक भन्डार लेखाकार कुल आठ कर्मचारी दोषी पाये गये । इसमें प्रधान प्रबन्धक द्वारा कार्यवाही की गयी । सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों के स्पष्टीकरण प्रधान प्रबन्धक के पास आ गये हैं, जिनपर अगली कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो ४,२१,००७ रु० का गोलमाल मंत्री जी ने अपने उत्तर में माना है और ८ कर्मचारी दोषी पाये गये तो उनके खिलाफ एफ० आई० आर० लाज करने में मंत्री जी को क्या कठिनाई थी ?

श्री आबिद अली—

स्टोर की चेकिंग की गयी थी । रजिस्टरों में सामान कम निकला, कहीं ज्यादा निकला । उसके बाद रिकंसिलियेशन होता है जिसमें उन्होंने २ लाख ६१ हजार रुपये को रिकसाइल कर दिया लेकिन १ लाख ३५ हजार का रिकंसाइल नहीं हो सका । अब उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही है । चार्जशीट तैयार होने के बाद ऐक्शन होगा । जो दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ कायवाही की जायगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

जब प्राग दर्शन में केस कायम हो गया तो फिर सम्बन्धित कर्मचारियों को सस्पेंड करके, उनके खिलाफ एफ० आई० आर० लाज करा कर केस को पुलिस को देने में क्या अड़चन माननीय मंत्री के सामने आई ?

श्री आबिद अली—

एस्टेबलिश या नान एस्टेबलिश की बात नहीं है । अभी चेकिंग की गयी । चेकिंग के बाद जो चीज कमोबेशी पाई गयी उसके लिये रिकंसिलियेशन हुआ । रिकंसिलियेशन होने में जो बाकी रह गया है उसके लिये चार्जशीट दी जायगी । जबाब आने पर जो दोषी पाये जायंगे उनके दोष के हिसाब से कार्यवाही की जायगी ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

कहा जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो गबन के महत्व को देखते हुए क्या माननीय मंत्री तत्काल पुलिस को मामला सुपुर्द करके सम्बन्धित कर्मचारियों को दंडित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली—

पुलिस में तो नहीं भेजा जा सकता । मैं निगम से कहूंगा कि सी० आई० डी० को दे दें ।

श्री गुलाब सेहरा—

४ लाख २१ हजार सात रुपये का यह गबन था । उत्तर दिया तो यह बतलाया कि २ लाख २३ हजार रुपये का माल स्टाक में गायब था । किताबों को गलती से उसे पूरा कर लिया गया । केवल १ लाख ३५ हजार रुपये का सामान गायब है । अगर इसे दो तरह का उत्तर मान लिया जाय तो मंत्री महोदय को संशोधित उत्तर देना था और उनको फिर यह उत्तर देना चाहिये था कि कितने रुपये का गबन पाया गया विभागीय जांच के बाद ?

श्री आबिद अली—

मैंने निवेदन किया कि शुरू में जब चेकिंग की और कागजात देखें तो यह मालूम हुआ कि इन केसेज में ४ लाख २१ हजार सात रुपये का गोलमाल है । जब उन्होंने रिपोर्ट किया तो जवाब आया कि इतने रुपये का गोलमाल मालूम पड़ता है । इस पर उनसे रीकन्साइल करने के लिए इक्सप्लानेशन मांगा गया है । २ लाख ९२ हजार रुपया रीकन्साइल किया गया है और १ लाख ३२ हजार रीकन्साइल नहीं हो पाया है । उसके लिए चार्जशीट दी जा रही है । इस मामले की सी० आई० डी० में दे देंगे और जांच करा लेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अधिकारी इस सिलसिले में दोषी पाये गये हैं उस सम्बन्ध में एफ० आई० आर० दर्ज कराने के बारे में हम पूछ रहे हैं और माननीय मंत्री जी सी० आई० डी० में इसे देने के लिए कह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों को अविलम्ब मुअत्तल कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली—

जब तक एक्सप्लानेशन का जवाब नहीं आता तब तक निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता।

सहायक निबन्धक एवं सचिव, सहकारी उपभोक्ता भण्डार, गोरखपुर द्वारा उपभोक्ता समितियों को दी गई उधार सामग्री

*३—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९६५ से १९६८ तक गोरखपुर में कार्यरत सहायक निबन्धक एवं सचिव, सहकारी उपभोक्ता भण्डार, गोरखपुर के विरुद्ध विशेष लेखा परीक्षा आपत्ति (स्पेशल आडिट) में अस्सी हजार रुपये के उधार सामग्री देने की बात प्रकाश में आई थी जिसकी वसूली आज तक नहीं हो पाई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

वर्ष १९६५ से ६८ तक केन्द्रीय उपभोगता सहकारी भंडार लि०, गोरखपुर के सामान्य लेखा परीक्षा के समय दिये गये विशिष्ट प्रतिवेदन म सहायक निबन्धक एवं सचिव के विरुद्ध अस्सी हजार रुपये की उधार सामग्री देन का कोई उल्लेख नहीं है अपितु वर्ष १९६५-६६ से १९६७-६८ के विशिष्ट प्रतिवेदनों में केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार का, २२ प्रारम्भिक उपभोक्ता समितियों से उधार माल की बिक्री का १,८५,८६०·६८ रु० बकाया दर्शाया गया है।

उक्त समितियों में से ३ समितियों से पूर्ण धनराशि ७,१९९·०८ रु० वसूल हो गया है। शेष १९ समितियों के विरुद्ध सालसी कार्यवाही की गयी है तथा उनसे ४५,३६९·८९ रु० की वसूली भी अब तक हो चुकी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १३—१४ साल से १ लाख ८५ हजार रुपया इन सोसाइटियों पर बकाया है वह केवल रजिस्टर में दर्शाया हो गया है या सोसाइटियों को माल दिया भी गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, सोसाइटियों को माल दिया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो २२ सोसाइटियां हैं, ये फर्जी हैं और माल केवल दर्शाया ही गया है दिया नहीं गया है। इसका प्रमाण यह है कि इन १३—१४ सालों वसूली की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो क्या मन्त्री जी सम्बन्धित सहायक निबंधक और सचिव को तुरन्त निलंबित करके रेवेन्यू के तरीके से उनकी परसनल प्रापर्टी की तरह ये रुपया वसूल करने के आदेश देंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

तत्कालीन सचिव जो उस वक्त गोरखपुर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, आजकल डिप्टी रजिस्ट्रार, फैजाबाद में हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, प्रशासनिक कार्यवाही नहीं, वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री आर० एन० सिंह, बफर गोदाम निरीक्षक के विरूद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें

* ४—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बफर गोदाम, गोरखपुर के इंचार्ज (श्री आर० एन० सिंह) के कार्यकाल १९७५—७६ में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचर की कितनी शिकायतें शासन को मिली और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री आर० एन० सिंह, बफर गोदाम निरीक्षक के विरुद्ध उनके कार्यकाल १९७५—७६ म भ्रष्टाचार सम्बन्धी सात शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी जांच सतर्कता पुलिस तथा विभाग द्वारा की जा रही है। शिकायती—पत्रों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(देखिये तत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५३ पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विभागीय जांच हुई उसमें एक साल के अन्दर १२ लाख ८० हजार का गबन पाया गया और विभाग ने उस व्यक्ति को निलंबित करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस व्यक्ति को निलंबित क्यों नहीं किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री आर० एन० सिंह को निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी ने १२ लाख ८० हजार का शार्टेज बताई मेरे हिसाब से १८ लाख बनती है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि शार्टेज तय करने का एक तरीका होता है । उसमें दो तीन अधिकारी होते हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह दो तीन अधिकारी कौन-कौन थे । क्या उन्होंने पता लगाया कि वह शार्टेज फर्जी थी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, शार्टेज का एक पैमाना होता है । तीन आदमियों की एक कमेटी होती है वह उसको वेरीफाई करते है । दूसरी जगह भी कंसाइनमेंट गया होगा वहां इस तरह की शार्टेज नहीं हुई । तो यह जो श्री राम नगीना सिंह और बाकी लोगों ने मिल कर कृषि विभाग का १८ लाख रुपये खाया है । तो जो बाकी लोग है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा शार्टेज है या गबन है जो भी है उसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है ।

श्री रामदत्त जोशी—

मान्यवर, नियम समिति की पिछली बैठक में तय हुआ था कि प्रथम १० प्रश्नों में किसी एक सदस्य के दो से ज्यादा प्रश्न नहीं आयेंगे । लेकिन आज के एजेंडा में दो से ज्यादा एक ही सदस्य के प्रश्न है इससे बाकी लोगों के प्रश्न रह जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अभी तक आप जानते हैं न समिति की रिपोर्ट पेश हुई है न ही सदन की स्वीकृति मिली है । जब तक वह स्वीकार नहीं हो जाते हैं तब तक पुराने नियम ही लागू हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इस अवधि में उनके खिलाफ आरोप पत्र आये और उस आधार पर कितनी बार उनका स्थानान्तरण हुआ और क्यों रोक दिया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, राम नगीना सिंह का स्थानान्तरण बफर गोदाम, गोरखपुर से कई बार किया गया, लेकिन तत्कालीन कृषि मन्त्री और एक बार मुख्य मन्त्री जी के हस्तक्षेप से स्थानान्तरण रोक दिया गया ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है.... ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न काल मे व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है । आप बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सम्बन्धित कृषि निरीक्षक ने और भुतपूर्व कांग्रेसी मन्त्री ने मिल कर भ्रष्टाचार किया है । और विभिन्न स्थानों पर ८० लाख रु० की सम्पित्त अर्जित का है । तो क्या सारे मामले की जांच करेंगे और भूतपूर्व मन्त्री से सांठ-गांठ करके यह काम किया है । इसलिए इसकी जांच कर उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

अगर ओझा साहब इस तरह की कोई शिकायतें करें तो अवश्य जांच कराई जाएगी और सदन के पटल पर भी रखी जायगी ।

जनपद फर्रुखाबाद में सहायक विकास अधिकारी, समाज शिक्षण तथा पंचायत के पद का स्थायीकरण

*५—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में कितने सहायक विकास अधिकारी, समाज शिक्षण तथा पंचायत ऐसे हैं जिन्हें विभाग में सेवा करते हुए २० वर्ष से अधिक बीत गए हैं किन्तु अभी तक वे स्थायी नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं ।

सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के पद का स्थायीकरण

*६—श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ऐसे हैं जिन्हें इस पद पर कार्य करते १८ वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं परतु उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है और न ही ज्येष्ठता सूची में उनका नाम आया है ? यदि हां, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

कृषि विभाग में १८२ सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ऐसे हैं जिनको १८ वर्ष से सेवारत रखने के बाद भी स्थायी नहीं किया जा सका है और इसी लिये उनका नाम भी ज्येष्ठता सूची में नहीं रखा जा सका है। इनको स्थायी करने के लिये एक अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गई है जिस पर आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं। परन्तु कतिपय अधिकारियों के सम्बन्ध में सेवा विवरण अपूर्ण होने के कारण इस सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। मामले को शीघ्र निपटाने का प्रयास जारी है।

*७—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

नवीन मंडी स्थल, छिबरामऊ, फर्रुखाबाद के निर्माण में व्यय की गई धनराशि

*८—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद में मन्डी स्थल बनाने के लिए कुल कितने रुपयों की योजना गत ५ वर्षों में स्वीकृत हुई और उसके निर्माण में अभी तक कितना धन लग चुका है ? क्या शासन को यह शिकायत ३ अक्तूबर, को भेज हुए आपरेशन साप्ताहिक समाचार पत्र से मिली है कि छतों से पानी टपकता है, उनका पलस्तर और फर्श एक वर्ष के अन्दर ही समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई है और क्या कार्यवही की गयी है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

नवीन मन्डी स्थल छिबरामऊ के निर्माणार्थ भूमि के मूल्य सहित कुल ४०.५० रु० लाख की योजना बनाई गई थी। अभी तक योजना अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों पर २७.५० रु० लाख व्यय हो चुका है। साप्ताहिक समाचार-पत्र आपरेशन दिनांक ३ अक्तूबर, १९७७ की शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है, अतः जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी मडुआडीह कार्मशियल फार्म तथा रिसर्च फार्म का आय तथा व्यय

*९—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मडुआडीह कार्मशियल फार्म तथा रिसर्च फार्म अलग-अलग कितने एकड़ में हैं और सन् १९७४ से लेकर मार्च, १९७७ तक अलग-अलग वर्षों में कितना रुपया खर्च हुआ और उससे आमदनी कितनी हुई ? क्या यह सत्य है कि दोनों को एक में ही रखा गया है जिससे आज तक बैलेन्स शीट नहीं तैयार हो सकी और कार्मशियल फार्म का खर्चा रिसर्च पर डाला है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, वाराणसी का कृषि विभाग के अन्तर्गत ७७ एकड़ का फार्म है जिसका अधिकांश क्षेत्रफल परीक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों के अन्तर्गत रहता है तथा अवशेष क्षेत्रफल पर आधारीय बीज सम्वर्द्धन कार्यक्रम चलाया जाता है।

सन् १९७४ से १९७७ तक खर्च एवं आमदनी का विवरण निम्न है :

	वर्ष १९७४–७५	१९७५–७६	१९७६–७७
	रु०	रु०	रु०
खर्च	१,३८,२४१	१,४०,११३	१,६७,११२
आमदनी	१,९३,९२१	१,७७,९७२	२,०८,०६८
लाभ	५५,६८०	३७,८५९	४०,९५६

जी नहीं, यह सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र का प्रक्षेत्र है ।

प्रतिवर्ष बैलेन्सशीट तैयार होती है एवं विभागाध्यक्ष को भेजी जाती है । वर्ष १९७६–७७ की बैलेन्स शीट बन रही है ।

जी नहीं ।

कृषि फार्म आराजी लाइन, वाराणसी का कोल्ड स्टोर में रखा गया आलू

*१०—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की कृषि फार्म, आराजी लाइन, वाराणसी में १९७६–७७ में एक हजार क्विंटल आलू की पैदावार (फाउन्डेशन सीड) हुई है और हरी कोल्ड स्टोरेज, शिवपुर, वाराणसी में रखा गया जिससे सैकड़ों क्विंटल आलू कोल्ड स्टोरेज के अन्दर ही सड़ गया है ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

कृषि फार्म आराजी लाइन वाराणसी में वर्ष १९७६–७७ में कुल १८०४.०६ क्वीन्टल आलू (फाउन्डेशन सीड) की पैदावार हुई थी जिसमें से केवल ६७५.२० क्वींन्टल आलू हरी कोल्ड स्टोरेज शिवपुर, वाराणसी में रखा गया था जिसमें कोई आलू नहीं सड़ा । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं हुआ ।

गोरखपुर–गोला मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों के विषय में शिकायत

*११—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर–गोला मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों की दुर्व्यवस्था, अनियमितता व जर्जर अवस्था आदि के विषय में शासन को कोई शिकायत माह मार्च/मई, १९७७ में मिली है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कर रही है ?

श्री आबिद अली—

उपलब्ध कागजातों को देखने से गोरखपुर–गोला मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों की दुर्व्यवस्था, अनियमितता व जर्जर अवस्था आदि के विषय में कोई शिकायत उक्त अवधि में प्राप्त हुई नहीं प्रतीत होती है ।

कानपुर–औरैया मार्ग पर यात्रियों के लिए बसों का अभाव

*१२—श्री श्री नारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को जानकारी है कि कानपुर–औरैया मार्ग पर यात्रियों की आवश्यकता के अनुपात में बसों की अत्यधिक कमी है जिससे यात्रियों को घोर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के अविलम्ब आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

कानपुर–औरैया मार्ग पर यात्रियों की आवश्यकतानुसार ६४ ट्रिपें राज्य सड़क परिवहन निगम चलाता है । आवश्यकता होने पर बसें तुरन्त बढ़ा दी जायेंगी ।

बाराबंकी–फैजाबाद रोड पर प्राइवेट बसों के चलाने में शासन द्वारा प्रतिबन्ध

*१३—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी–फैजाबाद रोड पर ३० नवम्बर, १९७६ तक जो ९६ प्राइवेट बसें चल रही थी उन बसों को चलाने पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है ? यदि हां, तो उन प्राइवेट बसों के लिए नवम्बर, १९७७ तक चलाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

बाराबंकी–फैजाबाद मार्ग पर नवम्बर, १९७६ में ३० स्थायी व एक अस्थायी कुल ३१ सवारी गाड़ी परमिट वैध थे ।

बाराबंकी–फैजाबाद एवं उसके सहबद्ध मार्गों पर कुल ८१ स्थायी व एक अस्थायी सवारी परमिट पर सवारी गाड़ियां चल रही थीं जिनमें बाराबंकी–फैजाबाद मार्ग की भी ३१ बसें सम्मिलित हैं ।

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ६८–सी के अन्तर्गत बाराबंकी–फैजाबाद एवं उसके सहबद्ध मार्गों की राष्ट्रीयकरण योजना प्रकाशित हो जाने के फलस्वरूप संभागीय परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ ने इन मार्गों के परमिटों का नवीनीकरण इस प्रतिबन्ध के साथ किया था, कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ६८–डी (३) के अन्तर्गत मार्गों के अधिसूचित होने के कारण सभी परमिट प्रभावहीन हो जायेंगे । शासन की अधिसूचना संख्या ४४०७–टी/तीस–४–१७८ के० एम०/७५, दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७ के अन्तर्गत विस्थापित आपरेटरों के लिए स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों की रिक्तियों में २५ प्रतिशत स्थान आवंटित करने का प्राविधान कर दिया गया है । विस्थापित आपरेटरों द्वारा आवेदन-पत्र दिए जाने पर सम्बन्धित संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

*१४—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[२७–३–७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ६ के द्वारा उत्तरित ।]

कटेहरी ब्लाक, जनपद फैजाबाद में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र का सुधार तथा अन्य ब्लाकों के ग्रामीण अंचलों में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार

*१५--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के कटेहरी ब्लाक के मुख्यालय पर स्थित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के सुधार तथा जनपद के भीटी, कटेहरी माया बाजार तथा टांडा ब्लाक के कुछ ग्रामीण अंचलों में पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक १ दिसम्बर, १९७७ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

कटेहरी ब्लाक के मुख्यालय पर स्थित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र को अतिहिमीकृत वीर्य की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है । पत्र में उल्लिखित ग्रामों के निकटवर्ती क्षेत्रों में पशु चिकित्सा संस्थायें कार्यरत होने तथा पशुओं की संख्या को देखते हुए नई पशु चिकित्सा संस्थाएं खोलने का विचार नहीं है ।

कृषि बफर गोदाम तथा केन्द्रीय कृषि बीज भंडार, रायबरेली से पुराने दर के उर्वरकों का नए रेट में विक्रय

*१६--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७४-७५ में शासन का यह आदेश था कि जुलाई सन् १९७४ तक उपलब्ध सम्पूर्ण पुराने दर के उर्वरकों का वितरण हर दशा में कृषकों में कर दिया जाय परन्तु इसके विपरीत जिला कृषि अधिकारी, रायबरेली तथा जिला लेखाकार (कृषि) रायबरेली ने रायबरेली जिले के कृषि बफर गोदाम तथा केन्द्रीय कृषि बीज भंडार पर पुराने रेट के उर्वरकों विशेषतः यूरिया खाद, का स्टाक सितम्बर, १९७५ तक छिपाए रखा तथा स्टाक कृषि बीज भंडार शिवगढ़, मलिकमऊ, चौबारा, डीह, इन्हौना तथा रायबरेली से नए रेट पर जो पुरान रेट का लगभग दूना था की दर से विक्रय करा कर अनैतिक धन को प्राप्त किया तथा बाद में उक्त बीज भंडार प्रभारियों को जिन्होंने नए रेट पर पुराने रेट का उर्वरक विक्रय करके जिला कृषि अधिकारी को धन दिया था का नाम कर्मठ व चरित्रवान कार्यकर्ताओं की श्रेणी में भेज कर तथा गलत संस्तुति देकर उनकी नियुक्ति कृषि निदेशालय द्वारा कृषि प्रेक्षकों पर करा दिया जबकि उन में से अधिकांश अनुभवहीन तथा कनिष्ठ थे ? यदि यह सत्य है, तो उपरोक्त गम्भीर भ्रष्टाचार के मामले में जिला कृषि अधिकारी तथा जिलालेखाकार कृषि के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जुलाई, १९७४ में शासन ने यह आदेश पारित किए थे कि जिले में उपलब्ध स्टाक का अविलम्ब वितरण कर दिया जाय ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

यह सत्य नहीं है । कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को खाद व बीज के वितरण में अनियमितता

*१७—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लघु एवं सीमान्त कृषकों को वितरित की जाने वाली खाद व बीज के वितरण में अनियमितता एवं लापरवाही के विषय में विकास क्षेत्र पिपरौली (गोरखपुर) के लोगों द्वारा सरकार को कोई ज्ञापन माह नवम्बर, १९७७ में भेजा गया है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रान्जेद्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आलू तथा प्याज का निर्यात बन्द होने से भाव में व्याप्त मंदी

*१८—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आलू तथा प्याज का निर्यात बन्द होने के कारण इसके बाजार भाव में व्याप्त मंदी को ध्यान में रखते हुए इस हेतु सरकार क्या कर रही है कि उत्पादक को उपयुक्त तथा प्रोत्साहक मूल्य भी मिल जाय तथा उपभोक्ता को सस्ते भाव पर उक्त सामान भी मिल सके ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रदेश से आलू के निर्यात बन्द होने के कारण बाजार में मन्दी नहीं है, लेकिन अब बाजार भाव गत वर्ष के स्तर पर आ गए हैं । बाजार भाव को स्थिर रखने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रदेश से आलू अन्य प्रदेशों को सुविधा-पूर्वक रेल एवं सड़क परिवहन द्वारा जाता रहे । ५५ रु० प्रति कुन्तल से नीचे भाव गिरने पर आलू के क्रय की व्यवस्था राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) द्वारा की गई है, जो आलू का बफर स्टाक तैयार करेगा । इस समय बाजार में प्याज का भाव ६० रु० से ७० रु० प्रति कुन्तल है । अभी प्रदेश में प्याज की मुख्य फसल आने में देर है । प्रदेश में प्याज की खुदाई अप्रैल, मई में होती है । प्रदेश में प्याज का उत्पादन आवश्यकता से कम होता है, अतएव कुछ मात्रा में प्याज गुजरात से यहां विक्रय हेतु आती है ।

जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद को जोशी एवार्ड के अन्तर्गत (अ) श्रेणी का बैंक घोषित किया जाना तथा उक्त एवार्ड के अनुरूप कर्मचारियों को दिया गया वेतनमान

*१९—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद जोशी एवार्ड के अन्तर्गत (अ) श्रेणी का बैंक माना गया है ? यदि हां, तो बैंक कर्मचारियों को (अ) श्रेणी का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । परन्तु प्रशासक फैजाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा २९-११-७७ को पारित प्रस्ताव के सन्दर्भ में निबन्धक सहकारी समितियों के आदेश द्वारा उ०

प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा निर्मित सेवा विनियम, १९७५ के विनियम ३(२), १० तथा ४१ के अन्तर्गत बैंक के कर्मचारियों को १-१-७८ से संशोधित वेतनमान, महंगाई एवं आवास भत्ता दिया जा रहा है जो जोशी एवार्ड के अधीन (अ) श्रेणी के बैंकों के कर्मचारियों के अनुरूप ही है।

हापुड़ नवीन मंडी स्थल भूमि पर निर्माण कार्य

*२०--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या कृषि मंत्री विधान सभा के दूसरे सत्र १९७७ के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सन्दर्भ में बतायगे कि हापुड़ मंडी के नए स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय लिया ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

हापुड़ नवीन मंडी स्थल में कुछ भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर निर्माण कार्य जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

हापुड़ के व्यापारियों पर मंडी शुल्क की बकाया धनराशि

*२१--श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि हापुड़ के व्यापारियों पर ३० नवम्बर, १९७७ तक मंडी शुल्क का कितना रुपया बकाया है ? इसमें से कितना रुपया एक साल से अधिक अवधि से बकाया है ? सरकार ने अब तक इस बकाया के वसुल करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

हापुड़ के व्यापारियों पर ३०-११-७७ तक मंडी समिति, हापुड़ का ८,६३,५०६·२१ रु० बकाया था। इसमें से ६,८५,७१२·६३ रु० एक वर्ष से अधिक अवधि का बकाया था। मंडी समिति द्वारा ३,७६,९५७·५२ को मालगुजारी की भांति वसूल करने हेतु जिलाधिकारी को लिखा जा चुका है। शेष की वसूली भी की जा रही है। एक वर्ष से कम अवधि की बकाया धनराशि १,६७,७६३·२८ रु० की वसूली दिसम्बर, १९७७ तक की जा चुकी है।

कृषि निदेशालय में कृषि निदेशक के पद पर की गई नियुक्ति

*२२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि निदेशालय में वरिष्ठता क्रम का अतिक्रमण करके कृषि निदेशक के पद पर वर्तमान कृषि निदेशक (श्री हरिहर सिंह) की नियुक्ति से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का मनोबल क्षण हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में न्यायोचित मार्ग का अनुसरण कर निदेशक के पद पर वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम्य विकास-३ लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश में निलम्बित कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान

*२३--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता ग्राम्य विकास ३ लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश ने वर्ष १९७२-७३ में २५ दिसम्बर, १९७७ तक कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया है ? उनमें से कितनों को नियमित रूप से जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान हो रहा है ? जिनको नहीं हो रहा है, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

तैंतीस (३३) कर्मचारी । इनमें से ३१ (इकतीस) कर्मचारियों को नियमित रूप से जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया किया । दो कर्मचारियों को नियमित रूप से जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि वे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे ।

लखनऊ कोआपरेटिव मिल्क यूनियन में गबन

*२४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७ में लखनऊ कोआपरेटिव मिल्क यूनियन में गबन के कितने मामले प्रकाश में आए तथा यह कितने व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं ? इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्ष १९७७ में लखनऊ कोआपरेटिव मिल्क यूनियन में कोई भी गबन के मामले प्रकाश में नहीं आये। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

शासन द्वारा भारतीय युवा कल्याण संस्थान को दिया गया अनावर्तक अनुदान

*२५--श्री रमाशंकर कौशिक--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ३१ मार्च, १९७७ को शासन ने दस लाख रुपया, ८ एकड़ भूमि युवक भवन तथा सरोजनी नगर का शास्त्री भवन व किदवई भवन मय ६० एकड़ जमीन युवक संस्थान को दिए हैं ? यदि हां, तो क्यों और इस युवक संस्थान से सरकार का क्या सम्बन्ध है ?

श्री जमुना प्रसाद--

शासन द्वारा भारतीय युवा कल्याण संस्थान को केवल १० लाख रुपये का अनावर्तक अनुदान दिनांक ३१-३-७७ को स्वीकृत किया गया है । इसके अलावा कोई भूमि या भवन संस्थान को नहीं दिया गया है ।

यह अनुदान प्रदेश के युवक-युवतियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्पादित करने, स्थापना व्यय तथा एक प्रेस लगाने के लिये दिया गया है । यह संस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन के ऐक्ट के अधीन एक रजिस्टर्ड संस्था है और सरकार का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

'बरवारी फार्म' बहराइच में मूंग टाइप-४४ का बीज खरीदने के सम्बन्ध में कथित घपला

*२६—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि 'बरवारी फार्म' बहराइच में मूंग टाइप-४४ का बीज १९७६-७७ में खरीदने के सम्बन्ध में कथित घपला की जांच वर्ष १९७७ में डिप्टी डाइरेक्टर काटन तथा जाइंट डाइरेक्टर, दलहन द्वारा मौके पर जा कर की गयी है ? यदि हां, तो दोनों की अलग-अलग क्या रिपोर्ट है और कौन-कौन तथ्य प्रकाश में आए तथा कौन दोषी पाए गए ? क्या जांच में प्राप्त बीज का परीक्षण वैज्ञानिक ढंग से कराया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मंडी समिति, बड़ौत द्वारा मंडी समिति, मेरठ तथा गाजियाबाद के निर्माण कार्यों हेतु दी गयी धनराशि

*२७—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ौत क्षेत्र में, सड़कों की भारी कमी होने के बावजूद भी मंडी समिति बड़ौत का करीब २५ लाख रुपया मंडी समिति, मेरठ तथा मंडी समिति जिला गाजियाबाद को ऋण के रूप में चार-पांच वर्ष के लिए दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ऋण में दी गयी धनराशि को तुरन्त वापिस लेकर बड़ौत मंडी समिति क्षेत्र में, विकास कार्यों में खर्च करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मंडी समिति, बड़ौत (मेरठ) द्वारा मंडी समिति, मेरठ तथा गाजियाबाद को क्रमशः २० तथा ५ लाख रुपये का ऋण नवीन मंडी स्थल के निर्माण हेतु दिया गया । बड़ौत मंडी का भी निर्माण होना है इसलिये सम्पूर्ण धनराशि को सड़कों पर व्यय करना सम्भव नहीं है ।

गन्ना विकास परिषद्, गोरखपुर के कतिपय ग्रामों के गन्ना कृषकारों का गन्ना न क्रय करने तथा परताल करने की लिखित शिकायत

*२८—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद् गोरखपुर के ग्राम ठूठबारो, भरचहवा, सड़कहवा के गन्ना कृषकारों का गन्ना क्रय करने तथा परताल करने की लिखित शिकायत माह जुलाई, १९७७, नवम्बर, १९७७, दिसम्बर, १९७७ में प्रश्नकर्ता द्वारा शासन में की गयी ? यदि हां, तो शासन द्वारा उपरोक्त गांवों का गन्ना न क्रय करने का क्या कारण है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिव, साधन सहकारी समिति, बोड़िया अनन्त, जनपद देवरिया द्वारा किया गया गबन

*२९—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, साधन सहकारी समिति, बोड़िया अनन्त, जनपद देवरिया ने लाखों रुपए का गबन किया जिसकी रिपोर्ट कोतवाली, देवरिया में दिनांक १७ मार्च, १९७७ को दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो विभाग ने सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद देवरिया के विकास खंड, बैतलपुर स्थित बेड़िया अनन्त के सचिव श्री राम किशोर मल्ल ने २९,६४२ रु० (उन्तीस हजार छः सौ बयालिस रुपये) का गबन किया है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक १७-३-७७ को कोतवाली-देवरिया में दर्ज कराई गई । श्री मल्ल के विरुद्ध अपहृत धन की वसूली हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम, १९६५ की धारा ६८ के अन्तर्गत जांच आरम्भ कर दी गई है । श्री मल्ल को सचिव के पद से हटा दिया गया है ।

आदर्श कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता समिति लि०, बैतालपुर, देवरिया के सचिव के विरुद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*३०—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आदर्श कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता समिति लि०, बैतालपुर, जनपद देवरिया वर्ष १९७४ से बन्द है ? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है उक्त समिति के सचिव के विरुद्ध अनेक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, आदर्श कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, बैतालपुर वर्ष १९७४ से सदस्यों के आपसी गुटबन्दी के कारण बन्द है। भंडार के सचिव के विरुद्ध मनमानी कार्यवाही करने तथा चुनाव न कराने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुए । जांच में उक्त आरोप सत्य पाये गये अतः सहकारी समिति अधिनियम १९६५ की धारा २९ (४) के अन्तर्गत उक्त समिति की नियुक्ति हो गयी है तथा सचिव की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं । समिति के समापन हेतु सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा ६५ के अन्तर्गत जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान में प्रसार अधिकारी का पद

*३१—श्री कबूल सिंह (जिला मुजफ्फ नगर)—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० गन्ना किसान संस्थान में प्रसार अधिकारी के पदों पर कितने आर्ट साइड तथा कितने (कृषि) साइड (विषय) के अधिकारी हैं ? क्या इस पद के लिए कृषि विषय होना आवश्यक है ? यदि हां, तो आर्ट विषय के अधिकारी किस प्रकार नियुक्त किए गए ?

श्रीमती चन्द्रावती--

उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान में प्रसार अधिकारी, पदनाम का कोई पद स्वीकृत नहीं है, अतः शेष प्रश्न ही नहीं उठता है ।

*३२--श्री राम कुमार शर्मा--

[५वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, जिला वाराणसी में सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, औराई के संचालक मंडल का चुनाव

*३३--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, जिला वाराणसी में गन्ना सहकारी समिति के प्रबन्ध समिति के चुनाव में अनियमित ढंग से परिसीमन करके चुनाव करा दिया गया है जिसका शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा जिला गन्ना अधिकारी, वाराणसी को दिनांक ६ नवम्बर, १९७७ को दिया गया है ? यदि हां, तो शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

दिनांक ६-११-७७ को दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, जिला वाराणसी में सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, औराई के संचालक मंडल का चुनाव जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया गया था । चुनाव हो जाने के बाद प्रश्नकर्ता माननीय श्री अठई राम जी ने एक आपत्ति पत्र जिला गन्ना अधिकारी को सम्बोधित कर प्रेषित किया । जिला गन्ना अधिकारी ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि वे इसके लिये सक्षम नहीं थे ।

कमिश्नर रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी, मेरठ द्वारा मुजफ्फरनगर से जौली मार्ग पर दिये गये अस्थायी परमिट

*३४--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कमिश्नर रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी, मेरठ ने मुजफ्फरनगर से जौली मार्ग पर हाल ही में अस्थायी परमिट उन लोगों को दिए हैं जिनके पास पहले से ही स्थायी परमिट हैं । यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री आबिद अली--

रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी के निर्णय अर्द्ध न्यायिक होते हैं जिनके विरुद्ध अपील किये जाने का प्राविधान है ।

बहराइच जिला परिषद् के चिकित्साधिकारियों की सेवा समाप्ति

*३५--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश की समस्त जिला परिषदों को तार संख्या ज० १९३० सी० जे० ३२५ लखनऊ, २१ राज्य ४६ "जिला परिषदों के चिकित्सालयों में २६ सितम्बर, १९७७ तक नियुक्त किये गए बी० ए० एम० एस० तथा बी० आई० एम० एम० की योग्यता के चिकित्साधिकारियों की सेवाएं समाप्त न की जाय" भेजा गया ? यदि हां तो उक्त आदेश के बावजूद बहराइच जिला परिषद् के चार चिकित्साधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने की नोटिस क्यों और किस अधिकारी द्वारा फरवरी, १९७८ में दी गयी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां, शासन द्वारा दिनांक २१ सितम्बर, १९७७ को तार द्वारा समस्त जिला परिषदों को आदेश दिये गये थे कि जिला परिषदों के चिकित्सालयों में २० सितम्बर, १९७७ तक नियुक्त किये गये बी० ए० एम० एस० व बी० आई० एम० एस० योग्यता के चिकित्साधिकारियों की सेवायें समाप्त न की जायं।

जिला परिषद्, बहराइच द्वारा किसी भी चिकित्साधिकारी को सेवा समाप्ति की नोटिस नहीं दी गई है।

मथुरा जनपद के अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप

*३६—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के सहकारिता विभाग के ए० डी० सी० ओ० (श्री ए० पी० सिंह) के विरुद्ध सादाबाद तहसील के किसानों द्वारा गम्भीर आरोप लगाकर विभाग की शिकायत की गई और उस शिकायत की जांच सहायक निबन्धक, मथुरा से कराई गई ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, प्रारम्भिक जांच के आधार पर अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जिला गन्ना विकास अधिकारी, पडरौना क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा अवैध रूप से बिहार से गन्ने की खरीद

*३७—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि इस वर्ष चालू गन्ना पेराई सीजन में जनपद गन्ना विकास अधिकारी, पडरौना क्षेत्र के अन्तर्गत नौ चीनी मिलों ने अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में बिहार के गन्ने की खरीद कर स्थानीय गन्ना उत्पादकों के हितों पर कुठाराघात कर पचीस लाख रुपयों के पर्चेज टैक्स (क्रय-कर) की चोरी की गयी है ? यदि हां, तो शीर्षस्थ अधिकारियों से जांच कराई जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी नहीं। जिला गन्ना अधिकारी, पडरौना के क्षेत्र के अन्तर्गत, ९ चीनी मिलों में से ७ चीनी मिलों द्वारा वर्तमान पेराई सत्र (१९७७-७८) में ईख आयुक्त, बिहार द्वारा आवंटित गन्ने की विधिवत खरीद गेट एवं क्रय केन्द्रों पर की जा रही है। अतएव, इस मामले में क्रय-कर की चोरी का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि बिहार राज्य के गन्ने पर क्रय-कर आरोपण के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा बिहार राज्य से गन्ने की पूर्ति पर क्रय-कर देय नहीं होता है। वर्तमान पेराई सीजन में बिहार राज्य के गन्ने को प्रदेश की चीनी मिलों को गन्ना पूर्ति का निर्धारित लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इस मामले में जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विकास खण्ड जामो तथा गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर में दिए गए विभागीय कर्ज का सत्यापन कार्य तथा शासन द्वारा की गयी कार्यवाही

*३८--श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामो तथा गौरीगंज में दिए गए विभागीय कर्ज का सत्यापन कार्य पूर्ण हो गया है या नहीं ? यदि हो गया है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पांच हजार से ऊपर की रकम लेकर हजम कर ली है? उनके ऊपर सरकार ने आज तक कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामो तथा गौरीगंज में कमशः ११ व १० न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी समितियां हैं जिनमें से विकास खण्ड जामों की सभी समितियों का तथा गौरीगंज की नौ समितियों का सत्यापन कार्य फरवरी, १९७८ में पूर्ण हो गया है। एक समिति के अभिलेख विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) द्वारा एक अभियोग की विवेचना के सम्बन्ध में अधिग्रहण कर लिए जाने के कारण सत्यापन नहीं किया जा सका।

सत्यापन के दौरान ज्ञात हुआ कि पांच हजार रुपये से अधिक ऋण एवं ब्याज अब तक अदा न करने वाले तीन सदस्य हैं। दो व्यक्तियों के विरुद्ध सालसी कार्यवाही तथा एक व्यक्ति के विरुद्ध वसूली का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। दस व्यक्ति अन्य सदस्यों के नाम लिया गया ऋण एवं ब्याज अथवा वसूल किया हुआ ऋण एवं ब्याज अपहरित करने के दोषी पाए गए जिनमें से आठ व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भा० द० वि० की धारा ४०९/४१९/४२०/४६८ के अन्तर्गत लिखाई गई है। दो व्यक्तियों के विरुद्ध सालसी कार्यवाही की गई।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० बभनान, जिला बस्ती में गबन

*३९--श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को पता है कि केन यूनियन बभनान, जिला बस्ती में सीजन १९६८-६९ में लगभग १४ हजार का गबन किया गया, जिसके सम्बन्ध में कई कर्मचारी निलम्बित किए गए हैं और उसी को कारण बनाकर लगभग ४ लाख रुपया किसानों का गन्ने का दाम बकाया पड़ा है और अभी तक केस का निस्तारण नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही आज तक हुई ? केस का निस्तारण कब तक हो जायग तथा किसानों की पर्चियों का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, बभनान जिला बस्ती में वर्ष १९६८-६९ में नहीं बल्कि १९६९-७० में १३,०२४·२१ रुपये का गबन प्रकाश में आया और इसमें दोषी व्यक्तियों में सर्वश्री बरकतुल्लाह, फेरई खां तथा छोटेलाल, सामयिक कैशियर की सेवायें समाप्त कर दी गयीं तथा श्री कमला प्रसाद गुप्त, लेखाकार व श्री कन्हैया लाल त्रिपाठी, कैशियर को निलम्बित कर दिया गया है। मामले में छानबीन करने के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दिनांक ३१-१२-७२ को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जहां वह अभी विचाराधीन है।

गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य ४ लाख रु० बकाया नहीं है। यह केवल ३५,६७०·६६ रुपया है जिसका भुगतान न्यायालय के निर्णय के उपरान्त किया जा सकेगा। यह धन केन यूनियन के पास उपलब्ध है।

कैन्टूनमेंट स्थित बंगला नं० १६, जिला सीतापुर की परिवहन विभाग द्वारा खरीद में गोलमाल

*४०—श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा व जिला सीतापुर के कैन्टूनमेंट स्थित बंगला नं० १६ के परिवहन विभाग द्वारा खरीदे जाने के मामले में उक्त बंगले के विवादग्रस्त होने अथवा उसके खरीद में गोलमाल होने के बारे में मुख्य मन्त्री को कोई शिकायती-पत्र रजिस्ट्री सं० ८०६, दिनांक १२ फरवरी, १९७८ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और अब तक इस विषय में सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री आबिद अली—

जी हां। इस पत्र की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को वांछित कार्यवाही हेतु भेज दी गयी है।

आगरा जिला परिषद् द्वारा मामरी से जारुआ कटरा तक अर्द्धनिर्मित सड़क

*४१—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आगरा जिला परिषद् द्वारा निर्मित मामरी से जारुआ कटरा सड़क के बीच में एक टुकड़ा अनिर्मित पड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने दिए हुए अनुदान को व्यय करने की अनुमति निश्चित तिथि समाप्त हो जाने के कारण जिला परिषद् को नहीं दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क पूरी कराने के लिए अनुदान व्यय करने की अनुमति जिला परिषद् को देगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां।

प्रश्नगत अनुदान के उपभोग की अवधि शासनादेश संख्या १०५४३-ग/३३-३-६१-७३, दिनांक २३ जनवरी, १९७८ द्वारा ३० अप्रल, १९७८ तक बढ़ाई जा चुकी है। उपभोग अवधि और बढ़ाये जाने के लिये अभी जिला परिषद् ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

जिला परिषद् द्वारा मार्ग के शेष भाग को पूरी करने की कार्यवाही की जा रही है तथा इसके लिए २८ मार्च, १९७८ को टडर आमंत्रित किये जा चुके हैं।

*४२—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[४थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश की अशक्त चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र तथा समिति का गठन

*४३- श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)---

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० में १९८०-८१ के गन्ना पेराई के मौसम तक प्रदेश की ६ अशक्त चीनी मिलों के व्यापक आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए २२.५७ करोड़ रुपये की पुनर्वित्तीय सुविधाओं हेतु परियोजना प्राक्कलन सहित कोई प्रार्थना-पत्र जून, १९७६ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया को प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उक्त बैंक द्वारा इस प्रार्थना-पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? प्रदेश की अन्य अशक्त चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए सरकार अन्य क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती---

यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन ने ६ अशक्त चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए २२·५७ करोड़ रु० की वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया को प्रेषित किये थे जो अभी उक्त संस्था के विचाराधीन हैं। प्रदेश की अन्य अशक्त चीनी मिलों ने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया को उनके द्वारा आसान शर्तों पर आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध कराने की योजना का लाभ उठाने के लिए सितम्बर, १९७६ में सीधे प्रार्थना-पत्र भेज रखे हैं, जो बैंक के विचाराधीन है।

*४४---श्री उदय नारायण सिंह---

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने फरवरी, १९७६ में आयुक्त एवं सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की अध्यक्षता में अशक्त चीनी मिलों की पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण एवं विस्तार के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की थी ? यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन थे? क्या सरकार को समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया ?

श्रीमती चन्द्रावती---

जी हां। प्रदेश की बीमार चीनी मिलों के पुनर्वासन, आधुनिकीकरण तथा विस्तार के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन २१ फरवरी, १९७६ को किया गया था जिसके सदस्यों की सूची संलग्न है। उक्त समिति ने कुछ बीमार चीनी मिलों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर विचार करके उन्हें पुनर्वासन, आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए आई०डी०बी० आई० से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अपनी संस्तुति शासन को भेजी थी और तदनुसार उन चीनी मिलों के प्रार्थना-पत्र आई० डी० बी० आई० को प्रेषित कर दिये गये थे। अन्य मिलों के सम्बन्ध में भी समिति की संस्तुतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

आचार्य नरेन्द्र देव प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सम्परीक्षा रिपोर्ट

*४५---श्री मित्रसेन---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आचार्य नरेन्द्र देव प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में महालेखाकार की इस वर्ष की जांच में अनेकों

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५४ पर।)

अनियमितताएं स्पष्ट हुई हैं ? यदि हां, तो उन आपत्तियों और अनियमितिताओं का विवरण क्या है ? और उस पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ने नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के वर्ष १९७५-७६ एवं ७६-७७ के लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट में उक्त वर्षों में प्राप्त अनुदानों के पूर्णरूपेण उपभोग न किये जाने, कतिपय अधिकारियों की तथाकथित अनियमित नियुक्तियों, वस्तुओं के क्रय में अनियमितताओं, कुछ योजनाओं के चालू करने मे विलम्ब एवं आर्कीटेक्ट पर जुर्माना न लगाने सम्बन्धी मुख्यतः आपत्तियां उठायी हैं। आपत्तियों के निराकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है। पत्थरों के क्रय में हुई अनियमितताओं के लिए तत्कालीन कुलसचिव को उनके पैतृक विभाग को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान सरकार से किया गया है।

*४६—श्री सुरेन्द्र पाल—

[२७ मार्च, १९७८ को तारांकित प्रश्न सं० ५९ द्वारा उत्तरित।]

चन्द्र शेखर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में प्रवेश के समय स्वास्थ्य परीक्षा के लिए ली गई धनराशि

*४७—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि चन्द्र शेखर कृषि एवं प्रौद्योगिक बिश्व-विद्यालय, कानपुर में सन् १९७५ से सन् १९७७ तक प्रवेश के समय छात्रों से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (मेडिकल एक्जामिनेशन) के नाम पर कितना रुपया लिया गया ? क्या यह रुपया उक्त विश्वविद्यालय के चिकित्सक को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अविलम्ब यह रुपया वहां के चिकित्सक को देगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में सन् १९७५ से १९७७ तक छात्रों के प्रवेश के समय स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनसे कुल ३,७४० रु० (तीन हजार सात सौ चालीस रुपये) प्राप्त हुए। यह धनराशि विश्वविद्यालय के चिकित्सक को विश्वविद्यालय द्वारा इस आधार पर नहीं दी गई कि चिकित्सक विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी हैं तथा छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य उनकी सेवा का अंग है।

एटा जिले में कपास सुपरवाइजर की पदोन्नति तथा सेवाकाल की अवधि

*४८—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि एटा जिले में कपास सुपरवाइजर चतुर्थ श्रेणी में पदोन्नति करके चतुर्थ श्रेणी वेतन पर ६० वर्ष आयु के स्थान पर ५८ वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त किए गए हैं ? यदि हां, तो सुपरवाइजर ग्रेड का वेतन न देने और ६० वर्ष की आयु के स्थान पर ५८ वर्ष की आयु में देने का क्या कारण है ? क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी मान कर दो वर्ष और सेवा काल की अवधि बढ़ाएगी या उनके पदोन्नति से सेवा निवृत्ति के समय तक पूरा वेतन देगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां, एटा जिले के एक कामदार दिनांक २३ अप्रैल, १९५३ को कपास सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नत किये गये थे जो ५८ वर्ष की अतिवयता आयु प्राप्त कर जनवरी, १९७८ में सेवा निवृत्त हो गये हैं। इन्हें कपास सुपरवाइजर के ग्रेड का वेतन दिया गया है।

चूंकि सेवा निवृत्ति शासन द्वारा निर्धारित अतिवयता आयु पर ही हुई है तथा वेतन भी नियमानुसार उसी ग्रेड का दिया गया है अतः सेवा अवधि बढ़ाने या और वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब शुगर मिल, घुघली, जिला गोरखपुर में कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्ति

*४९—श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि पंजाब शुगर मिल, घुघली,, जिला गोरखपुर में कानूनी परामर्शदाता के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जो उसी मिल में एक मजदूर यूनियन के अध्यक्ष तथा गन्ना विकास समिति के भी अध्यक्ष हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

श्री रघुवंश प्रसाद उपाध्याय, एडवोकेट ने जो चीनी मिल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष तथा सहकारी गन्ना विकास समिति, घुघली के अध्यक्ष हैं, घुघली चीनी मिल में कानूनी सलाहकार के पद पर अवैतनिक रूप से नियुक्ति हेतु शासन को आवेदन-पत्र दिया था जो उचित कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी, गोरखपुर को भेज दिया गया था। तत्कालीन रिसीवर ने श्री उपाध्याय की योग्यता और उपयोगिता को देखते हुये उक्त मिल कम्पनी के हित में अवैतनिक एडवाइजर नियुक्त कर दिया।

*५०—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

[५वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्डों में सहायक विकास अधिकारियों की खण्ड विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नति

*५१—श्री भगवती चरण 'निर्मोही' तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास खण्डों में जो खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं उनकी पदोन्नति इन पदों पर राज्य विकास सेवा नियमावली, १९७२ के नियम २०(२) के अनुसार हुई है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से इसी जनपद में उपलब्ध स्थायी सहायक विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति से वंचित किया गया है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां।

*५२—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[६ठें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*५३--श्री श्रीराम द्विवेदी--

[५वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

*५४--डाक्टर जवाहर लाल--

[५वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

*५५--श्री बन्त बख्श रावत--

[५वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

*५६--श्री हुकम चन्द तिवारी--

[३रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला परिषद्, गोरखपुर के कार्य अधिकारी श्री ध्रुव नारायण सिंह का स्थानान्तरण

*५७--श्री गुन्जेश्वर (जिला गोरखपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, गोरखपुर के वर्तमान कार्य अधिकारी कितने दिनों से गोरखपुर जनपद के जिला परिषद् में कार्यरत हैं और उक्त कार्य अधिकारी का कितनी बार स्थानान्तरण हुआ और कितनी बार रोका गया ?

श्री जमुना प्रसाद--

जिला परिषद्, गोरखपुर के कार्य अधिकारी (श्री ध्रुव नारायण सिंह) इस पद पर १३ फरवरी, १९७३ से कार्यरत हैं । उनके स्थानान्तरण के आदेश तीन बार हुये हैं । उनमें से प्रथम दो आदेशों का कार्यान्वयन रोका गया ।

*५८--श्री रियासत हुसैन----

[२९ मार्च, १९७८ को तारांकित प्रश्न संख्या १७ द्वारा उत्तरित ।]

*५१--श्री रियासत हुसैन--

[२० मार्च, १९७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ६२ द्वारा उत्तरित ।]

अतारांकित प्रश्न

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर में प्रशिक्षण प्राप्त शिशिक्षु द्वारा अनशन

१--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताएगी कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर में प्रशिक्षण प्राप्त शिशिक्षु नवम्बर, १९७७ से क्रमिक अनशन पर हैं ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री आबिद अली--

जी हां । प्रशिक्षण प्राप्त लिपिक वर्गीय शिशिक्षु दिनांक १४ नवम्बर, १९७७ से १४ दिसम्बर, १९७७ तक क्रमिक अनशन पर रहे ।

निगम ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य मे जो साक्षात्कार होंगे उनमें इन अभ्यर्थियों को बिना सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से बाहरी अभ्यर्थी के रूप में बुलाया जायेगा। उन्हें अधिकतम आयु सीमा से ५ वर्ष की छूट दी जायेगी तथा अनुभव के ५ अंक भी दिये जायेंगे। नियुक्ति पदों की रिक्तियों पर ही निर्भर करेगी।

२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[१०वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

भूमि संरक्षण अनुभाग में कार्यरत अनुरेखक एवं मानचित्रकों की पदोन्नति

३—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इस बात का जानकारी है कि भूमि संरक्षण अनुभाग में कार्यरत अनुरेख एवं मानचित्रकों की पदोन्नतियों का विभाग में कोई प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो क्या उनकी पदोन्नति के बारे में सरकार विचार करेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

भूमि संरक्षण अनुभाग में कार्यरत अनुरेखक एवं मानचित्रकों के पदोन्नतियों का अभी कोई प्राविधान नहीं है। आगे यथा स्थिति विचार किया जायेगा।

जनपद फैजाबाद की मसोधा चीनी मिल पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

४—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की मसोधा चीनी मिल पर इस समय (६-१२-७७) किसानों का गन्ने के मूल्य का कितना रुपया बकाया है और बकाया धनराशि किसानों को कब तक दिला दी जायगी और इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जनपद फैजाबाद की मसोधा चीनी मिल पर निर्दिष्ट तिथि ६-१२-७७ तक वर्तमान पेराई सत्र १९७७-७८ का तथा इससे पूर्व सत्रों का गन्ना मूल्य बकाया क्रमशः १५.६१ लाख रु० तथा २.६६ लाख था।

किसानों के उक्त गन्ना मूल्य बकाया देयों के भुगतान की व्यवस्था दिनांक १२-१२-७७ से कर दी गयी है, जिसके फलस्वरूप अधिकतर किसानों को उनके गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

जिला बस्ती के कतिपय ग्रामों में निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों पर व्यय की गई धनराशि

५—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के विकास खण्ड नौगढ़, उस्का, बर्डपुर और बढ़नी को जनवरी, १९७७ से मार्च, १९७७ में एक-एक लाख रुपया

क्षेत्र के निर्माण एवं मरम्मत आदि के लिए दिया गया था और उक्त विकास समितियों ने अपनी बैठकों में ग्राम सभावार कार्यों के अनुसार रुपए का बटवारा कर लिया था? यदि हां, तो उक्त विकास खण्डों में प्रत्येक में अलग-अलग ३१ जुलाई, १९७७ तक कितना-कितना कार्य हुआ और प्रत्येक में कितना-कितना रुपया व्यय किया जा चुका है?

श्री जमुना प्रसाद—

जिला बस्ती के विकास खण्ड नौगढ़, उस्का, बर्डपुर तथा बढ़नी प्रत्येक को जनवरी, १९७७ व मार्च, १९७७ के बीच एक लाख चौतीस रुपया निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों पर दिया गया।

क्षेत्र समितियों ने अपनी बैठकों में विकास खण्ड नौगढ़ के लिए ११८, विकास खण्ड उस्का के लिए ८४, बर्डपुर के लिए १०३ तथा बढ़नी विकास खण्ड के लिए १८७ विभिन्न प्रकार के कार्य स्वीकृत किये। ३१ जुलाई, १९७७ तक विकास क्षेत्र नौगढ़ में ६२ रु०, उस्का में शून्य, बर्डपुर में २० तथा बढ़नी में शून्य कार्य पूर्ण हुआ। विकास खण्ड नौगढ़ के पूर्ण कार्यों पर ५८,६९४ रु०, उस्का में शून्य, बर्डपुर में २२,८२० रु० तथा बढ़नी में शून्य रु० व्यय हुआ। निर्माणाधीन ५६,२९,२७ तथा शून्य कार्यों पर क्रमशः विकास खण्ड नौगढ़ में ७५,४७४ रु०, उस्का में १५,७०० रु०, बर्डपुर में ५८,९९२ रु० तथा बढ़नी में शून्य रुपया व्यय हुआ है।

६—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

[५वें गुरुवार में प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

७—श्री नारायण सिंह भंसोरा—

[६ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश के विभिन्न संभागों में प्राइवेट आपरेटर्स तथा अनुसूचित जनजाति वालों को दिये गये बस के परमिट

८—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९७७ से १ दिसम्बर, १९७७ तक प्रदेश के भिन्न-भिन्न डिवीजनों में कितने प्राइवेट बस आपरेटर्स को बसें चलाने का परमिट दिया गया और इनमें से कितने बस परमिट अनुसूचित जाति तथा जनजाति को दिए गए?

श्री आबिद अली—

जून, १९७७ से १ दिसम्बर, १९७७ तक की अवधि में प्रदेश के विभिन्न संभागों में प्राइवेट आपरेटर्स को तथा अनुसूचित जाति व जनजाति को दिये गये परमिटों की संख्या निम्नवत् है :

क्रम-संख्या	संभाग का नाम	प्राइवेट आपरेटर्स को दिए गए परमिटों की संख्या		अनुसूचित जाति व जनजाति को दिए गए परमिटों की संख्या
		स्थायी	अस्थायी	
१	२	३	४	५
१	आगरा	..	६	६ (जिसमें से एक परमिट उठाया नहीं गया।)
२	इलाहाबाद	..	१२७	..
३	बरेली	..	..	..
४	देहरादून	..	२	१ (जौनसारी जनजाति)
५	फैजाबाद	२८	..	अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य से प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।
६	गोरखपुर	..	३०	..
७	झांसी	..	२	..
८	कानपुर	..	६३	२
९	हुमायूं संभाग काठगोदाम	७	१२	२
१०	लखनऊ	२२	३९	अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य से प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।
११	मेरठ	..	..	..
१२	पौड़ी	..	११	..
१३	वाराणसी	..	१३५	..
	कुल योग	५७	४२७	११

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

गोबर गैस प्लान्ट लगाने हेतु व्यक्तियों को दिया गया अनुदान

१०—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बस्ती जिले में गोबर गैस प्लान्ट लगाने हेतु वर्ष १९७५-७६ तथा १९७६-७७ में किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया? क्या वे समस्त गोबर गैस प्लान्ट लग गए और चालू हालत में हैं? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वर्ष १९७५-७६ तथा १९७६-७७ में जिन-जिन व्यक्तियों को जितना-जितना रुपया गोबर गैस प्लान्ट लगाने हेतु अनुदान के रूप में दिया गया उनका विवरण संलग्न† तालिकाओं में अंकित है।

संलग्न तालिकाओं में अंकित समस्त गोबर गैस प्लान्ट्स लग गए हैं। उक्त दोनों वर्षों में स्थापित गोबर गैस संयंत्रों में से प्रत्येक वर्ष के दो-दो संयंत्र कार्यरत नहीं हैं। वर्ष १९७५-७६ के दो खराब संयंत्रों में से एक को ठीक करा दिया गया था; किन्तु कृषक द्वारा नियमानुसार गोबर आदि न डालने तथा देख-रेख के अभाव में यह बन्द है। दूसरे संयंत्र को ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है। १९७६-७७ में स्थापित संयंत्रों में से दो संयंत्र कृषकों द्वारा देख-रेख के अभाव में बन्द हैं।

अन्य संयंत्रों के चालू न होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, सीतापुर में अवकाश प्राप्त ड्राइवर श्री मुख्तार हुसेन की ग्रेच्युटी तथा पेंशन का भुगतान

११—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मन्त्री को इसकी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सीतापुर डिपो में वर्ष १९७४ में जो ड्राइवर रिटायर हुए थे उन्हें ग्रेच्युटी तथा फैमिली पेंशन का बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो कब तक दे दिया जायगा?

श्री आबिद अली—

वर्ष १९७४ में सीतापुर डिपो में केवल एक ड्राइवर, श्री मुख्तार हुसैन रिटायर हुए जिनको ग्रेच्युटी का भुगतान दिनांक ७ जनवरी, १९७८ को किया जा चुका है। इनकी फैमिली पेंशन का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर द्वारा किया जाना है जिनके द्वारा वांछित कागजात उन्हें उपलब्ध किये जा रहे हैं।

वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ तथा बस्ती में पशुओं में संक्रामक रोग तथा पशु मालिकों को मुआवजा

१२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि १९७६ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, गोरखपुर, आदि जनपदों में पशुओं में गलघोंटू, रिन्डरपेस्ट आदि रोग फैल गये? यदि हां, तो पशु रोगों की रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

†छापी नहीं गई।

श्री मुलायम सिंह यादव--

१९७६ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ तथा बस्ती जनपदों में पशुओं में गलघोंटू रोग का प्रकोप हुआ। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पाने हेतु सुरक्षात्मक टीकाकरण किया गया। संक्रामक रोगों की रोकथाम पाने हेतु सुरक्षात्मक टीकाकरण किए जाने तथा पड़ोसी प्रदेशों से रेंडरपेस्ट रोग प्रदेश में न आने पाये इसलिए प्रदेश की सीमा पर टीका चौकियां और टोलियां स्थापित की गई हैं।

१३--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार यह बताने की भी कृपा करेगी कि १५ नवम्बर, १९७७ तक उक्त क्षेत्रों में कुल कितने पशु मर गए हैं तथा क्या पशु मालिकों को मुआवजा भी दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनवरी, १९७६ से १५ नवम्बर, १९७७ तक उक्त जनपदों में गलाघोंट, पोकनी, लगड़िया, सर्रा तथा एन्थ्रेक्स रोगों से कुल १८८ पशुओं की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है।

संक्रामक रोगों से मरे पशुओं के मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, क्योंकि मुआवजा देने के लिए कोई प्राविधान नहीं है।

जरवल रोड चीनी मिल पर महमूदाबाद तथा पैंतेपुर, जिला सीतापुर के काश्तकारों की बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि

१४--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को यह जानकारी है कि महमूदाबाद तथा पैंतेपुर जिला सीतापुर सर्किलों के काश्तकारों का कितना पैसा जरवल चीनी मिल को इस समय देना शेष है? सरकार काश्तकारों को इस पैसे के भुगतान के लिए क्या व्यवस्था कर रही है?

श्रीमती चन्द्रावती--

जरवल रोड चीनी मिल को महमूदाबाद तथा पैंतेपुर, जिला सीतापुर सर्किलों के काश्तकारों के गन्ना मूल्य का ९·९१ रु० लाख देना शेष है जिसके भुगतान के लिए जिला अधिकारी, बहराइच ने आदेश पारित कर दिये हैं कि उत्पादित चीनी के मार्जिन से २ रु० प्रति बोरा की दर से अतिरिक्त धनराशि बिक्री के बाद पुराने गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु पृथक खाते में जमा की जाय।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, औराई, वाराणसी में निदेशक मण्डल का चुनाव

१५--श्री श्यामधर मिश्र--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला स्थित औराई चीनी मिल में निदेशक मण्डल कितने वर्ष से नहीं है? यहां के निदेशक मण्डल के चुनाव में विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्रीमती चन्द्रावती—

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० औराई, वाराणसी का संचालक मण्डल दिनांक २३-६-१९७४ से कार्य नहीं कर रहा है। मिल समिति की उपविधि में हुए संशोधन को अंगीकृत करने के लिए चुनाव-कार्य स्थगित करना पड़ा था। संशोधन अंगीकृत हो चुका है तथा प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु सूची जिला गन्ना अधिकारी के पास भेजी जा चुकी है।

इलाहाबाद सहकारी मिल्क बोर्ड द्वारा दूध की बिक्री

१६—श्री अठई राम—

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर के मिल्क बोर्ड द्वारा रोजाना कितना दूध खरीदा जा रहा है उस पर प्रति लीटर कितना खर्च पड़ता है तथा वर्तमान समय में कुल बिक्री प्रति दिन क्या है। सन् १९६२ में होने वाली है बिक्री की तुलना में इस समय कम है या अधिक? यदि कम है तो बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार कोई उपाय कर रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

इलाहाबाद सहकारी मिल्क बोर्ड द्वारा औसतन प्रतिदिन २,६०० लीटर दूध क्रय किया जा रहा है। इस पर प्रति लीटर व्यय ५९ पैसा माह फरवरी, १९७० में रहा। वर्तमान समय में औसतन बिक्री प्रतिदिन २,५०० लीटर है। वर्ष १९६२ में औसत दैनिक बिक्री २७७२ लीटर था। इस दुग्धशाला के संयन्त्र बहुत पुराने हो गये हैं। अतः इलाहाबाद को पुरानी दुग्धशाला के स्थान पर २०,००० लीटर दैनिक क्षमता की एक नई दुग्धशाला की स्थापना की जा रही है। इसकी अनुमानित लागत ५३.०० लाख रुपये है जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इस दुग्ध क्षेत्र के दुग्ध सहकारी संगठन को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

रायबरेली जर्सी फार्म में जर्सी गाय का वितरण

१७—श्री अठई राम—

क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में खोले गए जर्सी फार्म से कुल कितनी बढ़िया जर्सी ३ वर्ष के अन्दर वितरित की गयी तथा वितरण का आधार क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

अभी तक रायबरेली जर्सी फार्म से किसी भी गाय या बछिया का वितरण नहीं किया गया है।

१८—श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय—

[५ वें गुरूवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३४ पर स्थानन्तरित।]

लखनऊ-नौगढ़ (तेतरी बाजार) बस सेवा को उस्का बाजार तक तथा कानपुर-बांसी को नौगढ़ (तेतरी बाजार) तक बढ़ाने का विचार

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले सितम्बर, १९७७ मास में इनफर्ता ने परिवहन मन्त्री महोदय के सामने मांग-पत्र पेश किया था कि जो बस

लखनऊ से चलकर नौगढ़ (तेतरी बजार) रात में रुकती है उसे बजाय तेतरी बाजार के बढ़ा कर उस्का बाजार में रोका जाय और जो बस कानपुर से चल कर बांसी में रुकती है उसे बढ़कर नौगढ़ (तेतरी बाजार) में रोका जाए? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री आबिद अली--

जी हां । लखनऊ-नौगढ़ (तेतरी बाजार) सेवा को दिनांक १-४-१९७८ से उस्का बाजार तक बढ़ाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं । कानपुर-बांसी सेवा को दिनांक २५-२-१९७८ से नौगढ़ (तेतरी-बाजार) तक बढ़ा दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा ए-ट्रिवल गनी बैग की खरीद

२०--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगो कि वर्ष १९७१-७२ में उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड मेसर्स करमचन्द थापर ऐण्ड कं० लि०, कलकत्ता से ए-ट्रिवल गनी बैग्स रु० ४.५० पैसे प्रति बैग की दर से खरीदे जबकि उसी वर्ष कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज ने समान क्वालिटो के ए-ट्रिवल गनी बैग्स रु० ४ प्रति बैग की दर से खरीदे ? यदि हां, तो खरीद की दर में भिन्नता का क्या कारण है ?

श्री मती चन्द्रावती--

जी नहीं । वर्ष १९७१-७२ में उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन की मोहीउद्दीनपुर एंव खड़डा यूनिटों ने मेसर्स करम चन्द्र थापर ऐण्ड ब्रदर्स की सहायक कम्पनो मेसर्स माडर्न एजेन्सी लि० कलकत्ता से रू० ३.४३ प्रति बैग की दर से ए-ट्रिवल गनी बैग खरीदे थे । उसी वर्ष कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज द्वारा उक्त फर्म से रु० ३.३५ से लेकर रु० ३.४३ प्रति बैग तक वैसे हो गनी बैग खरीदे गये ।

चीनी मिल जरवल रोड, बहराइच पर गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि

२१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सीजन १९७६-७७ तक का चीनी मिल, जरवल रोड, बहराइच में गन्ना कृषकों का कितना गन्ना मूल्य तथा सहकारी गन्ना समिति, जरवल रोड को कमीशन आदि की कितनी धनराशि बकाया है तथा इसकी अदायगी के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

फरवरी, १९७८ के अन्त तक गन्ना सीजन १९७६-७७ का चीनी मिल जरवल रोड, बहराइच पर किसानो का गन्ना मूल्य का ४०.६७ लाख रुपया तथा सहकारी गन्ना समिति जरवल रोड का कमीशन का ७.८५ लाख रु० तथा गन्ना मूल्य और कमीशन पर ब्याज का ३८.६५ लाख रुपया बकाया है । चालू पेराई सत्र १९७७-७८ के गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी के बोरों पर बैंक से मिलने वाले अग्रिम का ७३ प्रतिशत गन्ना मूल्य खाते में जमा करने के आदेश दिये हैं । इसके अतिरिक्त पुराने देयों के भुगतान के लिये २ रु० प्रति बोरे की दर से बिक्री के बाद पृथक खाते में तब तक जमा किए जाने के आदेश भी दिये हैं जब तक पुराने बकायों की सम्पूर्ण अदायगी न हो जाय ।

विकास खण्ड पिपरौली, गोरखपुर में सीमान्त एवं लघु कृषकों को खाद तथा बीज का वितरण

२२--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताएगी कि विकास खण्ड पिपरौली (गोरखपुर) में नवम्बर, १९७७ तक कितने सीमान्त एवं लघु कृषकों को कितना खाद व बीज सरकार की तरफ से दिया गया ? क्या वितरण समय से व उपयुक्त व्यक्तियों के बीच हुआ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

विकास खण्ड, पिपरौली जनपद गोरखपुर में नवम्बर, १९७७ तक लघु परियोजना के अन्तर्गत केवल ३६ सीमान्त किसानों को ३ टन ८ कुन्टल फासफेटिक व पोटेशिक उर्वरकों का वितरण किया गया । इसी योजनान्तर्गत ६८ कृषकों को प्रदर्शन हेतु ७ कुन्तल ७८ किलो० ७०० ग्राम बीज एवं ८ टन ३ कुन्टल २२ किलो, २०० ग्राम उर्वरक वितरित किया गया ।

जी हां । उपरोक्त विवरण समय से एवं उपयुक्त व्यक्तियों के बीच हुआ ।

२३--श्री ऊदल--

[६ठे शुक्रवार में अतरांकित प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बस्ती जिले की बढ़नी गन्ना समिति पर किसानों का बकाय गन्ना मूल्य

२४--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की बढ़नी केन यूनियन पर किसानों का १९७७ के अन्त तक कितना गन्ना मूल्य बकाया रह गया है और इस बकाया रकम को भुगतान करने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती चन्द्रावती--

बस्ती जिले की बढ़नी गन्ना समिति पर किसानों का निर्दिष्ट वर्ष के अन्त तक १,२०,१८३ रुपया गन्ना मूल्य का बकाया था । बकाया धनराशि के अधिकांश भाग का भुगतान कर दिया गया है । फलस्वरूप दिनांक २८-२-७८ को बकाया की धनराशि घटकर केवल १७,६२१ रु० रह गई थी । जिन पर्चियों का भुगतान नहीं हुआ है उन को सूचो समिति के कार्यालय में लगा दी गई है जिससे किसान सूचना पाकर अपना भुगतान लेने आ सकें और बकाया का भुगतान शीघ्र हो सके ।

बस नं० एम पी० ए० ५४४७ एवं यू० ए०१० एच० ७१४० के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा जांच

२५--श्री सुरेन्द्र पाल--

क्या परिवहन मन्त्री बतलायेंगे कि पिछले माह बस नं० एम० पी० ए० ५४४७ (चित्रकूट से छतरपुर चलती है) एवं यू० एस० एच० ७१४० के सम्बन्ध में कोई रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर आरोप क्या हैं और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं कार्यवाही हो रही है, तो क्यों ?

श्री आबिद अली--

माननीय विधायक का एक शिकायती पत्र अक्तूबर, १९७७ में प्राप्त हुआ था जिसमें इन बसों के विषय में यात्रियों को फर्जी टिकट देकर ज्यादा पैसे वसूल करना, गाड़ियों के सही समय पर न चलना, यात्रियों को टिकट देकर दो घंटे बैठाये रखना तथा परिचालकों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के आरोप लगाये गये थे ।

परिवहन आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है :--

बस संख्या एम० पी० ए० ५४४७--

इसका चालान ११-१०-७७ को समय-सारणी के विरुद्ध चलने और किराये की सूची न होने एवं मार्ग-पत्र न होने के कारण किया गया । इस मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कर्वी द्वारा ४-३-७८ को १५० रु० जुर्माना किया गया । इसी गाड़ी का पुनः चालान १०-३-७८ को किया गया जिसमें यात्री-कर का मार्ग-पत्र न बनाये जाने और सब यात्री बिना टिकट पाये जाने की शिकायत थी । यह मामला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बांदा के यहां लम्बित है । जिस चालक द्वारा विधायक महोदय से दुर्व्यवहार की शिकायत की गयी है, वह बस स्वामी द्वारा सेवा-मुक्त कर दिया गया है ।

बस संख्या यू० एस० एच० ७१४०--

इसका चालान २२-१२-७७ को किया गया जब इसके परिचालक के पास लाइसेंस नहीं था और यह बांदा-कर्वी के बीच राष्ट्रीय मार्ग पर बिना परमिट के चल रही थी । यह मामला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बांदा के न्यायालय में लम्बित है ।

सम्बन्धित चालक का नाम श्री राम किशन बताया जाता है जो उनके मालिक द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है ।

चारबाग बस स्टेशन, लखनऊ स्थित बुक स्टाल तथा पान की दुकानों की नीलामी हेतु मांगे गये टेन्डर

२६--श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चारबाग बस स्टेशन, लखनऊ पर स्थित बुक स्टाल एवं पान की दूकानों का ठेका देने के लिए कब से टेण्डर्स नहीं मांगे गए हैं और क्या अभी भी पुराने ठेकेदारों के ठेके एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने पर भी चल रहे हैं ? यदि हां, तो शासन को इससे जो धन की क्षति हो रही है, उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके प्रति क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री आबिद अली--

चारबाग बस स्टेशन लखनऊ पर स्थित बुक स्टाल की नीलामी हेतु कुल ७ बार टेन्डर मांगे गये। अंतिम टेन्डर दिनांक २८-२-७८ को आमंत्रित किया गया । पान की दुकान के भी ३ बार टेन्डर मांगे गये । जितनी बार नये टेन्डर्स मांगे गये या तो उनकी सर्वोच्च बोली पुराने एग्रीमेंट की धनराशि से कम प्राप्त हुई अथवा सर्वोच्च बिडर ठेका नहीं उठ सका। अतएव बुक स्टाल तथा पान की दुकान के ठेके अभी भी पुराने ठेकेदारों द्वारा दैनिक आधार पर चलाया जा रहा है । इससे शासन तथा परिवहन निगम को कोई धन की क्षति नहीं हो रही है ।

फैजाबाद से महबूबगंज तक प्रारम्भ रोडवेज बस सेवा

२७--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद से महबूबगंज तक रोडवेज की एक बस चलवाने तथा कुछ अन्य बातों के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक ३० नवम्बर, १९७७ का शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और फैजाबाद-महबूबगंज बस सेवा कब तक चालू हो जावेगी ?

श्री आबिद अली--

दिनांक ३०-११-७७ का पत्र नहीं अपितु ४-११-७७ का पत्र प्राप्त हुआ था । फैजाबाद से महबूबगंज तक रोडवेज बस सेवा प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, प्रायः जब भी कोई ज्ञापन या शिकायती-पत्र दिया जाता है तो उसकी रिसीट नहीं दी जाती है, तो मन्त्री जी को कुछ कहना बड़ा आसान हो जाता है, जिसका वह जवाब न देना चाहें न दें कि कोई ज्ञापन या शिकायती-पत्र नहीं मिला है । तो मैं आपका ध्यान नत्थी 'घ' प्रश्न संख्या १७ पर अंकित अपने एक प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं, उसका कृषि मन्त्री ने जबाव दिया कि कोई ज्ञापन या शिकायती-पत्र नहीं मिला है, इस सम्बन्ध में मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नवम्बर में स्वयं मैंने अपने साथ ग्राम के कुछ प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी, मंडलाधिकारी व उप कृषि अधिकारी को इस तरह का ज्ञापन दिया था और दूसरे दिन प्रकाशित होने वाले दैनिक जागरण में हमारा शिकायती-पत्र प्रकाशित हुआ.....

श्री अध्यक्ष--

देखिए यह ठीक नहीं है । व्यवस्था के नाम पर आप अपनी बात कह रहे हैं । इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप आतरांकित की बात उठा रहे हैं, आप बैठिए, यह ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, यह नहीं लिखा जायगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

इसमें भारी भ्रष्टाचार और घपला है और इसमें मन्त्रिगण भी शामिल हैं ।

(व्यवधान)

नोट :--[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पैदा न करें और अनावश्यक प्रश्न लाकर सदन का समय न लें। इस तरह से अगर व्यवस्था का दुरुपयोग किया जाएगा, तो वह अनुचित होगा।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने ६ अप्रैल को शून्य-प्रहर में सदन को सूचना दी थी। नैनीताल में गन्ना किसानों के सामने।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्नों के बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यदि है, तो आप मेरे कक्ष में लिखकर दें और उत्तर असन्तोषजनक हो तो नियम ४९ में मुझे सूचना दें। लेकिन यह कोई अवसर नहीं है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

यह प्रश्न से सम्बन्धित मामला नहीं है। शून्य प्रहर की है।

श्री अध्यक्ष—

जितनी शून्य प्रहर की सूचनाएं हैं मन्त्रिगण उसका अन्तरिम उत्तर दें और बाद में निश्चित रूप से दें।

डिप्टी एक्साइज कमिश्नर के आफिस कम-रेजीडेन्स हेतु आवंटित इमारत के उक्त कमिश्नर द्वारा आपने निजी निवास हेतु आवंटित कराने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—

निवेदन है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान मेरठ स्थित एक भव्य इमारत जो कि डिप्टी इक्साइज कमिश्नर के आफिस-कम-रेसीडेन्स के नाम से एलाट है, के विषय में आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय जो डिप्टी एक्साइज कमिश्नर हैं वह रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने अधिकारियों से सांठ-गांठ करके उस मकान को आफिस के नाम से परिवर्तित करके अपने स्वयं के नाम में या तो एलाट करा लिया है या उसे एलाट कराने की कार्यवाही कर रहे हैं। इस आफिस को सरकारी शराब गोदाम जिसके दो कमरे टूटे स्थिति में थे उसकी व्यवस्था के लिए शराब के ठेकेदारों से बाकी फन्ड के लिए १०,००० रुपये एकत्रित करके उनकी मरम्मत करा कर अब आफिस, उसमें भेजा जा रहा है। उस भव्य इमारत की कीमत लगभग ४ लाख रुपया है तथा उन्होंने लगभग डेढ़ लाख रुपये में इसका सौदा तय किया है। यह परिपाटी हमेशा के लिए चली है कि जो भवन सरकारी कार्य के लिए प्रयोग में आ रहे हैं उक्त अधिकारी के तबादला हो जाने के बाद या रिटायर होने के बाद जो अधिकारी उसके स्थान पर आता है उसको दे दिया जाता है परन्तु यह परिपाटी इस मामले में नहीं अपनाई जा रही है।

[श्री विष्णु प्रताप सिंह---]

उक्त भवन इस समय सरकार के पास केवल ८० रुपए माहवार में है। इतनी ही जगह दूसरे स्थान पर लेने से लगभग १,५०० रुपए में मिलेगी। यदि यह सत्य है कि उक्त अधिकारी इस कार्यालय की इमारत को अपने नाम से आवटित कराने का कार्यवाही पूर्ण कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उस अधिकारी के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग करने के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। जिन अधिकारियों की सांठ-गांठ करके यह कार्य कराया जा रहा है उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए तथा इस इमारत को इस सरकारी कार्यालय के लिए ही उपयोग में आने के आदेश देने की कृपा करें।

मान्यवर, एक चीज और है। पहली नवम्बर, १९७७ को माननीय मुख्य मन्त्री को सूचना दी थी उसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। क्यों जन प्रतिनिधियों के लिए यह ही कानून है कि जब वे अपने पद से हटेंगे तो जिस तरह से चाहें हटा दें, अधिकारियों के लिए यह कानून नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

यह माननीय मुख्य मन्त्री को सूचना दिया है जाब्ते से आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज देंगे।

हाई स्कूल एवं इण्टर परीक्षा में अनुपस्थिति के आधार पर परीक्षा से बहिष्कृत किए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कल दिनांक ११ अप्रैल से हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षायें प्रारम्भ हो रही हैं। वांछित प्रतिशत से कम हाजिरी होने के कारण हजारों की संख्या में छात्र एवं परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिए गए हैं। परिणामस्वरूप छात्रों एवं अभिभावकों में भय व्याप्त है।

मान्यवर, इस वर्ष अध्यापकों की हड़ताल के कारण लगभग २ महाविद्यालय अस्तव्यस्त रहे। इनका प्रभाव छात्रों की हाजिरी पर पड़ा है। इसमें छात्रों का कोई दोष नहीं था। छात्र अशान्ति के कारण भी मेधावी छात्र प्रभावित हुए हैं। चाहिए यह था कि इस विशेष परिस्थिति के कारण छात्रों को हाजिरी का कुछ विशेष लाभ दे दिया जाता परन्तु शासन ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् को यह निर्देश नहीं दिए। परिणामस्वरूप अकारण हजारों छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है तथा वर्ष खराब हो रहा है।

अतएव मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करूंगा कि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् को उचित निर्देश जारी करने की कृपा करें कि छूट के बाद भी एक निश्चित प्रतिशत अनुपस्थिति से मुक्त किया जाय जिससे उनका वर्ष बच जाय।

श्री अध्यक्ष---

माननीय शिक्षा मन्त्री, यह अत्यन्त महत्व का प्रश्न है। इसलिए इस सम्बन्ध में उचित होगा कि आज शाम को ही इसके सम्बन्ध में आप सूचना सदन को दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाई स्कूल एवं इंटर परीक्षा में अनुपस्थिति के आधार पर परीक्षा से बहिष्कृत किए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कल से परीक्षा प्रारम्भ हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा है । आज ही सूचना देने की कोशिश करें ।

मेरठ में हिन्दू महासभा के सम्मेलन में गांधी जी के हत्यारे नाथू राम गोडसे को अमर शहीद की उपाधि प्रदान करना तथा उसके भाई गोपाल गोडसे का अभिनन्दन करने के विषय को नियम ३०१ अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अध्यक्ष--

श्री गुलाब सेहरा जिन वाक्यों की मैंने इजाजत नहीं दी है । उनको नहीं पढ़ेंगे ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

अध्यक्ष जी आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

मेरठ में मार्च माह में उत्तर प्रदेश हिन्दू महा सभा ने अपना दो दिन का अधिवेशन किया था और उसकी विधिवत् आज्ञा जिला प्रशासन से ली थी । इस अधिवेशन में जिस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए और हिन्दू राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन करके सार्वजनिक रूप से जिस तरह गांधी जी के हत्यारे नाथू राम गोडसे को अमर शहीद बता कर उसके भाई गोपाल गोडसे का फूल मालाओं से अभिनन्दन किया । सम्मेलन के प्रचार के लिए नगर म जो परचे बांटे गए उनमें नाथू राम गोडसे को अमर शहीद के नाम से सम्बोधित किया गया था और यह हैंडबिल पुलिस की जानकारी में था । सार्वजनिक रूप से वक्ताओं ने कतिपय सम्प्रदायों के विरुद्ध जहर उगला और राष्ट्रीय एकता को गहरी क्षति पहुंचाई । अल्प संख्यकों को भारतीयता के अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए और परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम का विरोध किया गया । उत्तर प्रदेश हिन्दू महासभा के महा सचिव ने यहां तक आवाहन कर दिया कि पाकिस्तान की नकली सीमा को छोड़ने के लिए आगे बढ़ कर अपनी बफादारी का सबूत दें तो उन्हें अवश्य ही गले लगायेंगे । दो दिवसीय सम्मेलन में साम्प्रदायिकता का खुला प्रदर्शन किया गया तथा प्रस्ताव पारित कर यह मांग की गयी कि हरिजनों तथा मुसलमानों का नौकरियों में आरक्षण नहीं किया जाय ।

[* * *]

आश्चर्य इस बात का है कि अधिकारियों ने हिन्दू राष्ट्र सम्मेलन के आयोजकों और उसके नाम पर भोंड़े प्रचार करने की अनुमति क्यों दी ? और राष्ट्रपिता का अपमान करने और राष्ट्रीय एकता को धज्जी बिखेरन वालों के विरुद्ध यह जनता शासन जो गांधी जी के नाम की कसम खा कर सत्ता पर विराजमान है कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है । आश्चर्य का विषय है ।

मेरा आग्रह है कि अध्यक्ष जी इस संदर्भ में निर्देश दे कर पूर्ण विवरण से सदन को अवगत करायेंग ।

नोट--[* * *] इस अंश को पढ़ने की इजाजत नहीं दी गयी ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

यह मामला गम्भीर है। माननीय मुख्य मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री के पास तो भेज ही रहे हैं।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

भेजने से काम नहीं चलता। जिस तरह से आपने शिक्षा मन्त्री को आदेश दिया है। इस विषय में माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करें। यह मामला बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में वह सूचना प्राप्त करके सदन में वक्तव्य दें।

विद्युत् परिषद् द्वारा विद्युत्-सामग्री की पूर्ति न करने से देवरिया जनपद में विद्युत् की आपूर्ति तथा किसानों में व्याप्त असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जनपद में विद्युत् की व्यवस्था पूर्णतया अस्तव्यस्त है। किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। जबकि यह समय गेहूं की गहाई का है लेकिन विद्युत् परिषद् द्वारा विद्युत् सामाग्री की पूर्ति न किए जाने के कारण जनपद में किसानों को विद्युत् का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। परिणामस्वरूप किसानों का सम्पूर्ण गेहूं खेतों में पड़ा है। उसकी गहाई ठप्प है। इसी प्रकार सिंचाई का कार्य भी अवरुद्ध है जब कि गन्ने की फसल तथा मक्के आदि की फसल भी सिंचाई के अभाव में सूख रही हैं। किसानों को विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। मैंने जब अधिकारियों से सम्पर्क किया तो उनका कहना है कि समानों के अभाव के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। विद्युत् की इस अव्यवस्था को देखते हुए किसानों में काफी भय, आतंक तथा आक्रोश व्याप्त है।

अतः सदन के माध्यम से मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय विद्युत् मन्त्री जो देवरिया जनपद के ही हैं, का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि तत्काल ऐसी व्यवस्था करें जिससे विद्युत् परिषद् द्वारा विद्युत् के सामानों की आपूर्ति देवरिया जनपद को हो जिससे किसानों को गहाई एवं सिंचाई हेतु बिजली का कनेक्शन मिल सके।

हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के निरीक्षकों का पारिश्रमिक कम होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कल्प नाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, प्रदेश में हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट की परीक्षा का समय है। इस परीक्षा में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के अध्यापकों से परीक्षा निरीक्षक के पद पर कार्य लिया जाता है। इस कार्य के लिए अध्यापकों को अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्यालय से ७ किलो मीटर से अधिक दूरी पर उन्हें एक पाली के लिए ५ रुपया और दोनों पालो के लिए ७ रुपया प्राप्त होता था । स्थानीय विद्यालय में निरीक्षण के लिए उन्हें ३ रुपया दिया जाता था । बाद में दस रुपया कर दिया गया, किन्तु ७ किलो मीटर की दूरी पर कार्य करने वाले अध्यापकों को केवल ७ रुपया ही रह गया और तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया । जनता पार्टी को सरकार बनन के पश्चात् अध्यापकों को यह आशा है कि यह विसंगति तत्काल दूर कर दी जायेगी । अतः माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस विसंगति की ओर आकृष्ट करने हेतु कि ७ किलोमीटर की दूरी पर कार्य करने वाले अध्यापकों को तुरन्त ७ रुपया के स्थान पर १० रुपया प्रतिदिन पारिश्रमिक दिया जाय, इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाने हेतु माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं ।

सुल्तानपुर जनपद के बल्दीराम थाने की पुलिस द्वारा ग्राम के निवासियों को बर्बर पिटाई, गोलो वर्षा तथा गिरफतारी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

महोदय, सुल्तानपुर बल्दीराय थाना के अन्तर्गत पुलिस द्वारा गांव के औरतों मर्दों पर बर्बर पिटाई और नृशंस गोली वर्षा और ग्राम वासियों की अंधाधुन्ध गिरफ्तारी और सामूहिक पिटाई ने दो दिन बाद ही मां बनने वाली औरतों को भी नहीं बक्शा और इनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही और न किसी ही सरकारी अस्पताल में डाक्टरी मुआइना भी हो पा रहा है और थाने पर पूंछ-तांछ पर जाने वाले भूतपूर्व विधायक व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपमानित करते हुए पिटाई की और बन्दूकों की नोक पर उन्हें ढकेल कर बाहर कर दिया । ३ अप्रैल को आधी रात को बल्दी राय थाने के दरोगा व सिपाहियों ने बड़े आतंक के साथ राम हरन कुम्हार के घर पर जबरदस्ती महिलाओं और आदमियों को खींच कर बाहर लाये और बर्बरता पूर्ण पिटाई शुरू कर दिया । सुन कर गांव वाले सहायता को दौड़े और पुलिस द्वारा उनको जमकर पिटाई की गई व गोली चलाई गई । इसमें ९ व्यक्ति घायल हुए । फिर ६ अप्रैल को इस घटना के बाद पुलिस ने बदले की भावना से गांव के सैकड़ों आदमियों और औरतों की पिटाई की औरतों की डाक्टरी मुसाफिर-खाना अस्पताल में हुई पिटाई की शिकार वह औरत भी थीं, जिसको दो दिन पूर्व बच्चा हुआ था । इस बर्बर कांड से गांव अशरफपुर इस समय एकदम वीरान पड़ा है गांव वाले घर छोड़कर भाग गये हैं फसलें कटने को पड़ी हैं सम्पूर्ण क्षेत्र में आतंक का वातावरण व्याप्त है । आपके माध्यम द्वारा सरकार का ध्यान भीषण पुलिस कांड की ओर दिलाना चाहते हैं। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करके सदन को अवगत करायें ।

अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १० के अन्तर्गत मैंने विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को १९७८-७९ के लिए अधिष्ठाता मण्डल का सदस्य नाम निर्दिष्ट किया है । श्री उदित नारायण शर्मा, श्री राधे श्याम शर्मा, श्री वीरेन्द्र पति यादव, श्री नेम सिंह चौहान, श्री शम्भूनाथ (जौनपुर), श्री शिव मंगल सिंह, श्री श्यामधर मिश्र, श्रीमती सुनीता चौहान, श्री जगन्नाथ प्रसाद (खीरी) और श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव ।

कतिपय विषय

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

अब इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा । इस प्रकार बिन इजाजत के बोलना उचित नहीं है । मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप कृपया बैठें ।

श्री अठई राम--

मान्यवर, मैंने ३ दिन पूर्व एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

यह आवश्यक नहीं है कि मैं हर सूचना को स्वीकार करूं । एक दिन में ५ सूचनाएं स्वीकार करता हूं । जिनके नाम मैंने बोले, उनकी सूचना को लिया है ।

श्री अठई राम

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

जो आवश्यक होगा, उसको लूंगा । आप कृपया बैठ जांय, यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

जो भी प्रश्न मैंने स्वीकार किए थे उनको ले लिया गया है । जो प्रश्न आपने रखा था उस विषय को मैंने नियम ५१ में स्वीकार कर लिया है । इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

चित्रकूट में रामायण मेले में हिन्दी व तुलसी साहित्य के विद्वानों व साहित्यकारों का प्रशासन द्वारा अपमान एवं उपेक्षा के सम्बन्ध में वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, रामायण मेले में साहित्यकारों के साथ दुर्व्यवहार सम्बन्धी आरोप के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :--

१--रामायण मेला कार्य-क्रम श्री विनयकुमार मिश्र, अध्यक्ष, मेला समिति द्वारा आयोजित किया गया था । इस समारोह में व्यक्तियों के आमंत्रण

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश नुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उन्हें लाने, ठहरने एवं मंच पर स्थान आदि दिये जाने का कार्य भी उक्त समिति द्वारा ही किया गया था और इसमें प्रशासन का किसी स्तर पर कोई हाथ नहीं था न ही जिला प्रशासन ने मंच पर बैठाने वाले अतिथियों के लिये कोई पास ही जारी किये थे । जो भी पास दिये गये थे वह समिति द्वारा ही दिये गये थे ।

२--प्रशासन ने केवल प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा के सम्बन्ध में मंच पर बैठाये जाने वाले व्यक्तियों के नाम पते पूछे थे जिससे यह जांचा जा सके कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जा रहा है जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से उपयुक्त न हो । जिला मैजिस्ट्रेट को इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के डा० रामकुमार वर्मा एवं प्रोफेसर माता प्रसाद जैसवाल तथा काशी विश्वविद्यालय के डा० त्रिभुवन सिंह, डा० के पी० सिंह तथा डा० रामबचन सिंह को मंच पर जाने से रोकने एवं उपेक्षा किये जाने की कोई लिखित अथवा मौखिक शिकायत नहीं की गयी । जिला मैजिस्ट्रेट रामायण मेले के सम्बन्ध में ४ अप्रैल, १९७८ के सायंकाल ५ बजे तक कर्वी में ही थे ।

३--जिला प्रशासन की ओर से तो हैलीपेड पर प्रधान मंत्री जी के आगमन तथा विदाई के समय अन्दर आने वाले व्यक्तियों को ही पास जारी किये गये थे । प्रधान मंत्री जी के किसी अन्य कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा पास नहीं जारी किये गये थे ।

सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों के उत्तर मंत्रियों द्वारा सदन में ही दिये जाने की मांग

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, कार्य-सूची की आइटम ५ पर लिखा हुआ है कि मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों । मेरा निवेदन है कि बार-बार आपके सामने शून्य प्रहर की बातें आती हैं । शून्य प्रहर की सूचनाओं के जवाब बावजूद आपके कहने के और मंत्रियों के आश्वासनों पर भी नहीं आते हैं । इसमें आप फिर से मंत्रियों को आदेश दें, फिर से इसमें कोई व्यवस्था दें और जब वे बंध जायेंगे, आपके सचिवालय के तरीके से बंध जायेंगे तो ७ वें दिन अगर शून्य प्रहर की सूचनाओं के उत्तर को पढ़ दें तो वह कार्यवाही का हिस्सा हो जायेगा । उस हालत में जो हमें बाद-विवाद करना होगा, आपकी जो आज्ञा होगी, एक घंटे का आधे घंटे का, जैसा आप निर्देश देंगे वह कर लेंगे । यही उपयुक्त समय है । जबकि मंत्रिगण समय से उत्तर नहीं दे सकते हैं तो आप बाध्य कर सकते हैं, आपकी आज्ञा से वे बंधे रह सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में मैं नेता सदन से परामर्श करके अपनी व्यवस्था करूंगा ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

वक्तव्य के लिए मैंने केवल कहा था, हर प्रश्न पर नहीं ।

आप बैठिये ।

१९७८-७९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष--

अब आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा शुरू होगी । उस पक्ष के श्री देव बहादुर सिंह बोले थे । इस पक्ष के जो व्यक्ति खड़े होंगे, उनमें से मैं बुलाऊंगा ।

एक सदस्य--

मान्यवर, मुझको रामायण मेले के बारे में कुछ पूछना था ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

मान्यवर, बजट क्या होता है ? यह हमारी सरकार का एक दर्पण होता है। बजट से हम यह जानते हैं कि सरकार किस दिशा को ओर जा रही है । बजट से सरकार की धारणयें, आकांक्षाएं प्रकट होती हैं कि सरकार किस दिशा की ओर जाना चाहती है । सर्वप्रथम तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट का जो यह अंग्रेजो जमाने का तरीका है, ३१ मार्च तक बजट पास कर देते थे, वे इसलिए पास कर देते थे कि वे ठंडे मुल्क के थे और गर्मियों में, मई, जून के महीने में, यहां पर नहीं बैठ सकते थे, वे मई, जून में पहाड़ों पर चले जाते थे । मान्यवर, इस महीने में सारी सरकारी वसूलियां आज कल की जाती हैं । किसानों के पास पैसा नहीं है, उनको मालखाने में बन्द किया जाता है । यह बजट उत्तर प्रदेश के अन्दर जून से प्रारम्भ हो और ३० जून तक हमारा बजट पास हो । खेतों में फसल खड़ी है, इस समय फसल की कटाई-मड़ाई का समय है । इसलिए हमारा बजट सत्र जब चले, तो किसानों के हित को ध्यान में रख कर चलना चाहिए । हमारी सरकार किसानों के हित के लिए गांवों को ओर जाना चाहती है, तो मार्च, अप्रैल में खेती करने वाले जो लोग हैं, उनकी आजकल फसल की कटाई का समय है, जिनको कर्ज देना है, वह मालखानों में इन महीनों में बन्द होते हैं । इसलिए इस प्रथा को हमें बदलना है । १ जुलाई से अगले ३० जून तक हमारा बजट चले । आजकल ३१ मार्च को हम बजट पास करते हैं । अप्रैल, मई, जून में काम होता नहीं है, जून में जब तक बजट विभागों में पहुंचा, बारिस शुरू हो जाती है, तो श्रीमन् काम नहीं हो पाता है, काम होता है अक्तूबर से । जब हम ३० जून को बजट पास करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितम्बर तक दफ्तर में पहुंचेगा, विभागाध्यक्षों के पास पहुंचेगा । उसे योजनाओं का पुनरीक्षण करना है । टेन्डर आदि लेना है । यह सब करके पूरी तैयारी के साथ अक्तूबर से काम शुरू करेंगे । ६ महीने तक पूरा काम होता रहेगा । यह जो मौजूदा समय है ६ महीने का बेकार चला जाता है । काम फरवरी में खत्म हो जाता है । मेरा यह सुझाव है श्रीमन् कि इस बजट में बुन्देलखंड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । आज वहां की स्थिति यह है कि २४ लाख हेक्टेयर जमीन सूखी पड़ी है । सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । पिछड़े हुए क्षेत्र में बुंदेलखंड आता है । पिछड़ा हुआ क्षेत्र पर्वतीय और पूर्वांचल भी है, लेकिन यह बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है । आप चाहे जिस मामले को लें । आबादी वहां की पर्वतीय क्षेत्र से अधिक है । वहां पर कोई डिग्री कालेज नहीं हैं, पर्वतीय क्षेत्र के मुकाबिले । वहां पर जूनियर

---

*दिनांक ७ अप्रैल, १९७८ की कार्यवाही से ।

हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल आदि की कमी है। आज बुंदेलखंड के लिए ६-७ हजार अध्यापकों की आवश्यकता है लेकिन उसका कोई ध्यान इस बजट में नहीं दिया गया है। बजट हमारा देहातों की ओर चला है, लघु उद्योगों की तरफ ध्यान दिया गया है। लेकिन अगर कोई क्षेत्र बिलकुल ही नीचे गिरता चला जाये, उसे ऊपर उठाया ही न जाय, तो यह ठीक नहीं है। समानता होनी चाहिये। प्रदेश के सारे लोगों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिये। सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि कोई भी व्यक्ति अपने को हीन न समझे। इन दृष्टियों से बुंदेलखंड की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया।

सड़कों के मामले में भी हम देखते हैं कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ है। न तो बम्बई प्लान के अनुसार न हो नागपुर प्लान के अनुसार हमारे यहां सड़कों का निर्माण हुआ है। प्लानिंग का लाभ हुआ है, देहात के लोग भी उसे अब समझने लगे हैं, मगर हमारे यहां ध्यान नहीं दिया गया है। इस बजट में किसानों को सुविधायें देने की बात कही गई है, लेकिन प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती। उदाहरण के लिये अगर रहट के लिये किसी को लोन मिलना है तो उसको उसके लिये दो-दो महीने तक चक्कर लगाना पड़ता है, तब किसी को लोन का पैसा मिलता है और वह भी तब मिल पाता है जब कि समय निकल जाता है और जो मिलता है उसका एक चौथायी रुपया उसे उस रुपये को प्राप्त करने में खर्च कर देना पड़ता है। "का वर्षा जब कृषि सुखानी" के अनुसार जब समय निकल जाता है तब जाकर उसे पैसा मिलता है जिससे उसे लाभ नहीं मिल पाता। सरकार की इस प्रक्रिया को इतना सरल बनाना चाहिये कि १५ दिन के अन्दर, सारे कागजात पूरे होकर, किसान को रुपया मिल जाये।

बजट में ४-५ लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गयी है। यह बड़ी अच्छी बात है। किसानों को अगर खेती के साथ-साथ अन्य सहायक लघु उद्योगों में लगाया जाये तो इससे ग्रामीण बेरोजगारों को लाभ पहुंचेगा। किसान अपने खाली समय का उपयोग कर सकेंगे। खेती के साथ-साथ, खाली समय में वे अपना कुछ धन्धा कर सकेंगे।

मंडी कमेटी द्वारा जो सम्पर्क मार्गों के बनाने का कार्य चल रहा है उससे भी बड़ा लाभ हुआ है। इससे लोगों में बड़ा उत्साह बढ़ा है। लोगों ने समझा है कि अब हमारी सरकार का ध्यान गावों की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें यह हैं कि कई विभागों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। करीब एक दर्जन विभाग इससे सम्मिलित हैं। स्वीकृति एक विभाग देता है, नाप-जोख दूसरा विभाग करता है, पैसा दूसरा विभाग देता है, इस तरह से कई कामों के लिये कई अलग-अलग विभाग से स्वीकृति लेनी पड़ती है जिसके कारण आधी सड़कें भी बन नहीं पातीं। आधी बेकार पड़ी हैं।

इसमें मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है वह ढाई-तीन रुपये ही दी जाती है। यह बहुत कम है। मजदूरों को मजदूरी इस हिसाब से मिले कि किसी को भी ५ रुपये रोज से कम न मिले। इस मंडी कमेटी में यह सुधार किया जाना चाहिये कि जमीन के हिसाब से पैसा दिया जाये। जहां कड़ी जमीन है, पत्थर हैं, वहां के रेट अधिक होना चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले बजट में एक-एक लाख रुपया विकास खंडों को ग्राम के विकास कार्य के लिये दिया गया था। हमारे यहां गांव में एक पुल बनाने के लिये ५ हजार रुपया दिया गया। मार्च से दिसम्बर

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

तक वहां ५ पैसे भी नहीं खर्च किया गया। चूंकि कर्मचारी चाहते थे कि पुल को बनाने के लिये ठेका दे दिया जाय और जिसको २५ हजार रुपये में बनाना चाहते थे। लेकिन वह पुल ८ हजार रुपये में बन गया। उसको देखने के लिये अधिकारी तथा डी० एम० गये। तो पुल को देखकर इंजीनियर ने कहा कि इसमें १५-१६ हजार रुपये से कम नहीं लगा होगा। इसलिये गांवों के लोगों का अनुभव उठाते हुए वहां के कामों को कराना चाहिये। २५ हजार रुपये जिसमें इंजीनियर खर्च करना चाहते थे वह काम ८ हजार में हो गया। अन्त में मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं अनुपस्थित वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। वे वित्तीय वर्ष १९७८-७९ का बजट प्रस्तुत कर सके। लेकिन मुझे खेद है कि जिस विश्वास और आशा के साथ में उन्हें बधाई देने की कामना रखता था वह मेरी आस्था उनके बजट को देखकर निराशा में परिणत हो गयी। श्रीमन्, इतना दिशाहीन बजट शायद सदन के इतिहास में कभी नहीं प्रस्तुत किया गया। इसके ठोस कारण जिन्हें मैं बिना दलगत चश्मा लगाकर इस माननीय सदन से आग्रह करूंगा कि वह इस पर विचार करें।

श्रीमन्, पहली बात यह है कि यह बजट पता नहीं चलता कि पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष का बजट है या छठी योजना के प्रथम वर्ष का है। चूंकि केन्द्र में घोषित कर दिया गया है कि केन्द्रीय बजट में पांचवीं प्लान को टरमिनेट कर दिया गया, चौथे साल में पांचवीं योजना को समाप्त करके छठी योजना को केन्द्र ने चालू कर दिया। तो केन्द्रीय बजट तो छठी योजना या रोलिंग बजट में प्रस्तुत हुआ लेकिन इस बजट से पता नहीं चलता कि आया पांचवीं योजना इस चौथे साल में समाप्त कर दी गयी या छठी योजना बनाई जा रही है कि नहीं या रोलिंग बजट है। पिछले वर्ष कहा गया था। छठी योजना बनाने के लिये १० लाख रुपया रखा गया है लेकिन इसमें कोई छठी योजना का उल्लेख नहीं है और न पांचवीं योजना का, केवल एक बात कही गयी है कि वार्षिक योजना (बजट के पृष्ठ २ में देखें) १९७८-७९। तो उत्तर प्रदेश में एक निराली चाल चली जा रही है। इसलिये जब योजना ही नहीं है, तो पांचवीं योजना के लक्ष्य अधूरे छोड़ दिये गये हैं। इसलिये इसको देखकर मैं कहना चाहता हूं कि पंच वर्षीय योजना को इस प्रदेश में आप पूरा करने जा रहे हैं। यदि नहीं, तो आपको कहना चाहिये था कि हमारी रणनीति है कि हम छठी योजना शुरू कर रहे हैं। इसलिये यह दिशाहीन बजट है। केन्द्र से अलग बजट है।

श्रीमन्, दूसरे इसको देखते हुये सही आर्थिक तस्वीर प्रदेश की हमारे सामने नहीं आती है।

क्या आज आर्थिक तस्वीर हमारे प्रदेश की है? पिछले वर्ष इन्हीं वित्त मन्त्री ने १९७६-७७ के रिवाइज्ड आंकड़े दिये थे और सन् १९७५-७६ के वास्तविक आंकड़े बताये थे। जिससे कि माननीय सदस्य यह जान सकें कि क्या बजट था और कितना खर्च हुआ। यह जो मेमोरेन्डम है इसमें प्रत्येक सदस्य के लिए यह पता लगाना सम्भव नहीं है इसलिए सामान्यतः बजट भाषण में बताया जाता है कि दो साल के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वास्तविक आंकड़े व्यय और आमदनी के क्या थे । इसमें वह नहीं बताया गया बल्कि नये साल के आंकड़े हमारे सामने रख दिये गये । यह श्रीमन् इसलिए किया गया कि वित्त मन्त्री जी भली भांति जानते हैं कि पिछले वर्ष जो बजट मंजूर कराया गया था वह खर्च नहीं हो सका इसीलिए रिवाइज्ड एस्टीमेट्स प्रस्तुत नहीं किये गये । वित्त मन्त्री जी बतलायेंगे कि ६७५ करोड़ की योजना मंजूर की थी और सौभाग्य से उसमें हमारा हाथ भी था लेकिन उसमें से कितना खर्च हुआ । यह बजट भाषण और यह मेमोरेन्डम फाइनेन्स सेक्रेटरी का इस पर चुप है । मैंने इसमें देखने की बड़ी कोशिश की लेकिन मझे यही देखने को मिला कि ८ करोड़ ७२ लाख रुपया कम खर्च होना मेमोरेन्डम में स्वीकार किया गया है । ३ करोड़ ५८ लाख रेवन्यू साइड में और ५ करोड़ १४ लाख कैपीटल साइड में कम खर्च हुआ मेमोरेन्डम में स्वीकार किया गया है ।

आज हम प्रदेश भर में देखते हैं कि विकास कार्यों में ढिलाई आ गयी है । चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो, पूर्वी क्षेत्र हो, मध्य का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो या बिजली का क्षेत्र हो हर जगह विकास कार्यों में रुकावट आयी है, गतिशीलता रुकी है और मानीटरिंग नहीं हुआ है । प्लान एक्सपेन्डीचर के लिए मानीटरिंग क्या किया गया ? गरीबी और बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं उसके लिए जरूरी है कि प्लान्ड खर्चा बढ़े लेकिन यह सरकार उसमें असफल रही है । जो इस प्रदेश की दस करोड़ जनता का इंटेरेस्ट है, जो स्वयं जनता पार्टी का इंटरेस्ट है उसमें यह सरकार निष्फल रही है । ७८६ करोड़ की योजना का उल्लेख इस बजट में किया गया है । पांच वर्षों में कितना पर्सेन्ट प्लान बढ़ाया । पिछले साल २५ परसेंट बढ़ा लेकिन इस वर्ष यह शासन अपने निकम्मेपन से उसको १६ परसेंट ही बढ़ा पाये हैं । अगर इनका केन्द्र में जोर था तो इनको २५ की जगह ३० परसेन्ट बढ़ाना चाहिए था । अगर ऐसा होता तो हमें प्रसन्नता होती और हम इनको बधाई देते । लेकिन यह पूरा खर्च नहीं कर पाये और १६ परसट ही बढ़ा सके । इस सरकार को हिम्मत के साथ कहना चाहिए था कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते । अगर यह पांचवें प्लान पर दृढ़ रहते उसमें कहा गया है कि हम आक्ट्राय समाप्त करेंगे । बिक्री-कर की बात उन्होंने स्वयं कही है कि प्रदेशों के मुख्य मन्त्री जी लोग ही नहीं मानते । उसमें यह कहा गया है केन्द्र की तरफ से कि कोई भी मुख्य मन्त्री (जिसमें उत्तर प्रदेश के जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री भी शामिल हैं) अभी तक सेल्स टैक्स को समाप्त करने के लिये राजी नहीं हुये हैं । जब केन्द्र के मन्त्री ने कोई भी मुख्य मन्त्री कहा है तो उसका मतलब उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री भी होता है । अर्थात् उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री भी अभी राजी नहीं हैं ।

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केसरी नाथ त्रिपाठी)—

उत्तर प्रदेश ने कहा है कि उसने सहमति दे दी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सोच-समझ कर माननीय मन्त्री जी कहें नहीं तो फंस जायेंगे ।

श्री केसरी नाथ त्रिपाठी—

माननीय तिवारी जो सदन में तथ्य रख रहें हैं कृपया उन्हें सही रखें । अखबारों में इतना भरोसा न रखें । हमने कहा है कि सहमति दे दी है । कृपया तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर न रखें ।

श्री नरायण दत्त तिवारी—

माननीय मन्त्री जी का अखबारों पर इतना भरोसा है । तो मैं अर्ज कर रहा था जो कुछ उन्होंने कहा है, केन्द्र ने जवाब दिया कि कोई मुख्य मन्त्री सेल्स टैक्स को समाप्त करने के लिये राजी नहीं हुआ । अब माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने सहमति दे दी है । उसका भी विरोधाभाष दिखाई देता है । सहमति देने के बाद भी बिक्री-कर की वृद्धि धन्य हैं आप । सहमति देने के बाद कुछ तो कदम आगे बढ़ाते कि बिक्री-कर समाप्त करने के लिये यह कार्यवाही की जा रही है । जो उसमें स्टाफ है, उसको अलग जगह रखा दिया जायेगा । उसके लिये कुछ तो कदम उठाते ।

खैर श्रीमन्, छोड़िये इसको । मेरे पास 'टाइम्स आफ इण्डिया' मौजूद है । उसमें कहा गया है कि प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन लकड़वाला साहब ने क्या कहा है । यह पृष्ठ ७ में आया । उसमें है कि 'लकड़वाला ब्रिंगिंग और गुड्स फार सेल्स टैक्स', यह प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन कह रहे हैं जो जनता पार्टी के हैं । उन्होंने यह गुजरात यूनिवर्सिटी में सोशल साइन्सेस डिपार्टमेन्ट में यह भाषण दिया कि—

"While excise duty has reached nearly limit of the coverrge, there is much scope for bringing more commodities under Sales Tax."

एक्साइज डियूटी सीमा की लिमिट तक पहुंच गयी है, इसलिये और अधिक वस्तुओं को सेल्स टैक्स के अन्दर लाने की गुन्जाइश है ।

"Almost all goods whether agricultural or industrial, generally pass through wholesale market, therefore, they should come in the limit of Sales Tax."

हर माल चाहे खेती का हो, या उद्योग का हो, वह होलसेल मार्केट से गुजरता है इसलिये उसे सेल्स टैक्स की परिधि में आना चाहिये । यह ८ तारीख को इनके प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन कह रहे हैं कि एक्साइज डियूटी में गुन्जाइश नहीं रही । अब सेल्स टैक्स बढ़ाना चाहिये । तो यह दो मुही बात क्यों ? एक तरफ तो बिना सोचे-समझे वायदा कर डाला । राज्य की सरकार कह रही हैं कि आटोनामी बढ़ायेंगे । तो यह गलत वायदे करने का दुष्परिणाम है । अभी न जाने उसके लिये कितना भुगतना होगा उन झूठे वायदों के कारण ।

अब इसमें फिर नयी बात है कि पंजीकरण की दरों में, फीस की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव । बिक्री-कर समाप्त करने वाली सरकार जिसने यह ऐलान किया वह पंजीकरण की दरों में वृद्धि कर रही है और कितनी वृद्धि कर रही है, इसका कुछ पता नहीं । यह इनका बजट है । बजट में टैक्स की मात्रा स्पष्ट होनी चाहिये । लेकिन उन्होंने प्लान की बात छोड़ दी । साढ़े नौ सौ करोड़ के आउट-ले के बजाय कोई ७८६ करोड़ रुपये का आउट-ले । तारीफ करनी चाहिए इस बजट की । आपने स्वयं मंजूर किया है । ७८६ करोड़ आउट-ले लिखा है । प्रोविजन ७६५ करोड़ ५२ लाख का किया गया है । वाह रे सरकार । कहते हैं ७८६ करोड़ का प्लान हमने मंजूर किया है । जब तक बजट में प्रोविजन न हो तब तक प्लान कैसा है । श्रीमन्, आप पृष्ठ २२, २७, २८ में स्वयं जोड़ लें । पृष्ठ २७ के पैरा २ में लिखा गया है—राजस्व के अन्तर्गत प्लान के लिए २३८ करोड़ ०३ लाख और कैपिटल आउट-ले में ५२७ करोड़ ४९ लाख । जोड़े—७६५ करोड़ ५२ लाख । जितना बजट इस सरकार ने बनाया, जितना प्लान मंजूर किया उसका इस बजट में प्रोविजन नहीं है । यह हालत है ।

फिर श्रीमन्, आप देखें इनका जो इस्टीमेट साधनों का है वह बिल्कुल गलत है। बिल्कुल तथ्यों से परे है। इन्होंने टैक्स लगाने की बात कही है। सिनेमा घरों के टिकट बढ़ाये जायं। जो गरीब वर्ग में बैठते हैं, लोवर क्लास में बैठते हैं उनका सिनेमा टिकट तो बढ़ाया है। अब तक शासन की नीति यह रही है कि जो बड़े क्लास में बैठते हैं, स्पेशल क्लास में बैठते हैं, बालकानी में बैठते हैं उनका टैक्स बढ़ाया गया। लेकिन इसमें जो रिक्शे वाला है, गरीब मजदूर वर्ग है, छोटे दुकानदार ह जो कम दर वाले क्लास में बैठते हैं उनका रेट ८० प्रतिशत से १०० प्रतिशत किया गया है। फिर इसमें फोरकास्ट गलत कर दी। १० प्रतिशत लगाने से २० प्रतिशत लगाने से तो साढ़े चार करोड़ रुपये की आमदनी थी। फोरकास्ट सदन के सामने गलत रख रहे हैं।

इसी प्रकार से इन्होंने डीजल पर बिक्री कर बढ़ाने की बात कही है। इसमें इनका इस्टीमेट गलत है। इन्होंने कहा है कि ६ करोड़ रुपये डीजल पर कर बढ़ा करके हम वसूल करेंगे। लेकिन श्रीमन्, हमने देखा है ८ प्रतिशत से १२ प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। एक तिहाई बढ़ा रहे हैं। अब इसमें १६ करोड़ रुपये की आमदनी बिक्री कर से होती है लेकिन इसमें ६ करोड़ रुपये की आमदनी रखी है। इनका प्राक्कलन ही गलत है। और डीजल पर बिक्री कर लगाने का मतलब यह है कि मोटर गाड़ियों के किराये पर वृद्धि होगी, गुड्स के किराये पर वृद्धि होगी। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए यदि मान लिया जाय (व्यवधान) किसानों का नुक्सान हर समय तो इसमें है ही (व्यवधान) अब जहां तक (व्यवधान) में उसमें आ रहा हूं। बिक्री कर के सम्बन्ध में श्रीमन् इस सरकार की जो नीति है उसका क्या कहा जाय। एक हमारे माननीय संस्थागत वित्त मन्त्री जी हैं इस समय शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं, कहीं पर दर्शन नहीं दे रहे हैं, यहीं हैं, अच्छा होगा चश्मा आप भी लगा लें मैं भी लगा लूंगा लेकिन रंगीन चश्मा न हो। श्रीमन्, अगर अखबारों में हाल ही में जो रिपोर्ट छपी हैं वह सही हैं तो उनमें इसका उल्लेख कई समय हुआ कि १ अप्रैल, १९७९ से बिक्री कर खत्म हो जायगा, कहीं पर हमने पढ़ा कि १ अप्रैल, १९७८ से खत्म हो जायगा (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी, आप अपनी बात कहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वे इन्टरप्शन कर रहे हैं, श्रीमन्। आपने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि बिक्री कर का सवाल केन्द्र सरकार करती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपने कहा या मन्त्री जी ने (हंसी)।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी ने।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, अखबारों में हमने हाल ही में पढ़ा कि १ अप्रैल, १९७९ से बिक्री कर समाप्त हो जायगा। कितना समाप्त हुआ। सब वायदा पूरा करने के लिए

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अब श्रीमन् बिक्री कर समाप्त करने के बजाय बिक्री कर बढ़ाने जा रहे हैं। यह हमारा वायदा नहीं था यह वायदा था माननीय मन्त्री जी का, इनकी सरकार का। बिक्री कर समाप्त करने के बजाय बढ़ाने जा रहे हैं और सरलीकरण का सवाल किया गया है। केन्द्रीय वित मन्त्री जी का भाषण हमने पढ़ा। उसमें कहा गया है कि जैसे बालक क, ख, ग, घ पढ़ता है उसी तरह किसी भी सरकार को यह बाराखड़ी पढ़नी चाहिये बजट में टैक्स लगा रहे हैं तो कितना टैक्स लगा रहे हैं। वृद्धि करने का तो प्रस्ताव है लेकिन कितनी वृद्धि होगी इसका जिक्र नहीं। इसी तरह से सिनेमा स्लाइड्स पर कितना कर लगेगा इसका पता नहीं। एक तरफ विज्ञापन स्वयं देती है, दूसरी तरफ सरकार विज्ञापन पर स्वयं टैक्स भी लगाती है।

इसी तरह से आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्सेज की फीस में वृद्धि की गयी। लेकिन दर क्या होगी यह मालूम नहीं। रुपये का हिसाब तो लगा लिया कि इतनी आमदनी होगी लेकिन दर नहीं मालूम, ताकि हम भी हिसाब लगा सकते। इस तरह असेम्बली के सामने यह बजट पेश हो रहा है। इसी तरह ट्रैक्टर और ट्रालियां हैं। लिखा है कि किसानों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं जिससे सरलीकरण किया जा रहा है। उसका नतीजा यह है कि ५० लाख रुपये की अतिरिक्त आय हो जायगी सरलीकरण के नाम पर। सरलीकरण न कह कर आप इसे टैक्सीकरण कहिये। इसी तरह शराब बन्दी के अन्तर्गत लिखा है कि २० करोड़ रुपये की हानि अनुमानित है। लेकिन अगर आप बजट देखेंगे तो आश्चर्य होगा देख कर कि गांजा, भांग, ताड़ी में आमदनी बढ़ने का बजट रखा गया है।

राजस्व प्राप्तियों का बजट आप देखें। उसमें ७६-७७ में हमारे शासन काल में जहां आमदनी होती थी ७७ लाख २६ हजार, अब शराब बन्दी के बाद अगले साल ७८-७९ का आय-व्ययक है १ करोड़ ३५ लाख रुपये का। इस तरह ताड़ी से आमदनी बढ़ गयी। इसी तरह से अफीम, भांग में जहां ७६-७७ में ९७ लाख ३४ हजार की आमदनी थी वह ७८-७९ में १ करोड़ १९ लाख हो गयी। इसी तरह से हर जिले में जहां शराब बन्द होने जा रही है वह स्मगिल हो कर पड़ोस के जिले में ३०, ४०, ५० किलोमीटर दूर पहुंच गयी और वहां के ठेकों की आमदनी बढ़ गयी। नतीजा यह हुआ है शराब बन्दी से कि दूसरे जिलों में ठेकों की आमदनी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। लिखा है बजट स्पीच में २० करोड़ रुपये की आमदनी कम होगी लेकिन बजट लिट्रेचर में उसे १६ करोड़ ही दिखाया गया है। भारत सरकार फिर २० करोड़ रुपये की घटोत्तरी किस तरह से पूरी करेगी जब बजट लिट्रेचर में इसे १६ करोड़ ही दिखाया गया है? बजट के आंकड़े बजट भाषण के आंकड़ों से मेल नहीं खाते।

आप देखें कि इनका ऐडमिनिस्ट्रेशन तथा रिसोर्सेज कोलैप्स कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ध्यान ऐडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नहीं है। टैक्स रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले १९ करोड़ २३ लाख कम हुई है, बिक्री कर ११ करोड़ कम हुआ है। हर टैक्स की वसूली कम हुई। ध्यान दूसरी तरफ है। इस तरह यह सरकार जो सबसे बड़ा मापदंड है इंटरेस्ट आफ स्टेट उसकी यह रखवाली नहीं कर पा रही है। उसका ध्यान है लाठी चार्ज, गोली कांड तो पुलिस की तरफ। कांग्रेस (आई) इस सरकार को हर जगह दिखाई देती है। श्रीमन्, आप मार्केट बौरोइंग्स की हालत देख लीजिये। १९७६-७७ में ४० करोड़ ७० लाख की मार्केट बौरोइंग्स हमने ली थी। ये साल भर तक कोशिश करते रहे हैं, मार्केट बौरोइंग्स

घट गई । इस साल ४० करोड़ १५ लाख हो गई । ५५ लाख रुपया कम वसूल किया । आपने क्यों नहीं रिजर्व बैंक से लिया । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सरकार को दोषी घोषित करना चाहता हूं । हमारी सरकार ने १२ करोड़ से ४० करोड़ पर पहुंचाया था और अब यह घटाने लगे हैं योजनायें पिछड़ गईं, आउट-ले पिछड़ गया ।

पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में कहना चाहता हूं । यह तय था कि जितना हिमाचल प्रदेश का प्लान होगा उतना ही उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के लिये होगा । हमने उसके लिये ५६ करोड़ रखा था और उतना ही रखा था जितना हिमाचल प्रदेश का प्लान था । हिमाचल प्रदेश की आबादी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से एक लाख कम है । इस साल आप भूल गये उनका प्लान हो गया ७२ करोड़ का और आपका जो पहाड़ी इलाकों के लिये रखा हुआ है वह है ६५ करोड़ । इस बात को प्लानिंग कमीशन ने भी मान लिया था, उसे भी रोक दिया । मैं चाहता हूं कि आप एक रिपोर्ट टेबुल करें कि शारदा सहायक योजना में, ओबरा में, राजघाट में, टेहरी में, पैरेलल गंगा कैनाल में, नोइडा में, गंडक में कन्हड़ में कितना-कितना उत्पादन हुआ । प्लानिंग कमीशन बैठा हुआ है, आप बता दें । मैं इस बारे में शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार हूं । कितनी मौनिटरिंग इन योजनाओं ने की है ? इसी तरह से गन्ने की भी हालत है । ८ चीनी मिलें रोक दी गई हैं । गजरौला में चीनी मिल रोक दी, मोरना में रोक दी, मुजफ्फरनगर में रोक दी, मोहम्मदाबाद, सीतापुर में मिल रोक दी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी में चीनी मिल रोक दी, हंसापुर, सितारगंज में चीनी मिल रोक दी । अगर ये गन्ना मिलें चालू रहतीं तो किसानों को साढ़े १३ रुपये के हिसाब से मिल जाता । नोइडा के बारे में कांग्रेस सरकार ने योजना बनाई थी ।

आज आपकी सरकार है और कल दूसरी सरकार आयेगी तो वह भी योजना बनायेगी । लेकिन यह सरकार हर योजना को शक की दृष्टि से देखती है और बाद में नजर आता है कि वह तो ठीक था । मैं साफ कहता हूं कि आपकी जो रण-नीति है वह बहुत कमजोर है । किसानों के लिये बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहीं हैं । पिछले साल आपने फौसफेटिक फर्टिलाइजर देने के लिये ५ करोड़ देने का प्राविधान किया था और वह भी किसान सहायता निधि से लिया गया था । वह इस साल ५ करोड़ से हटकर ३ करोड़ हो गया, घटा दिया गया । लघु किसानों के लिये मइनर इर्रीगेशन के लिये १ करोड़ ६८ लाख रखा गया जब कि पिछले साल २ करोड़ था । इन सब में घटोत्तरी हो रही है । किसानों के लिये जो सब्सिडी रखी गयी थी वह भी इस साल घटा दी गई है । इस बजट में एक खोखला दावा किया गया है कि हमने इस साल ५० प्रतिशत गांवों के लिये कार्यक्रम रखा है । कहां से लिया ? प्लानिंग कमीशन ने दिया है । इस गवर्नमेंट ने तो अब दिया है । यह एनुअल ड्राफ्ट प्लान के पृष्ठ १६७ में दिया हुआ है । बजट भाषण में आप कहते हैं कि ५० प्रतिशत हमने खेती के लिये कर दिया है । जो प्लान डाकूमेंट का पेज १६७ है उसमें इस सरकार ने लिखा है 'टोटल आउट ले फार १९७८-७९ एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सरविसेज १३·५ प्रतिशत' । तो जो प्लानिंग कमीशन को बताया है वह १३·५ प्रतिशत है अब थोड़ा घटा दिया है लेकिन हमें यह भाषण में समझाया नहीं है । खाली एक झुनझुना पकड़ा दिया है । आप बतायें कहां से ५० प्रतिशत आया । वित्त मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी बतायें यह ५० प्रतिशत कहां से लाये । श्रीमन्, पिछले वर्ष ७८ प्रतिशत खर्च प्रोडक्टिव परपजेज के लिए था लेकिन इस साल वह ७५ प्रतिशत कर दिया गया है । ३ प्रतिशत प्रोडक्टिव कामों के लिए खर्च आउट ले में घट गया है । तो काहे में आप खर्च करेंगे एक कोरा नारा आप

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

एग्रीकलचर का देते हैं कि एग्रीकलचर में खर्च कर रहे हैं। कौन सी पालिसी है आप देखें पंत नगर यूनिवर्सिटी जिसका सबसे बड़ा नाम था हिन्दुस्तान में उसका स्टैंडर्ड गिर रहा है। इसी राज्य में कानपुर एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड गिर रहा है। फैजाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च की तरफ कोई ध्यान नहीं है।

एक गन्ना संस्थान बना था रिसर्च के लिए वह भी बंद है और यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड गिर रहा है, ब्लाक्स की तरफ ध्यान नहीं है। भूमि विकास कर से जो ब्लाक्स को सहायता मिल रही थी वह भी समाप्त हो गई है तो फिर आप कैसे कृषि की उन्नति कर रहे हैं। खांडसारी में आप क्या कर रहे हैं नाममात्र के लिए खरीद हो रही है चंद मझोले लोग फायदा उठा रहे हैं। २२ रु० में खरीद कर ३६ रु० में बेच रहे हैं। बजट के आंकड़ों के आधार पर ही हम देखें तो खेती के लिए खाली ढिंढोरा पीट रहे हैं उसकी उन्नति के लिए कोई प्राविधान नहीं है।

इसी तरह रोजगार की संख्या दे दी कि चार पांच लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब श्रीमन्, इसी फिफ्थ फाइव इयर प्लान में उसका भंडा फोड़ है। उसमें लिखा है क्रियेशन आफ एडीशनल जाब फार ५ लाख परसंस और उससे अबाउट १·७५ लाख न्यू इंट्रेंट्स और आ रहे हैं। पांच लाख के प्राविधान हैं लेकिन पौने दो लाख उसमें और एड हो जायेंगे। तो यह कितना बैंक लोग रह जायेगा।

अब भूमि सेना का बड़ा जिक्र किया गया है। जो पहले हमने ग्राम्य विकास दल बनाये थ उसको अब भूमि सेना का नाम दिया गया है। अच्छा नाम है लेकिन उसकी रूप रेखा क्या होगी ? क्या उसमें सरकारी कर्मचारी बढ़ाये जायेंगे या वर्कचार्ज के लोग बढ़ाये जायेंगे ? इस मद में १६ लाख रु० रखा गया है उसमें आप जमीन खरीदेंगे। कितनी जमीन लेंगे १६ लाख रु० में जो आप हरिजनों और भूमि हीनों को देंगे ? कुल कितने भूमि हीन हैं जिनको आप यह भूमि देंगे।

ऊसर भूमि को रिकलेम करने की बात कही है। इस काम को भूमि सेना करेगी। वह कितना बड़ा काम है। आज साइंटिफिक मेथड्स से भी ऊसर भूमि को रिक्लेम करना मुश्किल काम है। एक कोरा नारा लगा दिया है।

इसी तरह से इसमें कहा गया है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रोथ सेन्टर खोलेंगे। श्रीमन्, हमें भी थोड़ा तजुर्बा है। इसमें सबसे बड़ी प्रोब्लम होती है मारकेटिंग की। जो सामान यहां पैदा होगा उसकी मारकेटिंग का क्या होगा यह बताना चाहिये, कच्चे माल का क्या होगा ? हमने भी इसमें थोड़ी गलतियां की थी। हमन भी बहुत सारे रूल इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाये लेकिन मारकेटिंग की कमी के कारण वह टूट गये। तो जब तक आप मारकेटिंग का प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक यह काम नहीं चल सकता है। हमारे पुराने आंकड़े मौजूद हैं। आज आपका मुरादाबाद का बर्तन का काम सिसक रहा है कोई देखने वाला नहीं है मुरादाबाद की बर्तन इंडस्ट्रीज को, अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्रीज को आगरा में चर्मकार एसोसिएशन बनाई गई थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं। भदोही के कालीन बुनकरों की ओर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन नय ग्रोथ-सेन्टर्स खोलने की बात हो रही है। पुराने गृह उद्योग तरस रहे हैं और यह नये ग्रोथ सेन्टर की बात कह रहे हैं। इस तरह की आगे की इनकी जो योजनाएं हैं सिंचाई की हों, स्वास्थ्य व चिकित्सा की हों, शिक्षा की हों या समाज कल्याण की हों, वे बिना योजना के, बिना सोचे समझे बनाई हुई योजनाएं हैं। कोआपरेटिव में जरूर कुछ काम बढ़ रहा था, लेकिन यह तो ट्रांसफरों की सरकार है...

श्री अध्यक्ष—

अब आप का समय समाप्त है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमारा समय समाप्त है, लेकिन सरकार का समय कितना रहेगा, यह देखने की बात है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया ५ मिनट में समाप्त करें ।

नारायण दत्त तिवारी—

अब हो गया, अब ५ मिनट में क्या होगा ।

श्री पुरुषोतम कौशिक (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और इस सन्दर्भ में अपने चन्द विचार व्यक्त करता हूं । श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने, जिन्हें दोष-दर्शन ही दिखाई दिया इस बजट में, मैं उनके बारे में कुछ अधिक न कह कर सम्मानपूर्वक ढंग में केवल एक बात कहना चाहता हूं । मुझे एक बात याद आई—

"चमन में गारते गुलची से, न जाने क्या गुजरी,
कफस से होके सबा, बेकरार गुजरी है,
वह बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था,
वह बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है ।"

श्रीमन्, सम्मानीय तिवारी जो अनेक वर्षों तक इस प्रदेश के कुबेर रह चुके हैं,

(इस समय १ बजकर १३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुये ।)

वह वित्त मंत्री के पद को अलंकृत कर चुके हैं । पता नहीं क्या बात है, जब तक उस कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह जैसे कुर्सी से हटता है, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है संजय की तरह । इसके साथ में कुछ अन्य बातों की ओर भी प्रकाश डालना चाहता हूं । वह बात है, जो मैं अपने ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए हैं, कहना चाहता हूं, जिनको उनके नेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया की सत्तारूढ़ दल के लोगों को सरकारी पार्टी के सरदार कहा करते थे । पिछली सरकार ने क्या किया, आप इसे भूल जाइये, आपको क्या करना है, इसको मद्देनजर रखिए । इस देश में और खास कर इस प्रदेश में १५ मार्च के बाद लूट का पखवारा शुरू होता है । १५ मार्च से ३१ मार्च तक इस प्रदेश में लूट मचती है, जो भिन्ड और मुरेना के डकैत भी नहीं मचा सकते हैं । इनके डकैत सफेद पोश लोग और बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं । वह लूट ऐसी होती है—

"जो चमन में हैं लुटेरे, उन्हें यों है जल्दी,
कहीं रात ढल न जाये, कहीं दिन निकल न आये ।"

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

बड़ी उम्मीद थी, हमें अपने नेक साथियों से कि लूट का पखवारा बन्द होगा, लेकिन मैंने देखा १५ मार्च के बाद उस लूट के पखवारे में तेजी आई। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, चाहे शिक्षा विभाग के लोग हों, चाहे सिंचाई विभाग के लोग हों, इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये की धनराशि १५ मार्च के बाद में खर्च की जाती है, वह क्यों की जाती है ? समय से खर्च क्यों नहीं होती। मेरा सीधा-सीधा सवाल है। परिवार कल्याण विभाग के बारे में बता दूं, उसमें बोर्ड पेंटिंग के लिए लाखों रुपये की स्वीकृत हुई लेकिन इस सम्बन्ध में ३१ मार्च के अन्दर बड़ा घोटाला किया गया।

गंडक प्राजेक्ट के बारे में पिछले डेढ़ वर्ष में माननीय सिंचाई मंत्री से दसियों बार मिला और मैंने कहा कि लूट का पखवारा आने वाला है। आपकी कसौटी है। अग्नि परीक्षा है। मैं जानना चाहता हूं कि गंडक प्राजेक्ट की ओर जल विकास की नालियों के लिए तथा अन्य पुलों व महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में क्या किया गया ? मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा का कृतज्ञ हूं जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल निकास की व्यवस्था के लिए प्रयास किया। विश्व बैंक ने भी इस कार्य के लिये करोड़ों की सहायता की है। मैं नम्रता के साथ कह दूं कि जल निकास की नालियों के लिए, वाटर लागिंग एरिया के लिए १ करोड़ ३३ लिए स्वीकृत था। ३१ मार्च को वहां के भ्रष्ट निकम्मे, अपराधी अधीक्षण अभियन्ता ने उस मद का पैसा छितौनी बांध को दे दिया। क्यों दे दिया जबकि सिंचाई विभाग को जल निकास के लिए जब पैसा दिया गया था ? इस प्रकार से जब तक लूट का पखवारा बन्द नहीं होगा इस देश में नयी क्रान्ति न आयेगी न कोई विकास होगा, न कोई नयी रोशनी आयेगी। देवरिया जनपद में सिंचाई विभाग का कार्य दो वर्षों से गतिहीन हो गया है।

आज ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की मद में खर्च होने वाले पैसे की यही दशा है। स्वास्थ्य विभाग में व्यापक 'लूट १५ मार्च के बाद हुई। इधर गरीब आदमी सल्फाडाइजीन व ए० पी० सी० की एक-एक गोली और मामूली मिक्सचर के लिये तरस रहा है। और आखिर में घोटाला करके पैसा निकाला जाता है। इस लूट के पखवारे को बन्द किया जाय मेरी यह पहली मांग है।

शिक्षा के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता हो गयी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं को जला देने की बात कही थी। देश और प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों और बढ़ती हुई अराजकता में इस समय अश्लील साहित्य की बाढ़ आयी हुई है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस सम्बन्ध में सचमुच क्रान्तिकारी कदम उठाये अश्लील साहित्य देश के मस्तिष्क को बरबाद कर रहा है। दिल और दिमाग में विष भरा जा रहा है। राष्ट्रीय चरित्र का हनन हो रहा है। नयी दिशा अवरुद्ध कर रहा है। अश्लील साहित्य को जला दिया जाय। उससे गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। भोजपुरी अकादमी बिहार ने एक अनुकरणीय कदम उठाया है। दस करोड़ इस देश में भोजपुरी भाषा को बोलते हैं। लेकिन आज तक यहां भोजपुरी अकादमी की स्थापना नहीं हुई। उसकी यहां स्थापना होनी चाहिए, जैसा बिहार ने किया है।

मद्य निषेध के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है। यह बहुत आवश्यक है। लेकिन मद्य निषेध की सफलता कैसे होगी ? १ लाख ८० हजार अवैध शराब के अड्डे इस सूबे में चल रहे हैं, उन पर तत्काल नियंत्रण रखने की कौन सी व्यवस्था हो रही है।

श्रीमन्, सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात है । दिन पर दिन सत्ता को अपने पंजों में कसते जा रहे हैं । सत्ता का विकेन्द्रीयकरण नहीं हो रहा है, इसलिए जो हमारे मन्सूबे थे वे मन्सूबे ही रह जायेंगे । मंत्रीगण सत्ता को हथियाते जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करो, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

दूसरी बात में भूमि आवंटन के बारे में कहना चाहता हूं । इस समय चकबन्दी चल रही है । गरीब किसान उसमें फंस गया है । एक अंग्रेज वाइसराय लार्ड कार्नवालिस आया था, उसने भी भूमि सुधार किया । सात समुद्र पार कर विदेशी बीहड़, नदी, नालों को पार कर के गांव-गांव में जाकर भूमि सुधार का कार्य किया । चकबन्दी के दौरान लेकिन आज हो क्या रहा है कि निरीह और अनपढ़ किसान चकबन्दी के चक्र व्यूह में सिर्फ वीर अभिमन्यु की तरह फंस गया है । उसकी उपजाऊ जमीन के स्थान पर अनुपजाऊ जमीन दी जा रही है । उसे उड़ान चक दिए जा रहे हैं । कोई देखने वाला नहीं है और इधर कोई ध्यान देने वाला नहीं है ।

हमें वज्रादपि कठोराणि मृदूपि
कुसुममादपि का आदर्श अपनाना होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

भूमि आवंटन के बारे में जो धांधली हो रही है उसके बारे में कहना ही क्या है । गन्ने की समस्या बड़ी भयावह समस्या हो गयी है । लाखों किसान त्रस्त हैं और गन्ना सूख रहा है । बड़े-बड़े अधिकारियों की इसमें साजिश है । निरीह किसानों पर बराबर अत्याचार किया जा रहा है । कानून और व्यवस्था की ओर भी सरकार का ध्यान नहीं गया है । अच्छे-अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं हो रहा है । जो चरित्रवान अधिकारी हैं वह भयभीत व उत्साहीन हैं जो भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी हैं उनको तरक्की दी जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में कुछ सोचने की आवश्यकता है । हमारे यहां योग्य अधिकारियों की कमी नहीं है, लेकिन वह निराश हो गऐ हैं । इन शब्दों के साथ में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, कोई भी बजट प्रदेश और देश के लिए एक दिशा प्रदान करता है । बजट अगर संतुलित होता है तो देश या प्रदेश आगे को जाता है और अगर बजट असंतुलित होता है तो विकास का क्रम अवरुद्ध हो जाता है । हमारे प्रदेश की आर्थिक वृद्धि की दर पूरे देश से कम है । यह २.३ प्रतिशत थी जब कि पूरे भारत की ३.३ रही है । यह देश जब से आजाद हुआ है यह प्रदेश पिछड़ा रहा है लेकिन जो भी सरकारें आयी हैं उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दीप नरायन]

मान्यवर, आज आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पहले से भारत कहा जाता रहा है। यदि उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दिया जाय तो हिन्दुस्तान ही नहीं रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दिया जाय तो भारत का कोई वजूद ही न रहे। इतने बड़े प्रदेश में रहते हुए, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश के लिए मैं कह रहा हूं क्या होगा यह बजट से प्रदर्शित हो रहा है। अब मैं सरकार का कुछ चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ाने की बात कही गयी है, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं, हालांकि मैं इनका विरोधी नहीं हूं इनमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन हम बड़े उद्योगों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस हिन्दुस्तान में जितना कपड़े का उत्पादन होता है, देश की जितनी आबादी है अगर समान रूप से उस कपड़े को वितरित किया जाय तो १२ १/२ मीटर प्रत्येक व्यक्ति पावेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आबादी २,००० ईसवी में १ अरब होने जा रही है। अगर आपने बड़े-बड़े उद्योगों को नेग्लेक्ट कर दिया तो आने वाले जमाने में आप अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को वस्त्र भी नहीं दे पायेंगे। बड़े उद्योग तो लगें पर उनका मापदंड क्या हो वे निजी या सरकारी क्षेत्र में लगें ? यह जो जनता पार्टी है इसने भी यह घोषणा की थी कि हम समाजवादी समाज की रचना करेंगे।

दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी समाजवादी रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब लोग सत्ता में आ जाते हैं तो समाजवाद का नाम ही भूल जाते हैं। मेरा तो कहना है कि बड़े-बड़े उद्योगों को निजी स्वामित्व में न देकर स्टेट के अन्तर्गत होने चाहिए, उनका स्वामित्व राज्य के ऊपर होना चाहिए लेकिन मैं आज यह देखता हूं कि सरकार में बैठने वाले जो समाजवाद की दुहाई देकर जेल में जाया करते थे, उनके जमाने में ही समाजवाद को खंडित किया जा रहा है। अगर सरकार में रहकर भी समाजवाद न ला पाये तो बाहर रहकर कैसे ला पायेंगे ? मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में ऐसी कोई चीज नहीं होने जा रही है।

बजट में भूमि सेना के बारे में भी कहा गया है। पिछली बार जब मैं विधान सभा में बोला था तो मैंने यहां पर एक बात कही थी। माननीय दिघे जी ने मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट की चर्चा इस बजट में की है। मैंने पिछली बार यहां पर कहा था और आज भी कहता हूं कि २० लाख एकड़ जमीन पर बड़े-बड़े जमींदारों ने कब्जा कर रखा है, उनकी फाइलें तैयार हैं, लेकिन आज एक वर्ष हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री से, राजस्व मंत्री से कि जमीनों को इन भूमिहीनों में क्यों नहीं बांटा जा रहा है, वह राजा महराजे जो हैं वे रोक रहे हैं या वे बड़े-बड़े लोग जो हैं, वे रोक रहे हैं जो सत्ता पर हावी हैं या हावी होना चाहते हैं ?

मान्यवर, एक बात मुझे और भीषण दिखाई पड़ रही है, इस बजट में कहा गया है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको संरक्षण दिया जायगा, उनको सुविधायें दी जायेंगी। मेरी एक कल्पना रही, मैं तो किसी जाति विशेष में अपना विश्वास नहीं रखता हूं, शुरू से नहीं रखता आया, क्योंकि मैं समाजवादी ख्यालात का आदमी रहा। जो समाजवाद को लेकर पूरे देश में एक द्वेष की भावना फैलाई जा रही है, वह गलत है। आपने देखा होगा बिहार में एक आन्दोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो गयी है, आर्थिक आधार पर। लड़ाई दुनियां में गरीब और अमीर की है। वह किसी भी जाति का हो, अमीर

अमीर है, गरीब-गरीब है । लड़ाई दुनियां में जाति की नहीं है । यह सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है । जातिवाद के आधार पर आरक्षण बन्द करो । अगर एक अफसर पिछड़ी जाति का है, वह २-ढाई हजार रुपये तनख्वाह पाता है, तो उसके बच्चों के लिए आरक्षण खुला रहेगा । लेकिन उस अफसर का चपरासी जो कि बहुत कम तनख्वाह पाता है, वह ठाकुर, ब्राह्मण, मुसलमान जाति का है, तो उसके बच्चों के लिए कोई आरक्षण नहीं । अगर इस चीज को सरकार ने नहीं रोका तो जिस प्रकार से बिहार में आग भड़की है, उसी प्रकार से यहां पर भी आग भड़क सकती है । इस जातिवाद की आंधी को खत्म कीजिए । इसको नोट कीजिए । अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो आने वाले चुनाव में फिर आप लोग नहीं जीत कर आवेंगे ।

हम लोग पूर्वी जिले से चुन कर आते हैं । मैं आपके माध्यम से इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि आज षडयंत्र चल रहा है कि इस देश के टुकड़े-टुकड़े कर दो । आज बड़े-बड़े पूंजीपति चाहते हैं कि इस देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायं । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर राजनैतिक चेतना न रही, तो इस देश को टुकड़े-टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता । हम लोग पूर्वी जिले से चुन कर आते हैं । पूरब के लिए यह सरकार हमेशा कुछ नहीं करती है । हमने अभी इस बजट को देखा । मेरे यहां पक्की सड़कें केवल ४-५ किलोमीटर इस साल ली गई हैं । मैंने बजट को देखा, जिन सड़कों पर मिट्टी पड़ रही है, वहां पर आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे ? तो मैं आ के माध्यम से यह मांग करता हूं कि पूर्वी जिले, गोंडा, बहराइच, बस्ती या और इसी तरह के जिले जो हैं, उनमें सिंचाई के साधन, उद्योग के साधन, कल-कारखाने के साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ध्यान दे, वरना वहां की गरीबी जो है, उससे भी निम्न स्तर पर वहां के लोग जिन्दा रह रहे हैं । मैंने जितनी बातें कही हैं, यह सरकार इस पर ध्यान देगी और आशा है कि उन बातों को मानेगी ।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, आपके माध्यम से हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, किन्तु कुछ सुझाव भी आपको देना चाहता हूं । हमारी सरकार ने जो नशाबन्दी की ओर कदम उठाया है वह बड़ा ही सराहनीय कदम है । गांवों और शहर के गरीब मजदूरों व हरिजनों को इससे बड़ा लाभ होगा ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में तथा इस बजट में भी गांव की ओर चलने की ओर संकेत है । इससे अवश्य गांवों का विकास होगा गांव के जो मजदूर और गरीब किसान हैं उनका उससे लाभ होगा । जहां इसके लिये बजट में प्राविधान किया गया है वहां कुछ कमियां भी हैं । आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान उन कुछ कमियों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

पिछले सत्र में भी मने एक सुझाव दिया था और अब फिर देना चाहता हूं कि किसानों की फसलों का बीमा होना चाहिये । दैवी आपदाओं के कारण, कभी सुखा पड़ने से कभी ओला वृष्टि से, कभी बाढ़ आने से, तो कभी अन्य किसी कारण से किसान की फसल बरबाद हो जाया करती है । अभी फरवरी और मार्च के माह में ओले से इलाहाबाद के जमुना पार के इलाकों में भारी क्षति हुई है, किन्तु सरकार कुछ सहायता देने मे असमर्थ रही है । इसलिये मेरा सुझाव है कि किसान की फसलों का बीमा होना चाहिये ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

श्रीमान कोरम नही हैं ।

श्री गुरु प्रसाद—

सिचाई विभाग की ओर से जो नहरें निकाली गयी हैं उनके कारण हजारों एकड़ भूमि बरबाद हो गयी है । ऐसी भूमि जो नहर बनाने के लिये ले ली गयी है उसका लगान माफ होना चाहिये । इस ओर माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई संकेत नही किया है ।

जितने भी नलकूप लगे हुये हैं गांवों में १० हार्स पावर के, विद्युत् विभाग द्वारा १५ रुपये फी हार्स पावर के हिसाब से बिजली का चार्ज किया जाता है, भले ही किसान बिजली कम खर्च करे या ज्यादा । ज्यादा खर्च करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, वह कम ही खर्च कर पाता है । मेरा सुझाव है कि जितनी बिजली किसान खर्च करे उससे चार्ज मीटर के हिसाब से उतनी ही बिजली का किया जाये ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बिजली रात में किसान के लिये दी जाती है । इससे बड़ी असुविधा होती है । नलकूपों के लिये बिजली दिन में दी जानी चाहिये ।

शिक्षा विभाग की ओर से भी इस बजट में स्कूल आदि खोलने के लिये प्राविधान किया गया है । आज हम देखते हैं कि हमारी जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी तक की शिक्षा तो सुचारु रूप से चल रही है, पर उसके ऊपर की शिक्षा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की शिक्षायें जिस प्रकार से चल रही हैं उससे आप सभी अवगत हैं । वहां पढ़ाई लिखाई नाम की तो कोई चीज रहा ही नहीं गयी है । सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये । पहले चौधरी चरण सिंह जी के मुख्य मन्त्रित्व काल में, जब संविद की सरकार थी, तब छात्र यूनियनों की सदस्यता की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि हर विद्यालय में दो प्रकार के छात्र होते हैं—एक वे जो सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं, दूसरे वे जो आन्दोलन ही करना चाहता हैं । ऐसे लोग आन्दोलनों के जरिये ही अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं । वे यही प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से अपने निहित स्वार्थ को सिद्ध कर सकें । इस प्रकार से इस शिक्षा में भी विचार करना पड़ेगा कि कौन सी शिक्षा उत्तम होगी जिससे हमारे प्रदेश का सुधार हो सके । दूसरे जो प्राइमरी स्कूल हैं प्रदेश में अधिकतर ऐसे हैं जिनमें भवन नहीं हैं । छोटे-छोटे लड़के पेड़ के नीचे बैठ कर चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो या जाड़ा, पढ़ते हैं । उन विद्यालयों के निर्माण के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं है । इसलिए इसका प्राविधान होना चाहिये ।

मान्यवर, दिसम्बर के महीने में हमारे प्रदेश में अध्यापकों की हड़ताल हुई । उस हड़ताल का पैसा अभी तक हमारे अध्यापकों को नहीं मिला है । इसलिए वह पैसा उनको मिलना चाहिये । वह पैसा इसलिय नहीं मिला है चूंकि हमारे शिक्षा मन्त्री की घोषणा है कि काम नहीं तो दाम नहीं । इसलिए मेरा सुझाव है कि उन अध्यापकों को आप वेतन दिलायें । इसी प्रकार मान्यवर, यह व्यवस्था होनी चाहिये कि अपने आदर्श पहले आना चाहिए उसके बाद और लोगों के ऊपर कौन इस प्रकार का काम है जिसको मान्यता नहीं दी जायेगी और फिर वह चाहे फैक्टरी में हो या अध्यापकों की हड़ताल हो ।

मान्यवर, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि बजट भाषण के पृष्ठ ६, पैरा १६ में लिखा है कि हम पिछड़ी जाति, पिछड़े वर्ग को सुविधायें देंगे। तो इसमें सुझाव है कि केन्द्र में हमारे माननीय नेताओं ने जातिवाद के खिलाफ एक बात कही है कि देश में जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिये। यदि यह समाप्त हो जाती है तो बहुत अच्छा है। जाति और वर्ग के आधार पर जो आरक्षण है वह देश के टुकड़े–टुकड़े कर देगा। इसलिए यह समाप्त होना चाहिये। दूसरा सुझाव यह है कि जो बुद्धि में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं वह आरक्षण का सहारा लेते हैं। इसलिये जाति के आधार पर आरक्षण जो मिलता है वह समाप्त करके आर्थिक दृष्टि से आरक्षण करें तो अच्छा होगा। इसलिये आदर्श व्यक्ति के लिये महात्मा टालस्टाय ने कहा है कि महापुरुष हर जगह पैदा हो सकते हैं और विद्वान तथा महाकवि के लिये कोई देश, कोई प्रदेश तथा कोई जाति वर्ग अपेक्षित नहीं है। इसलिये जब हम जाति के आधार पर आरक्षण देते हैं तो प्रजातंत्र में समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। यह आरक्षण चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जब कोई अपने नाम के आगे सिंह व शर्मा जोड़ लेते हैं तो उसके माने हैं कि वह ऊंचे हो गये। तो जब ऊंचा होना है तो हम सिंह और शर्मा लगा लेते है लेकिन जहां आरक्षण लेना होता है वहां हम पिछड़ी जाति के बन जाते हैं। इसलिये यह दो प्रकार की नीति चलने वाली नहीं है। अंत में मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री अधिष्ठाता—

मैं सत्ता पक्ष से कहूंगा कि कोरम पूरा करायें, यह जिम्मेदारी उनकी है—शासन की।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि अपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मान्यवर, जबसे यह जनता पार्टी की सरकार बनी तबसे कोई नया निर्माण कार्य नहीं हुआ। जिलों–जिलों से लोग आशा लगाये हुए थे कि जनता पार्टी कोई नया निर्माण कार्य करेगी परन्तु किसी प्रकार का कोई नहर के निर्माण कार्य नहीं हुये, न बांध ही बने। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान बांदा जनपद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बांदा जनपद आज भी पानी के लिए सिसक रहा है। वहां नरेनी क्षेत्र में आज तक कोई न राजकीय ट्यूबवेल लगा है न वहां लिफ्ट एरिगेशन की सुविधा है जबकि वहां की भूमि सबसे अधिक उपजाऊ है। अगर वहां पानी का प्रबन्ध कर दिया जाय तो पूरा बांदा जनपद आपके बुंदेलखंड को भोजन दे सकता है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां जो नदियां है अगर उनमें लिफ्ट इरिगेशन द्वारा सिंचाई की सुविधा कर दी जाय तो समस्या हल हो सकती है। इसी तरह सड़कों का बांदा में पूर्णतया अभाव है। वहां कोई नयी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है जिससे कि गांव लिंक रोड़ों द्वारा मुख्य सड़कों से जुड़ जायं। जो सड़कें बनी हैं वह भी अधूरी हैं। बांदा में एक बागै नदी है जो उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सड़क में पड़ती है। वहां कम लागत पर पुल बन सकता है। उसके लिए कई बार कहा गहा है, लेकिन इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं हुआ है। सड़कों का तो पूर्णतया अभाव है ही।

[श्री सुरेन्द्र पाल—]

जिला बांदा में अतर्रा धान की सब से बड़ी उत्तर प्रदेश की मंडी है। अगर वहां पर कोई दफ्ती का कारखाना खुल जाय तो बेकार लोगों को काम मिल सकता है और दफ्ती का अच्छा कारखाना धान की भूसी तथा पुआल से चल सकता है। लेकिन इस बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। पिछली सरकार ने कुछ अतर्रा में भूसी से सीमेंट बनाने के लिए एक सुझाव रखा था लेकिन वह खटाई में पड़ा हुआ है। एक हड्डी से खाद बनाने का अच्छा कारखाना खोल सकते हैं लेकिन बांदा के लिए इस बजट में उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया गया। जहां तक स्वास्थ्य की समस्या है वह बड़ी विषम है। कई-कई गांव ऐसे हैं जिनके पास कई मीलों तक कोई अस्पताल नहीं है। अनेक लोग बिना दवाई के अपनी जान दे देते हैं। वहां पर सौभाग्य से एक आयुर्वेदिक कालेज भी है जो कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। मान्यवर, उसके प्रान्तीयकरण की बात आयी थी लेकिन उसका शासकीय आदेश नहीं पहुंचा। वहां के डाक्टरों को कई-कई महीनों से वेतन न मिलने से अध्यापक बुरी तरह परेशान हैं और वहां के कर्मचारी भूखों मर रहें हैं। वहां के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न तो उनके लिए कोई अच्छी प्रयोगशालायें हैं, न वहां पर एक्सरे मशीन आदि की व्यवस्था है। अगर इस तरह की शिक्षा दी जायगी तो विद्यार्थी वहां से आकर समाज में किस तरह की दवा करेंगे, क्योंकि शिक्षा की असफलता समाज के लिए हानिकारक होती है।

शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे बड़े-बड़े आबादी वाले गांव हैं जहां पर शिक्षा के लिए प्रायमरी पाठशालाओं के लिए न तो भवन हैं, न शिक्षा संस्थाएं ही हैं तो इस प्रकार निरक्षरता बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे अनेक गांव हैं जहां स्कूलों की आवश्यकता है पर स्कूल नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कागज देखकर न पढ़ें, मुंह से बोलें।

श्री सुरेन्द्र पाल—

अब इस बजट में बेरोजगारी भत्ते के सम्बन्ध में बेरोजगारों के लिए कोई ऐसी भत्ते की व्यवस्था नहीं की गयी है। हरिजन समस्या के लिए जहां बजट में कहा गया है, ५ हजार रुपया हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में इस तरह से दिया जायगा। तो मैं बतलाना चाहता हूं कि बांदा में मवई के हरिजन की हत्या कर दी गयी, ३ हरिजनों की खोपा में हत्या कर दी गयी और इस उत्पीड़न में से कोई अनुदान किसी को नहीं दिया गया। न तो वहां खाद की कोई व्यवस्था है, न कोई बीज की व्यवस्था। ओला ऊपर पड़ जाने से लोग भूखे मर रहे हैं। मेरा अनुरोध है बांदा में ओला पड़ने से जो शत-प्रतिशत नुकसान हुआ है उस सम्बन्ध में ध्यान देंगे और रबी की अगली फसल के लिए बीज के अनुदान की व्यवस्था की जायगी। वहां टेस्ट वर्क चलाये जायं, लगान माफ किया जाय। जैसे कर्ज की वसूली हो रही है तो कर्ज की वसूली रुक वाई जाय, इस प्रकार बैंकों के कर्ज की वसूली स्थागित की जाय।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसके समर्थन म कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, ३० साल के बाद अगर बजट

के पन्ने पलट कर देखें तो देखा जायगा कि यह पहला या दूसरा बजट है जनता पार्टी का जिसकी नीति ग्रामोन्मुखी है। हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, करने की इच्छा रखते हैं उन लोगों के लिए जो ३० साल तक उपेक्षित रहे हैं। आज तक जो भी सरकार आयी, जो भी मुख्य मन्त्री रहा हमेशा उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसके पास कुछ रहा और जिसके पास कुछ नहीं रहा उसको देखने की कोशिश नहीं की। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी कांग्रेस (आई) जो इस समय सदन में नहीं है उन्होंने जो भाषण दिया उसे सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वे इतने पुराने समाजवादी और उन्होंने इस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने निजाम में क्या किया ?

समाजवादी आन्दोलन चला सन् १९४८ में नारा लगा था कि भूमि सेना बनायेंगे। जब आज जनता पार्टी उसकी बात करती है तो वह उसका मजाक उड़ाते हैं। उनको भूमि सेना की बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि यह संजय सेना है, उस संजय की सेना नहीं है जो ५० लाख रुपया खा गये। तिवारी जी के नेतृत्व में। तिवारी आज उसको भूल गये हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ट्रान्सफर की सरकार है। प्रश्न काल में एक सवाल मैंने किया था जिसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिया कि एक मामूली इंस्ट्रक्टर का ट्रान्सफर रुकवाने के लिए जिसके ऊपर १०/१२ लाख का गबन का केस था केवल विभागीय मन्त्री ही नहीं मुख्य मन्त्री ने आदेश दिया कि ट्रान्सफार रोक दिया जाय। मैं अपने माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि ट्रान्सफार की सरकार कौन है। नरायण दत्त तिवारी की सरकार या जनता पर्टी की सरकार। आज प्रशासन में अव्यवस्था और सुस्ती की बात कही जाती है। मैं मानता हूं कि अव्यवस्था और सुस्ती है लेकिन साथ ही यह भी देखें कि यह पिछले ३० साल का कूड़ा--कचड़ा विरासत से मिला है जिसको ठीक करना है। उसको कूड़े को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग मिले है। यह सही है कि उनमें अभी इमोशनल इंटेग्रेरेशन नहीं है। लेकिन वह यह भी देखें कि उनके यहां क्या हो रहा है ?

आन्ध्रा की सरकार एक मुसलमान बेगुनाह को पकड़ कर थाने में इस कदर मारती है कि वह बेचारा मर जाता है। जब उनकी बीबी पूछने के लिए जाती है तो उसके साथ रेप किया जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? इसी प्रकार हैदराबाद में क्या हो रहा है, सिकन्दराबाद में क्या हो रहा है ? अपने अन्दर झांक कर देखें। जनता पार्टी की नीति स्वस्थ है। अव्यवस्था अवश्य है लेकिन वह इसलिए कि पिछले इतने दिनों से नौकरशाही हावी रही और वह आई० ए० एस० वर्ग काम करने नहीं दे रहा है।

मान्यवर, इतना ही नहीं बाजरा स्केन्डल के बारे में कौन नहीं जानता। वह स्केन्डल भूतपुर्व मन्त्री से सम्बन्धित था। उसके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। कारपोरेशन के अन्दर वही आदमी होगा, डिप्टी मिनिस्टर काम वही करेगा, स्टेट मिनिश्टर काम वहीं करेगा। क्लास वन तक के आफिसर्स का ट्रान्सफर वही करेगा तो यह सारी अव्यवस्था चली आ रही है। उसको ठीक किया ज रहा है। एक बात और, आज प्रदेश से बंटवारे की बात चल रही है। मैं उन लोगों में से हूं जो पूर्वांचल से आता है। सबसे पिछड़ा इलाका है। अगर प्रदेश का बंटवारा विकास की दृष्टि से होता है तो निश्चित ही हो जाना चाहिए। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट में पूर्वान्चल के लिए उपेक्षा बरती है जिसका मुझे अफसोस है। माननीय तिवारी जी ने गन्ना किसानों के सम्बन्ध में रोया। बड़ी परेशानी उनको है। भूल जाते हैं उन बातों को जिनके द्वारा किसानों पर अत्याचार हुआ

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

था। सवा आठ रुपये में गरीब किसानों को गन्ना दिलवाया था। आज उन सारी बातों को ये भूल गये हैं, मान्यवर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनको पूंजीपतियों से मुहब्बत है, इजारादारों से मुहब्बत है और इसीलिये जब उन पर चोट होती है तो हमारे माननीय तिवारी जी तिलमिला उठते हैं और उनके दोस्त तिलमिला उठते हैं। लेकिन जनता सरकार के कार्यक्रम बहुमुखी हैं। वे किसानों और गरीबों के लिये हैं। लेकिन उन्होंने जब हरियाणा में ९० रुपये गज की जमीन एक रुपये गज में दे दिया था, तब भूल गये थे कि यह क्या कर रहे है? एक तरफ ऐसी चीजें केवल एक व्यक्ति के लिये—संजय गांधी के लिये की गयीं, दूसरा तरफ आज गरीबों की बात कह रहे है।

मान्यवर, इनका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है, जन मानस से कोई सम्बन्ध नहीं है, प्रदेश के विकास से कोई सम्बन्ध नहीं है और देश और प्रदेश के विकास के लिये जो योजनायें हैं, ये उनको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। निश्चितरूप से हम आपका स्वागत करते हैं यदि आप प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये जन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिये हमारा सहयोग देने के लिये तैयार होते। मान्यवर, जब देश आजाद हुआ तो देश की औद्योगिक स्थिति क्या थी? और माननीय तिवारी जी को सरकार ने उसमें क्या प्रगति की। इसलिये माननीय मन्त्री जी ने जो बजट भाषण दिया है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी के दिल में झूठे वायदे की बात नहीं है। राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सके तो प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण करना पड़ेगा ताकि उस दिशा में सुधार हो सके। इसी के साथ एक बात मैं पूर्वान्चल विकास के बारे में कहना चाहता हूं।

मान्यवर, पूर्वान्चल में जंगल हैं नदियां हैं। तमाम विकास के साधन वहां लगाये जा सकते हैं। लेकिन आज हमारे आय के स्रोत की उपेक्षा हो रही है। पूर्वान्चल की ओर हमारा ध्यान नहीं गया। लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेने का काम पूर्वान्चल ने किया, देश में क्रान्ति लाने का काम पूर्वान्चल ने किया, जुल्म जोर और अत्याचार का विरोध पूर्वान्चल ने किया। लेकिन आज पूर्वान्चल की ओर जनता पार्टी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पूर्वान्चल की ओर भी इस सरकार का पूरा ध्यान जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया है, उसका अनुमोदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। इसी के साथ माननीय वित्त मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि वह कुछ न कुछ सप्लीमेंट्री में पूर्वान्चल की ओर अवश्य ध्यान देंगे।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात के लिये सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने योजनागत व्यय के लिये प्रदेश के लिये ७८६ करोड़ रुपये की धनराशि प्लानिंग कमीशन से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, माननीय तिवारी जी ने इस धनराशि के प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी की आलोचना की है, लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि माननीय तिवारी जी इस बात की ओर दृष्टिपात करने की कृपा करते कि प्लानिंग कमीशन के समक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने किस प्रकार दलीलें देकर इस धनराशि को प्राप्त किया तो शायद आलोचना करने के लिये यह कभी अग्रसर न होते। जहां तक इस धनराशि को प्राप्त करने की सफलता पर हमको प्रसन्नता है वहीं यह भी कहना पड़ता है कि उस देश के अंदर हमारे वित्तीय अनुदानों के सम्बन्ध में (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—

बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही है कि वित्त मंत्रालय का व्यवहार कभी भी उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं रहा। वित्त मंत्रालय हमारी योजनाओं के परिचालन में सहयोग प्रदान नहीं करता है जो उसका कर्तव्य है। एक ओर तो वह वित्त का समायोजन करता है, दूसरी ओर विभिन्न विभागों के वित्तीय सम्पादन में वह बार-बार अड़चनें पैदा करता है। मुझे इस ओर इस सदन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना है और वह यह है कि विभिन्न विभागों को हर व्यय के लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है जिसको लेकर विभाग अपने कार्य सम्पादित नहीं कर सकते हैं।

सन् ७६ में सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसके अनुसार यह निर्णय किया गया था कि वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि हर विभाग में अलग-अलग रहेगा लेकिन वित्त मंत्रालय ने आज तक अपनी पुरानी मनोवृत्ति नहीं छोड़ी है, अपने प्रतिनिधि विभागों में नियुक्त नहीं किये हैं। परिणामतः हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। हम बार-बार सुनते आ रहे हैं। मार्च के आरम्भ में यह सुनने में आया कि एक बहुत बड़ी धनराशि बिना उपयोग के ही सरेन्डर की जाने वाली है। मैं नहीं जानता वित्त विभाग ने यह आंकड़ा नहीं दिया है लेकिन यह बात अखबारों में आती रही है कि ४० करोड़ रुपये की धनराशि सिंचाई विभाग के द्वारा अनुपयोगी के रूप में सरेन्डर किया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। इसका एक कारण यह है कि सिंचाई विभाग के अंदर वित्त मंत्रालय ने अपना प्रतिनिधि नहीं दिया है।

श्रीमन्, सिंचाई विभाग और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दोनों विभाग मिल करके हमारे बजट का ६० फीसदी व्यय करते हैं। वहां पर इन दोनों विभागों के अंदर सेक्रेटरी और चेयरमैन के पद को लेकर जो विवाद चल रहा है वह अत्यन्त दुःखपूर्ण है। सिंचाई विभाग एक वर्ष से बिना सेक्रेटरी के पद के चल रहा है। परिणामतः वहां पर फसलों में योजनाओं को क्रियान्वित करने में कठिनाई हो रही है। इसका हम सहज में अनुमान लगा सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में इस बात पर भी आना चाहता हूं। यह चीज देश के अन्य भागों में भी हो सकती है। यह चीज है आई० ए० एस० और इंजीनियर्स के बीच में भेद है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आई० ए० एस० के अंदर बहुत कुछ संख्या में प्रभावशाली, देश भक्त और साहसी लोग हैं लेकिन उनमें यह भावना नहीं रहनी चाहिये कि वे इस सारे प्रदेश के ऊपर अपना पंजा कायम रखना चाहते हैं। उस पंजे का सम्मान वह किसी और को नहीं देना चाहते हैं। चाहे चिकित्सक हो, इंजीनियर हो सबके ऊपर उनकी भावना काम करती है। यह बहुत अपमानजनक है।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

आवश्यकता इस बात की है कि हमारे मंत्रिमंडल में इतना साहस हो कि आई० ए० एस० के इस प्रकार के दुर्भावना पर विजय प्राप्त कर सके । जब तक मंत्रियों को अपने विषय पर अधिकार प्राप्त नहीं होगा तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती । दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मंत्रिमंडल ने अपने विषय पर अधिकार प्राप्त करने का अभी कदम नहीं उठाया है । इसी सिलसिले मे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इंजीनियर्स के अंदर कोई खराबी है तो उनको जरूर दंडित किया जाय । जहां किसी दोषी या कमजोरी रखने वाले अधिकारी या कर्मचारी में सहानुभूति नहीं रखता वहीं यह भी कहना चाहता हूं कि निर्दोष को अकारण ही दंडित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है तो फिर यह शासन कभी कर्मचारियों से ठीक-ठीक सेवा प्राप्त नहीं कर सकेगा । मुझे बतलाया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर्स को ८, ८ साल से निलम्बित कर रखा गया है और उनको चार्जशीट तक नहीं दी गयी, वह बहुत बड़ा अत्याचार है, जिसे तुरन्त बन्द किया जाय और इंजीनियर जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाय । जो दंड के भागी हैं उन इंजीनियरों की मैं वकालत नहीं कर रहा लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि हजारों इंजीनियर जिनसे निर्माण कार्य कराना चाहते हैं वे सब असत्य आचरण वाले हैं और उनको जिस तरह से अपमानित करके रखा जा रहा है वह उचित है ।

दूसरी बात मैं शान्ति और व्यवस्था की स्थिति की बाबत कहूंगा कि उसकी बाबत जितना कहा जाय थोड़ा है । आज सुबह का पायनियर अखबार मेरे सामने है । कल बलरामपुर अस्पताल में जो घटना घटी है उसको पढ़कर किसी भी व्यक्ति का सिर शर्म से बिना झुके नहीं रह सकता । हमारे नौजवान बच्चों तथा बच्चियों खासतौर से छात्राओं के चरित्र की यह स्थिति अगर आ गयी है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता । मैं सदन की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उठा कर रख दीजिये अपनी तमाम योजनाओं को एक महीने तक और कोई दूसरा काम न करिये और बैठ कर विचार करिये कि यह शान्ति व्यवस्था इस प्रदेश के अन्दर कैसे ठीक की जा सकती है ? जितने भी अच्छे से अच्छे काम आप कर रहे हैं वे सारे के सारे डूबते जा रहे हैं, उन पर पानी फिरता जा रहा है, शान्ति व्यवस्था पर आपके द्वारा काबू न पाने के कारण । सारे विश्वविद्यालय, कालेजेज, शिक्षा संस्थायें, सारा समाज, सारे नौजवान, सारी भावी पीढ़ी डूबती चली जा रही है । राजनीतिज्ञों का जीवन असुरक्षित है । अच्छे कामों की कोई सराहना नहीं है । चारों तरफ आपकी आलोचना है और सारे जनता विधायकों का सिर शर्म से नीचे है क्योंकि शान्ति व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है । इस ओर हमारे मंत्रिमंडल को देखना चाहिये ताकि लोग उनके अच्छे तथा सुन्दर कामों को जो देश व प्रदेश के हित में हो रहे हैं समझ सकें और उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके ।

एक बात मुझे यह कहनी है कि पिछली दफा शिक्षकों की हड़ताल हुई थी और मंत्रिमंडल की ओर से उनकी कुछ मांगों को स्वीकार किया गया था । लेकिन बजट साहित्य को देखकर मुझे निराशा हुई कि उसमें उनका कोई जिक्र नहीं है, केवल आंशिक जिक्र है । मैं उस आन्दोलन का हामी नहीं हूं, अध्यापकों ने जो व्यवहार किया उसके प्रति मेरी कोई अच्छी नजर नहीं है लेकिन सरकार जब कोई वायदा करती है तो उसे पूरा करना चाहिये । फिर हजारों अध्यापक ऐसे भी थे जो आन्दोलनकारी नहीं थे लेकिन सारे अध्यापकों को उनके डेढ़ महीने के वेतन से वंचित कर देना कहां तक उचित है, इस पर सरकार विचार करे ।

अन्त में मैं अपने जिला मथुरा की एक विशेष बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मथुरा नगर के विकास के नाम पर एक मास्टर प्लान की योजना लागू की गई है। इस मास्टर प्लान की योजना के अन्तर्गत जो प्लान बनाया गया है उसमें वहां की जनता की कोई राय नहीं ली गयी और वह प्लान वहां लागू कर दिया गया। जिसकी जमीन चाही हड़प ली, जिसका मकान चाहा गिरा दिया। संजय ने जो नहीं किया वह मास्टर प्लान के द्वारा मथुरा में किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि उस मास्टर प्लान का पुनरीक्षण किया जाय और लोगों के साथ अन्याय न किया जाय।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट की सामान्य चर्चा पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी मेरे पूर्व वक्ता गोरखपुर के सम्मानित सदस्य बड़े पुरजोर ढंग से जनता सरकार की वकालत कर रहे थे। निश्चय ही कम या ज्यादा इस देश और प्रदेश ने कांग्रेस शासन में रहने के बाद उत्तरोत्तर वृद्धि की कल्पना को लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण के सपने को साकार करने का पहल किया था। यह मैं नहीं कहता कि वह पूरी हो गयी थी लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज जिस भावना को लेकर या जिन कोरे आश्वासनों को लेकर जनता पार्टी का निर्माण हुआ है क्या वह अपने सही दिल और दिमाग से कार्य कर रही है? इन सारी चीजों की पृष्ठभूमि बजट के अन्दर निष्पक्ष ढंग से अंकित है जो देखकर एहसास किया जा सकता है। इसमें गांवों की ओर चलने की बात कही गयी है। आज प्रश्नोत्तर काल में ही गांवों तक चलने के लिये माननीय सदस्य रास्ते की बात कह रहे थे। समयाभाव के कारण वह बात पूरी नहीं हो सकी लेकिन पंचायत राज मंत्री और हर माननीय सदस्य इसकी निरीह ढंग से आकांक्षा व्यक्त कर रहा था कि मंडी समितियों की ओर से जो सड़कें बन रही हैं, क्या उनका सही संचालन इस शासन के अन्तर्गत हो रहा है? जो बजट में इसके लिये प्राविधान किया गया है वह कागजों पर ही पूरा हो गया हो लेकिन आज सड़कों का कोई स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गांवों की सड़कों का निर्माण करावें जो कि प्रदेश की उन्नति के लिये सबसे बड़ी चीज है।

मान्यवर, जनता सरकार के ऐलान दो-मुखी हैं क्योंकि लगान की वसूली में जिस ढंग से कड़ाई का एहसास कराया जा रहा है जबकि सरकार का यह ऐलान था कि उसमें छूट दी जायगी। इस बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की बात शासन के दिल और दिमाग में है जिसका सीधा सम्बन्ध किसान से जुड़ा हुआ है चाहे वह सिंचाई के लिये हो या मशीन के लिये हो। डीजल पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात कही जा रही है, ट्रैक्टर और ट्राली पर बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसका सीधा रिश्ता किसानों से है क्योंकि मशीन से लेकर ट्रैक्टर तक में डीजल का इस्तेमाल होता है। यह किसान सरकार का स्वरूप है। मैं यह नहीं कहता कि आपके दिल और दिमाग में किसानों के प्रति प्यार मोहब्बत नहीं है लेकिन आपकी नियत पर शक तब होता है जब आप गन्ना किसानों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते, उनके खेतों में खड़े गन्ने की कोई व्यवस्था नहीं करते। अगर सरकार विवेकपूर्ण थी तो शासन पर बैठने के बाद वह इस बात को महसूस करती कि उनके गन्ने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो गन्ना फैक्ट्रियां चलवाने का काम आपने २८/२९ नवम्बर से शुरू किया है अगर वह १ नवम्बर से शुरू किया गया होता तो किसान लाभान्वित हो सकता था। गुड़ खरीदने की बात अब चलाई जा रही है यदि आपने नवम्बर-दिसम्बर में ही ऐसा सोचा होता तो निश्चय ही जो क्रेशर बन्द हो गये हैं, वे चलते रहते और किसान लाभान्वित होता। इसलिये स्थिति स्वतः ही स्पष्ट है कि सरकार विवेक शून्य है। इस सम्बन्ध में सरकार की दृष्टि स्पष्ट नहीं है और न किसान के प्रति नीयत ही स्पष्ट है।

[श्री अरुण कुमार]

कुछ सदस्यों ने छात्र असंतोष और छात्र आक्रोश के बारे में कहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब से जनता पार्टी का शासन आया है शिक्षा संस्थायें अपने आप विकृत हो गयी हैं। आज क्या बात है कि जिस नौजवान की मदद से आप सदन में बैठे हुये हैं, सदस्य और मंत्रीगण कुर्सियों में अंगड़ाई ले रहे हैं वही नौजवान भड़क रहा है। वे नौजवान लोक नायक जय प्रकाश के नारे के साथ आपको कन्धा देकर चल रहे थे। मान्यवर, आज एक अनिश्चितता का वातावरण है इतने कोरे आश्वासन और इतने कोरे नारे आपने दिये हैं, जिनका समाधान नहीं कराया जा रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है वह ओझा जी आप जानते हैं। कांग्रेसी शासन में इतने दिनों तक कोई विश्वविद्यालय बंद नहीं हुआ होगा। आज ९ महीने में जो स्थिति हो गई है वह सबके लिए शर्मनाक है। यह ९ माह शिक्षा-जगत उदाहरण स्वरूप रहेगा। अगर पिछले ३० सालों से उसकी तुलना की जाय तो उसका एहसास इन नौ महीनों में हो गया है। तीस साल में विद्यार्थियों के ऊपर किस प्रकार निर्मम प्रहार नहीं हुआ। जिस विद्यार्थी के दिल और दिमाग में रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने की कल्पना जगाकर आपने कुर्सी संभाली वह निराशा में परिवर्तित हो गई है। जिन अध्यापकों से आपने काम लेकर सत्ता संभाली थी उनको इन १० महीनों में आपने जेलों में बंद कर दिया है। लाठी चार्ज किया आखिर क्या कारण है?

हमने उन अध्यापकों के ऊपर राष्ट्रीय जिम्मेदारी डाली थी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाय। वह केवल देश का कार्यक्रम नहीं था बल्कि विश्व का कार्यक्रम था। दुनिया के तमाम मुल्क जहां जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था सब ने बैठकर समझौता किया था कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाय। हमने उनके हाथों में भारत के निर्माण का काम सौंपा था। चाहे वह डाक्टर हो या अध्यापक हो उस शिक्षित वर्ग पर यह जिम्मेदारी सौंपी थी। जिसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर की और जनता पार्टी के साथ हिमायत की थी। आज उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। आज २० हजार अध्यापक जेलों में बंद कर दिये गये। उनकी मांगें जायज थीं उन पर विचार किया जाना चाहिये था। जनता सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिये था। जिस शिक्षा को बड़ी मेहनत के बाद समवर्ती सूची में डाला था उसको आपने राज्य सूची में डाल दिया। उनकी जो दूसरी मांगें थीं उनके साथ उस बारे में बैठकर विचार विमर्श करना चाहिये था।

कानून और व्यवस्था के बारे में मैं क्या कहूं। अभी हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानित सदस्य बता रहे थे इसी राजधानी के नीचे क्या हो रहा है। यह बड़ी शर्मनाक बात है। इस पर आपको ठंडे दिल और दिमाग से सोचना चाहिये। आपकी कानून और व्यवस्था की स्थिति आज चरमरा रही है। प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। जिस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपने यह जिम्मेदारी डाली है वह भी इससे डर रही है। यह आप नहीं कह सकते कि सारी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की ही है। यह कहकर आप बच नहीं सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

समय समाप्त।

श्री अरुण कुमार---

यह जिम्मेदारी आपकी है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से नियंत्रित होती है। आज सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी सशंकित है वह इस विवेकशून्य एवं दिशाहीन सरकार

से परेशान है क्योंकि सरकार बदले की भावना से प्रेरित होकर काम कर रही है। इसलिए सारे प्रदेश का शासन बिगड़ता जा रहा है। इन शब्दों के साथ में जो मदें इस बजट म आई हैं उनका विरोध करता हूं तथा जो बजट उपयोगी हैं, उनको तत्काल प्रयोग में लाया जाय।

एक चीज मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। सिंचाई व्यवस्था में जरूर सुधार होना चाहिये। मेरे क्षेत्र के सारे ट्यूबवेल खराब हैं। मान्यवर, जिस जनपद से यानी जौनपुर से मैं आता हूं वहां सड़कों की हालत खराब है वहां पर सड़कों की व्यवस्था कराई जाय तथा उनकी तरफ अवश्य ध्यान दिया जाय। मछलीशहर से जंघई जाने वाली जो सड़क है उसको ठीक किया जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा लाए गए बजट के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। बजट में गांवों के ८५ प्रतिशत जनसंख्या वाले किसान तथा हरिजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के आर्थिक उत्थान और सुरक्षा के बारे में जो चर्चा की गई है, वह अच्छी बात है। ३० साल तक कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहते हुए, अनुसूचित जाति, हरिजन, पिछड़ी जातियों तथा किसानों को आश्वासन के जल पर, भाषण देकर, कोरे नारे के बल पर जिन्दा रखा। उन्हीं के बल पर ३० साल तक इन्होंने शासन चलाया। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उनके साथ जो पहले व्यवहार था, वे जिस स्थिति में पहले थे, वही स्थिति आज भी बनी हुई है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में, जो जनता पार्टी की नीति है हरिजनों, पिछड़ी जाति के लोगों तथा किसानों आदि के बारे में सरकार का ध्यान अपने मिर्जापुर जिले के राबर्ट्सगंज और दुद्धी तहसील की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां मेड़बन्दी हुई है, जिसमें किसानों की खूब लूट की गई है। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, किन्तु उससे भी मेड़बन्दी का ४-४ हजार रुपये की वसूली की गयी है। वह दूसरे का काम करता है, फिर भी उसके नाम पर मेड़बन्दी दिखाकर रुपया वसूला जा रहा है। जहां किसानों ने अपने खर्चे से १,०००-२,००० खर्च करके मेड़ बेना रखी है, उन पर भी विभागीय अधिकारियों ने थोड़ी सी मिट्टी डालकर, उनके नाम से तथा गरीब किसानों के नाम से २,०००-३,००० रुपये की वसूली भेजी गई है। अनेक स्थानों पर मौके पर मेड़ नहीं है, लेकिन उनकी वसूली की जा रही है। इससे किसान त्रस्त हैं। उस पर सरकार तत्काल ध्यान दे और उनके शोषण को बन्द करे।

हमारे क्षेत्र का महुवा एक खास फल है, महुवे के फल को खाकर वहां के ८५ प्रतिशत हरिजन और बनवासी अपना जीवन गुजारते हैं। इसके अलावा तेन्दू के पत्ते, फल और चकवर के पत्ते उनके खाने और जीवकोपार्जन के साधन हैं। किन्तु वहां राबर्ट्सगंज और दुद्धी के बड़े-बड़े किसान उनके साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं और महुवे का फल नहीं बीनने दे रहे हैं। उनके साथ घोर अत्याचार हो रहा है। सरकार इसको शीघ्र रोकने की व्यवस्था करे। इसके साथ ही कनहर योजना का काम जारी है, उसके अन्तर्गत ११ गांवों को उजाड़ा जा रहा है और कोटा योजना में १६ गांवों को उजाड़ा जा रहा है। इन १६ और ११ गांवों को उजाड़े जाने के बारे में मैंने मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया और मन्त्री महोदय से कहा कि कोटा और कनहर से पीड़ित किसान यहां आए हैं और मैं उनको ले जाकर मुख्य मन्त्री से कहा कि आप इन पर ध्यान दीजिए। लेकिन उन्होंने कोई विशेष नहीं की, लगता है यह कोई बड़ी बात नहीं छोटी बात है। हम जनता और किसानों की सुविधा की बात कहते हैं, किन्तु उनको सही मुआवजा नहीं मिला

[श्री ईश्वर प्रसाद]

है, उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके मकानों, खेतों का सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। वे कई बार उजाड़े गए हैं, किन्तु आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। थोड़ा बहुत मिला भी होगा लेकिन पूरा मुआवजा कभी नहीं मिला है। उनको बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तुरन्त व्यवस्था की जाय।

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मिर्जापुर जनपद की ओर वह जरा सोचें, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ और पहाड़ी इलाका है। जनपद २००-२५० किलोमीटर दूर तक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। आदमी एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसको ६-७ घंटे लगता है। वहां हमेशा अशान्ति का वातावरण बना रहता है। रेणूकूट में जो बिड़ला जी का कारखाना है, उसमें कई हजार मजदूर काम करते हैं, उनका भी बराबर शोषण पूंजीपतियों द्वारा बराबर हुआ करता है। अब वे मजदूर उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए बाध्य हैं।

कभी भी अशान्ति हो सकती है। शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए दुद्धी और राबर्टसगंज तहसील को मिला कर एक जिला अलग बनाया जाय। मिर्जापुर जनपद पहाड़ी और पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां पर किसान और मजदूर भाई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मिर्जापुर जनपद पहाड़ी पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय, जिससे वहां के वनवासियों और आदिवासियों को अच्छी तरह से सुविधा मिल सके।

हमारे यहां वर्ग ४, ५ और नजूल की जमीन की समस्या है। किसान बीसों वर्ष से जमीन को जोतते चले आ रहे हैं लेकिन सारी जमीन जंगल विभाग में दर्ज है। जंगल विभाग के कर्मचारी आज उनको डंडा मार कर भगा रहे हैं। श्रीमन्, मैं अग्रह करूंगा कि मौके की जोत के आधार पर उनके नाम सीरदारी और भूमिधरी की जाय।

बजट में हमारे क्षेत्र के लिए सड़कों की बात नहीं कही गई है। हमारे यहां ८० किलोमीटर तक लोग पैदल चल कर आते हैं। उसी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं। ८० किलोमीटर पैदल चल कर आता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ओबरा से भरहरी, अगोरी से भरहरा और म्योरपुर-बभनी तथा म्योरपुर-जरहा तक सड़कें तुरन्त बनाने की व्यवस्था की जाय।

पुल के सम्बन्ध में बजट में चर्चा नहीं की गई है। कनहर नदी और रेड़ना नदी पर पुल बनना चाहिए। कनहर पर पुल बन जाने से दो सौ किलोमीटर की दूरी कलकत्ता और दिल्ली के बीच कम हो जाती है और मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश का सीधा सम्बन्ध हो जाता है। हमने आंकड़ा जो बैठाया है, ४६ लाख रुपए की इससे सालाना बचत होगी और ६३ हजार घंटे समय की बचत होगी।

पीने के पानी की यह दुर्व्यवस्था है कि दुद्धी और रावर्टसगंज के लोग पांच-पांच मील से लाकर पानी पीते हैं। वहां के निवासी महीनों स्नान नहीं करते। पानी की वहां व्यवस्था नहीं। तुरन्त सरकार ध्यान दे, गर्मी का समय है।

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त। एक वाक्य में उपसंहार कीजिए।

श्रीमन्, कभी मौका बोलने को नहीं मिला है। मैं आपके आज्ञा से अस्पताल के बारे में कहना चाहता हूं। वहां की स्थिति यह है कि अगर किसी वनवासी औरत के बच्चा पैदा होता है, तो वह अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। २५-२५ मील तक अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाय।

स्कूल में पढ़ने बच्चे पांच-पांच किलोमीटर से जाते हैं। स्कूल बहुत कम हैं। वहां का बेसिक शिक्षा अधिकारी महा भ्रष्ट हैं। इसके बारे में मैं..

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त।

श्री ईश्वर प्रसाद--

माननीय मुख्य मन्त्री जी और शिक्षा मन्त्री जी को बता चुका हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी अगर किसी कि औरत बीमार होती है तो वह ओझाई करने चले जाते, आफिस में कभी नहीं बैठते हैं। सारे स्कूल दीक्षणांचल के अधिकतर बन्द रहते हैं। इनको तुरन्त हटाकर जांच की जाय। अन्त में मैं वित्त मन्त्री द्वारा लाया गया बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा अपने वित्त मन्त्री को बार-बार बधाई देने के लिए उत्सुक हूं कि आपने ३० वर्ष के शासन काल में ऐसा बजट नहीं बनाया गया जैसा कि इस जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। यह बजट जन हित में, गांव हित में, शहर हित में, छोटे और बड़ों के हित में तथा गरीब और अमीर के हित में बनाया गया है। अधिष्ठाता महोदय, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, अभी इस बेचारी का जन्म हुआ है और यह केवल ८ महीने की हुई है। इधर और उधर के बैठने वाले लोग चाहते हैं कि एकदम से यह सरकार भ्रष्टाचार और बईमानी को समाप्त कर दे। अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किसी काम को लाल दो साल में जानकारी हासिल होती है। जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक यह गाड़ी गाड़ी को एकदम कैसे खींचकर ले जा सकती है। इन को स्वयं देखना है कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं और कहां पर सही कर रहे हैं। इन्हीं सब लोगों से मन्त्री बनते हैं।

हमारी सरकार ने प्रोग्राम दिया कि गांव की ओर चलो। मैं कहता हूं कि किसान के खेत में ईख खड़ी है और अगर वह जल गई तो यह सरकार भी बाहर हो जावेगी। अगर किसान समृद्धिशाली बनेगा तो यह सरकार भी समृद्धिशाली बनेगी। अब तक बापू जी का नाम लिया जाता था, लेकिन यह उनको बेचकर खा गए। मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी हैं उनसे भाई बन्दी से काम लेना चाहिए उन पर रोब गांठ कर काम नहीं लेना चाहिए। आप तो ५ साल के हो और वह तो ५८ साल के हैं। मैं कहता हूं कि बगैर बंटवारे के काम नहीं चल सकता है। जब तक इस प्रदेश का बंटवारा नहीं होगा कोई काम नहीं चलेगा जमींने इतनी पड़ी हैं लेकिन गरीब किसानों को मिलती नहीं हैं। यहां पर आज एक भी मन्त्री किसी की बात को सुनने वाला नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी सिंह—]

पूर्वी जिलों में जितनी भी जमीन पड़ी हुई है उसे हरिजनों को दी जानी चाहिए । उनको ट्रेक्टर और बैल देकर सहायता करना चाहिए जिससे वे जमीन में अच्छी उपज कर सकें । अच्छा उत्पादन होगा तो देश का विकास होगा और लोगो को रोजगार मिलेगा । बड़ी–बड़ी मिले खुलवा दिया । गरीब की हैसियत नहीं कि वह पतलून और टाई बांधे । आज जुल्म हो रहा है हरिजनों पर । जो जुल्म आज हो रहा है उतना जुल्म मैंने कभी भी नहीं देखा, मैं इस सदन का पहले ली सदस्य रहा हूं, लेकिन आज का जैसा जुल्म कभी देखने को नहीं मिला.....।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज जितने भी गजेटेड आफिसर्स हैं, हरिजन लोग, वे सारे के सारे दुखी और पीड़ित हैं । उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है टीचर्स ने तो गलती की थी लेकिन उनकी तो कोई गलती नहीं थी क्योंकि लड़कों को, टीचर्स को, हमने भड़काया था । मिलों के मजदूरों को हमने भड़काया था । ३० वर्षों के बाद जब हमारा शासन आया तो हमने देखा कि उन्होंने हड़ताल की । मेरा तो कहना यह है कि मास्टरों की तन्ख्वाह तो दो, लेकिन नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल प्रोपोगैन्डा ही करते हैं कि हम गरीबों के हित में कार्य कर रहे हैं । (श्री रियासत हुसैन की ओर इशारा करते हुए) आप लाल टोपी पहने पहले इधर चिल्लाते थे अब उधर से चिल्लाने लगे हो । हमारी जनता पार्टी अब कहती है कि "चलो गांवों की ओर ।" लेकिन मैं देखता हूं कि सिवाय लूट खसोट के और गांवों में झगड़े कराने के आप कुछ नहीं कर पाते हैं । मेरी चेतावनी है कि जनता पार्टी को सचेत हो जाना चाहिए और हरिजनों की समस्या को, पिछड़े समाज की समस्या को, खेतिहर मजदूरों और किसानों की समस्या को हमारी सरकार को हल करना चाहिए । आपको गांव–गांव में छोटे उद्योग लगाने चाहिए जिससे वहां की बेरोजगारी दूर हो सके । केवल वहां पर कुछ कहने से काम नहीं चलेगा । आपको काम करके दिखाना होगा, यदि नहीं तो यह सरकार भी वैसे ही चली जाएगी जैसे कांग्रेस की सरकार चली गई ।

श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठता महोदय, मान्यवर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बजट के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया । साथ ही साथ मैं अपने वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का भी समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, जनता पार्टी द्वारा जो यह बजट पेश किया गया है, इसमें कहा गया है कि "चलो गांव की ओर" । इसका सीधे–सीधे मतलब यह है कि ३० वर्षों के दौरान कांग्रेस शासन के जमाने में जो गांवों का विकास नहीं हुआ है, उसकी ओर सरकार ने अपना ध्यान पूरी तरह से आकर्षित किया है । मान्यवर, बजट में ७८६ करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था की है और उसमें से ३६० करोड़ रुपया देहातों के विकास के लिए खर्च करने की व्यवस्था की गई है । इस प्रकार से अगर हम देखें तो साफ जाहिर होता है कि इसमें जो धनराशि रखी गई है उसमें से आधी से ज्यादा देहात की तरक्की पर लगाया जायगा । आज हमारा शासन गांव की बहबूदी और तरक्की करना चाहता है । कांग्रेस के ३० साल के प्रशासन में उत्तर प्रदेश बराबर पिछड़ा रहा है । उसके कुछ खास कारण रहे हैं । सर्व प्रथम तो यह है जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ही प्रधान मन्त्री होता रहा है केवल १८ महीने को छोड़कर

जब कि बाप और बेटी की सरकार रही। वह दूसरे प्रदेशों की तरफ ही देखती रही ताकि वहां के लोग कह सकें कि वास्तव में प्रधान मन्त्री कुछ कर रही हैं। हरियाणा और पंजाब की ओर आप दृष्टि ले जायें तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले में पंजाब और हरियाणा की ज्यादा तरक्की हुई है। ३० वर्षों की कांग्रेस सरकार के समय में सरकार की नीयत और नीति में काफी अन्तर रहा है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्य-वाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि दूसरा कारण पिछड़ा होने का हमारे प्रदेश का यह भी था कि हमारी जो कांग्रेसी सरकार थी उसकी नियत और नीति में अन्तर था। जिस देश की प्रधान मन्त्री और उसकी सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं होगी, वह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। पिछले कांग्रेसी शासन की नीति, देशहीन, दिशाहीन व उदार वृद्धि की थी इसी कारण से हमारा देश पिछड़ा रहा है। सौभाग्य की बात यह है कि वक्त का तकाजा हुआ और हमारी जनता सरकार बनी। हमारी सरकार का यह प्रयत्न है कि हमारा प्रदेश तरक्की करे। हमारी ८६ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, जब तक उसकी तरक्की नहीं होगी, तब तक हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए जनता सरकार ने सर्वप्रथम गांव की तरक्की के लिए ध्यान दिया है। इस सरकार ने जो दो मुख्य कार्य किए है, वह आपके सामने है। सबसे पहला काम नशाबन्दी है। महात्मा गांधी ने इस नशाबन्दी को लेकर काम किया। कांग्रेस की नीति और नीयत साफ नहीं थी, इसलिए उसके काल में नशाबन्दी हो नहीं पाई। लेकिन जनता सरकार अपनी नीति और नीयत में बिलकुल साफ है। जो उसने वादा किया था कि चार चरणों में नशाबन्दी खत्म करेंगे उसी के तहत उसने इस काम को शुरू कर दिया है।

श्री गुलाब सेहरा--

अधिष्ठाता महोदय, कोरम फिर पूरा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सत्ता पक्ष की विशेष जिम्मेदारी है कि सदन में कोरम पूरा कराए, वरना अगर यही स्थिति रहेगी, तो सदन स्थगित करना पड़ेगा। जितने सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं, वह कोरम पूरा कराएं।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं नशाबन्दी के सम्बन्ध में बोल रहा था। तो मेरे कहने का का मतलब यह है कि गांधी जी का जो स्वप्ना था उसे जनता सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है और पूरा करेगी जैसी कि उम्मीद है। आज कल यह विशेषकर चर्चा का विषय बना हुआ है--बेकवर्ड क्लास का आरक्षण।

इस सम्बन्ध में इस तरह की बातें सदन में कही गई। कुछ लोग पक्ष में बोले, कुछ विपक्ष में बोले और बहुत लोग ऐसे हैं जो स्वर्गीय डाक्टर

[श्री प्रदीप कुमार यादव---]

लोहिया की दुहाई देते हैं । मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर डा० लोहिया की बातें पढ़ी होंगी तो उन्होंने कहा था कि जब तक पिछड़े लोगों को विशेष अवसर नहीं दिया जायगा देश और प्रदेश विकास नहीं कर सकता और हमारे संविधान में भी व्यवस्था है कि पिछड़ों का विशेष अवसर दिया जाय और विशेष ध्यान दिया जाय । मैं कहना चाहता हूं कि वही चीज आज भी चल रही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगलना चाहती है । आज वही लोग केवल १५ फीसदी आरक्षण की बात को सुन करके विह्वल हो रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आरक्षण का काम हमारी सरकार ने किया है यह हमारी जनता पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र था उसमें इस चीज को दिया गया था कि आरक्षण किया जायगा । तो जो लोग इसका विरोध करते हैं मैं समझ नही पाता हूं कि विरोध किस लिए करते हैं ।

अब मैं मान्यवर, सरकार का ध्यान बाराबंकी जिले की ओर दिलाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश सरकार के करीब होने के नाते वह जिला पिछड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन पिछड़ापन हमारे जिले में बहुत है यद्यपि वह सरकार के करीब है । जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है हमारे यहां एक लड़कियों का हाई स्कूल है एक डिग्री कालेज है और लड़कों का हाई स्कूल है । इसके अलावा कोई सरकारी हाई स्कूल नहीं है । मान्यवर, हमारे जिले में ७ टाउन एरिया, एक नोटिफाइड एरिया एक म्युनिसिपल बोर्ड है । आप देखें कि जो शिक्षा की व्यवस्था है इसको देखते हुए वहां की जन संख्या को देखते हुए यह नाकाफी है । हमारा क्षेत्र रुदौली है । रुदौली नोटिफाइड एरिया है, लेकिन एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर लड़कियों के स्कूल की व्यवस्था की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

थोड़ा समय और दिया जाय । बाराबंकी में जो लड़कियों का स्कूल है और लड़कों का स्कूल है उनमें दोहरी पाली की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लड़कियों का जो सरकारी इंटरमीडिएट स्कूल चल रहा है उसमें कोई इमारत अपनी यानी सरकार की नहीं है । किराये पर बिल्डिंग है और इसके अलावा बरसात में बराबर चूती है । इससे लड़कियों की पढ़ाई मे बड़ा व्यवधान पड़ता है । इस शिक्षा व्यवस्था में बहुत जल्दी सुधार करें ताकि बच्चों को ठीक से शिक्षा का प्रबन्ध हो सके ।

जहां तक सड़कों का ताल्लुक है, जैसा मैंने कहा बाराबंकी जिला बहुत से मानों में पिछड़ा हुआ है । हमारे क्षेत्र में जो रेंज घाट तक पक्की सड़क बननी है, साथ ही वह सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, राय बरेली इन कई जिलों को जोड़ती है उस पर पुख्ता पुल की व्यवस्था नितांत आवश्यक है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप लिख कर दे देंगे शासन को ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

बस दो मिनट । हमारे यहां प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में ५० फीसदी ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर बच्चों के बैठने के लिए कोई इन्तजाम नहीं है, बिलकुल नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त । .....(व्यवधान)

बोलने वालों की ही कमी है। आप शान्त रहें । विरोधी पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है । स० को समय मिलेगा ।

***श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—**

हुजूर वाला, आपने बोलने की इजाजत दी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया । पहले तो उस नारे के मुतालिक बतला दूं जो लगा था "किसानों की ओर से उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम" । अब लगा है जे० पी० की तरफ से कि "गांव की ओर चलो ।" अब मैं बतलाना चाहता हूं कि हम कितना चलना चाहते हैं । पहले इस बजट का समर्थन कर दूं, क्योंकि यह पहले जरूरी है । तो ६५ फीसदी किसान गांव में रहते हैं । जी नोट गया है प्लानिंग में उसके मुताबिक ३३ फीसदी के पास जमीन या रहने की झोंपड़ी नहीं है । उनके लिए क्या कर रहे हैं ? यह आपका "उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम ।" दूसरे आपके किसानों की ओर बढ़ते कदम यह हैं कि १९७७ में जो साढ़े पांच रुपया मजदूर की मजदूरी थी वह घट कर ३ रुपया रह गई है । रामगंगा सिंचाई की योजना हो, गोरखपुर या मिर्जापुर या टेहरी की योजनाएं हों इन सब योजनाओं से प्रतिभारित कर्मचारियों की संख्या ७७ हजार से साढ़े तेरह हजार रह गई है, यह हैं उत्तर प्रदेश के तरक्की के कदम । मस्टर रोल में मजदूरी ६ रुपये से घट कर साढ़े चार रुपया रह गई, यह हैं उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम । अब जरा किसानों की ओर बढ़ें तो गन्ना जो १३ रुपया बिक रहा था वह आज ४ रुपया क्वींटल बिक रहा है और आराम से बिक रहा है । यहां पर झूठे भाषण हो जाते हैं कि ९ रुपये के दाम मिल रहे हैं और उसके बाद में भी वह सेंट्रल इक्साइज कमिश्नर कहते हैं कि मुझको १६ हजार रुपया महीना अधिकारियों को बांटना पड़ता है । अगर मैं इतना न लूं तो कहां से लूं, ऊपर वाले लेते नहीं । हाई कमांड का ऊपर से कोई आदेश अब तक नहीं हुआ । बीच सीजन में कैसे हटा देंगे । यह खून चूसने का नया तरीका है । यह है उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम ।

इसके अलावा ऐलान किया जाता है कि सड़कें बनाओ । कुल सब जोड़ी जांय तो कितनी सड़कें बनी है, कौन-कौन बनी है, कैसी-कैसी बनी हैं ? तो जितनी बनी पड़ी थीं पिछले साल से तो इस साल का "कोरम" पूरा करने के लिए उन अधुरी सड़कों को भी जोड़ लिया जिन पर १७ फीसदी से ज्यादा पहले काम किया गया था । यह है उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम । आबपाशी के अन्दर लोग कहते हैं कि पैसा नहीं मिलता । सिंचाई विभाग में लगभग ९० लाख, १ करोड़ के करीब रुपये को वापस कर दिया । यह हैं किसानों की ओर उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम । पिछले साल से इस साल १ लाख ६३ हजार रुपया तावान ज्यादा पड़ा निर्माण विभाग में ऐसा अच्छो एडमिनिस्ट्रेशन चला उत्तर प्रदेश का । निर्माण मंत्री का दौरा देखिये, दौरों का हिसाब लगाया जाय तो निर्माण मन्त्री के ऊपर इस साल २६ हजार और ज्यादा खर्चा हुआ दौरों पर । यह हैं उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुकीमुर्रहमान---]

जाते हैं कहीं और मुहर लगा दी उलटी और उलटे पेज पर दस्तखत कर दिये । ये हैं बढ़ते कदम । प्लानिंग क्या होगी ? सड़क किसको कहते हैं, यह भी उनको पता नहीं । रात दिन कहा जाता है कि अधिकारी काम नहीं करते । अधिकारियों को इतना ज्यादा तेल लगाकर मशीन में फिट कर दिया है कि वह घबरा उठे हैं कि इन्दिरा का ३० साला राज्य खत्म हो गया, पता नहीं जनता राज किस दिन खत्म हो जाय और हमारे लिए भी कोई शाह आयोग बैठ जाय तो हमारा क्या होगा । रुपया वापस होने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट से नीचे से, अन्दर से काम नहीं हो पाता और अधिकारियों को परेशानी होती है । इसलिए रुपया वापस हो जाता है और काम पड़ा रहा जाता है मैं कहता हूं कि अब की बार उसके खर्च होने का दूसरा ही रूप होगा । आखिर हर चीज की कोई इन्तिहा होती है । ३० साल के मुसलसल कांग्रसी शासन के खत्म होने के बाद हम देखते है आज यह लोग भी उसा तरह अइयाशी में बैठे हुए हैं । यहां कोरम नहीं होता है । मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने नो डनलप के गद्दे लगवाये थे क्या आपने उनको निकाल फेंका है ? क्या जो अइयाशी उन लोगों ने की उसको आपने दूर रखा है ? पहले तो मन्त्री महीने में दो तीन दिन ही दौरा किया करते थे, आज तो मन्त्री महीने में २७ दिन दौरा करते हैं, जब तीन दिन ही यहां रहते हैं तो हम किस वक्त जाये उनके पास । किस तरह से काम होगा । क्या यही हैं किसानों की ओर सरकार के बढ़ते कदम ?

किसानों की ओर बढ़ते कदम का दूसरा नमूना देखिये सहकारिता विभाग का । कोआपरेटिव सोसाइटी के एक कर्मचारी को आप देते हैं १६० रुपये वेतन, उसके तीन लड़के यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पा रहे हैं, ४०० रुपये महीने का उनका खर्च है, आप जरा बतायें तो वह बेचारा कर्मचारी कैसे ईमानदारी से काम करेगा । सन् १९७० में कोई पैदा हुआ और सन् १९७२ में ही उसके नाम से कर्जा दिखा दिया गया । या सन् १९७२ में पैदा हुआ, सन् १९७० में ही उसके नाम से कर्जा चढ़ा है । इसी तरह के तमाम फर्जी नामों से कर्जे चढ़ा दिये गये हैं और जिन्होंने कर्जा लिया भी नहीं है उनसे जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है । गरीब परेशान है । कोई सुनने वाला उसकी नहीं है । हमारे जो कोआपरेटिव के मिनिस्टर बने हैं उनको तो यह सब देखने की फुरसत ही नहीं है । मैं कहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर मसला है, इस मामले में एक मीटिंग बुलाकर यह तय करना होगा कि आखिर काम कराने का कौन सा तरीका होगा.....

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

अभी तो दो मिनट ही बोला हूं । श्रीमन्, पी० डब्लू० डी०, इरीगेशन, एल०ए०जी०डी०, कोआपरेटिव, ब्लाक डेवलपमेंट विभाग आदि विभागों में छंटनी किये गये मजदूरों का अगर टोटल कर दिया जाये तो यह करीब १ लाख ३३ हजार ६५ आता है । इतने मजदूरों की सेवायें खत्म कर दी गयीं हैं जब से यह सरकार आई है, यह है इस सरकार के बढ़ते कदम ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें । (लाल बत्ती जलन पर ।)

श्री मुकीमुर्रहमान—

मैं लाल बत्ती वगैरह से बैठने वाला नहीं हूं। पता चला है कि सिंचाई विभाग द्वारा टिहरी गढ़वाल में एक सुरंग खुदेगी, आप के आर्डर से तमाम मजदूरों को हटा दिया गया। ३०० कर्मचारी जो कार्य प्रभारित कर्मचारी थे उनके पेस्केल को आपने बदल दिया, मजदूरों को बजाये बढ़ाने के आपने कम कर दिये, आप डिपार्टमेंट द्वारा काम करवाते तो हजारों मजदूर लगाये जा सकते थे, उनको काम मिलता। पहले डिपार्टमेंट जब काम करवाता था तो ४/१ का मसाला लगता था, ठेकेदार ६/१ का लगाता था, अब क्या हो रहा है, १२/१ का मसाला लग रहा है और सारा सामान बेच कर अधिकारियों के यहां चला जा रहा है। यह है बढ़ता कदम।

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय निर्माण मन्त्री, माननीय सिंचाई मन्त्री और माननीय जल निगम मन्त्री, तीनों बैठ कर इन मसलों पर सोच और विचार करें यदि वे सही तरीके से अपना नाम पैदा करना चाहते हैं। इन मंत्रियों की, या अन्य मंत्रियों की ईमानदारी में मुझे कतई शक नहीं है, मगर जो कुछ हो रहा है उसे तो देखें। अगर इन चीजों को ठीक नहीं किया जाता तो फिर बहुत बुरी स्थिति पैदा होगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंटल वर्क जब तक ५०-६० परसेंट नहीं होगा दूसरा कोई तरीका होगा नहीं काम होने का।

श्री अधिष्ठाता—

आपका टाइम समाप्त हो गया है।

श्री मुकीमुर्रहमान—

जहां तक इस बजट का सवाल है इसका तो हम खैर मकदम करते हैं, इसका स्वागत करते हैं यह तो पास करेंगे ही, लेकिन जो बातें मैंने कही हैं उन पर माननीय मन्त्री जी गौर करें। हमारे यहां पीलो डैम और तुमरिया डैम से पानी आता है। वहां गेहूं की फसल खड़ी है लेकिन अधिकारी कहते हैं कि हमने पानी दिया है जबकि पानी नहीं दिया गया है। वहां अधिकारियों ने आबपासी लगा रखा है। इसलिए आबपासी समाप्त की जानी चाहिये। किसान इसे हमको गाली देता है जो कि ठीक नहीं हैं।

मान्यवर, मिनिस्टर के लिये २०-२० गाड़ियां लेने के लिए खड़ी रहती हैं लेकिन एक विधायक को एक सिपाही भी नहीं पूछता है। इसलिए कम से कम हर एक विधायक को और न कुछ सही तो एक टेलीफोन देना चाहिये। ३० साल में विधायकों के काम चुटकियों से होते थे लेकिन आज नहीं होते हैं। ४० मिनिस्टरों ने मिलकर एम० एल० ए० का खून चूस लिया है। इसलिए जब तक यहां मिनिस्ट्री में चेन्ज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जबतक इनके पेट में जुल्लाब नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।

मान्यवर, बजट में उर्दू का कहीं कोई नाम नहीं आया है। वोट लेते समय माइनारटी का ध्यान रखा जायेगा कहा जाता था लेकिन आज कुछ नहीं किया गया। एक भाषण में मंत्री ने कहा था कि १० प्रतिशत उर्दू पढ़ने वाले हैं जबकि मेरा कहना है कि इससे ज्यादा है। यहां के पुराने आदमी, पंजाबी सभी उर्दू जानते हैं। इसलिए उर्दू के साथ न्याय होना चाहिये और दरख्वास्त देने का काम, उर्दू बोलने वालों को नौकरी मिलने का काम होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया इसलिए आप बैठ जायं ।

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जबसे जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से स्कीमें जनता के हित की बनी हैं लेकिन उनके लागू होने में कठिनाई जरूर पैदा हुई है। वह कठिनाई बड़े-बड़े अधिकारी और सरकारी मशीनरी के उदासीनता से है जिसे वे लागू नहीं होने देते । मान्यवर, सड़कें जो टेस्ट वर्क के अन्तर्गत बनी हैं, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी कह रहे थे कि हमारे सामने, उनकी शिकायतें नहीं आई हैं कि सड़कें ठेकेदारी प्रथा पर बनी हैं लेकिन जिला अधिकारी और बी० डी० ओ० को लिख कर दिया गया है कि जो भी काम हुआ वह ठेकेदारी प्रथा से हुआ चाहे वह ग्रामीण अभियंत्रण योजना से हुआ या पी० डब्लू० डी० से हुआ । लेकिन मजदूरी लोगों को पूरी नहीं मिली । पूरा क्षेत्र जानता है । मुख्य मन्त्री, पी० डब्लू० डी० के मंत्री और विकास मंत्री जानते हैं कि जिनको भूख से बचाने के लिए टेस्ट वर्क खोले गये वहां काम करने वालों को तीन-तीन महीने से मजदूरी नहीं मिली । उन मंत्रियों को जवाब देना चाहिये, मैं तो कहूंगा इस्तीफा देना चाहिये । हर सुविधा सरकार के पास है । वायरलेस है, बड़े-बड़े अधिकारी हैं लेकिन लोगों को तीन महीने मजदूरी नहीं मिली । ठेकेदारों ने कुछ पैसा बांट दिया । लेकिन जो बाकी है उसके लिए वह बेचारा मजदूर इधर-उधर घूमता फिरे और जहां तीन-चार महीने इसी तरह गुजर गए तो वह बेचारा रो कर घर बैठ रहेगा । यह शासन गांव को अंधेरे चल रहा है । मंत्रिगण दौरा करते हैं । लेकिन एक जगह भी नहीं देखते कि विधायकों के कितने पत्र आये और क्या कार्यवाही हुई । मैंने अकेले करीब २०० दरखास्तें कोआपरेटिव लोन की वसूली के बारे में भेजी लेकिन एक भी जांच नहीं हुई और लिख दिया गया कि वे निराधार हैं, बेबुनियाद हैं । काश्तकार बेचारा रोता रह गया और वसूली हो गई । जनता सरकार बनी तो लोगों को आशा थी कि कुछ न्याय मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ । कारण यह है कि हजारों दरख्वास्तें आती हैं । मंत्रियों के यहां भीड़, दफ्तर में भीड़, क्षेत्र में भीड़ । इतनी ज्यादा दरखास्तों को कैसे निपटायें । इनको कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिये था जिससे उन दरख्वास्तों का निपटारा हो सके ।

शांति व्यवस्था करना प्रदेश में सबसे बड़ा काम है लेकिन हम देखते हैं कि शांन्ति व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है । बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील का रहने वाला हूं । नेपाल से लगा हुआ इलाका है । एक गांव नीबी है जहां एक रात में ६ डकैतियां पड़ी । रिपोर्ट लिखाने के लिये गये तो एक भी रिपोर्ट डकैती की नहीं लिखी गयी, सब चोरी की लिखी गयी । इस पर यहां बयान दिया जाता है जरायम घटा है । होता यह है कि अधिकारी बैठे रहते हैं और दौरा नहीं करते । इसी तरह से कहा गया कि सुरक्षा समिति बनेगी लेकिन वह भी कहीं नहीं बनी हैं । इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई । मुख्य मंत्री जी और दूसरे मंत्रिगण बैठें और खोज करें कि सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाय । एक ओर दक्षिण पंथी कांग्रेसी और दूसरी कम्यूनिस्ट चोरी, डकैती, कत्ल करा कर शासन को बदनाम कर रहे हैं । कांग्रेस के जमाने में हमारे साथ सी० आई० डी० लगायी जाती थी कि हम कहां खाते हैं, कहां जाते हैं । क्या करते हैं कब सोते हैं आज इंन्दिरा गांधी और इन कम्यूनिस्टों के पीछे सी०आई०डी० लगायी जानी चाहिये जो कि देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं । जब मुख्य मंत्री जी

बस्ती के दौरे में थे तो मैंने उनसे कहा भी था। कम्युनिस्ट जो चीन और रूस में आस्था रखते हैं वह नेपाल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। शासन में यह लोग अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं।

मान्यवर, नौगढ़ जिला मुख्यालय से ५२ मील की दूरी पर है। वहां पर कम्युनिस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। वे हड़ताल करा रहे हैं। चोरी डकैती करा रहे हैं। लेकिन सी०आई०डी० ने उन पर कोई कड़ी नजर नहीं रखा। इसलिए इन कांग्रेस (आई) और कम्युनिस्टों को और शासन का पूरा ध्यान जाना चाहिये। जब तक शासन इन विरोधी और अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी नहीं रखेंगी, तब तक शांति व्यवस्था नहीं पैदा हो सकती है।

दूसरी बात यह कि मान्यवर, पीने के पानी की व्यवस्था की घोषणा की गई है कि चार हजार की आबादी पर ट्यूबवेल लगेंगे। हमारे यहां मोरतगढ़ और बढ़नी बाजार में पेय जल के लिए २ ट्यूबवेल ८ लाख के पास हुये हैं। मार्च बीत गया लेकिन ऋण पत्र पर हस्ताक्षर होकर शासन को नहीं आया कि ऋण मन्जूर होकर ट्यूबवेल लगना प्रारम्भ हो जाता। एक साल बीत गया। सम्बन्धित जिले के अधिकारियों ने हस्ताक्षर करके नहीं भेजा। हमने मालवीय जी से फोन करवाया। खाद्यमंत्री जी से कहलवाया। लेकिन वे ट्यूबवेल उस टाउन एरिया को नहीं दे सके। यह अधिकारियों सरकारी मशीनरी से काम करने का तरीका है। इस तरह से सरकारी मशीनरी काम करेगी और कागजी रोड़े अटकायेगी तो कैसे शासन चल सकता है ?

इसी तरह से ५० ट्यूबवेल बस्ती के लिये दिये गये। २० ट्यूबवेल जनरली सभी एम०एल०एज को दिये गये। ३० ट्यूबवेल बानगंगा बखिरा हैंसर, जो सिंचित क्षेत्र अंचित हो गया, उनके किये आर्डर शासन ने किया था और फिर जो उप सिंचाई मंत्री जी के इशारे पर अन्य क्षेत्र में लग गये और बानगंगा क्षेत्र में नहीं लगे। केवल एक ट्यूबवेल हमारे क्षेत्र में लगा। इन ३० में से १५ हमारे हिस्से में आता था। लेकिन चूंकि उप सिंचाई मंत्री जी मुझसे नाराज हैं क्योंकि पार्टी मीटिंग में मैंने एक आर० डी० सिंह इन्जीनियर के मामले को लेकर विरोध किया था। मान्यवर, ये आर० डी० सिंह, उप सिंचाई मंत्री जी के गांव के हैं। इनका स्थानान्तरण दूसरे जिले में हो गया था जिसको शासन ने रोक दिया था। मान्यवर, १० बार उनका ट्रान्सफर रुका था। मैंने पार्टी मीटिंग में इस बात को उछाल दिया था कि कांग्रेस के जमाने में १० हजार लिया जाता था ट्रान्सफर के मामले में और इस समय ५ हजार लिया गया--अब वह चाहे मंत्री ने लिया हो या संत्री ने लिया हो। उस समय तो उस इन्जीनियर का स्थानान्तरण कर दिया गया लेकिन तब से माननीय उप सिंचाई मंत्री जी मुझसे नाराज चल रहे हैं। तो इस तरह से ईर्षावाद एवं क्षेत्रवाद के हिसाब से काम किया जायेगा तो कैसे शासन चल पावेगा। इस तरह से किया जायेगा तो इस शासन की वही दशा होगी जो उधर के लोगों की हुयी है। अतः निवेदन है कि शासन को ठीक ढंग से चलाया जाय।

श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपने बजट में गांव के विकास की योजनायें रखी हैं, वे प्रशंसनीय हैं। लेकिन आपने बजट के भारी घाटे को पूरा करने के लिये जो करों का प्रस्ताव उन्होंने किया है, किसी भी हालत में उस करके प्रस्ताव को अच्छा नहीं कहा जा सकता।

[श्री अवधेश नरायन—]

मान्यवर, डीजल पर बिक्री-कर ८ प्रतिशत से बढ़ाकर १२ प्रतिशत कर दिया गया है । डीजल पर बिक्री-कर बढ़ाने का मतलब है डीजल के दाम बढ़ेंगे । डीजल के दाम बढ़ेंगे तो किसान का ट्रैक्टर और पम्पिंग सेट प्रभावित होगा । बस पर चलने वाले यात्रियों को ज्यादा पैसा देना होगा । ट्रक के माल की ढुलाई बढ़ेगी और उपभोक्ता सामग्री ज्यादा दामों पर इस प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध होगी ।

इसी तरह से सिनेमा में इण्टरटेनमेंट टैक्स की वृद्धि में जो तरीका अपनाया गया है, उससे जो ऊंचे दर्जे में सिनेमा देखने वाले होंगे, उनके टिकट का दाम घट जायेगा और जो रिक्शा-पुलर और नीचे दर्जे में देखते हैं, उनके टिकट का दाम अधिक हो जायेगा । किसी भी हालत में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता । मान्यवर, मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश के बजट में कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था जरूर प्रस्तुत करें जिससे जो आम आदमी पर बोझ बढ़ा है, वह घट सके ।

मान्यवर, क्षेत्रीय असुन्तलन का हटवाना नियोजन विकास की मन्शा होती है। मुझे भारी निराशा हुई इस बजट को देखकर कि प्रदेश के पिछड़े अंचल के लिए कोई भी विकास की विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है । जो पहाड़ी इलाके हैं उन पर जो आवंटित धनराशि है वह घटाई गयी तथा जो दूसरे इलाके हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड है, इन पिछड़े इलाकों के विकास के लिए कोई व्यवस्था विशेष योजना प्रस्तुत नहीं की गयी है । मैं कहना चाहता हूं अभी पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में माननीय राज्य नियोजन मंत्री जी ने जवाब में कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पटेल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनको लागू कर दिया गया है । मुझे लगता है कि न तो माननीय मंत्री जी ने पटेल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी और न यह जानकारी उन्होंने हासिल की कि उस रिपोर्ट के तहत कौन-कौन से काम हो रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि पटेल कमीशन की रिपोर्ट में पहली बात यह कही गयी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है जो बुनियादी ढांचा है जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता । उसमें सड़क की बात कही गयी है, बिजली की बात कही गयी है ।

मैं केवल अपने जिले की बात कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि बाम्बे प्लान के अनुसार गाजीपुर में ७३२ किलोमीटर सड़क की आवश्यकता है लेकिन जो उपलब्ध सड़कें कच्ची और पक्की मिला कर हैं वह ४९६ किलोमीटर ही हैं । आज भी कमी वहां पर २३६ किलोमीटर की है । पटेल कमीशन की सिफारिशें लागू की गयी होतीं तो यह २३६ किलोमीटर की कमी कभी नहीं होती । इसके बाद मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि १३ सड़कें ऐसी हैं जो पक्की बन चुकी हैं लेकिन वे बेकार पड़ी हैं इसलिए कि उन सड़कों में जो छोटी-छोटी नदियां हैं उन पर पुलों का अभाव है । मुझे भारी निराशा हुई जब मैंने बजट को उलट कर देखना चाहा कि कोई भी पुल आया है कि नहीं । मान्यवर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक भी पुल उन १३ सड़कें जो बेकार पड़ी हैं उनको साकार करने के लिए इसमें प्रस्तावित नहीं हैं । यही नहीं गाजीपुर जनपद तीन ब्लाकों का हेडक्वार्टर है जखनिया, बाराचवर और कराडा, लेकिन गाजीपुर प्रधान कार्यालय से इन ब्लाकों को नहीं जोड़ा गया है । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पटेल कमीशन की सारी

सिफारिशें लागू कर दी गयी हैं और पटेल कमीशन कहता है कि जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचें का विकास नहीं होगा तब तक वहां का विकास नहीं हो सकता ।

मान्यवर, मैं आप से कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए । मुझे लगता है कि यह पढ़ने की तकलीफ नहीं करते । अशोक मेहता इनक्वायरी कमेटी बनी थी १९५७ में । उसके पेज नं० १२२ पर देखिये और पटेल कमीशन की रिपोर्ट में जो एप्रोच टु फाइव इयर प्लान का पेज है उसको देखें । साफ तौर से कहा गया है कि इतने कम समय में जितना कम समय हमको मिला है पूर्वी उत्तर प्रदेश का अध्ययन सम्भव नहीं है । इसलिए जरूरी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं के व्यापक अध्ययन के लिए, नियोजन के लिए और सुनियोजित कार्यान्वयन के लिए कोई एक ऐसा उच्च स्तरीय कमीशन बनाया जाय जो अध्ययन भी करे, जो नियोजन भी करे और कार्य-क्रम का कार्यान्वयन भी करे । आज तक इस ओर ध्यान नहीं गया । पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेचैनी बढ़ रही है । अंग्रेजों ने उपेक्षा की, कांग्रेसी शासन ने उपेक्षा की और यह आशा की जा रही थी जनता पार्टी की सरकार से कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास अब किया जायगा लेकिन बजट को देख कर हमें घोर निराशा हुई । पिछली बार मैंने कहा था प्रदेश के बंटवारे की बात लेकिन अब मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि प्रदेश इतना बड़ा है उसका ठीक से प्रशासन अथवा विकास नहीं हो सकता जब तक हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के पिछड़े अंचलों को अलग न कर दें तभी जा कर हरियाणा और पंजाब की तरह ज्यादा अच्छा विकास हो सकेगा ।

मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में प्रदेश के माध्यमिक तथा दूसरे शिक्षकों को ३० जून, ७४ से राजकीय कर्मचारियों के बराबर पेंशन देने की घोषणा की है । उन्होंने कहा है कि सी० टी०, एल० टी० प्रवक्ता वेतनमानों में सिलेक्शन ग्रेड दिया जायेगा । पिछले वर्ष जब महामहिम राज्यपाल दोनों सदनों को सम्बोधित कर रहे थे तो उन्होंने कोठारी आयोग की संस्तुतियों को लागू करने की बात की थी । मैं अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिये कि हमारा एक आन्दोलन हुआ जिसको बुरी तरह कुचला गया । मंत्री जो कहेंगे इसमें आर्थिक सवाल पैदा होता था । मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा का जो चेप्टर है । कोठारी आयोग की संस्तुति की जहां तक लागू करने की बात है प्राइमरी स्कूल खोलें, सेकन्डरी स्कूल खोलें लेकिन उनके जीवन का क्या होगा जो जीवन प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने से पहले का होता है । पूर्व प्राइमरी शिक्षा की जो बात है उसकी कोई भी व्यवस्था बजट में नहीं की गयी है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोठारी आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पूर्व प्राइमरी शिक्षा के विकास की भी व्यवस्था बजट में होनी चाहिये थी ।

एक बात की ओर और मैं सदन का ध्यान दिलाऊंगा । सदन में दो-तीन दिन पहले ओले पर चर्चा हुई । कोई वर्ष नहीं जाता जब खेतिहर किसान ओले से, पाले से, अनावृष्टि से अथवा अतिवृष्टि से मारा न जाता हो । हमने कई बार कहा कि खेती के बीमा की व्यवस्था करो; लेकिन सरकार इस पर मौन साधे हुए है । अगर सरकार को किसान की रक्षा करनी है और दैवी आपदाओं से उसकी रक्षा करनी है तो सरकार को खेती के बीमे की व्यवस्था करनी होगी ।

प्रदेश में शान्ति-व्यवस्था भी बहुत खराब है । कोई दिन ऐसा नहीं जाता गाजीपुर में जब एक न एक डकैती अथवा कत्ल न होता हो । शान्ति-व्यवस्था

[श्री अवधेश नरायन---]

की गिरती हुई स्थिति को संभालने के लिये सरकार को अधिक सतर्क होकर काम करना होगा वरना यह स्थिति उसके लिये बहुत नुकसानदेह साबित होगी । मैं आभारी हूं आपने बोलने का अवसर दिया ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

कोरम नहीं है । मैं निवेदन करूंगा सत्ता पक्ष से सदन चलाने में अगर उसे रुचि है तो कोरम को बनाये रखने का उसका दायित्व है ।

श्री अधिष्ठाता---

नियमों में साफ है कि सत्ता पक्ष की विशेष जिम्मेदारी है जो मैं बार-बार कह चुका हूं, परन्तु आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी कोरम में मदद करें ।

[कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।]

डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने बजट भाषण के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया । बजट को देखते हुये सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि वह प्रदेश के हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों का भला करना चाहती है । जितनी भी योजनायें हैं, चाहे वह सिंचाई की हों या निर्माण विभाग की हों, सब जगह सरकार की यह मंशा है कि प्रदेश का चौमुखी विकास हो । अभी मंडी समितियों की ओर से हमारे बुंदेलखंड में जो सड़कें बनी हैं या बन रही हैं और जब से वह बननी शुरू हुई थीं उससे जनता में एक अजीब सी लहर आयी थी । जिस प्रकार जब एक फिल्म बनती है तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि आया वह फिल्म बाक्स आफिस में सफल होगी या नहीं, उसी तरह से हमारी सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कार्य-पद्धति कैसी हो जैसे एक फिल्म में हास-परिहास, गम्भीरता और मारमीट होती है, जनता के सामने वह दृश्य आता रहता है, उसी तरह से हमारी सरकार का काम भी होना चाहिए ।

एक ब्लाक में सड़कें बन रही हैं, कुयें खुद रहे हैं, नहरें बन रही हैं, एक काम को लेकर सरकार को चलना चाहिए । मंत्रिगण दौरे में जायं, काम को देखें तो जनता का मनोबल भी ऊंचा होता रहता है लेकिन जब ये लोग दौरे पर क्षेत्रों में जाते हैं तो कहा जाता है कि वहां पर लिफ्ट इरीगेशन होना चाहिए, स्कूल्स खुलने चाहिए, कुयें खुदने चाहिए, नहरें बननी चाहिए । दो-चार दिन तो गरमा-गरमी रहती है लेकिन जैसे ही वे दौरे से लौटते हैं तो वे सारी योजनायें समाप्त हो जाती हैं । मान्यवर, हमारे झांसी में एक मेडिकल कालेज खोला गया किन्तु अभी तक उसे मान्यता नहीं मिली है । २५-३० छात्रों की जगह खाली है । ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहां डाक्टर नहीं हैं । वहां पर एक लेडी डाक्टर मिसेज संतोष सक्सेना हैं । उनको मेडीसिन में रीडर का पद मिलना चाहिए. . . .

श्री अधिष्ठाता---

आप नाम किसी का न लें ।

डाक्टर भगवत दयाल---

मान्यवर, नाम इसलिये लेना पड़ रहा है कि यह काफी योग्य हैं और १६ गोल्ड मेडेल मिले हैं । वह किसी से मिल नहीं सकती हैं । हरएक आदमी

जो योग्य होगा वह स्वाभिमान रखेगा । इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि योग्य आदमी को सरकार मौका दे । यह हमारे कहने का अधिकार भी है । आपातकालीन स्थिति के दौरान जितने केसेज हैं जिनको उस दौरान नौकरी से अलग किया गया था, उन्हें नौकरी पर बहाल नहीं किया गया है । उनके बच्चे अभी तड़फ रहे हैं । सरकार के पास कई ऐसे केसेज आये हैं उनको निपटाया जाना चाहिए । शिक्षा विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे तालबेहट में एक संस्कृत बाला मंडल विद्यालय है उसको ७६-७७ में कुछ अनुदान नहीं दिया गया है । वह एक अच्छी शिक्षा संस्था है निरीक्षकों ने कहा है कि वहां पर बिल्डिंग नहीं बनी है ।

मान्यवर, आप वहां पर जायें और जांच करें । बिल्डिंग बनी है परन्तु फिर भी अनुदान के रूप में उसे एक रुपया दिया जा रहा है । इस तरह से उसकी क्या तरक्की हो सकती है । संस्कृत हिन्दी की जननी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा, तो उसकी तरक्की नहीं होगी तो कैसे हिन्दी का विकास हो सकता है । सबसे बड़ी दिक्कत बुंदेलखंड में सिंचाई की है । वहां सिंचाई के साधन अवश्य होने चाहिए । ट्यूबवेल की व्यवस्था होनी चाहिए । पीने के पानी के लिये एक योजना चिरगांव में बनी थी किन्तु उसमें विलम्ब किया जा रहा है । रक्सा में जहां पर औरतों को दो-दो मील से पानी लाना पड़ता है । पानी की योजना वहां पर विचाराधीन है लेकिन वह लागू नहीं हो रही है । बबीना, बरवासागर, मोठ, चिरगांव में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है जिसकी वजह से वह शिक्षा नहीं पाती हैं । शिक्षा के अभाव में उनकी शादी भी अच्छी जगह नहीं हो पाती है । हर मां-बाप की यह इच्छा रहती है कि उनकी लड़की अच्छे घर में चली जाय । इसलिए वहां पर जूनियर हाई स्कूल और इन्टर कालेज खोल दिया जाय तो वे लड़कियां स्कूल जा सकती हैं । मान्यवर, मैं अपनी जनता सरकार से कहूंगा बालिकाओं के इन्टर कालेज बड़े-बड़े कस्बों में अवश्य होने चाहिये जहां कि लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान परिवहन की ओर दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां आपातकाल में अधिकारियों ने कई बस वालों के परमिट झूठे आरोप लगाकर पैनाल्टी लगाई हैं । एक डाक्टर सुरेश शर्मा हैं रिश्वत न देने के कारण उनके ऊपर कई चार्जेज लगा दिये, इस प्रकार कई झूठे आरोप उन पर लगा दिये गये । मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस बात को तुरन्त देखें ।

मान्यवर, हमारा क्षेत्र, बबीना झांसी जहां से मैं चुनकर आता हूं, वहां पर तीन चार सड़कें मंडी समिति ने हर ब्लाक में बनाई हैं लेकिन बाकी निर्माण का काम बन्द पड़ा है । मोंठ, भांडोर जिसमें आवागमन सबसे ज्यादा है उस सड़क को सरकार जल्दी ठीक करे, उसकी हालत बहुत खराब है । पूरी सड़क खुदी पड़ी हुई है । सड़क में गड्ढे हैं जिस कारण बसों का चलना बन्द हो गया है और यात्रियों को परेशानी हो रही है । मैं प्रार्थना करूंगा कि जो काम रुके पड़े हैं उनको पूरा किया जाय । विधायकों को अपने क्षेत्र में जो काम हो रहे हों चाहे वह सिंचाई का हो या सड़कों का हो या दूसरे काम हों उनको देखने के लिए सुविधा हो । विभागीय अधिकारी तो गाड़ियों में घूमते रहते हैं और पिकनिक करते हैं । लेकिन क्षेत्रीय विधायक को भी अपने क्षेत्र में जाने के लिए विहिकिल मिलनी चाहिये ताकि वह उस क्षेत्र में हो रहे कामों को देख सकें कि कहां पर कितना काम हो रहा है और कहां भ्रष्टाचार है । अब उसको एक विहिकिल की सुविधा अपने क्षेत्र में जाने के लिए मिलनी चाहिये ।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत १९७८-७९ के बजट का समर्थन मैं करूंगा । मान्यवर, जिस आधार पर इस बजट का सृजन हुआ है वह लागू कैसे किया जाय, इस पर विचार करना आवश्यक है । अधिष्ठाता महोदय, जिला स्तर पर जितनी एजेंसियां हैं वह सब अलग-अलग अपना हिसाब रखे हैं उनके पास गांवों तक जाने का साधन है और कार्य करने की साज-सज्जा उनके पास मौजूद है लेकिन उनका केन्द्र जो है वह शहर बना हुआ है और वह अपना कार्य शहर तक ही सीमित रखे हुए हैं । उनका सारा काम कागज पर ही चला करता है । मान्यवर, यह आवश्यक है कि हमारे मंत्री महोदय, जब दौरा करने जाते हैं तो वह जिस रास्ते से जायं, वहां पर विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया करें ।

मान्यवर, विभागों के जो यह केन्द्रीय विभाग हैं इनके पास बहुत बड़ी संख्या में साधन बेकार पड़े हुए हैं । मैं अपने इलाहाबाद जिले की बात करता हूं । प्रत्येक विभाग में लगभग दर्जनों गाड़ियां बेकार खड़ी हैं, न उनसे वह स्वयं काम ले सकते हैं और न नीलाम करके समाज के हवाले कर देते हैं कि समाज ही उनसे काम ले सके । अधिष्ठाता महोदय, मेरी मांग है कि सरकार इसकी छानबीन कराये, जिले में कितने प्रकार की गाड़ियां कितने वर्षा से बेकार पड़ी हैं और जंग खा रही हैं, क्या कूड़े के भाव उनको बेचने का इरादा है ? यह भी ध्यान देने की बात है कि जिले में जितनी सरकारी मशीनरी है, उनको एक स्तर पर लाया जाए और उनका केन्द्र ब्लाक स्तर पर और तहसील स्तर पर आना चाहिए, ताकि यह अपने कामों को चलाने के लिए इन्हें पूरी तरह से देखने का अवसर मिले । साथ ही जितने साधन जिला केन्द्रों को दिये जा रहे हैं विभिन्न विभागों को, उनको भी छोटा कर देना चाहिए और इन्हें केवल दो-एक गाड़ी देना चाहिए और एक ही गाड़ी में दो-चार विभाग के लोग साथ बैठकर इकट्ठा जाएं और गांव की समस्या को अपने-अपने दृष्टि से इकट्ठा देखें और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए योजनाएं लागू करने में एक दूसरे का सहयोग लें । यह बात सही है कि विधायकों को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत दौरा करने के लिए इन सरकारी मशीनरी का सहयोग मिलना चाहिए, ताकि वह हफ्ते-१० दिन में जाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखकर शासन के सम्मुख रखें ।

मान्यवर, हम आपके माध्यम से यह बात शासन को सुझाव रूप में दे रहे हैं--ग्रामों की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए गुप्तचर विभाग को तहसील स्तर पर चालू किया जाए, ताकि तहसील की समस्या की सूचना शासन को बराबर मिलती रहे और उनके आधार पर व्यवस्था करने में सुविधा हो । मान्यवर, तहसील केन्द्र, थाना केन्द्र और ब्लाक केन्द्र आजकल यह ही भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए हैं और शासन के पास इसकी कोई रपट नहीं आ पा रही है । गुप्तचर विभाग केवल शहरों तक केन्द्रित है, जो विद्यार्थियों और राजनैतिक आदमियों को ताकने के लिए अपने को सीमित रखकर अपनी कार्यशैली को अवरुद्ध किए हुए है । आज का गुप्तचर विभाग जो जिला स्तर पर कायम है, वह एस० एस० पी० के मातहत है, इसलिए वह पुलिस के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं दे सकता है । इसलिए इस विभाग का संगठन अलग से होना चाहिए ।

अब मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं, जिला इलाहाबाद के प्राकृतिक दृष्टि से तीन हिस्से हैं । एक है गंगा पार का हिस्सा, दूसरा है जमुना पार का हिस्सा और तीसरा है दुआब । गंगा जमुना के बीच का हिस्सा दुआब कहलाता है । मेरा क्षेत्र बांदा और फतेहपुर से मिलता हुआ तहसील

मंझनपुर का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में कोई उद्योग धंधा नहीं है, केवल कृषि का साधन है। सिचाई के साधन में पुरानी जो नहरें बनी हैं, वे ही हैं, ट्यूबवेल का नामनिशान नहीं है। अब सम्भवतया धीरे–धीरे चालू हुए हैं। दो–चार कहीं लगे हों, लेकिन अब तक उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है।

मान्यवर, हमारा क्षेत्र ऐसा है जिसमें सिचाई के साधन के लिए बरसाती नदियां हैं दो–एक, ससुर खदेरी और दूसरी निलनहाई। बरसात में ये बिकराल रूप धारण कर लेती हैं, बाकी दिनों में सूखी पड़ी रहती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इन नदियों को दस–दस फीट गहरी करवाएं और एक मील पर बंधा डाल दें तो १०–१५ फीट तक गहरा पानी दूसरी नदी के क्षेत्र में भरा जा सकता है जिसको सिचाई में उपयोग कर सकते हैं। इनके किनारे ट्यूबवेल लगा दिये जायं। ट्यूबवेल का पानी इन नदियों में गिरा कर १२ महीने सिचाई का काम हो सकता है। यह बनी हुई कुदरती नहर है। न किसी की भूमि जाती है न किसी का नुकसान होता है। मेरे ही क्षेत्र में कौशाम्बी जो पर्यटन केन्द्र के विकास के लिए आवश्यक है। उससे जुड़ा बबौसा पहाड़ है जहां जैन तीर्थस्थान, जैनियों का मन्दिर है। उसके बाद अलवारी झील है ४५ किलोमीटर की, वह बेकार पड़ी है। उसको पर्यटन केन्द्र की शक्ल में बदला जा सकता है। वहां से सीधे राजापुर पहुंच जायं। राजापुर तुलसीदास की जन्म भूमि है। वहां से चित्रकूट जा सकते हैं। और चित्रकूट से होते हुए कालिंजर और कालिंजर से महोबा और महोबा से खजुराहो जा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अली असगर हुसैन (जिला बदायूं)––

श्रीमन्, मैं ममनून हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया। पिछले कुछ सालों में बे नसीब रहा काश्तकार जिसको बजाय इसके कि दौलत पैदा करने का एक जरिया समझा जाता वोट का बैंक समझ लिया गया। तरह तरह के स्लोगन्स से उसकी असली प्राबलम्स को हल नहीं किया गया; बल्कि स्लोगन के जरिये उसके वोट हासिल कर लिए गये। आखिर में इन गावों के रहने वालों के, गांवों की जमीनों और काश्तकारों के सारे मसलों का हल एक ही समझ में आया कि लैंड रिफार्म के

(इस समय ३ बजकर ४३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

नाम पर कुछ ऐग्रेरियन तब्दीलियां करें। चुनांचे कुछ यह समझ में आया कि अगर जमीन की तकसीम कर दी गई, ज्यादा जमीन को ले कर बेजमीनों को दे दी गई तो शायद गांव के सब मसले हल हो जायेंगे। चुनांचे १९६० में कुछ कानून बना। उसके बाद १९७१ में कानून बना। श्रीमन्, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, जहां तक इसका तालुक है कि जमीन की एक ऊंची हद मुकर्रर हो। लेकिन अफसोस इसका है कि जमीन भी तकसीम हुई और बेजमीनों को जमीन मिली भी नहीं। इसकी शिकायत है। नतीजा उसका क्या हुआ? इस प्रदेश में छोटे काश्तकार ज्यादा हो गये। इसकी मैं मिसाल अपने प्रदेश के उस हिस्से से देता हूं, जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट् के नाम से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसकी पोजीशन यह है कि उसमें सब से ज्यादा छोटे काश्तकार हैं। नतीजा यह है कि उस की प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन, कम है, गरीबी ज्यादा है। समझ में यह आया कि छोटे काश्तकार जो हैं यह एक प्राबलम है। मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि आप इन्साफ करें, इस प्रदेश के साथ। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन छोटों

[श्री अली असगर हुसैन---]

की भी कोई लिमिट मुकर्रर करें जिससे आप की प्लानिंग में कोई दुश्वारी न पैदा हो। आप इसके लिए कानून बनावें।

कृषि की बात है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने एक बात कही है कि प्राइमरी सेक्टर की तरक्की की जायगी। पिछली सरकार का भी विचार यही था कि यह प्रदेश जो गरीब है उसका कारण यह है कि सैकन्डरी सेक्टर और तीसरा सैक्टर डैवलप्ड नहीं है। मैं सरकार का आभारी हूं कि उसका ध्यान इस ओर गया। मेरे ख्याल से फाइनेन्स मिनिस्टर ने जो कदम उठाया है वह बहुत ही अच्छा कदम है। उनका यह कहना है कि जब तक कि प्राइमरी सैक्टर का डैवलपमेंट नहीं होगा तब तक सैकन्डरी और थर्ड सेक्टर का भी डैवलपमेन्ट नहीं हो सकता है। यह बहुत ही उम्दा बात है। मैं चाहता हूं कि तमाम प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करने के लिए एक लाइन होनी चाहिए। यह जो तरीका ऐडमिनिस्ट्रेशन का है यह बेहतर है या इससे भी अच्छा कोई तरीका हो सके है और उस तरीके को अख्त्यार करना है जो बेहतर तरीका हो। बिलेज लेबिल पर कोई कृषि का आदमी नहीं है। लेहाजा मैं सबमिट करूंगा कि सिंगल लाइन ऐडमिनिस्ट्रेसन की जरूरत है, जो होना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि ३० साल के अरसे में जो मौका मिलना चाहिए था वह खेती को नहीं मिल सकता है। सरकार ने जिसकी पैदावार का लक्ष्य बनाया वह लक्ष्य पूरा ही नहीं हुआ। काश्तकार ने लक्ष्य बढ़ाने की कोशिश की तो उसे इनाम मिलने के बजाये सजा मिली जिसका परिणाम यह हुआ कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हुआ और उसमें कोई एस्टेबिलिटी नहीं आई। यह हमारे एग्रीकल्चर की हिस्ट्री रही है। आप जरूरी कमोडिटीज पर मिनिमम प्राइस फिक्स करें और यह आप की जिम्मेदारी है कि अगर पैदावार का लक्ष्य पूरा होगा तो आप को उसे खरीदना होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सीड की बात कहना चाहता हूं। उसको हल करने के लिए पिछली सरकार ने यह सोचा कि नेशनल सीड कारपोरेशन, तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के फार्म सीड को पैदा करें। यह ५ परसेंट से ज्यादा नहीं पैदा कर पाते हैं और ९५ परसेंट सीड किसान को अपना ही इस्तेमाल में लाना होता है। बजाय इसके ये इन्सटीट्युशन्स सर्टिफाइड सीट पैदा करें, काश्तकारों की जरूरत के लिए उसके खेत में ही पैदा करें। आप की स्टेट में सीड सर्टिफाइंग एजेन्सीज की स्थापना हो गई है। जो ब्लाक के डेवलपमेन्ट कर्मचारी हैं उनको सीड पैदा करने में ट्रेन्ड करें; ताकि वे डेवलपमेन्ट आफिसर्स काश्तकार को सही बीज पैदा करने में मदद दें। ऐसी सूरत से उनको खुद सीड पैदा करने का अवसर मिलेगा। और इस तरीके से काश्तकार को अच्छा बीज मिलने का मसला भी हल हो जायगा।

इर्रीगेशन के मुताल्लिक मैं आंकडों में नहीं पड़ता हूं। इतना जबरदस्त पोटेन्शियल १३४·८२ लाख हैक्टेयर का क्रियेट कर दिया है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, जैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पा रहा है। इस पोटेन्शियल, के सही होने पर जो शक पैदा हो रहा है, वह इस वजह से पैदा हो रहा है कि डबल क्रौप केन एरिया का कोई ताल्लुक असल पोटेन्शियल से नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इर्रीगेटेड जो एरिया है (एक दफा से ज्यादा सिंचित) उस का सिर्फ ६ १/२ प्रतिशत है।

जहां तक फर्टिलाइजर का सम्बन्ध है इसमें कोई शक नहीं है कि फर्टिलाइजर का अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो उतनी पैदावार जितनी हम को चाहिए नहीं मिल पायेगी। हमारी स्टेट का कन्जम्पशन २०·५४ किलो प्रति हैक्टेयर है। अगर हमको फर्टिलाइजर के यूज को बढ़ाना है तो कोआपेरेटिव में ज्यादा काश्तकारों को मेम्बर बनाना होगा और ज्यादा पैसा देना होगा, फी काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा लोन देना होगा। मेरे पास १५ स्टेट्स के आंकड़े मौजूद हैं। हमारी स्टेट में कुल काश्तकारों में से सिर्फ ४४·५६ प्रतिशत मेम्बर्स हैं जिनमें से ३३·४७ को लोन मिले हैं और फी लोनी को ४०६ रुपया सिर्फ मिला है। हमारी स्टेट का स्थान १५ स्टेट्स में परसेन्टेज आफ मेम्बर्स में ११वां है और जिनको लोन मिला है उनमें भी ११वां स्थान है और जितना फीक्वस मिला है उसमें उसको १३वीं पोजीशन है।

कोआपेरेटिव सेक्टर का जहां तक ताल्लुक है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के दरमियान की एक चीज है, वह काश्तकार के फायदे की है। काश्तकार के हित में इसको जिन्दा रखने की जरूरत है। यदि समस्या यह है कि अच्छे कोआपेरेटर्स नहीं हैं, अच्छे कोआपेरेटर्स बनाये जायं और अगर अच्छे काम करने वाले नहीं हैं तो अच्छे काम करने वालों का बन्दोबस्त किया जाय। अगर काश्तकार को जिन्दा रखना है तो इस सेक्टर को एफिशिएंट बनाना होगा।

इसी तरह से मण्डी समितियां हैं। इसका पहला मकसद यह था कि कुछ अनअथोराइजड चीजें हो रही थीं, इनको रोका जाय। इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। ऐसी भी कोई व्यवस्था की जाय जैसे आप की कोआपेरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैं अगर प्राइवेट एजेन्सीज परचेज न कर रही हों तो ऐसी हालत में मार्केटिंग सोसाइटीज खरीद करें।

इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री की है। आप इस प्राबलम को इस तरीके से हल करना चाहते हैं कि आप वेटीरिनरी होस्पिटल्स तो खोल दें या डेयरीज को कायम कर दें लेकिन असली जो प्राबलम है कि हमें इस किस्म के स्टंड या फार्म न बनवा पायें जहां पर हम अच्छी नस्ल के जानवर आंख मीच कर, बिना लूटे खरीद सकें। श्रीमन्, गाय और भैंस की प्राबलम यह है कि आप मुझे अच्छी ब्रीड दीजिए। इसकी हमें जरूरत है। प्राबलम हमारी वह नहीं कि दूध नहीं बिकेगा, जरूरत इस बात की है कि पब्लिक सेक्टर, स्टेट सेक्टर, कोआपेरेटिव सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में इस किस्म के फार्म्स बने की जहां पर अच्छी ब्रीड के कैटिल खरीददार को बगैर लूटे हुए मिल सके। आंखें मीच कर इमानदारी से अच्छी नस्ल की मवेसी मिल सके।

श्री सभ्यक्ष—

आप थोड़ा माइक पर बोलिये। आप की बात सुनाई नहीं पड़ रही है।

श्री अली असगर हुसैन—

यहां है दूध की प्राबलम इसका इन्तजाम होना चाहिए। पाट्रीज की प्राबलम यह है कि हमारे पास दुनियां की बेहतरीन हैचरीज हमारे मुल्क में है, इसकी दुश्वारी जो है वह मार्केटिंग की है। इसकी मार्केटिंग का इन्तेजाम किया जाय। बकरी गरीब आदमी की गाय है। इसका गोश्त भी इश्तेमाल होता है और दूध भी लोग पीते हैं। इस पर कोई खास काम अभी तक नहीं शुरू हुआ। जरूरत इस बात की है कि इस पर सही तरीके से काफी रूपया देकर रिसर्च का काम शुरू कराया जाय और अच्छे ब्रीड को मल्टीप्लाई करके गांवों में भेजा जाय, बल्कि

[श्री अली असगर हुसैन—]

में तो यह चाहता हूं कि इसका भी इसी सूरत से बकरी फार्म हो। प्राइवेट सेक्टर में या किसी और सेक्टर में, जहां से बकरी खरीदी जा सके। दाल बहेरहाल हमें पैदा करना है। यह दुनिया को किसी जगह से हमको मिल नहीं सकती। काश्तकार को चूंकि इसमें मुनाफा नहीं होता, लिहाजा वह इसको नहीं करता। जरूरत इस बात की है कि अच्छी वैराइटीज बनाई जायं और पैकेज आफ प्रैक्टिसेज मुकम्मिल किया जायें।

श्री अध्यक्ष—

कोरम का अभाव है, घंटा बजा दी जाय।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—

आपका टाइम तो ५ मिनट से ज्यादा हो गया, अब आप समाप्त करें।

श्री अली असगर हुसैन—

इस पैकेज प्रोग्राम से किसानों के अन्दर दिलचस्पी होगी और वह इसकी खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगेगा। जरूरत इस बात की है कि रिसर्च के सेप्रेट प्रोजेक्ट्स बनाये जायं और इस पर रुपये की कमी की वजह से इन प्रोजेक्टों को नाकामयाब न बनने दिया जाय। इस सिलसिले में कानपुर यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसे ईमानदारी से साइंटिस्ट्स को ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाय। इसमें हमारी बड़ी तौहीन और जिल्लत है कि हम तेल को और मुल्कों से मगायें। वह तेल हमारी तन्दुरुस्ती के लिए मुनासिब भी नहीं साबित हुआ और उसको मार्केटिंग में हमारी जिल्लत भी होती है। इसके लिए भी यूनिवर्सिटीज में सेप्रेट प्रोजेक्ट्स बनाये जायं और रुपये की वजह से उसको नाकामयाब न होने दिया जाय; ताकि ऐसी वेराइटीज बनाई जायं और ऐसी पैकेज आफ प्रेक्टिसेज साइंटिस्ट्स दे सकें की काश्तकार के लिए फायदेमंद साबित हो सके और उनकी खेती करने लगें। मुझे खुशी नहीं होगी अगर शिक्षा मन्त्री हजारों बेसिक स्कूल खोल देंगे। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा उन्हें अगर मौजूदा स्कूलों की एजूकेशन की क्वालिटी को वह इम्प्रूव कर सकेंगे और उनकी कमियों को पूरा कर सकेंगे।

हायर एजूकेशन के मुताबिक मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि इसकी बदनसीबी से हमारे मुल्क में मार्केट नहीं है, मार्केट पैदा करना होगा काश्तकार का काश्तकारी से, गांव की सड़क का गहरा ताल्लुक है। मैं चाहूंगा कि इस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दी जाय। लेकिन जैसा कि अलाहिदा उसके बनाने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि एक सेन्ट्रल एथारिटी बने और जो-जो विभाग गांवों की सड़कें बनाना चाहती हैं, वह इस मसले में, उस सेन्ट्रल एथारिटी के मातहत हो और उसी एथारिटी के जरिये से एक प्रोग्राम के मातहत सड़कें बनवाई जायं।

श्री अध्यक्ष—

आज सामान्य चर्चा अब स्थगित की जाती है, क्योंकि नियम ५१ की दो सूचनायें हैं, जिनको लेना है। उसके बाद माननीय सदस्यों की बहुत दिलचस्पी है गन्ने के विषय पर दो घंटे की चर्चा भी होगी।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं उसमें श्री रवीन्द्र सिंह की, लोक सेवा आयोग द्वारा एक हजार डाक्टरों की सेवायें स्थायी न किये जाने के कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न होने के विषय में है ।

श्री अध्यक्ष—

इसी तरह की सूचना मुझे श्री पुरुषोत्तम कौशिक से मिली है, वह भी इसमें जोड़ दी है। श्री डी० पी० बोरा ने भी आज यह प्रश्न उपस्थित किया था उसको भी मैं इसके साथ संबद्ध किये देता हूं ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

इस पर वक्तव्य कब होगा ?

श्री अध्यक्ष—

स्वास्थ्य मन्त्री .....मालवीय जी, यह अत्यन्त आपत्तिजनक है इस समय तो मन्त्री जी को मौजूद रहना चाहिए ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

इसमें ४ दिन का समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

फिर तो उसका मतलब ही समाप्त हो जाता है। आप इस पर उस में वक्तव्य दिलवाइयेगा। क्योंकि सूचना तो यहां पर मौजूद है।

१२ तारीख इसमें निश्चित की जाती है।

चित्रकूट, जिला बांदा में होने वाले रामायण मेले को जाने वाली रोडवेज बसों पर कर्वी के पास विद्यार्थियों द्वारा पथराव किए जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, दिनांक २ अप्रैल, १९७८ को माननीय प्रधान मंत्री जी के रामायण मेला चित्रकूट आगमन के अवसर पर लगभग ७०,००० जन समूह एकत्रित हुआ था। इस विशाल जन समूह को चित्रकूट लाने के लिए बांदा–अतर्रा–चित्रकूट, मानिकपुर–चित्रकूट, इलाहाबाद–चित्रकूट आदि मार्गों पर विशेष बसें चलाने की व्यवस्था की गई थी। लगभग ४००–५०० छात्र ट्रेन द्वारा उस दिन कर्वी रेलवे स्टेशन पर आकर उतरे थे। रेलवे स्टेशन कर्वी से चित्रकूट ६ किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन–कर्वी पर तुरन्त बसें न मिल सकने के कारण यह छात्र छोटे–छोटे समूहों में पैदल ही चित्रकूट को रवाना हो गये। रेलवे स्टेशन से लगभग ५ किलोमीटर जाकर लगभग २०० छात्र बेड़ी पुलिया पर एकत्रित हो गए और प्रधान मंत्री जी के कार्यक्रम, जो चित्रकूट में २ बजे दिन से था, में जल्दी पहुंचने के लिए वहीं पर बसों को रुकवाने लगे। चूंकि बसें बांदा, अतर्रा तथा कर्वी की ओर से भरी हुई आ रही थीं अतः इन छात्रों को उन बसों में स्थान नहीं मिल पाया। इसके रोष

श्री लक्ष्मण सिंह—

में छात्रों ने बसों पर पथराव किया जिसके फलस्वरूप ४ बसों के कुछ शीशे टूट गए और २ ड्राइवरों तथा एक कन्डक्टर को साधारण चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची और उपद्रवी छात्र घटनास्थल से भाग खड़े हुए। इस घटना के सम्बन्ध में बस नं० यू० टी० बी० ३४१३ के ड्राइवर तथा इंचार्ज मेला रामायण चित्रकूट धाम की सूचना पर क्रमशः मुकदमा अपराध संख्या ७७ धारा १४७/३३२/४२७/३३७ भा० दं० वि० तथा अपराध संख्या ७८ धारा १४७/३३२/४२७/३३७ भा० दं० वि० थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत किए गए जिनकी विवेचना तत्परता से हो रही है। इस घटनाक्रम के दौरान २ और रोडवेज बसों के कुछ शीशे टूट गए थे तथा मामूली क्षति हुई थी जिसकी सूचना संबंधित बसों के ड्राइवरों ने दिनांक ३ अप्रैल, १९७८ को कोतवाली कर्वी में दी। यह सूचनाएं क्रमशः धारा ४२६ तथा ४२७ भा० दं० वि० अहस्तक्षेपीय अपराधों के अन्तर्गत अंकित की गई। इसी क्रम में छात्रों के समूह ने बेंडी पुलिया से लगभग १२ किलोमीटर दूर कर्वी बांदा रोड पर भरतकूप व शिवरामपुर के बीच खड़ी हुई रोडवेज बसों पर पथराव किया जिससे ७ बसों में से कुछ के सामन के तथा कुछ के साइड के शीशे टूट गए किन्तु किसी चालक, कन्डक्टर या यात्री को चोट नहीं आई। इस घटना की सूचना बुकिंग क्लर्क बस स्टेशन अतर्रा द्वारा दिये जाने पर धारा ४२७ भा० दं० वि० की रिपोर्ट कोतवाली कर्वी में अंकित की गई। रामायण मेले में एकत्रित जन समुदाय के सुरक्षित लौटने हेतु प्रत्येक सड़क पर पुलिस पार्टियों के गश्त की समुचित व्यवस्था कर दी गई है और कहीं भी किसी प्रकार का कोई आतंक व्याप्त नहीं है। किसी भी प्राइवेट बस को जलाने की कोई सूचना नहीं मिली है। केवल १३ रोडवेज बसों के कुछ शीशे पथराव के फलस्वरूप टूटे थे तथा २ ड्राइवर व एक कन्डक्टर को साधारण चोटें आईं थीं। किसी की कोई गम्भीर चोट नहीं आई। इस घटना की मजिस्टीरियल जांच परगना मजिस्ट्रेट, कर्वी द्वारा की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अब तक कितने विद्यार्थी गिरफ्तार किए गए हैं और उनको कहां-कहां जेलों में रखा गया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक किसी छात्र की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

श्री रियासत हुसैन—

जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यह काग्नीजेबिल आफेन्स है और उसमें छात्रों की गिरफ्तारी हो सकती है। उनकी, जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। चूंकि आज कल, कल से छात्रों के इम्तहान होने जा रहे हैं, सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि जब तक यह इम्तहान समाप्त न हो जायें तब तक किसी छात्र को गिरफ्तार न किया जाय ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

अभी तक जब किसी की गिरफ्तारी हुई ही नहीं है तो किस आश्वासन की आवश्यकता है।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

क्या धारा १४७, ३३२ आदि के अन्तर्गत भी किसी छात्र की गिरफ्तारी नहीं की जायेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

अभी तो पता लगा रहे हैं कि कौन लोग थे ।

श्री बाबू बदरे—

जो रिपोर्ट है उसमें यह धारायें हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

रिपोर्ट नामजद नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, वक्तव्य में बताया गया है कि २०० छात्र बेड़ी पुलिया पर एकत्रित हो गये थे । यह काग्नीजेबिल आफेन्स है । तो पुलिस इन २०० छात्रों को पकड़कर कोटा पूरा करेगी । आजकल इम्तहान हो रहे हैं । इस बीच अगर छात्र पकड़े गये तो वे इम्तहान में नहीं बैठ सकेंगे । इसलिए क्या सरकार कोई ऐसा आश्वासन देगी कि जब तक इम्तहान होंगे किसी भी छात्र की गिरफ्तारी नहीं की जायेगी ? इसके कारण छात्रों में बड़ा आतंक है ?

श्री अध्यक्ष —

चाहे कोई कत्ल या डकैती ही क्यों न करे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय सदस्य की जो आशंका है उसका आधार है नहीं । पता नहीं उन्होंने कैसे कह दिया कि बसें जलायी गयीं । कोई ऐसी गम्भीर घटना नहीं हुई। कुछ ईंट-पत्थर बच्चों ने फेंके । कोई ऐसी सूचना भी नहीं है कि छात्रों में किसी तरह का आतंक है । यह साधारण तरह का अपराध है और साधारण तरीके से ही इसका समाधान किया जायेगा और बच्चों के इम्तहान में बैठने आदि की जो चिन्ता आपके दिमाग में है, उनका शुभचिन्तक होने के नाते, उससे ज्यादा हमको भी उनकी फिकर है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कर्वी स्टेशन से चित्रकूट तक जो ६ मील का टुकड़ा है, उसमें भी प्राइवेट बसें चलायी गयीं थीं या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इलाहाबाद और बांदा से पूरे रूट पर ही चलायी गयी थीं ।

श्री गुलाब सेहरा—

इसमें प्राइवेट बसों का जिक्र नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्तव्य में कर्बी स्टेशन से चित्रकूट तक बस चलाने की व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है, क्या इस रूट पर बसों का इन्तजाम किया गया था ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

हां, चलाई गयी थीं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि मेले में कितने लोगों के आने की संभावना थी और कर्बी स्टेशन पर कितनी बसों की व्यवस्था की गयी थी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

तादाद मान्यवर, मेरे पास नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पथराव जो हुआ उससे कितने का नुकसान हुआ है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, अभी अनुमान नहीं लगाया गया है । शीशे केवल टूटे हैं ।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मेले का जो आयोजन हुआ यह केवल रामायण के प्रचार के दृष्टिकोण से था या राजनीतिक दृष्टिकोण था ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे पैदा नहीं होता है ।

पुलिस द्वारा डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के छात्रों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस तथा रबर गोलियों के प्रयोग के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)

मान्यवर, डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के छात्रों (१००) ने ६-४-७८ को ९-३० बजे डी० ए० वी० कालेज से एक जुलूस निकाला और डा० वीरेन्द्र स्वरूप के मकान पर प्रदर्शन करने गये क्योंकि उनकी २३ सूत्री मांगों को नहीं माना गया था । छात्रों ने चेष्टा की कि डा० वीरेन्द्र स्वरूप के मकान में प्रवेश करें परन्तु पुलिस ने उनको रोक दिया । पुलिस द्वारा रोके जाने के फलस्वरूप छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया जिससे एक एस० आई० और तीन कांस्टेबिलों को चोटें आयीं । पुलिस ने भी लड़कों को भगाने के लिए लाठियां घुमाकर प्रदर्शन किया । इस पर छात्र हजारों की संख्या में कालेज के निकट सड़कों पर जमा हो गये और उन्होंने हास्टल की छत से तथा अन्य छतों से देशी तमंचों का प्रयोग किया जिससे ३ पी० ए० सी० के जवानों के छर्रे लगे । पथराव के कारण ए० एस० पी०, कानपुर तथा तीन पुलिस अधिकारियों तथा कुछ पुलिस, पी० ए० सी० के जवानों के चोटें लगीं । एक पुलिस गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुयी । पथराव के कारण एक ११ वर्ष का लड़का तथा एक ८ वर्ष की लड़की के भी चोट आयी । इन बच्चों को अस्पताल में भरती कर दिया गया है । स्थिति को देखते हुये पुलिस ने टियर गैस रबर बुलेट का प्रयोग किया ।

इसी दिन दोपहर को पी० पी० एन० डिग्री कालेज, क्राइस्ट चर्च कालेज, ब्रह्मानन्द डिग्री कालेज ने डी० ए० वी० कालेज में हुई घटना की प्रतिक्रिया में अपने कालेज बन्द कर दिए। लगभग १२-३० बजे पी० पी० एन० कालेज के १०० छात्र एक जुलूस बनाकर डी० ए० वी० कालेज की ओर चले परन्तु पुलिस ने रोक दिया। ब्रह्मानन्द डिग्री कालेज के लगभग १०० लड़के २-३० बजे जुलूस बनाकर चले और उन्होंने माल रोड, बिरहाना रोड, नयागंज, हालसी रोड पर दूकानें बन्द करने की चेष्टा की। पुलिस के हस्तक्षेप से लड़के भाग गये। स्थिति तनावपूर्ण है परन्तु नियन्त्रण में है। ३२ गिरफ्तारियां की गयी हैं। सभी कालेज ९-४-७८ तक बन्द कर दिए गये हैं। डी० ए० वी० कालेज को अनिश्चतकाल के लिए बन्द कर दिया गया है। डी० ए० वी० कालेज के हास्टल छात्रों को ७-४-७८ के ६ बजे शाम तक खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मान्यवर आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हुं कि मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि कानपुर के एस० एस० पी०, पी० ए० सी० के कई जवान और पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। पुलिस के कई जवानों को और एस० एस० पी० को चोट लगी है, तो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी जो घायल हुए हैं वह किस अस्पताल में भर्ती कराये गये हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह भर्ती नहीं कराये गए। इमरजेंसी एन्ड कैजुअल्टी हास्पिटल कानपुर में इनका डाक्टरी मुआयना हुआ था।

श्री बाबू राम शुक्ल—

यह छर्रे निकल गए हैं या पी० ए० सी० के जवानों के अन्दर हैं ?

श्री अध्यक्ष—

छर्रे न भी निकले हों तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन २३ मांगों को नहीं माना गया वह क्या मांगें थीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह २३ मांगें आपको मैं दिए देता हूं आप पढ़ लें क्योंकि यह ३, ४ पन्ने की हैं। अगर अध्यक्ष जी इजाजत दें, तो मैं पूरी पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष —

जो मुख्य मांगें हों, उनको पढ़ दें।

श्री लक्ष्मण सिंह—

पहली यह कि प्रबन्ध समिति छात्र संघ के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायित्व हो, दूसरी यह कि १२ पलंग वाला अस्पताल, पुस्तकों का आधुनिकीकरण, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया जाय। कला विभाग हेतु २२ हजार रुपये की धनराशि और इसी प्रकार छात्रावास की बढ़ी हुई फीस कम की जाय आदि। यह छात्रों की सुविधाओं से सम्बन्धित थीं।

(लाबी में शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, लाबी में शोर बन्द कराया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो कुछ भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई और अभी भी है उसका कारण यह है कि विद्यार्थी कुछ अपनी मांगों को लेकर जा रहे थे और जैसा कि वक्तव्य में स्पष्ट है पुलिस द्वारा आवश्यकता से अधिक ज्यादती हुई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्थिति सामान्य हो जाय इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, यह पता चला कि ५ दिन पहले उस कालेज के कुछ विद्यार्थी डा० वीरेन्द्र स्वरूप के निवास स्थान पर गए थे। वे थे नहीं। उन्होंने कुछ तोड़फोड़ की। इसको देखते हुए पुलिस की एक टुकड़ी लगा दी गयी। पांच दिन बाद बड़ी तादाद में विद्यार्थी पहुंचे। डी० ए० वी० कालेज अनिश्चितकाल के लिए बन्द करा दिया गया था और काफी स्कूल भी बन्द करा दिए थे। आज कालेज खुले थे। कुछ विद्यार्थियों ने जाकर घंटी बजा दी और उनको बन्द करा दिया। यह मालूम हुआ है कि विद्यार्थी कुछ तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन को आदेश दिए हैं कि अनुचित फोर्स का इस्तेमाल न करें। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को सहानुभूति-पूर्ण तरीके से हल कराने की कोशिश करें, मैनेजमेंट से।

ठाकुर मूल चन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रबन्ध समिति ने इस घटना के होने से पहले उन समस्याओं के ऊपर विचार किया और उनकी मांगों को पूरा करने में उसके सामने क्या-क्या बाधाएं थीं।

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह २३ मांगें हैं। सारी मांगों को शायद पूरा करने में मैनेजमेन्ट को कठिनाई रही होगी। माननीय सदस्य अपना एक हाई स्कूल चला रहे हैं और मैनेजमेन्ट देखते हैं और प्रधानाचार्य भी हैं। इनके यहां भी बहुत सी मांगें उठ रही हैं और पूरी नहीं हो रही हैं। यह विस्तार से बताने में असमर्थ हूं कि कौन-कौन मांग पूरी हुई।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ज्यादती कम हुयी है और सफाई की तमाम तजवीजें पेश की जा रही हैं। लेकिन अखबार और यूनियन के लोगों का कहना है कि ज्यादती हुई है और नेताओं ने भी यही कहा है। तो इन चीजों की सफाई के लिए ताकि सभी चीजें जनता के सामने आ सकें, क्या माननीय मंत्री जी इसमें कोई न्यायिक जांच करायेंगे ताकि इस मामले में जूडिशियल इन्क्वायरी हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में तो माननीय मंत्री जी ने वाकयात पर पूरा ब्यौरा दे दिया है।

श्री राम नारायण वर्मा (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं न्यायिक जांच के प्रश्न को मांग कर रहा हूं।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

य जितनी मांगें उनके पास हैं, क्या उनमें ऐसी मांग भी है जिसमें ८० हजार रुपए के भ्रष्टाचार की जांच के लिए विद्यार्थी मांग कर रहे थे और दूसरा प्रश्न है कि विद्यार्थी शांतिमय ढंग से अपना जुलस ले जा रहे थे। लेकिन इससे प्रबन्ध समिति को खतरा था इसलिए उसने पुलिस का सहारा लेकर विद्यार्थियों पर आरोप लगाया और पथराव कराया ?

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न है, बाद का हिस्सा तो उनकी खुद की टिप्पणी है क्या जुलूस शांतिमय था ? दूसरा प्रश्न है कि क्या विद्यार्थियों की मांगों में कुछ जांच की मांग की गयी थी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, एक मांग नं० ५ है कला विभाग को २२ हजार रुपए की धनराशि जो अनुदान आयोग द्वारा विद्यालय को प्रदान की गयी है। इसमें है कि यह विभाग की उन्नति और विकास पर व्यय की जाय। मनोविज्ञान, सांख्यकीय और भूगोल आदि के लिए उपलब्ध कराने की बात है। इसमें ब्यौरे की प्रतिलिपि प्रबन्ध समिति द्वारा छात्र संघ को प्रस्तुत की जाय, यह है। एक नम्बर ७ पर मांग है। इसमें है कि वर्तमान सत्र १९७७-७८ में अनुदान आयोग से दी जाने वाली १० हजार की धनराशि निर्धन और मेधावी छात्रों में वितरित किया जाय। तो ८० हजार रुपए की एकमुश्त कोई मांग नहीं है, मान्यवर।

प्रश्न का दूसरा भाग मान्यवर, ५ दिन पहले विद्यार्थी डा० वीरेन्द्र स्वरूप के निवास स्थान पर गए थे और वहां पर कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। उससे आशंका हुयी कि कहीं दुबारा भी वे ऐसी हरकत न करें। तो इसलिए पी० ए० सी० की एक टुकड़ी लगा दी गयी थी। इन विद्यार्थियों ने पहले तो शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला लेकिन वहां पर जाकर तोड़फोड़ करना आरम्भ कर दिया और घर में घुसने की कोशिश की और रोकने पर पथराव आरम्भ कर दिया। अब इनको माननीय सदस्य सोच सकते हैं कि कैसे शांतिमय कहा जा सकता है। एक बात उसमें यह है कि कुछ पुलिस को चोट आयी। उसमें कहना है कि पुलिस लोगों को ही चोट आयी थी, विद्यार्थियों को नहीं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि विद्यार्थियों की जो २३ मांगें थीं, वे समस्त मांगें मैनेजमेन्ट से सम्बन्धित नहीं थीं शासन से सम्बन्धित थीं ?

श्री अध्यक्ष—

क्या शासन से सम्बन्धित कुछ मांग थी, इस तरह का प्रश्न कीजिए।

श्री गुलाब सेहरा—

इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो मांगे शासन से सम्बन्धित थी डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप [× × ×]

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री गुलाब सेहरा]

उनके घर पर प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन का आयोजन विद्यार्थी परिषद् द्वारा किया गया था कि नहीं, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

गुलाबसेहरा जी हमारे सामने यहां पर चेयरमैन विधान परिषद् का कोई प्रश्न नहीं है । यह कार्यवाही में नहीं आयेगा ।

(श्री राम अधार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी आपका कथन है कि क्या मांगे शासन से भी सम्बन्धित हैं और वे क्या हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

कुछ मांगे शासन से सम्बन्धित थीं ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं ६-७ साल से जानता हूं । कानपुर डिग्री कालेज का और प्रबन्ध समिति का अस्थायी संघर्ष है क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रही है । वहां लाठी चलायी गयी, प्रदर्शन हुये ?

श्री अध्यक्ष—

आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर मन्त्री जी ने दिया और मन्त्री जी क्या उत्तर देते हैं, वह तो आप से परामर्श करके देंगे नहीं । मैं बाध्य नहीं कर सकता कि वह उस बात का उत्तर दें जिसको रवीन्द्र सिंह जी पसन्द करेंगे ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, इसमें दिखाया गया है कि पथराव के कारण ११ वर्ष के लड़के तथा ८ वर्ष की लड़की को चोट आई । जहां तक मुझे मालूम है ११ वर्ष के लड़के और ८ वर्ष की लड़की को पुलिस लाठी चार्ज से चोट आई । क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लड़के और लड़की को चोट आई यह डाक्टरी मुआयने में लाठी की चोट दिखाई गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

आप पहले यह पूछिये कि डाक्टरी मुआयना हुआ ।

श्री राम अधार—

मान्यवर, वे किस प्रकार की चोटें हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी उन लड़के और लड़की को जिनको चोट आई हैं क्या अस्पताल में उनका मुआयना हुआ ? अगर हुआ तो डाक्टर का मत क्या है ? ये चोटें लाठी की हैं, पथराव की हैं ? क्या हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

डाक्टरी मुआयना हुआ है । एक आदमी को चोट आई है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना है कि लड़की को भी चोट आई है ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

जी मैं देख रहा हूं . .

श्री अध्यक्ष--

आप का कहना है कि ११ वर्ष के लड़के और ८ वर्ष की लड़की को भी चोट आई । यह उनका प्रश्न है ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह है--

Examined unknown child (male) aged about 12 years of unknown address Sri Sajat Kumar Banerjee resident of 15/32 Civil Lines, Kanpur at 11.05 AM on 6-4-1978. M. T. Finger prints. Injury— Laceated Wound 4 cmx1 cm Depth U. O. on Rt. half of heat, top Fresh bleeding present X Ray Skull. Semieences.]

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

इसका हिन्दी रूपान्तर कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष --

देवबहादुर जी आप तो उप नेता हैं । शालीनता और गम्भीरता का परिचय देना चाहिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

एक बच्चा आयु १२ वर्ष श्री सजत कुमार बनर्जी के द्वारा लाया गया सिविल लाइन्स कानपुर में ११.५ बजे ६-४-७८ को हुआ और एक चोट है फटा हुआ जख्म है ४ × १ से० मी० । गहराई उसकी अभी नापी जा रही है । सिर के बाहिनी ओर खून बह रहा था । एक्सरे लिया गया है । वह आधा बेहोश था । यह हिन्दी हो गयी अंग्रेजी की रिपोर्ट की ।

श्री अध्यक्ष--

यह भी मन्त्री जी बतला दें कि डाक्टरों का क्या मत है कि यह चोट पत्थर से है या लाठी की है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसमें यह नहीं लिखा है कि किस प्रकार के हथियार से यह चोट पहुंचाई गयी । फटा हुआ जख्म आमतौर से ईंट या पत्थर से पहुंचता है पिस्तौल या बन्दूक से नहीं होता ।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

मैं ८ तारीख को जेल में छात्रों से मिलकर आया हूं । डाक्टरी मुआयना उनकी चोटों का कराया गया है या नहीं ? छात्रों नें बतलाया कि गिरफ्तारी के समय १० साइकिलों का उनका पता नहीं चला ? क्या सरकार उनको बिना किसी शर्त रिहा कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

जेल में उनकी डाक्टरी जांच की गयी थी । वह डाक्टरी मुआयना उपलब्ध नहीं हुआ है ।

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)—

डी० ए० वी० कालेज का यह झगड़ा बहुत पुराना हो गया है । इसके जो प्रबन्धक हैं डा० वीरेन्द्र स्वरूप उन्होंने १९७१ से इस संस्थान में लगातार भ्रष्टाचार फैलाया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं । ७१ में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से लड़ाई के समय यू० पी० कोआपरेटिव बैंक, कानपुर में ५१३६ नम्बर से खाता खोला जिसमें लाखों रुपये का गबन हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं देता । यह आप सूचना दे रहे हैं । माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे सम्बन्धित आप प्रश्न कर सकते हैं । आप यह पूछ सकते हैं कि विद्यार्थियों ने जो मांग पत्र दिया है उसमें यह मांग की गयी है कि सन् ७१ में जो प्रबन्धक, डी० ए० वी० कालेज ने लड़ाई के नाम पर चन्दा जमा किया था राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए उसमें कोई गबन हुआ, क्या उसकी जांच माननीय मन्त्री करेंगे ? इस तरह से आप पूछ सकते हैं ।

श्री मोतीराम—

यही तो पूछ रहा हूं । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जो गबन हुआ . .

श्री अध्यक्ष—

गबन हुआ । यह तो आपने जजमेंट दे दिया ।

आप बैठिये मैं आपका प्रश्न पूछ लेता हूं ।

श्री मोती राम—

मैं फैक्ट्स दे रहा हूं इस संस्थान के बारे में जो कमीशन आर० बी० पाण्डेय बिठाया गया था और उसने जो रिपोर्ट शासन को दी थी उसे शासन ने गायब कर दिया । क्या छात्रों ने इन गबनों के बारे में अपने मांग पत्र में मांग की थी ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, क्या मांग पत्र में यह भी मांग की गई है कि बंगला देश के युद्ध के समय सुरक्षा कोष में डी० ए० वी० कालेज की प्रबन्ध समिति ने जो जांच की, उसमें गोलमाल हुआ, क्या इस तरह की कोई मांग है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

ऐसी कोई मांग नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन ३२ छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उनके विरुद्ध कौन-कौन सी धारायें लगी हुई हैं ? क्या यह सही है कि उनकी गिरफ्तारियां घरों से की गई हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

उनके विरुद्ध १४७, १४८, १४९, ३२६, ३३२, ३३७, ३६५ तथा ३६७ आई० पी० सी० की धारायें लागू है ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जिन सम्बन्धित घपलों के बारे में छात्रों द्वारा मांग की गई है उनके बारे में सरकार जांच कराने का आश्वासन देगी ?

श्री अध्यक्ष —

जो प्रश्न किया गया है डी० ए० वी० कालेज, कानपुर विश्वविद्यालय के अधीन है और इस तरह की जो मांग है वह उपकुलपति या महामहिम राज्यपाल जो चांसलर हैं, वे कर सकते हैं और उनकी मांग पर सरकार उसमें कार्यवाही कर सकती है । इसलिए जो सवाल आपका है, उसमें सरकार उत्तर नहीं दे सकती ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ३२ छात्र गिरफ्तार किये गये हैं उनके पास कोई देशी तमन्चा भी बरामद हुआ, जिससे गोली चलाने की बात कही गई है ?

श्री अध्यक्ष—

आपने वक्तव्य में कहा है कि देशी तमन्चों का प्रयोग किया गया और कइयों को छर्रे भी लगे । तो क्या कोई देशी तमन्चा भी बरामद हुआ ? ये वह पूछ रहे हैं ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

उस समय तो बरामद नहीं हुआ ।

श्री बाबू बदरे—

मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि पुलिस के लोगों को और डी० वाई० एस० पी० को छर्रे लगे और चोटें आई। तो कृपया वे उनका नाम बतायेंगे, जिनके चोटें आई य छर्रे लगे ? ताकि हम लोग जाकर तो देखें कि उन्हें लगे या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मेरे पास इन्जुरी रिपोर्ट है और डाक्टरी रिपोर्ट है, यदि आप अवसर दें तो मैं उसे पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

वे यह पूछ रहे हैं कि वे कौन-कौन से लोग हैं उनके नाम बतायें जिनके छर्रे लगे या चोट आई ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, ऐसा है कि यह शार्ट नोटिस पर देखा गया था। यह अभी-अभी मुझे मिला है। इसमें डाक्टरी मुआयना है। इसमें अलग-अलग नाम नहीं दिया गया है। इसमें थोड़ा समय दें तो मैं देख लूं।

श्री बाबू बदरे—

यह मुनासिब रिपोर्ट नहीं है। ये तैयार भी नहीं हैं।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबन्धित जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चोटें आई हैं और यहां पर सम्मानित सदस्यों ने कहा कि विद्यार्थियों को भी चोटें आई हैं....

श्री अध्यक्ष—

आप दलील मत दीजिये।

श्री अरुण कुमार—

इस बात की नापजोख कब तक हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यहां पर कोई टेलिविजन नहीं लगा है।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन छात्रों को चोटें आई हैं जैसा कि मन्त्री जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुछ राहगीरों को भी चोटें लगी हैं। क्या जिनको गम्भीर चोटें लगी हैं, उन लोगों को कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी और जो बेगुनाह बच्चे पकड़ कर जेल में बन्द कर दिये गये उनको रिहा कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

बेगुनाह होंगे तो वे छूट जायेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं। एक तो गम्भीर चोटें आई हैं उनको सरकार की तरफ से सहायता देने की। तो ऐसी गम्भीर चोटें नहीं हैं, हां, जैसे बच्चे की बात है उसमें सहायता देने पर विचार किया जायेगा। बाकी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चोटें हैं उनका डाक्टरी मुआयना मेरे पास है। जहां तक विद्यार्थियों की चोटों का सवाल है इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है क्योंकि वे जेल में हैं वहां उनकी डाक्टरी वगैरह हुई होगी। जहां तक दूसरी बात रिहाई का है वह तो कानून के तहत होगी।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

घटना की गम्भीरता को देखते हुए उसकी न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उत्तर दे चुके हैं कि न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन तमंचों से पुलिस को छर्रे लगे हैं उनका कहीं उल्लेख नहीं है तो क्या वह छर्रे की जगह गुलछर्रे तो नहीं है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रियासत हुसेन—

मान्यवर, घटना की गम्भीरता को देखते हुए क्योंकि मैनेजमेंट और छात्रों के बीच कुछ अर्से पहले से संघर्ष चला आ रहा है इसलिए उनको मांग पत्र देना पड़ा। तो क्या शासन अपने इनिसियेटिव पर इस बात का प्रयास करेगा कि इन बातों को किसी प्रकार सुलझाया जाय ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, आपने अभी किन्हीं माननीय सदस्य के सवाल में बताया कि यह आटोनोमस बाडी है उनका प्रबन्ध का एक तरीका है। अगर मैनेजमेंट और कालेज भी किसी स्टेज पर शासन से किसी सहायता के लिए कहेगा तो शासन विचार कर सकता है। इतना बड़ा प्रदेश है आये दिन इस तरह की घटनायें होती हैं अगर शासन इनमें पड़ने लगेगा तो कंप्लीकेशन बढ़ जायेंगे। जहां आवश्यकता होगी, शासन सहायता करेगा।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ३२ छात्र पकड़े गये हैं, य सब एक ही दिन में पकड़े गये या विभिन्न दिनों में पकड़े गये ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

एक ही दिन पकड़े गये ६ तारीख को।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मन्त्री जी ने कहा है जो मांगें ह, वे विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं और वह संस्था एक आटोनामस बाडी है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि उनकी मांगें कई प्रकार की हैं, कुछ विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में हैं, कुछ विश्वविद्यालय के परिवेश में आती हैं, कुछ में शासन को हस्तक्षेप करने का अधिकार है, तो जो मांगें भ्रष्टाचार से सम्बन्धित हैं, उनके बारे में शासन द्वारा स्वयं और जो विश्व-विद्यालय से सम्बन्धित हैं, उनके बारे में कुल सचिव या वाइस चांसलर को इस बात की संस्तुति करेंगे कि वह जांच कराकर शासन को अवगत करायें ? इसके अलावा वित्तीय अनियमितताओं के बारे में शासन को स्वंय स्पेशल-आडिट का अधिकार है, तो क्या अनुशंसा करते हुए जांच कराने या स्वयं कार्यवाही करने की वह कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह इसमें तीन नम्बर पर है--विद्यालय द्वारा ली जाने वाली शुल्क का उचित उपयोग हो, इस प्रकार की जो मांगें हैं, इसमें यह कोशिश की जाएगी और जानकारी की जाएगी कि ऐसे धन का दुरुपयोग हुआ है तो कोशिश की जाएगी कि आइन्दा ऐसी बात न हो । जहां तक संस्तुति की बात है, कोई आवेदन-पत्र शासन को मिला नहीं है, मिलेगा तो वह करेगी ।

श्री अध्यक्ष--

आपके सामने यह प्रश्न आ गया, राजेन्द्र कुमार जी का कहना है कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए क्या उपकुलपति या चान्सलर को आप इस सम्बन्ध में अवगत करायेंगे और जो ऐसी हैं, जिनका ताल्लुक अनियमितता से है और कोष आदि के दुरुपयोग के बारे में है, तो क्या आप सलाह देगें कि उनकी जांच कुलपति या वाइसचान्सलर से करायें ? यह भी उनका कहना है कि आप विधिक परामर्श ले लें कि क्या गवर्नमेन्ट इसमें सक्षम हो सकती है इसका कोई हल निकालने में ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

ठीक है, इसमें अवश्य कार्यवाही, जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, कराई जाएगी ।

श्री अध्यक्ष--

अब कोई नया प्रश्न आपको करना है तो करें, वरना बस अब यह बाबूराम जी का अन्तिम प्रश्न है ।

श्री बाबूराम शुक्ल--

पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार का जवाब भेजा है, मंत्री जी का वक्तव्य उसी पर निर्भर है, मंत्री जी के उत्तर में जगह-जगह विरोधाभास है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस सम्मानित सदन की एक समिति बना कर इस सारी घटना की जांच कराने को कृपा करेंगे ? नम्बर २, जो छात्र जेल में हैं, उनका डाक्टरी मुआयना शायद हुआ होगा और यदि हुआ होगा तो उसके आधार पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जाएगी ?

नम्बर ३ जो छात्र जेल में बन्द है, उनकी बिना शर्त छोड़ने पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय सदस्य ने जो कहा कि सदस्यों की एक कमेटी इसके लिए बनाई जाए, तो आधे घंटे से बहस चल रही थी, किसी और सदस्य ने इसे नहीं रखा, इससे मैं समझता हूं कि कमेटी बना देने भर से इसमें कोई लाभ नहीं होगा। जो हालत और तथ्य हैं उनके कारण कमेटी बनाने का कोई औचित्य मेरी निगाह में नहीं है। दूसरी बात यह कही गई कि जो चोटें आई हैं, माननीय सदस्य ने मान लिया है जेल में उनको डाक्टरी होती और हुई होगी। अस्पताल तो भेजा नहीं, जेल में भेजा है, किन्तु उनका डाक्टरी मुआयना अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। वहां लाठी डन्डे और रबड़ की गोलियां चली हैं, इसलिए यह कहना कि पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की जाए, तो मैं पुलिस की सफाई नहीं दे रहा हूं मगर विद्यार्थियों की शिकायत मैनेजमेन्ट से थी। हम नहीं चाहते थे कि पुलिस बीच में आये। लेकिन उन्होंने किसी के घर में घुसने की कोशिश की, अगर कानून के अन्दर मांग करते रहे होते तो पुलिस को जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो इन हालात में, जैसा विवरण दिया, सब बातें बतायीं, ऐसी बात मालूम नहीं होती है कि पुलिस के खिलाफ अलग से जांच सेट अप की जाय।

लड़कों के छोड़ने का जहां तक सवाल है, रवीन्द्र सिंह जी कह रहे थे, जब तोड़-फोड़ किया जायगा, किसी दुकान का माल कोई लूटेगा तो डकैती का जुर्म बनता है। मगर विद्यार्थियों को हम डकैत नहीं मानते। मगर तत्काल आश्वासन इसलिए नहीं दे सकते कि अभी स्कूल बन्द हैं, कानपुर शहर के बहुत से कालेजेज बन्द हैं। विद्यार्थी लोग यह आश्वासन दें कि सुचारुरूप से पढ़ेंगे, शान्तिपूर्वक रहेंगे, तब कानून के रास्ते में हेरफेर की कोशिश की जा सकती। वरना जैसा कानून है वैसा किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

अब यह प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री बाबू बदरे—

एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको नहीं ले रहा हूं। अब आप बैठिए।

हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षा में अनुपस्थिति के आधार पर विद्यार्थियों को बहिष्कृत किये जाने सम्बन्धी नियम ३०१ की सूचना के विषय में वक्तव्य देने के लिये शिक्षा मंत्री के लिये निर्देश

श्री अध्यक्ष—

अब गन्ना पेराई पर दो घंटे का विवाद शुरू होता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय, मैंने शून्य प्रहर में ध्यान आकृष्ट किया था कि कल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रारम्भ हो रही हैं। उपस्थिति का प्रतिशत कम होने की वजह से हजारों विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है। आपने सहानुभूति प्रकट करते हुए मेरी सूचना पर माननीय शिक्षा मन्त्री को निर्देश दिया था वक्तव्य देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि उस पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

यहां पर जो मंत्री बैठे हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने शून्य आवर में यह निर्देश दिया था कि माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो आज प्रश्न उपस्थित किया है उसका सम्बन्ध हजारों विद्यार्थियों से है और कल परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसलिए मैंने निर्देश दिया था कि शिक्षा मन्त्री जी आज वक्तव्य दें। अगर सरकार की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर सम्बन्धित मन्त्री न हों तो उनको दी गयी उस सूचना को पहुंचाएं, तो एक ऐसी स्थिति है जो अत्यन्त शोचनीय है। शिक्षा मन्त्री को बुलवाइये। मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया था कि यह व्यवस्था दी गयी है, कि सदन के उठने से पहले अवगत करा दिया जाय। अभी दो घंटे बहस चलनी है।

श्री अध्यक्ष—

आप शिक्षा मन्त्री को सूचित कीजिये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उनको पुनः सूचित कर रहा हूं।

गन्ने की पेराई की समुचित व्यवस्था न होने तथा घोषित मूल्य से कम पर खरीदे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

श्री नरेश चन्द्र वर्मा इसको चर्चा शुरू करेंगे। इसमें दो घंटे का समय है। आप कृपया इसमें समय का ध्यान रखें। दस मिनट से अधिक समय आपको नहीं मिलेगा। मुझे नियम से समय निर्धारित करना है। अन्य सदस्य इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

प्रश्न नहीं। इसमें स्पीचेज होंगी।

श्री अध्यक्ष—

स्पीचेज, मैंने कहा, लेकिन समय निर्धारित करने का नियम है ताकि ज्यादा सदस्य बोल सकें। तो इसमें पांच मिनट से ज्यादा का समय नहीं हो सकता।

श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष--

आप माइक पर बोलिए ।

*श्री नरेश चन्द्र--

माननीय, इस समय उत्तर प्रदेश में गन्ना से सम्बन्धित २ प्रमुख समस्यायें हैं । पहली समस्या काश्तकार के सामने इस बात की है कि गन्ना इस प्रदेश में इस वर्ष किस प्रकार से खतम हो । इसकी खपत के साथ ही साथ काश्तकारों की यह भी समस्या है कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जो तय किया गया था वह काश्तकारों को नहीं मिल पा रहा है । पहले जब हमने वादा किया था कि काश्तकारों को गन्ने का मूल्य १८ रु० और २० रु० देंगे लेकिन उतनी कीमत काश्तकारों को मिल पाना मुश्किल हो रहा है । मेरे जिले में ३-४ रुपये तक प्रति क्विन्टल की दर से मजबूरी में गन्ना बेचा जा रहा है । इस समय जनपद खीरी में १८२ खान्डसारी इकाइयां हैं । इनमें से ५६ सलफर प्लान्ट हैं जिनमें से केवल ३८ काम कर रहे हैं । १२६ नान सलफर हैं जिसमें केवल ७९ काम कर रहे हैं । इस समय स्थिति यह है कि जितनी खांडसारी इकाइयां हैं वह सभी काम नहीं कर पा रही हैं । २ लाख ८५ हजार एकड़ में गन्ना बोया हुआ है जिसमें अनुमानत: साढ़े तीन करोड़ क्विन्टल गन्ना होगा और जितनी मिलें हैं उनकी कैपासिटी है केवल डेढ़ करोड़ क्विन्टल की, तो जो २ करोड़ क्विन्टल गन्ना है वह कहां जावेगा । इस ओर शासन को ध्यान देना चाहिए इससे काश्तकारों का शोषण हो रहा है ।

मैं सदन के सामने वह तरीके जिन तरीकों से काश्तकारों का शोषण खान्डसारी इकाइयां करती हैं उनमें से कुछ का बयान करना चाहता हूं । मनमाने तरीके से ३-४ रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से काश्तकारों का गन्ना खरीदा जाता है । इसके अतिरिक्त जो गन्ने की कीमत दी जाती है उसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है और रसीद भी किन्हीं-किन्हीं क्षेत्रों पर दी जाती है । जो रसीद दी जाती है वह डुप्लीकेट फार्म पर नहीं होती है और जब वह रसीद खो जाती है तो काश्तकारों को गन्ना का पेमेन्ट नहीं मिल पाता है । जिन क्षेत्रों पर रसीद दी जाती है उस पर केवल काश्तकार का नाम और तारीख और गन्ने की कीमत लिखी जाती है, गन्ना कितना है और किस भाव से लिया गया है इसका कोई उल्लेख नहीं रहता है । कुछ ऐसे हैं जहां पर काश्तकार को जो पर्ची दी जाती है उसमें न तो खांडसारी का नाम होता है और न ही काश्तकार का नाम होता है । हर क्षेत्र पर कम तौल की शिकायत रहती है । एक-एक गाड़ी में एक-एक क्विन्टल गन्ने की कम तौल की जाती है। वेट्स एन्ड मेजरमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट क्या कर रहा है ? इसका कुछ पता नहीं है । कई बार कम तौल सम्बन्धी शिकायतें की गयी हैं लेकिन यह डिपार्टमेन्ट उस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है । किसी भी क्षेत्र की जांच आज तक नहीं हुई है ।

दूसरे और भी तरीके हैं जिनके द्वारा काश्तकार का शोषण किया जाता है । किसान जब गन्ना ले जाता है तो उसको इस बात के लिए बाध्य किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नरेश चन्द्र]

जाता है कि अपने साथ १०-१० बोझ वह गन्ने की पाती भी लावे। गन्ने की पाती खान्डसारी के कर्मचारी ईंधन के काम में लाते हैं और जो खान्डसारी की खोई होती है उसको १०-१० रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बेच लेते हैं। इसके साथ ही साथ किसान जो पाती लाता है उसकी कीमत उसको नहीं दी जाती है। काश्तकार को मजबूर होकर पाती ले जाना पड़ता है। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिनके द्वारा काश्तकार को परेशान किया जाता है। काश्तकार को इस बात के लिये बाध्य किया जाता है कि वह मिल से ५ किलो या १० किलो चीनी खरीदे और वह चीनी की कीमत ३·५० रु० ली जाती है और एक टिन शीरा लेने के लिए बाध्य किया जाता है। शीरे की कीमत किसान से २५ रु० प्रति क्विन्टल ली जाती है। इसके साथ ही साथ मिल मालिकों के आदमी बाहर रहते हैं जो किसान से ३·५० रु० में खरीदी हुई चीनी को २ रुपये या ढाई रुपये के हिसाब से खरीद लेते हैं।

इसके अलावा मान्यवर, जिस क्षेत्र में क्रशर लगा होता है उस क्षेत्र का गन्ना नहीं लिया जाता है। ५०-५० और ६०-६० मील से आने वाले गन्ने को लिया जाता है। वह इसलिए लिया जाता है कि वह मिल एरिया नहीं होता है और मनचाही कीमत उनको दी जाती है। २६ जनवरी को मैंने २-३ क्रशर्स की चेकिंग की। और उसकी एक रिपोर्ट मैंने जिलाधिकारी को दी और जिलाधिकारी ने उस रिपोर्ट को केन कमिश्नर के पास भेज दिया लेकिन उस रिपोर्ट पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उस रिपोर्ट में मुख्य रूप से दो चीजों की शिकायत की गयी थी एक तो कम तौल की ओर दूसरी कि गन्ने को उचित कीमत नहीं दी जा रही थी। गन्ना ७-८ रुपये प्रति क्विन्टल के दर से खरीदा जाता था। मैंने इन सबकी विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी थी। जितनी भी गिरफ्तारियां की जाती हैं वह सब स्पेशल कमोडिटीज ऐक्ट के मातहत की जाती हैं। गन्ना विभाग के अधिकारी जब जांच के लिए जाते हैं तो उसकी सूचना पहले ही कर दी जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि मालिक मौके पर मिलते नहीं हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। वे बाद में अपनी पक्की जमानत करवा लेते हैं। एफ० आई० आर० ही लिख कर रह जाती है।

७ मार्च, ९ मार्च, ११ मार्च को खीरी में ३-४ हजार काश्तकारों ने प्रदर्शन किया लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। २२ मार्च को किसानों ने इस बात के विरोध में प्रदर्शन किया कि गन्ना उनके क्षेत्र से क्यों नहीं लिया जाता है। उसके फलस्वरूप कुछ किसानों की गिरफ्तारी भी की गयी और उनको जेल में बन्द कर दिया गया। २२ मार्च को ही गन्ना की कीमत के लिए भी आन्दोलन किया गया तो उनके मालिकान ने उन पर फायरिंग तक करवा दिया, लेकिन इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गयी। २४ मार्च को जेल भरो आन्दोलन शुरू किया गया उसमें साढ़े पांच हजार काश्तकारों की गिरफ्तारी की गयी लेकिन स्थिति जहां की तहां बनी हुई है। २७ तारीख को माननीय राजस्व मन्त्री की मध्यस्थता से आन्दोलन को वापस लिया गया किन्तु उसका भी कोई हल नहीं निकला।

श्री अध्यक्ष--

समाप्त कीजिए। आपका १० मिनट हो गया है।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, काश्तकारों का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, उसका मैं जिक्र कर रहा हूं । शासन के सामने मैंने कई एक सुझाव रखे कि क्रशर्स के मालिकान, जो काश्तकारों के साथ किस प्रकार का तानाशाहीपूर्ण रवइया अख्तियार किए हुए हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जायं ? मेरा सुझाव पहला तो यह है कि उनको इस बात की नोटिस दी जाय कि उनके लाइसेन्स समाप्त कर दिए जायेंगे अगर वे इस वर्ष क्रशर्स नहीं चलायेंगे या काश्तकारों के विरुद्ध चुनौती स्वरूप अपने-अपने क्रशर्स नहीं चला रहे हैं या नहीं चलायेंगे । उनको इस बात के लिए भी आगाह कर दिया जाय कि अगर आइंदा आने वाले वर्षों में भी उनके घर वालों, उनके रिश्तेदारों को लाइसेन्स नहीं दिए जायेंगे । लेकिन शासन ने इस सम्बन्ध में भी कोई कदम नहीं उठाये हैं...।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं कि इस पर २ घंटे की चर्चा होनी है । इसमें आपको बोलते हुए १० मिनट से ज्यादा हो गये हैं, दूसरे लोग भी इस विषय पर बोलेंगे ।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, ४ लोगों के प्रस्ताव थे । इसमें कम से कम मझे १५ मिनट का समय दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें १५ मिनट बोलने की कोई व्यवस्था नहीं है । मैंने पहले ही लाल बत्ती जला कर आपको समाप्त करने का संकेत कर दिया था । आपको तभी से समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए थी । अब आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए ।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, एक मिनट में मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं क्या कर सकता हूं ? अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मेरा एक सुझाव यह भी था कि क्रशर्स के मालिकों की तानाशाही को समाप्त करने के लिए उनके क्रशर्स को टेक ओवर कर लिया जाय । वे अगर इस बात से भी तानाशाही समाप्त नहीं करते हैं तो उनको इस बात की चेतावनी दी जाय कि २ १/२ या ३ लाख रुपया, जो उन्होंने अपने इनकम टैक्स के पेपर्स में दिखा रखा है, जबकि वास्तव में १२-१३ लाख रुपये में सल्फर प्लान्ट्स बनते हैं, वही उनको देकर उनके क्रशर्स को ले लिया जाय और उनकी छुट्टी कर दें । अगर फिर भी उनकी तानाशाही समाप्त नहीं होती है तो उन्होंने जो गांव समाज की २-२ एकड़ जमीन हथिया रखी है उससे उनको

[श्री नरेश चन्द्र]

बेदखल किया जाय । उनको किसी न किसी प्रकार से अपने-अपने फ़ार्म को चलाने पर मजबूर किया जाय लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है । आज भी काश्तकार इन फ़ार्मों के मालिकान का शिकार हो रहा है ।

(गन्ना विकास मन्त्री को पुकारे जाने पर ।)

(गन्ना विकास मन्त्री) श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, यह तो चर्चा का विषय है । अभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार प्रकट करेंगे, उसके बाद...।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५४ में यह है कि :--

"सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा । जिस सदस्य ने सूचना दी हो, वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मन्त्री संक्षेप में उत्तर देंगे । किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी ।"

इसलिए आप उत्तर दीजिए तभी तो विवाद होगा ।

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, नियम ५२ का नोटिस नहीं है, यह तो चर्चा का विषय है ।

श्री अध्यक्ष--

आप देखिए आज के एजेन्डा में यह लिखा है कि गन्ने की पेराई के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर २ घंटे की चर्चा होगी । नियम ५४ में यह लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति, जिन्होंने पहले नोटिस दी है, उनके तथ्य सुनने के बाद आप बोलेंगी । क्या आप तैयार नहीं हैं ?

*श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, माननीय सदस्य मेरे पास आये थे और उन्होंने जो यहां पर चर्चा की है, उसका मेरे पास शिकायती-पत्र दिया था । मैंने उसी वक्त, उसी दिन इसके लिए व्यवस्था की कि जो इस तरह से इकाइयां, खान्डसारी कर रही हैं, उसकी जांच और उसकी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था । किन्तु मान्यवर, माननीय मा० सदस्य को संतोष नहीं था । उसके बावजूद वहां पर जाकर कुछ ऐसी गतिविधियां की गयीं, जिसके अन्तर्गत व्यवस्था, कानून को अपने हाथ में लेना पाया गया । उसमें मध्यस्थता राजस्व मंत्र ने की थी । राजस्व मंत्री की मध्यस्थता से संतोष नहीं हुआ और उन्होंने खीरी में एक तरह से काफी ऐसी अव्यवस्था कर दी, जिसका मैं वर्णन कर रही हूं वह उसको वहां से जो इकाई, यूनिट, खान्डसारी वाले थे वह वहां पर हाई कोर्ट में चले गये थे, हाई कोर्ट में रिट दायर कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया था । उसके अन्तर्गत आदेश था कि ८ रुपये काश्तकारों को दिया जाय, १·४० बैंक में जमा किया जाय, बाद में जो निर्णय हाई कोर्ट में होगा, तो फिर निर्णय के अनुसार भुगतान किया जाय । लेकिन सदस्य को सब कुछ मालूम था । सरकार की तरफ से ऐसा व्यवस्था थी । हाई कोर्ट के आदेश हो चुके थे । उसके अन्तर्गत यह बाधा या अव्यवस्था करना अनुचित था और विभाग की तरफ से यह समुचित व्यवस्था की गयी थी कि जो खाण्डसारी इकाइयां हैं, वह पेराई में लगी रहें और किसी तरह से व्यवस्था बिगड़ने न पाये । लेकिन माननीय सदस्य इस प्रकार से दो दफे अपनी गतिविधि और किस तरह से मैं नहीं कह सकती, उन्होंने अपना इस तरह से कार्यक्रम जारी रखा और उसके अन्तर्गत काफी आग लगा दी खोई में और जब बुझाने गये, तो उसकी भी तोड़-फोड़ की । इस प्रकार की गतिविधि जो थी वह अनुचित थी ।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए यह जानना चाहता हूं कि माननीया गन्ना मंत्री जी ने यह गन्ना पालिसी के ऊपर बयान दिया है या माननीय सदस्य को व्यक्तिगत जवाब दिया है । माननीया मंत्री जी गन्ना पालिसी पर तो कुछ बोली नहीं । माननीय सदस्य ने जो अपनी गतिविधियां लखीमपुर में रखी होंगी, उसका उत्तर आया है । तो यह व्यक्तिगत उत्तर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम ५२ के अन्तर्गत उत्तर होना चाहिए । माननीय नरेश चन्द्र वर्मा तथा राजेन्द्र कुमार जी तथा अन्य लोगों ने सूचना दी । इस पर मैंने इसको स्वीकृत किया और आज की तिथि मुकर्रर की । हमारे सचिवालय से उस सूचना की प्रतिलिपि अपने एक नोट के साथ में भेज दी कि इस पर दो घंटे की चर्चा होगी । माननीया मंत्री जी से यही अपेक्षा की जाती थी । यह व्यक्तिगत सवाल नहीं है । नियम ५२ में जितने प्रदेश में खाण्डसारी यूनिट हैं, चीनी की मिलें हैं, क्या गन्ना सप्लाई की स्थिति है, किसानों के पेमेन्ट की क्या स्थिति है, इस सब पर माननीय मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए था । तो मैं पुनः उनका ध्यान आकर्षित करूंगा । यदि विभाग ने पूर्ण सूचना नहीं दिया है, तो मैं आज इसको स्थगित करता हूं ।

श्रीमती चन्द्रावती—

माननीय, मैं पढ़ रही हूं, मेरे पास है ।

गन्ना की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में आज इस चर्चा में जो बातें उठाई गयी हैं तथा जो सुझाव माननीय वक्ताओं ने सदन में रखे हैं, उनका स्वागत करते हुए...।

एक सदस्य—

फिर व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय, फिर व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष --

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप चर्चा करना चाहते हैं, उसका लाभ उठाइए ।

श्रीमती चन्द्रावती---

मान्यवर, गन्ना की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में आज की चर्चा में जो बातें उठाई गई हैं तथा जो सुझाव माननीय वक्ताओं ने सदन में रखे हैं उनका स्वागत करते हुए इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्यों द्वारा ली गई रुचि के लिए मैं आपके माध्यम से सबसे पहले उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अगर कोई लिखित वक्तव्य ये दे रही हैं तो उसकी प्रति सारे माननीय सदस्यों को मिलनी चाहिए और अगर वह जवाब दे रही हैं तो इस तरह से लिखित वक्तव्य को पढ़ा नहीं जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष —

दो घंटे के विवाद में यह कोई वक्तव्य नहीं है जो आपको प्रसारित किया जाय । माननीय मन्त्री जी अपनी सहायता के लिए लिखित वक्तव्य ले रही हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

यह नई परम्परा आप स्थापित कर रहे हैं । यह व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपसे ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसी परम्परा न कायम करें जो इस सदन के बाहर उपहास का विषय बने ।

श्री अध्यक्ष --

पाण्डेय जी, सदन का उपहास नहीं होगा और लिखित वक्तव्य तो संसद में, राज्य सभा में भी सदस्य लोग उससे मदद लेते हैं । अगर लिखित वक्तव्य से अपना व्याख्यान देती हैं मन्त्री जी तो आपत्ति की बात नहीं । मैं आपको भी अनुमति दे दूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

एक ही निवेदन है कि अगर वह पढ़ रही हों और आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । आपने राज्य सभा, लोक सभा की बात कही । एक ही निवेदन है कि अगर पढ़ रही हैं लिखित तो कम से कम ऐसा पढ़ें जिसमें सदस्यगण संशोधन करते चले जायं ।

श्री अध्यक्ष --

माननीय मन्त्री जी, गन्ना विकास । जरा आहिस्ता-आहिस्ता पढ़िए ताकि सब लोग सुन लें ।

श्रीमती चन्द्रावती---

वर्तमान स्थिति में गन्ना किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार भी उतनी ही चिंतित व जागरूक है जितने कि माननीय सदस्यगण । वर्त-

मान स्थिति में गन्ना किसानों के हितों को सुरक्षित करने के बारे में दो राय होने का प्रश्न नहीं उठता है तथा शासन इसके महत्व एवं इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतः जागरूक है । शासन द्वारा इस समस्या के निदान के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई है अथवा जो कदम उठाए गए हैं, उन्हें इस समस्या की पृष्ठभूमि में ही देखना उचित होगा ।

हमारे प्रदेश में वर्षों से गन्ना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण फसल रही है तथा एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल गन्ने के अन्तर्गत प्रति वर्ष बोया जाता है तथा पूरे भारतवर्ष में उत्पादित कुल चीनी का एक तिहाई भाग इस प्रदेश में उत्पादित होता है । इस वर्ष वर्तमान सरकार द्वारा प्रारम्भ से ही कृषि एवं कृषि उत्पादन पर विशेष बल देने के कारण इस वर्ष गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है तथा पिछले वर्ष के उत्पादन से २० प्रतिशत से भी अधिक होने का अनुमान है । परन्तु दुर्भाग्यवश इसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्यों में अप्रत्याशित गिरावट आ जाने के कारण देश के अन्दर भी चीनी, गुड़ तथा खांडसारी के मूल्यों में काफी गिरावट हो गई है जिसका गन्ने की खपत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा यहीं से वर्तमान समस्या का प्रारम्भ होता है । इस वर्ष जाड़े में बराबर होती रही बारिश से इस समस्या का रूप और गम्भीर हो गया क्योंकि गन्ने की पेराई जो गुड़ तथा खांडसारी के उत्पादन के लिए होती है मौसम की खराबी के कारण बार-बार बन्द होती रही ।

हमारे प्रदेश में कुल ८४ चीनी मिलें हैं और उनके सुरक्षित क्षेत्र में जो गन्ने का उत्पादन होता है उसका लगभग २५ से ३० प्रतिशत भाग चीनी मिलों द्वारा पेरा जाता है, ११ प्रतिशत खांडसारी उत्पादन के कार्य में आता है तथा ४०-५० प्रतिशत अर्थात सबसे बड़ा भाग कृषकों द्वारा गुड़ बनाने के कार्य में लाया जाता है और शेष भाग बीज तथा चूसने के कार्य में आता है । इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि गुड़ का उत्पादन कुल गन्ने के निस्तारण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ।

इस वर्ष गुड़ के दाम पिछले वर्ष की बनिस्बत जनवरी के माह से एक दम कम होते गए जिसके फलस्वरूप गन्ना किसानों में स्वयं गुड़ बनाने की उत्सुकता नहीं रही । जब कि बढ़े हुए गन्ने के उत्पादन को देखते हुए इस वर्ष गुड़ तथा चीनी इत्यादि का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ाना चाहिए था । स्पष्ट है कि गन्ने की बाहुल्यता की वर्तमान समस्या मुख्यतः गुड़ के सीमित उत्पादन के कारण उत्पन्न हुई है ।

गन्ने के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने चीनी मिलों तथा खांडसारी इकाइयों पर बराबर यही बल दिया है कि वे अधिक से अधिक उत्पादन करें तथा ऐसा हो भी रहा है । इस वर्ष चीनी मिलों द्वारा प्रतिदिन जो औसत गन्ना पेराई की जाती है वह पिछले वर्ष की अपेक्षा १० प्रतिशत अधिक है तथा इसी तरह खांडसारी इकाइयों के द्वारा भी दिनांक ३१ मार्च, १९७८ तक जो उत्पादन किया गया है वह पिछले वर्ष इसी तिथि तक किए गए उत्पादन से १५ प्रतिशत अधिक है ।

शासन द्वारा वर्तमान गन्ना सत्र के प्रारम्भ से ही गन्ना किसानों का प्रत्येक प्रकार से हित सुरक्षित करने का यथा सम्भव प्रयास किया गया है । यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने इस समस्या के निदान के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था या ठोस कदम नहीं उठाए हैं । इसके विपरीत सीजन के प्रारम्भ से ही सरकार

[श्रीमती चन्द्रावती--]

इस ओर जागरूक है तथा गन्ना किसानों का हित सुरक्षित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया गया है । इस सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट कदम जो सरकार ने उठाए हैं वह निम्नलिखित हैं :--

(१) बावजूद उत्पादन में वृद्धि के सरकार द्वारा चीनी मिलों को पूर्ति किए जाने वाले गन्ने क मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा २५ पैसे प्रति क्विन्टल बढ़ाकर दिलाया गया है । इसी तरह खांडसारी इकाइयों द्वारा देय गन्ना मूल्य में भी २० पैसे से ४० पैसे प्रति क्विन्टल तक की वृद्धि की गई है ।

(२) देश में चीनी की खपत को प्रोत्साहित करके चीनी उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार से चीनी मिलों, खांडसारी इकाइयों द्वारा देय आबकारी शुल्क में पर्याप्त कमी कराई गई ।

(३) गन्ने की जल्द से जल्द पेराई करने के उद्देश्य से गुड़ बनाने के लिए गन्ना किसानों को बिना किसी प्रतिबन्ध के खड़ा कोल्हुओं के परमिट दिए जाने की उदार नीति अपनाई गई तथा इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा ३२२३ खड़े कोल्हुओं के अधिक परमिट दिए गए । इसी तरह क्रशर्स को लाइसेंस देने की नीति भी उदार बनाई गई तथा क्रशर लगाने के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र देने की तिथि जो साधारणतः ३० सितम्बर होती है ३१ मार्च तक बढ़ाई गई । जहां पिछले वर्ष लाइसेन्स चुने हुए पांच जिलों में ही सुरक्षित क्षेत्र में दिए जाते थे इस वर्ष ऐसे लाइसेन्स प्रदेश के समस्त जिलों में दिए जाने के आदेश प्रदान किए गए । इस उदार नीति के अन्तर्गत इस वर्ष ७८८ नए क्रशर्स के लाइसेन्स दिए गए ।

(४) चीनी के गिरे हुए बाजार भाव के बावजूद चीनी मिलों को निरन्तर चालू रखने तथा उनके द्वारा अधिक से अधिक गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से लेवी के मूल्य में १८ रुपए प्रति क्विन्टल की वृद्धि कराई ।

(५) अधिक से अधिक गन्ने की पेराई के साथ-साथ गन्ना किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य भुगतान भी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने चीनी मिलों तथा खांडसारी इकाइयों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने पर देय क्रय-कर में भी छूट दी है ।

(६) गुड़ एवं खांडसारी के गिरे हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ मिलकर गुड़ एवं खान्डसारी दोनों ही वस्तुओं की खरीद सीधे उत्पादकों से करने की व्यवस्था की गई । गुड़ की खरीद भारतीय खाद्य निगम तथा नफेड के माध्यम से हो रही है तथा खांडसारी की खरीद पी० सी० एफ० के माध्यम से । गुड़ के सम्भरण के लिए विशेष तरह के गोदामों की आवश्यकता होती है जिनकी इस समय प्रदेश में व्यवस्था नगण्य है । बावजूद इसके शासन द्वारा गन्ना किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए गुड़ की खरीद की जा रही है जिसमें समुचित सम्भरण क्षमता तथा अन्य साधनों की कमी के कारण बहुत काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

(७) राजकीय खरीद के अतिरिक्त खांडसारी इकाइयों को और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक ओर तो भारत सरकार द्वारा खांडसारी के सम्भरण पर लगाए गए प्रतिबन्ध को एक हजार कुन्टल से बढ़ाकर पांच हजार क्विन्टल कराया तथा इसी के साथ-साथ खांडसारी के स्टाक पर बैंक से मिलने वाले अग्रिम की धनराशि को भी और बढ़ाया ।

(८) अधिक से अधिक खांडसारी इकाइयों द्वारा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रतिदिन बिजली की व्यवस्था कराई गई ।

(९) देश में चीनी तथा गुड़ के मूल्यों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से इन वस्तुओं पर लगे प्रतिबन्ध को हटवाते हुए ६.५० लाख टन चीनी के निर्यात की व्यवस्था कराई गई तथा गुड़ के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबन्ध समाप्त करा दिए गए ।

(१०) वर्तमान स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर गन्ना किसानों को निर्धारित मूल्य से कम मूल्य भुगतान किए जाने के प्रयास कुछ अस्म।-जिक तत्वों द्वारा किया गया तथा शासन से ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए तुरन्त कदम उठाए । क्रशर्स द्वारा भुगतान किए जाने वाले गन्ना मूल्यों की जांच मुख्यालय एवं अन्य स्तरों में एक बड़ी संख्या में जांच दल द्वारा कराई गई तथा सभी जिला मजिस्ट्रेटों एवं गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि ऐसी खांडसारी इकाइयों द्वारा भुगतान किए जा रहे गन्ना मूल्य की जांच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि गन्ना किसानों को उनके गन्ने का सही मूल्य मिल रहा है ।

(११) इन जांच दलों द्वारा की गई जांच के आधार पर अब तक लग रग १४०० इकाई स्वामियों के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं के मामले पकड़े गए और एक बड़ी संख्या में खांडसारी इकाइयों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य से कम मूल्य देने के विरुद्ध याचिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर कर दी गई हैं और अब तक ४५० मामलों में न्यायालय के यह आदेश प्राप्त हो चुके हैं कि खांड-सारी इकाइयां जो भी उचित मूल्य समझें गन्ना किसानों को भुगतान कर दें तथा इस तरह भुगतान किया गया मूल्य तथा शासन द्वारा निर्धा-रित मूल्य के अन्तर को किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में जमा कर दें । ऐसे मामलों में जो गन्ना किसानों को इस समय भुगतान हो रहा है वह स्पष्टतः सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य से कम दर पर हो रहा है क्योंकि ऐसी व्यवस्था न्यायालय के आदेश के अनुसार हुई है और इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है ।

सरकार द्वारा लिए उक्त कदमों को देखने से यह स्पष्ट है कि सरकार वर्तमान समस्या के प्रति न केवल पूर्ण रूप से जागरूक है बल्कि इसके समाधान के लिए सभी सम्भव प्रयास एक प्रभावी रूप से कर रही है । समस्या की गम्भीरता का पूर्ण रूप से अनुभव करते हुए राज्य सरकार उसके सभी पहलुओं का समन्वित रूप से भारत सरकार रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर की अनेकों संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से सुलझाने का पूरा प्रयास किया है तथा करती रहेगी ।

[श्रीमती चन्द्रावती—]

मान्यवर, अंत में मैं कहना चाहती हूं कि सरकार द्वारा इतने कदम उठाए गए हैं और जिस प्रकार से माननीय सदस्य अपने विचार यहां रख रहे हैं किसानों के हित के लिए तो उसमें सरकार पूरी तरह से जागरूक है। कुछ ऐसी व्यवस्थायें भी हैं जैसे कि कम मूल्य की शिकायतें हैं तो उसमें ४५० हाई कोर्ट में याचिकायें दायर कर दी गई हैं। इसके अलावा एक लेटेस्ट सूचना मिली है कि कुछ किसानों ने हाई कोर्ट में जाकर याचिकायें दायर की हैं कि हमें सरकार द्वारा जो ९.४० रु० मूल्य दिलवाया गया है उससे हमारी क्षति हो रही है। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो इस गन्ने की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है उसका कारण है कि ३० साल सरकार के द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए जो अव्यवहारिक नीतियां अपनाई गई हैं उसका परिणाम है कि उसने एक जटिल रूप धारण कर लिया है।

अभी कुछ देर पहले भाषण देते हुए माननीय नरेशचन्द्र जी ने काश्तकारी का किस तरह से शोषण हो रहा है, इसका बड़ा स्पष्ट चित्र माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया। मान्यवर, जिस समय यह सरकार आई तो यह समस्या जिस रूप में इसको मिली उसको निपटाने के लिए इस सरकार ने साहसिक कदम उठाया। समस्या हमारे सामने थी। इस सरकार ने चाहे थोड़ा ही किया हो लेकिन काश्तकार के लिए गन्ने की कीमत भी बढ़ाई। गन्ना इतना ज्यादा था कि सरकार के सामने भीषण समस्या थी। चीनी का स्टाक भी इनके पास था। इसलिए इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। जो दीर्घ-कालीन उपाय हो सकते हैं उसकी चर्चा इस समय नहीं करना चाहता। तात्कालिक समस्या यह है कि किसान का गन्ना खेत में खड़ा हुआ है। उसका गन्ना सूख रहा है। वह परेशान है। वह चाहता है कि उसका गन्ना पिर जाय।

नम्बर दो यह कि उसका जो शोषण हो रहा है और घोषित मूल्य से कम मूल्य मिल रहा है उसको देखा जाय। जब गन्ना तुलाने के लिए जाता है तो उसका गन्ना कम तौला जाता है। सरकार ने घोषणा की कि इन समस्याओं का निदान करेंगे लेकिन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से यह परिणाम हो रहा है कि काश्तकार का जो हित होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि समस्त काश्तकारों का गन्ना जब तक पेरा नहीं जायगा तब तक कोई भी परिस्थिति न हो जाय यह मिल और क्शर चलवाए जाएंगे। यह घोषणा मन्त्री जी को हिम्मत के साथ सदन में आज करनी चाहिए। दूसरे जो मिलें देर तक चलने वाली हैं वहां गन्ना डाइवर्ट किया जाय। सरकार का एक आदेश है जिसमें लिखा है कि सख्ती की जाय ला मे बी एमेन्डेड। लेकिन जिले के बैठे अधिकारी इसको नहीं करेंगे। वह संशोधन नहीं कर सकते। सख्ती यहां से बरतें। अब मैं कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं। आपने आदेश कर दिया कि गुड़ खान्डसारी खरीदी जायगी। सीतापुर के लिए भी आदेश कराए थे। लेकिन वहां आज भी गुड़ की खरीददारी नहीं हो रही है। लखीमपुर में भी नहीं हो रही है। पता लगा है कि सरकार के आदेश चले गए लेकिन वेयर हाउसिंग का भंडार गुड़ लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उसमें कानूनी बाधाएं हैं वह बतला देने से हमें संतोष होने वाला नहीं है। हम आदेशों का पालन चाहते हैं। गोदाम हैं या नहीं इससे हम सम्बन्धित नहीं हैं। सरकार के पास गोदाम नहीं है तो निजी व्यक्तियों के गोदाम लेकर स्टोर किया जा सकता है। सरकार ने निश्चय किया है, घोषणा की है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गुड़ और खंडसारी की खरीद प्रारम्भ होनी चाहिए।

सीतापुर जिले की दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। गोजर का इलाका है। सूली नामक स्थान है। वहां पर कांटा लगा दिया जाय। वहां नदी नाले हैं इसलिए काश्तकार परेशान होते हैं। एक मंत्रिमंडल के सदस्य इसमें पूरी दिलचस्पी रखते थे कि वहां कांटा लगा दिया जाय। लेकिन बार-बार आदेश होने के बाद भी वहां कांटा नहीं लगा। मैं चाहता हूं मंत्री जी इसका भी स्पष्टीकरण कर दें महमूदाबाद चीनी मिल की घोषणा हो गई थी लेकिन वह भी खटाई में पड़ गई। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि मन्त्री जी आश्वासन दें कि जो आदेश हुए हैं उनका पालन कर्मचारी वर्ग द्वारा कराया जायगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

माननीय अध्यक्ष जी, यह उन पीड़ित किसानों का मामला है कि इसको अगर राजनैतिक मामला हमारे माननीय सदस्यगण न बनायें तो बेहतर बात होगी। मैं जानता हूं कि इस वक्त गन्ना किसान कितने घोर संकट में हैं। गन्ना बिकने के बजाय, मान्यवर, जलाने की स्थिति में आ गया है। मैं एक पर्यवेक्षक के रूप में कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि इसी सदन में, आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, मेरे मित्र मालवीय जी १९७४-७५ में गन्ना किसानों को २० रुपये दिलाने की बात करते थे। लेकिन यह बात तब करते थे, जब वे सत्ता में नहीं, विरोध में थे। लेकिन आज जबकि जनता ने उनकी आकांक्षा को पूरा किया, तो पहले वायदे का विरोध किया। २० रुपय तो उस वक्त कहते थे, जिस वक्त विरोध पक्ष में थे। जब सत्ता में आ गए तो केवल २५ पैसे बढ़ाया गन्ने का मूल्य। तो पहले तो गन्ना किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है इस शासन ने गन्ने के मूल्य में केवल २५ पैसे बढ़ाया। दूसरी बात यह कि २५ पैसे कब बढ़ाया ? जब कि किसानों की लागत बढ़ चुकी थी। तब २५ पैसे बढ़ाया। इस शासन की नीति और अविवेक के कारण इनको इस बात का भान ही नहीं रहा कि किसी प्रकार यह संकट आयेगा। गन्ने की स्थिति इस प्रकार हो जायेगी कि गन्ना किसान त्राहि-त्राहि करने लगेंगे, इसके बारे में शासन का ख्याल ही नहीं रहा।

दूसरे इनकी चीनी की नीति जो घोषित हो जानी चाहिये थी, वह चीनी की नीति घोषित हुयी अक्तूबर-नवम्बर महीनें में। अक्तूबर और नवम्बर के महीने में कौन मिल मालिक पिराई का काम करेगा या शुगर मिल चलाने का काम करेगा? इस शासन ने, मान्यवर, आपके अविवेकपूर्ण नीति के कारण स्थिति पर कभी विचार ही नहीं किया। जानबूझकर शुगर पालिसी को इतने दिनों तक टाला गया और आज जो संकट आया है, वह शासन की नीति के कारण आया है। लेकिन इसके बावजूद कि कोई इस सम्बन्ध में आश्वासन देते और कोई तरीका निकालते, हमारे माननीय सदस्य ३० वर्ष की बात करते हैं। लेकिन ३० वर्षों में जो भी निर्धारित मूल्य था, उससे कम कभी गन्ना नहीं बिका। यह प्रथम बार है कि तीन रुपये और ४ रुपये गन्ने बिकने की स्थिति नहीं और जलाने की स्थिति में आ गया है।

[श्री गुलाब सेहरा--]

मान्यवर, शासन को अगर थोड़ा सा भी दर्द था या किसानों की वेदना का अहसास था तो खण्डसारी और गुड़ के प्रदेश में निर्यात पर प्रतिबन्ध न लगाती जबकि अन्य प्रदेशों में गुड़ और खण्डसारी की मांग हो रही है। लेकित प्रतिबन्ध लगा दिया निर्यात में।

दूसरी बात अगर शुगर मिल वाले गन्ना नहीं खरीद रहे तो क्रशर वाले खरीदेंगे यह कहते हैं। क्रशर उ: व्यक्तिगत लोगों का उद्योग है मान्यवर, जिन्होंने सदैव किसानों का शोषण किया है और ९.४० पैसे करने के बाद भी कोई क्रशर वाला उत्तर प्रदेश में विशेष रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना नहीं खरीद रहा।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब पालिसी ही इतनी लेट शुरू हुई तो इसमें पूरा का पूरा दोष शासन का है। लेकिन दूसरी बात कहना चाहता हूं। अगर शासन थोड़ा विवेक और समझदारी से काम लेता और उसके दिल में किसानों के प्रति दर्द होता, तो यह स्थिति न उत्पन्न होती। वायदों की बात छोड़िये। वह तो चुनाव की बात है कि किसानों की तरक्की करेंगे, पालिसी में किसानों की तरक्की की बात करेंगे, किसान के दर्द को शासन ने समझा ही नहीं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जो शुगर मिलें बनने वाली थीं, जिन शुगर मिलों का निर्माण हो सकता था लेकिन...मान्यवर, सजग शब्द तो पूरी तरह से इस सरकार ने आत्मसात् कर लिया है। जब भी कोई समस्या आती है तो उत्तर दे देते हैं कि इसमें शासन सजग है। तो वह जो मिल निमार्णाधीन थे, उन मिलों के निर्माण में इतनी शिथिलता बर्ती गई कि उनकी स्थिति आज यह है कि जो मिल चल रहे हैं वे उस मूल्य पर लेने को तैयार नहीं हैं। मेरा यह कहना है कि बजाय विवाद के या टीका टिप्पणी करने के, विरोध करने के कोई ऐसी राहत की घोषणा की जाय। अभी मन्त्री जी ने मूल्य की बात कही कि यहां ९.४० पर लिया जा रहा है, शुगर मिल वाले जो रेट प्रेक्टाइज्ड है उस पर ले रहे हैं। इस तरह के यहां सदन में गुमराह करने वाले बयान देना ठीक नहीं। असलियत पर किसानों के मर्म को समझते हुये एक घोषणा करें जिससे कि जितना भी किसानों का गन्ना पड़ा हुआ है उसकी पिराई हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से फिर आग्रह करूंगा कि कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा तरीका निकाला जाय जिस में समस्त किसानों का गन्ना पिराया जा सके और उन्हें अपनी लागत का मूल्य मिल जाय। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आग्रह करूंगा.....।

श्री अध्यक्ष--

आप दोहराये नहीं।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्.....।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मुझे पहले ले लिए होते.....।

श्री अध्यक्ष--

जिनका नाम है पहले उन्हीं को ले रहा हूं। आप इन्तजार कीजिये।

श्री विजय राज सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गन्ने की जो विकराल समस्या है, मेरी निजी राय में इसके दो कारण हैं। एक तो प्रदेश के जो केन कमिश्नर हैं इनकी घोर अयोग्यता और दूसरे हमारे माननीय गन्ना विकाश मन्त्री जी की घोर लापरवाही.....।

एक सदस्य--

विनाश मन्त्री।

श्री विजय राज सिंह--

जी हां।

एक सदस्य--

विनाश मन्त्री भी हैं कोई शासन में।

श्री अध्यक्ष--

गन्ना विकास मन्त्री हैं शासन में।

एक सदस्य--

गन्ना विकास मन्त्री शासन करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

गन्ना विकास मन्त्री कहिये।

श्री विजय राज सिंह--

मैंने गन्ना विनाश मन्त्री ही कहा। वह सही है। मेरी धारणा इसके बारे में यही थी। जब पिछले बजट सेशन में मन्त्री जी विभाग की मांग रख रही थीं तो इन्होंने खुद अपने बयान में यह माना था कि यह गन्ना विनाश विभाग है। मैं भी इस को गन्ना विनाश विभाग ही मानता हूं। बयान मन्त्री जी ने किया था।

मैं अर्ज कर रहा था कि इस प्रदेश का जो केन कमिश्नर है उसकी घोर अयोग्यता है। जिस दिन गन्ना बोया, फसल पक कर आ गयी इस विभाग ने आंकड़े दिए कि प्रदेश के अन्दर गन्ना बहुत अधिक हुआ है। हमारे मन्त्री जी यहां पर आ गयी इन्होंने केन्द्रीय सरकार पर चीनी की नीति के बारे में कोई दबाव नहीं दिया। मैं समझता हूं कि किसी दूसरे पर समस्या को टालना गलत बात होगी। आप को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं करनी चाहिए कि हम क्या करें। आपकी अयोग्यता और असक्षमता के कारण सही दाम पर गुड़ की सरकारी खरीद नहीं हो सकी। चीनी के दाम कम हो गए। गुड़ डम्प हो गया। गन्ना उत्पादकों को दोष देना गलत है। मान्यवर, २८ जनवरी को मुख्य मन्त्री जी मेरठ तशरीफ लाये थे। मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप खांडसारी और गुड़ को सरकारी एजेन्सी से खरीद और इस पर एक डेढ़ महीने में निर्णय लें। लेकिन निर्णय नहीं हुआ डेढ़ महीने तक। कल हम ने अपने जिलाधीश से मालूम किया। सरकार के यहां से हुक्म हुआ है कि जो

[श्री विजय राज सिंह—]

मार्केट रेट है उससे ३, ३ रुपये फालतू पर गुड़ लिया जाय। ४५ रुपये का ऐलान किया। लेकिन जो मार्केट रेट है। उससे २, ३ रुपये फालतू लिया जाता है। यह सरकार का सरासर धोखा है किसान के साथ। उसे यह घोषणा नहीं करनी चाहिये थी अगर वह उसे यह रेट नहीं दिला सकती थी तो। अगर ४५ रुपये मन पर गुड़ खरीद ही लिया जाता तो क्या समस्या थी लेकिन ४५ रुपये मन पर नहीं लिया, यह समस्या जो इस समय उठ खड़ी हुई। उसके समाधान के लिए मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय मन्त्री जी उस पर गौर करेंगे। किसानों की पर्चियां जो हैं उनका एकाउन्ट खुलवा दें। इससे बैंकों को फायदा होगा। लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। किसान की पर्ची न भुनने की जो समस्या है उससे भी उसको छुटकारा मिलेगा। इसका प्रयोग जहांगीराबाद में किया गया है। किसान का गन्ना आता है। उसकी पर्ची एकाउंट फार होती है। वह बैंक को चली जाती है। किसान को इससे निश्चिन्तता रहती है कि उनका रुपया बैंक में चला गया। दूसरे अगर आप किसान को राहत देना ही चाहते हैं तो जो पर्चियां हैं गन्ने की उनको हुंडियों में तब्दील करवा दीजिये ताकि सरकारी दफ्तर उसे आनर करें और किसान पर जो बैंकों का कर्जा है या उस पर जो अन्य सरकारी देनदारी है वह उसमें एडजस्ट हो जायगी। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि लगान और सिंचाई के अन्दर छूट दीजिये इससे आपकी नेकनीयती जाहिर हो जायगी। एक घटना की मुझे याद आती है। १९७१–७२ के युद्ध में जनरल मानिक शाह पाकिस्तान को धमकाया करते थे और रोज ब्राडकास्ट में कहते थे सरेंडर। हमारे मन्त्री जी को मिल मालिक तथा क्रशर के मालिकान लगातार धमकाते रहे हैं सरेंडर और किसान को फायदा देने के नाम पर लगातार मिल मालिक तथा क्रशर मालिकान को यह सरकार सरेंडर करती रही है। उनको इसने २७, २८ करोड़ रुपये का फायदा मिल मालिकान को यह कह कर दे दिया कि इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा लेकिन उनको एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ और सरेंडर कर दिया इस सरकार ने मिल मालिकों के सामने। बन्दोबस्त ठीक न करके पार्टी की प्रतिष्ठा और हितों को इसने सरेंडर कर दिया मिल मालिकों के सामने। आज आप जा नहीं सकते गांव के अन्दर। अपना प्रोग्राम कुछ मन्त्रिगण ने जाने का खत्म कर दिया। यह राजेन्द्र कुमार जी अथवा किसी के कहने से कि तीस साल से कांग्रेस ने यह समस्या उलझा रखी है इससे काम चलने वाला नहीं है। आपकी अब जिम्मेदारी है और जो वायदा हम करते रहे हैं उसे पूरा करना होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त कीजिए।

श्री विजय राज सिंह—

अच्छी बात है। जय हिन्द।

*श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मान कर चलता हूं कि जिस तरह से इस प्रदेश की सरकार ने गन्ने के विषय में किसान के साथ विश्वासघात किया है, उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए सारे गन्ना विभाग को तथा गन्ना मन्त्री को पब्लिकली प्रासिक्यूट किया जाय। उसकी वजह यह है कि सारा विभाग अक्तूबर से इस बात को जानता था कि इस बार गन्ने का क्राइसिस आयेगी। जितने बड़े-बड़ अधिकारी हैं उनसे और केन कमिश्नर से मेरी बात चीत हुई और कहा गया कि गन्ने का क्राइसिस आने वाला है लेकिन चार महीने के बाद माननीय मन्त्री नें एक दर्जन काम गिनाये और इस मकसद की घोषणा की तकि किसान का गन्ना पिर जाय चाहे उसमें एक्साइज ड्यूटी की माफी हो, अथवा एक्सपोर्ट खोलने की बात हो या सल्फर के परचेज के लिए भी व्यवस्था करने की बात थी। लेकिन इन सब चीजों का नतीजा क्या निकला? उस का नतीजा यह निकला जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि शारदा सहायक फैक्टरी का २९.६५ लाख टन का आफर था जिसमें से १८ लाख टन अ.ज भी गिरने से बाकी है। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर ६० प्रतिशत किसानों का गन्ना अभी भी खेतों में खड़ा है। यह जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर नहीं है? क्या फौल्टी पालिसीज के कारण ऐसा नहीं हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त इस गन्ने को लेकर गन्ना सोसाइटियों में खुला बिजनेस हुआ है। मैं आपको उदाहरण पेश करना चाहता हूं। अभी १५ फरवरी को माननीय मन्त्री जी मुरादाबाद गई थीं लिखित रूप में उन्हें दिया गया था। १५ फरवरी से आज तक २ महीने गुजर गये, आज भी वहां पर भ्रष्टाचार वैसे ही है। मुरादाबाद की एक सोसाइटी है जिसमें एक सिद्धराज किसान हैं उसके पास २.४० एकड़ गन्ना है जब कि उसके पास २८२ पर्चियों का पट्टा है और उसके बाप के नाम २२० पर्चियों का पट्टा अलग है। ये सब फर्जी पट्टे हैं। इन सब फर्जी पट्टों को लेकर वह सट्टा करता है और एक खुला बिजनेस बनाया हुआ है और पर्चियों की बिक्री हो रही है।

सरकार ने आदेश दिया कि पर्चियों का सट्टा एकरेज के ऊपर होंगे किन्तु ऐसा नहीं हुआ और फिर उसी आधार पर सट्टा किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि २.४० एकड़ जिस किसान के पास गन्ना है उसके पास २८० पर्चियां हैं। श्रीमन् आज जिस तरह से पर्चियों की बिक्री हो रही है, वह १५/२० रुपये में एक पर्ची बेच रहे हैं। क्या वह खुद खा जाता है? जो आपका डी० सी० ओ० है उसका भी हिस्सा उसमें बंटता है। इस प्रकार का करेप्शन और भ्रष्टाचार इन सोसाइटियों में है। अभी भी ६० प्रतिशत गन्ना खेतों में खड़ा है। आज किसान की कैश क्राप गन्ना ही है और उसकी यह हालत हो गई है, उसके गन्ने को आप समेट नहीं पाये हैं। वह कैसे शादी ब्याह, कपड़ा, लत्ता, मकान आदि की व्यवस्था कर सकेगा। उसकी जो प्लानिंग थी वहीं खतम हो गई। अब आपके पास क्या सूरत है?

आप ने सलफर खरीदने की बात कही। क्या आप खरीद पाये हैं? यह कैसे प्रैक्टिकेबुल होगा। क्लास वन का सलफर किसान मार्केट रेट पर खरीदेगा और क्लास-२ और क्लास-३ के लिए वह साधारण आढ़तिये के पास जायेगा। आपको दाम फिक्स कर देने चाहिये थे कि २६० रु० ए क्लास के लिए इतना बी तथा इतना सी क्लास के लिए होगा। क्लास बी सलफर के लिए वह दूसरे आढ़तिये के पास जायेगा? श्रीमन्, जिस तरह से आज गन्ने की समस्या प्रदेश के सामने आ खड़ी हुई है, यह बहुत भयंकर है। फैक्टरियां पुरानी हो गई हैं।

[श्री रियासत हुसेन]

नेशनलाइजेशन के बारे में, हमने माननीय गेंदा सिंह जी को श्रद्धांजलि दे दी, कमेटियां बन गईं लेकिन पुरानी फैक्ट्रियां समय पर नहीं चल पायीं। उनको हम बचा नहीं सके। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? पर्चियों की बिक्री क्यों हो रही है, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। पश्चिम में तो हम लोगों का सलफर प्लांट भी है लेकिन और जगह ५/६ रुपये खरीद कर साढ़े १३ रुपये के हिसाब से गेट पर गन्ना डाल दें तो फिर क्या हम उम्मीद करें कि साधारण किसान को परची मिल जायेगी? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यदि आप किसान को रिलीफ देना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, हमारा यह मतलब नहीं है आपको क्या खर्च पड़ेगा, आप एक हफ्ते के अन्दर सारे गन्ने की सर्वे करायें। कितना गन्ना अभी खड़ा है उसका सर्वे और जितना गन्ना खड़ा है उस सबका अनुमान लगा कर उसकी कीमत किसानों को दीजिये यह एडवांस में उनको दीजिये और फिर कहिये कि इतना गन्ना तुम हमको दोगे बाकी का एडजस्टमेंट बाद में होता रहेगा। वर्ना वह गन्ना वैसे ही सूख जायेगा। सलफर प्लांट बन्द होने शुरू हो गये हैं, कोल्हू खड़े होने लगे हैं, भट्टियों में कोई बैठने वाला अब नहीं है। ट्रैक्टर जितने हैं वह सब थ्रेसिंग में लग गये हैं। गुड़ बनना बन्द हो गया है क्योंकि भट्टियों में अब कोई बैठने को तैयार नहीं है। इसलिए जो कन्डीशन हैं उनको आप पेरा नहीं कर सकते हैं। जो हालत आज हैं उसमें आपको किसान माफ करने वाला नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि किसानों का असन्तोष घटे तो जितना किसान का गन्ना खड़ा है उस सबको आप ले लीजिये उसका पेमेंट दीजिये एडजस्टमेंट बाद में होता रहेगा।

श्री रामचरन शाह (जिला खीरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गन्ने की विषम परिस्थिति अपने प्रान्त में उपस्थित है। उसका बड़ा भाग हमारे लखीमपुर खीरी में है क्योंकि वह सबसे ज्यादा गन्ना उगाने वाला क्षेत्र है। मैंने इस बारे में दो दिन पहले भी एक बात कही थी और आज भी कह रहा हूं कि जो गन्ना वहां पर इस वक्त मौजूद है वह लगभग अपने क्षेत्र में ही एक करोड़ क्विंटल है। हमारे निघासन क्षेत्र में पलिया, गोला और ऐरा तीन मिल हैं। अगर इन तीनों को जुलाई तक भी चलाया जाय तो भी वहां पर ५० लाख क्विंटल गन्ना बचेगा। वह गन्ना नहीं जलेगा बल्कि हम लोग जलेंगे। अगर हमारी सरकार उस जलने में राहत देना चाहती है तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जितनी मिलें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उन सबको जब तक गन्ना पिर न जाय, बन्द न किया जाय और गन्ने को एक एरिया से दूसरे एरिया में डायवर्ट किया जाय जैसे हरगांव का हरदोई, महोली का गोला क्षेत्र का, हरगांव को पलिया का बीसलपुर में डायवर्ट किया जाय। तो इन सब मिलों को तब तक बन्द न किया जाय जब तक पूरा गन्ना न पिर जाय। जैसा हमारे भाई रियासत साहब ने कहा क्शर बन्द हो रहे हैं, भट्टियों में बैठने को कोई अब तैयार नहीं है क्योंकि उनका १५ अप्रैल तक काम चलता है फिर वह दूसरे काम में लग जाते हैं। हां अगर कोई चलाने का प्रयास करे तो अच्छा है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान सरकारी मिलों की ओर दिलाना चाहता हूं, जैसा कि इन मिलों को बन्द करने की योजना है क्योंकि अभी मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि दो तीन मिलें अब बन्द होने जा रही हैं। तो मेरा कहना है कि उन मिलों को गन्ना जो है डायवर्ट किया जाय। किसी न किसी मिल में वह भेज दिया जाय। हम लोग तो अपने क्षेत्र में भाड़ा देने के लिये भी तैयार हैं परन्तु गन्ना जो है वह पिर जाय।

दूसरी बात यह है कि मई आने वाला है मिल वाले भी नक्से दिखायेंगे कहेंगे कि इतना गन्ना सूख गया है और अब औसत कम आन लगा है। तो मेरा सरकार से सुझाव है कि उसमें चाहे आपको चार आना या पूरा टक्स छूट करना पड़े वह नुकसान आप पूरा करें लेकिन गन्ना पिर जाना चाहिये।

तीसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बिलराया में एक गन्ना मिल शुरू होने जा रही है जिसम दो करोड़ १० लाख रुपया सरकारी जमा हो गया है और उसके सामान मंगाने के आर्डर भी चले गए हैं। दो साल बाद मिल चलेगी इसलिए इस साल उसके लिए ४ लाख क्विंटल गन्ना बोया हुआ है। उसमें यहां के कोई अधिकारी गए थे मिल वालों से मिलकर उनके साथ मिलकर समझौता हुआ कि १ लाख क्वींटल गन्ना ले लिया जाए। जबकि ४ लाख का गन्ना मौजूद है और आगे डेवलपमेंट होगा, किन्तु केवल गन्ना लिया जा रहा है १ लाख क्वींटल। तो तीन लाख क्वींटल जो बचेगा, उसका क्या होगा ? और मिल आपकी दो साल बाद कैसे चलेगी ? तो जो डेवलपमेंट एरिया की मिले हैं या लग रही हैं, उनका सारा गन्ना लेना चाहिये और आप आगे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिये, नहीं तो नई गन्ना मिलों को लास होगा.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री रामचरन शाह—

गोला मिल ने ८० लाख टन सट्टा करने को कहा तो हमारी सरकार ने ५ लाख कम कर दिया, तो अब उसको ७५ लाख क्यों कर दिया गया था, ११ लाख टन पलिया में पेरा गया और १८ लाख टन बाकी है, किन्तु वास्तव में उससे कहीं ज्यादा है। तों उसे अब डाइवर्ट किया जाए, जबतक गन्ना पूरा समाप्त न हो जाए, मिलें चलाने का प्रयास किया जाए।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जिन लोगों के नाम हैं, उनको पहले अवसर दूंगा....

श्री यशपाल सिंह—

बिना नाम वालों को भी इजाजत होगी ?

श्री अध्यक्ष—

बाद में होगी।

*श्री सुखपाल पाण्डेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से गन्ना मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है सदन में उसकी तरफ मैं सदन का और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में ४१ हजार गांवों में २२ लाख किसान परिवार १३४ सहकारी गन्ना सोसाइटियों के माध्यम से गन्ने की सप्लाई करते हैं। आज उनकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं लिया।

[श्री सुखपाल पाण्डेय---]

स्थिति क्या है ? आज उनका गन्ना खेतों में पड़ा सड़ रहा है, आज किसानो को पर्ची नहीं मिल रही है, आज उनका गन्ना बिक नहीं रहा है। जैसा डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था ६० फीसदी में हमारी मंत्री जी इस पद को सुशोभित कर रही हैं जिससे किसानों की समस्या को वह हल कर लें, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है। आज जो किसानों की स्थिति है, बस्ती जिले की वभनांन मिल की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, दिसम्बर माह में चली और चार महीने चलते हुए केवल हुए, जिसमें ३५ दिन केवल बन्द रही। आपने प्रयास बहुत किया, लेकिन उससे आगे चली नहीं। आज किसान का गन्ना खेत में खड़ा है। जबतक विधान सभा की बैठक चल रही है, हम यहां रहते हैं – या तो कौंसिल हाउस या दारुल सफा या फिर हजरतगंज। हम जब किसान के पास गए, तो उन लोगों ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को दिल्ली से बुलवाइये वह आकर यहां हमारे गन्ने का उद्घाटन कर तो हमने कहा वह गन्ने का कैसे उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा वह दियासलाई लगाकर हमारे गन्ने का उद्घाटन करेंगे। हम उनसे अपने गन्ने का उद्घाटन कराना चाहते हैं।

हमारे मित्रगण यहां जाति बिरादरी की कुछ बात करते हैं, उनके अधिकारी नहीं रहेंगे, वह उनके साथ नहीं रहेंगी तो कहां जाएंगी ? वोट तो उनसे लेना है? मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस सब स्थिति का अध्ययन करें। मंत्री जी सारे उत्तर प्रदेश की हैं, वह मथुरा में २७ तारीख को गई थीं। अब मथुरा की क्या स्थिति है, जो पश्चिमी जिलों में से है, वहां पर किसान का जो गन्ना वह पेरा नहीं जा सकता है और मंत्री जी उद्घाटन करने गई थीं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो नियुक्त किया है उसका, केवल मुद्रा लेकर किया है, कोई और बात नहीं थी। दावत तो उन्होंने उनकी बड़ी अच्छी की, डाक बंगले में की। हमारे मंत्री जी का स्वागत बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वहां की समस्या का कुछ समाधान नहीं निकला है।

श्री अध्यक्ष---

पाण्डेय जी, समाप्त कीजिये। पांच मिनट हो चुके।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डेढ़ महीने पीछे यह फैक्टरी चली। अगर डेढ़ महीने पहले चली होती तो डेढ़ करोड़ क्विंटल गन्ना पहले पेरा गया होता। हमारे माननीय मंत्री जी का नियन्त्रण चीनी मिलों पर नहीं है। लेकिन चीनी मिलों का नियन्त्रण माननीय मंत्री पर है। मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर नियन्त्रण करें। उनका नियन्त्रण अपने ऊपर से हटायें।

मैं खाण्डसारी के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

आप मुझे कमसे कम समय देंगे।

श्री अध्यक्ष —

पांच मिनट से ज्यादा आपने ले लिया है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

खाण्डसारी केवल ६ हजार क्विंटल खरीदी गई । गुड़ के बारे में कहा कि गुड़ की खरीद की गई । पश्चिमी जिलों में क्रय की गई हो, हो सकता है । लेकिन पूर्वी जिलों के बारे में कोई जानकारी नहीं । मंत्री जी के खिलाफ चार्जेज हैं । उन चार्जेज की आपको सफाई देनी चाहिये और उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां गन्ने के सम्बन्ध में खुली लूट की गई और फर्जी विधायक बन कर उस आदमी का ट्रांस्फर हो गया जिसके खिलाफ गबन का मामला था ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री यशपाल सिंह—

अध्यक्ष जी, आज समूचे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि तमाम देश में गन्ना उत्पादकों में जो असंतोष फैला हुआ है सरकार की नीति के कारण कि गन्ना उसके खेतों में खड़ा है, अगर यह सरकार उस असंतोष को अच्छी तरह से जानती व पहचानती है और उसमें अपन फरायज अदा करने की कुछ सलाहियत है, तो आज सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और मान्यवर यह समस्त मंत्रिमंडल अगर उस जिम्मेदारी को अपने सर पर लेने के लिए तैयार नहीं और इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं तो गन्ना विकास मंत्री को अवश्य चाहिए कि वह तुरन्त इस्तीफा दें । जिस प्रकार का बयान उन्होंने विधान सभा में पढ़ कर सुनाया, वह केवल एक तोता की रट है । जिस तरह से मालिक ने तोते को कहा, मिया मिट्ठू कहो, उसी प्रकार से कह देता है, बेटा मियां मिट्ठू । मंत्री जी ने जो बयान पढ़ा उससे सदन के माननीय सदस्यो को बिलकुल संतोष नहीं है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । गन्ना मन्त्री को जरा सीरियस होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री यशपाल सिंह—

माननीय मंत्री को सजग और सतर्क होना चाहिये । उन्होंने सतर्कता और जागरूकता शब्दों का प्रयोग किया । क्या मंत्री परिषद् और गन्ना विकास मंत्री जिस समय सत्ता में आये थे उस समय उन्होंने कुछ अध्ययन किया था कि गन्ने की काइत समूचे प्रदेश में कितनी है ? आज यह शिकायत की जाती है कि गन्ने का उत्पादन पहले की बनिस्पत बढ़ा है। यह उस रेशियो से बढ़ा है जिस रेशियो से हर साल बढ़ता चला आया है । जिस कांग्रेस शासन की राजेन्द्र जी ने शिकायत की, २० साल में जितने ऐग्रीकल्चरल पोटशल को देखते हुए ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन

[श्री यशपाल सिंह---]

की कांग्रेस सरकार ने नींव डाली थी, ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में केवल गन्ने की पैदावार ही नहीं बल्कि सब पैदावार बढ़ेगी। कोई भी सरकार आये, जनता की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार या किसी अन्य पार्टी की सरकार आये, जब तक इस प्रोडक्शन के लिए मार्केट का समूचा प्रबन्ध नहीं करेगी तब तक किसान की हालत सुधार नहीं सकती।

पिछली सरकार निर्यात करती थी दूसरे देशों को। आप बहाना बनाते हैं कि दूसरे देशों में हमारी चीनी का मूल्य गिर गया है सही बात है, हम भी मानते हैं लेकिन मैं माननीय गन्ना मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने मिलों को राहत देने में जो सर्फ किया है अगर सब्सीडाइज्ड रेट पर आप निर्यात करते तो क्या गन्ने की समस्या हल न हो पाती ? जब तक चीनी के निर्यात नीति पर फिर से गौर नहीं किया जायगा कोई सुधार होने वाला नहीं है। ६.५ लाख टन निर्यात करने का विचार ऐसे समय में किया गया, इसे शुरू में करना चाहिये था। इससे फैक्ट्री ओनर्स, बिजीनेस मैन को तो लाभ होगा लेकिन काश्तकार को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है और यह जो ६.५ लाख टन चीनी निर्यात करने का कोटा फिक्स किया गया है यह भी बहुत कम है। इसको बढ़ाना चाहिये। मेरा माननीय गन्ना विकास मंत्री जी से आग्रह है कि वे अपनी केन्द्रीय सरकार पर इस बात का जोर डालें कि कम से कम १५-२० लाख टन चीनी का वे निर्यात करे और इसके साथ-साथ में मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि वह कुछ चीनी का स्टाक स्वयं रिजर्व रखें। गन्ने के उत्पादकों का असंतोष बढ़ता ही जायेगा चाहे आप फैक्ट्री वालों को कितना ही फायदा पहुंचाये। जब तक आप चीनी के लिए मार्केट डेवलेप नहीं करेंगे तब तक इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं केवल एक ही प्वाइन्ट पर कहूंगा चूंकि समय बहुत कम है और वह यह है कि निर्यात का कोटा बढ़ाया जाय और रिजर्व स्टाक गवर्नमेंट खुद करे और जिस प्रकार से परचेज वह कर रही है उसको छोड़ कर टोटल परचेज करें। जब तक ८० प्रतिशत गुड़ और खलफर की परचेज नहीं होगी, काश्तकार को राहत नहीं मिलने वाली है।

श्री बाबू सिंह (मुजफ्फरनगर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार और माननीय गन्ना विकास मंत्री जी का ध्यान प्रदेश में गन्ना किसानों की त्राहि-त्राहि और परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप खासकर मुजफ्फरनगर की बात कीजिए।

श्री बाबू सिंह---

मान्यवर, आज प्रदेश में गन्ने के सम्बन्ध में जो त्राहि-त्राहि मची हुई है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आज प्रातः जिस समय मैं सदन में आया तो एक पत्रिका हम लोगों को दी गई। इसके अन्दर १०-१२ प्वाइन्ट्स दिए हुए हैं, गुड़ की खरीद और टैक्सेज की छूट आदि। इस प्रकार से अलग-अलग कुछ प्वाइन्ट्स हैं लेकिन उनमें से केवल २-४ फीसदी बातें ही सही हैं। यह पुस्तिका हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से कैसे छपी, किस प्रकार से सदन में आयी। केवल

५ फीसदी बातें इसके अन्दर मुझे ऐसी मिलीं जो शायद सही कही जा सकती हैं अन्यथा ९५ प्रतिशत गलतबयानी की है। आज सरकार की पालिसी के कारण गन्ने का किसान प्रदेश में पिटा है। मैं पश्चिमी जिलों की बात बताना चाहता हूं कि वहां पर इस समय गन्ना केवल ३-४ रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बिक रहा है और उसका भी कोई खरीदार नहीं है। एक किसान सवेरे से अपनी बुग्गी और गाड़ी लेकर ५-६ क्रशर्स की ओर जाता है और वे क्रशर्स वाले उसे ३ रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से खरीदते हैं। इस पुस्तिका में यह भी लिखा कि गुड़ और खाण्डसारी की खरीद होगी।

शामली और मुजफ्फरनगर की मंडियों की बात मुझे मालूम है कि वहां पर गुड़ और खाण्डसारी भारी मात्रा में आती है लेकिन ३०-५० क्विन्टल गुड़ की ही खरीद सरकारी की जाती है। केवल नाममात्र के लिए और उसमें भी जो हो रहा है मान्यवर, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। वहां कर्मचारी और अधिकारी लोग अपनी मनमानी तरीके से गुड़ स्वयं खरीदते हैं, कुछ गुड़ को ही नाममात्र के लिए खरीदते हैं बाकी को छोड़ देते हैं। इसमें बड़ा घपला है। मान्यवर, अ ज प्रदेश में इस समय गन्ने की ५० प्रतिशत से ऊपर फसल खड़ी है। लेकिन क्या माननीय मंत्री और इसके अधिकारीगणों की इसकी जिम्मेदारी नहीं है ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आप भी पश्चिम के रहने वाले हैं और आप इस सदन में आदरणीय सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन आज यह फैसला किसानों का है। माननीन अध्यक्ष जी, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आपके मंत्री और इस विभाग के अधिकारियों से हमें उम्मीद नहीं हो रही है, कैसे इसका निवारण किया जाय ? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री पुरुषोत्तम कौशिक का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

देवरिया में सबसे अधिक फैक्ट्री हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां गन्ना, चीनी, उद्योग नहीं रह गया, अपितु एक रोग है। यह रोग क्रानिक रोग है, जीर्ण रोग है। गलत सट्टे, गलत पट्टे मिल मालिक और अफसर एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। उदाहरण में देता हूं। तीन महीने पहले केन कमिश्नर को, गन्ना सचिव को, माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया और वे सारे आदेश केन कमिश्नर ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए उल्टे क्या किया कि प्रेसमड किसानों को दिलाया नहीं और १० रुपये टायरों की जगह ३० रुपये कर दिया। यह है शासन इनका, यह है इनका नियंत्रण, यह है इनकी स्थिति। श्रीमन्, आज ही एक उत्तर मिला था, ऐसा भौंड़ा उत्तर, ऐसा बचकाना उत्तर, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। हमारे महान नेता चौधरी साहब जब अपोजीशन में थे, नारायण दत्त तिवारी जी, गन्ना विकास मंत्री थे, मैंने उस समय आशंका व्यक्त की थी कि यह जो पर्चेज टैक्स है, ५० पैसे की जगह एक रुपया किया जा रहा है, इसका क्या होगा ? उस समय के तत्कालीन मंत्री ने कहा कि किसानों की बहबूदी और कल्याण का कार्य होगा। तो मान्यवर, इस तरह से किसानों पर निर्मम अत्याचार हो रहा है। पडरौना जनपद सर्वाधिक गन्ना बहुल्य जनपद है। असाधारण स्थिति के कारण उसे अलग गन्ना जनपद बनाया गया है। ९ चीनी मिल वहां पर हैं वहां के अधिकारियों ने, वहां के मिल मालिकों

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक—]

ने, वहां का गन्ना बिहार के नाम पर कर लिया और छोटे-छोटे काश्तकार जो ८ कट्टे, १० कट्टे, १५ कट्टे रखे थे, जिसके पास ३०० टायर गन्ना था, उसका भी उसी प्रकार से सट्टा हुआ जिस तरह से ८ कट्टा का था। गुड़ तो गोबर हो गया। यह ऐसी गलत नीति अपनाई गई। वह शुगर के कारखाने जो ३०-३०, २५-२५ वर्ष पुराने हैं, उनकी पेराई क्षमता पुराने कोल्हू की तरह से घट गई है। राम कोला खेतान मिल जोकि सरकार द्वारा संचालित है, वहां के रिसीवर विश्वकर्मा हैं, ६-७ ट्रक स्क्रेप की चोरी की, प्रेमड फ्री करने के स्पष्ट आदेश हुए कि किसानों को फ्री कर दीजिए गन्ना आयुक्त ने और गन्ना सचिव ने तथा स्वयं मंत्री जी ने आदेश दिय, किन्तु वह आदेश पत्र रद्दी की टोकरी में मिल मालिकों ने फेंक दिया और १० रुपये टायर जो लिये गये थे, अब २०-२५ रुपये टायर ले रहे हैं।

छोटे गन्ना किसान की इतनी दुर्व्यवस्था है कि जिन बड़े किसानों के पास ५०० टायर गन्ना है, उनका गन्ना पहले कर रही है और छोटे किसानों का खूंटी गन्ना भी अब तक नहीं कर पाया है। आज तक यह होता रहा है कि छोटा किसान अपना गन्ना गिरा कर कुछ थोड़ी सी जमीन में दुबारा रबी की फसल बो देता था और इस वर्ष लाखों किसान इस सुविधा से वंचित रह गए। गोरखपुर के डिप्टी केन कमिश्नर श्री संत, गन्ना किसानों की कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार हैं। वे एक भ्रष्ट, निरंकुश और बड़े लोगों के पिट्ठू हैं। उन पर अनेक गम्भीर आरोप हैं, किन्तु इन्हें मंत्रि-परिषद् के अनेक सदस्यों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। और हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और ये मंत्री भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे इस सदन के बाहर। हमारी सारी गरिमा और गौरव मिट्टी में मिल चुका है। हम गांव में घुस नहीं पाते हैं, लोग कहते हैं कि गन्ने का क्या होगा ? हमारे इलाके में स्वयं केन कमिश्नर ने साजिश करके इस इलाके में ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर दी है कि....

श्री अध्यक्ष—

कौशिक जी, समाप्त कीजिए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

यदि तत्काल इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो यह स्थिति और विकराल रूप धारण कर लेगी। इसका तत्काल समाधान प्रस्तुत करने के लिए मैं सदन से अपील करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, इस प्रदेश का मुख्य उद्योग चीनी उद्योग है और हम जिस चीनी क्षेत्र से आते हैं, हमारे नेता स्व० गेंदा सिंह जी कहा करते थे कि पूर्वी जिलों की राजनीति करनी हो तो पूर्वी गन्ने की राजनीति करो और हम उसी का दम भरकर यहां तक पहुंचे मान्यवर। खेतों में आज गन्ना है, यह सही है। लोगों को सही कीमत नहीं मिल रही है पश्चिमी यू० पी० में। प्रश्न यह है कि मेरे मित्र ने कहा कि इसको राजनीतिक सवाल नहीं बनना चाहिए, लेकिन अपने भाषण में सेहरा जी ने राजनीति ही कही है। जनता पार्टी की सरकार आई तो १८ करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी पड़ा था पिछली सरकार का। उसका सरकार ने पेमेंट किया, २-३०० रह गया है। उस वक्त सारी फैक्टरियां चीनी से भरी पड़ी थीं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंटरनैशनल मार्केट में, हमारी चीनी को कोई कौड़ी के दाम पर लेने वाला नहीं था और यहां का मिल मालिक मस्त था, वह साजिश करके मिल बन्द रखना चाहता था। जून तक तो जनता सरकार आई भले नहीं थी। बनी भी थी लेकिन सरकार ने घोषणा की थी। सवाल यह है कि जो चीज हमारे सामने है, गन्ना खेतों में उस वक्त पड़ा था, सवाल था उसको कैसे पेरा जाय, मिलों को कैसे दिया जाय। इसके सम्बन्ध में हमारी स्पष्ट नीति होनी चाहिये। मेरा कहना है कि जबतक चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा यह समस्या नहीं सुलझ सकती। यह सही है कि सरकार ने गन्ना उद्योग को चलाने के लिए, दाम देने के लिए जहां तक जो संभव था उससे परे जाकर मिल मालिकों को पैसा दिया ताकि गन्ना उद्योग बन्द न होने पाये, चीनी उद्योग चलता रहे। लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ। मिल मालिक मस्ती मार रहा है, चलाता है कभी नहीं चलाता है। कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मुनाफा घट रहा है। इसलिए वह चलाना नहीं चाहता। इसका निदान एक ही है।

मेरा एक ही कहना है कि अगर राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ तो यह बीमारी कभी दूर नहीं होगी, हमेशा रहेगी। इसका एक ही इलाज है चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करो, उन पर कब्जा करो और उनको सरकार चलाये। उदाहरण के लिए रिसीवंग की और कारपोरेशन की फैक्टरियां बराबर प्राफिट से चलती हैं। उनका गन्ना ज्यादा पेरा गया है, ज्यादा भुगतान हुआ है। यह पर्ची रियासत साहब ने दी, इसपर कोई रेट नहीं लिखा हुआ है, यह रामपुर की रजा शुगर फैक्टरी की है। जो चाहें वह रेट दें और बैठ करके इग्जिक्यूटिव के लोग समझौता कर लेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना विभाग से ज्यादा कोई भ्रष्ट विभाग यू० पी० में नहीं है। बड़ा जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त है। मंत्री जी करना भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकती। वह कुछ नहीं कर पा रही हैं। उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो खाण्डसारी मिलें बन्द कर दी गई हैं, जो नहीं चलती हैं उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिये जायेंगे। मैं पूछता हूं कि प्रदेश में कितनी खाण्डसारी मिलों के लाइसेंस कैंसिल हुए? मेरी जानकारी में किसी का नहीं हुआ होगा। वह अदालत में, हाई कोर्ट में चले गए। लेकिन जनता की अदालत से नहीं बच सकते जहां उनको कल जाना होगा। उसका क्या फैसला होगा यह सोचना पड़ेगा और वही सोचना पड़ेगा कि करना क्या पड़ेगा? अगर हम गन्ने की पेराई नहीं कर सकते हैं तो ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि किसान गन्ना बोना ही बन्द कर दे। इस प्रदेश का यही एक प्रमुख उद्योग है जो आज दम तोड़ रहा है। संविद के जमाने में भी हमने कहा था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण जब तक नहीं होगा, यह समस्या हल नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी थी कि गन्ने के बारे में आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे आशा थी कि मंत्री जी आज सदन में कुछ ऐसी नीति बतायेंगी जिससे कि आज प्रदेश के खेतों में जो किसान का गन्ना खड़ा सूख रहा है वह पेरा जा सकेगा। लेकिन माननीया मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा उसको सुनकर बड़ी निराशा हुई। यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि हमारी मंत्री जी गन्ने के बारे में जितनी कम जानकारी रखती हैं उतनी कम जानकारी आज तक शायद

[श्री देवबहादुर सिंह—]

ही किसी मंत्री को रही हो। उन्होंने अपने वक्तव्य के पहले वाक्य में ही यह कहा कि सरकार की पहली उपलब्धि यह है कि इस वर्ष सबसे अधिक गन्ना पैदा हुआ। इस सरकार का जन्म हुआ अभी कुछ माह पहले और उसका श्रेय भी इस सरकार ने ले लिया। मान्यवर, गन्ने के बारे में स्पष्ट नीति न तो इस विभाग के पास कोई है न हमारे मंत्री जी के पास।

केन्द्रीय सरकार की गलत नीति के कारण ही आज यह स्थिति हमारे सामने आई है। चीनी का एक्सपोर्ट जो होता था उसका घाटा ४ हजार करोड़ का फारेन एक्सचेंज जो हमारे पास है उससे पूरा हो सकता था। उसको बन्द करके सरकार ने गन्ना किसानों का बड़ा अहित किया है। अगर फारेन मार्केट में चीनी की कीमत कम हो गई थी तो उसको निर्यात करके किसानों को राहत देने की आवश्यकता थी।

दूसरी गलती यह हुई कि पहली नवम्बर से फैक्ट्री नहीं चली। पहली नवम्बर से अगर चलती तो ४०-५० लाख क्विन्टल गन्ना और पेरा जा सकता था।

यह कहा गया कि २५ पैसा बढ़ा दिया। जनवरी-फरवरी में मिल वालों ने जब फैक्ट्रीज को बन्द कर दिया तो इस सरकार ने उनके सामने आत्म समर्पण कर दिया। उन्हें एक्साइज में छूट दे दी। तब जाकर मिलें चलीं।

अभी रियासत भाई ने एक पर्ची दिखाई जिस पर मूल्य लिखा ही नहीं था। यह क्या है? ओझा जी ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही। यह सरकार तो चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकी, मिल वालों ने इस सरकार का राष्ट्रीयकरण कर दिया है, सरकार को खरीद लिया है पूंजीपतियों के पैसे से चलने वाली यह सरकार, उनके पैसे से जीतकर आने वाली यह सरकार कभी गन्ना किसानों का हित नहीं कर सकती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग उत्तेजित न हों, शान्ति रखें।

श्री देव बहादुर सिंह—

३० सालों में कांग्रेस के जमाने में जितने कुकर्म नहीं हुए उससे कहीं अधिक कुकर्म इस सरकार ने अपने ९ महीने के शासनकाल में कर दिखाये। आज गन्ना किसान अपना गन्ना लेकर क्रशर पर जाता है तो सड़क पर ही फेंक कर चला आता है। आज इतनी बेकदरी गन्ने की हो रही है कि कहा नहीं जा सकता।

मेरा सुझाव है कि जिन फैक्ट्रीज के पास गन्ना कम हो उनको जहां अधिक हो वहां से डाइवर्ट कर दिया जाये। मझोला, बिजपुर आदि की ऐसी चीनी मिलें हैं जिनके पास गन्ना कम है। ३-४ माह के लिए आप गन्ना उनके लिये एलाट कर दीजिये। यही नहीं, क्रशर और कोल्हू जो बन्द हो गए हैं उनको अपनी तरफ से इंसेन्टिव दें जिससे वह चलें। जो गन्ना किसानों का खेत में रह जाय उसको आप कम्पेन्सेट करें। सरकार ने गन्ने की बड़ी बेकदरी किया है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि बेकदरी की वजह से सरकार इस्तीफा दे तभी गन्ना किसानों को संतोष हो सकता है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह. (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो गन्ने का मसला सदन के समक्ष प्रस्तुत है वह इस प्रदेश की विकराल समस्या बन गया है। सबसे अधिक कैश क्राप में गन्ने की खेती की जाती है। यदि आप पीछे का रिकार्ड देखें तो हमेशा ऐसा हुआ है कि ३-४ साल में एक बार गन्ना अधिक हो जाता है और एक बार कम। जब गन्ना कम हो जाता है तो खरीदने के लिए मिलों और खांडसारी में होड़ लग जाती है और दाम बढ़ जाते हैं जिससे किसान गन्ना अधिक बोता है और पैदावार फिर अधिक हो जाती है। पिछले ३ वर्षों का रिकार्ड देखा जाय तो विभाग को मालूम होना चाहिए था कि यह वर्ष ऐसा है कि गन्ना अधिक पैदा होगा। इसलिये उसकी बिक्री के लिए विभाग को पहले से ही प्रयत्नशील रहना चाहिए था। एक तो मिलें देर में चलाई गईं और दूसरे रकबा जब गन्ने का बढ़ा था तो पैदावार बढ़ी लेकिन फिर भी मिलें देर से चलाई गयीं। पैदावार बढ़ने से मंत्री ने देखा कि गुड़ का भाव गिर रहा है और गन्ना मिलों में जा रहा है तो उसी समय क्यों प्रयास नहीं किया गया कि गुड़ का दाम अधिक किया जाय। क्या इसके प्रयास किए गए? नहीं। जब समस्या एकदम काबू से बाहर हो गई तो भागदौड़ हुई और फैक्ट्री वालों को सुविधा दी जा रही है। लेकिन पहले से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जितना गन्ने का विकास होना चाहिए था, मुझे दुःख के साथ अपनी सरकार से कहना पड़ता है कि अपनी सरकार में गन्ने का विनाश और किसानों का विनाश किया गया है।

माननीय, मैं बस्ती जिले की समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं। बस्ती में दो समितियां सबसे बड़ी हैं। एक बस्ती सहकारी समिति और दूसरी गोविन्द नगर सहकारी समिति। बस्ती सहकारी समिति की हालत देखें। एक तो वहां पैदावार अधिक गन्ने की हुई और दूसरे सरकारी कर्मचारियों द्वारा फर्जी सट्टा बनाया गया। एक गांव रामपुर है वहां कलवारी केन्द्र में, इसमें ८ किसानों के नाम लिखकर लाया हूं लेकिन उसमें से कुछ को बताना चाहता हूं। एक में ६ एकड़ रकबे पर १,४५० क्विंटल का सट्टा बनाया गया जबकि पिछले वर्ष एक भी क्विंटल की पूर्ति नहीं की गई थी।

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, गन्ने की समस्या पर चर्चा हो रही है लेकिन मंत्री जी उसको नहीं सुन रही हैं बल्कि बातचीत में व्यस्त हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी इधर ध्यान दें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, दूसरे में ६.०२ एकड़ के रकबे पर १५३० क्विंटल का सट्टा बनाया गया जबकि पिछले वर्ष किसान ने एक क्विंटल की भी पूर्ति नहीं किया था। इसकी जांच रिपोर्ट बस्ती से भेजी जा चुकी है। इसकी जांच करके वहां के कर्मचारियों को दंडित करने के लिए लिखा जा चुका है लेकिन वह सचिव उन्हीं के साथ मिलकर उन्हीं का बचाव कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जब बस्ती गई थीं तो इनके सामने तमाम किसानों ने अपनी समस्याओं को रखा था। हमलोगों ने भी समस्याओं को उनके सामने रखा था। लेकिन दुःख इस बात का है कि हमलोगों ने जो कुछ बस्ती में कहा वहां के किसानों की तरफ से कहा गया उस सब पर पानी फिर गया और माननीय मंत्री जी के पी० आर० ओ०

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह]

साहब ने जो कह दिया वह सत्य हो गया । मैं पूछना चाहता हूं कि फैक्ट्री मंत्री माननीय मंत्री जी हैं या इनके पी० आर० ओ० साहब हैं । इसी प्रकार बस्ती समिति का एक और मामला रखता हूं । ग्राम कडर के बद्री पुत्र धनपाल का बेसिक कोटा २१२ क्विन्टल का हुआ है । २१२ के सट्टे पर १५६१ क्विन्टल की सप्लई कराई गई । जिसके पास गन्ना है उसको पर्ची नहीं मिली । मेरे क्षेत्र के ग्राम औरंडीहा में ५०-६० ट्रक किसानों का गन्ना खड़ा है और पता नहीं उनके गन्ने की पिराई किस प्रकार होगी । मैं मांग करूंगा कि जिनका गन्ना बाकी है तो उनकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, यदि यह सरकार जिन्दा रहना चाहती है । साथ ही साथ जितने कर्मचारी हैं उनको पहले निलम्बित किया जाय और फिर जांच कर उचित कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

१८ मिनट का समय है । पहले मैं प्रस्तावक को समय दूंगा, उसके बाद मंत्री जी बोलेंगी ।

श्री राज बहादुर यादव (जिला जौनपुर)--

यह लखीमपुर जनपद का मामला है हमें भी समय दीजिए ।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)--

मुझे तो समय मिला ही नहीं । केवल दो मिनट का समय दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

दो घंटे में सभी नहीं बोल सकते । दो घंटे का विवाद था ।

*श्री नरेश चन्द्र--

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैंने इस माननीय सदन के सामने केवल दो समस्यायें रखी थीं । एक तो यह कि गन्ने की खपत कैसे हो और दूसरा यह कि काश्तकारों को निर्धारित मूल्य कैसे दिया जाय । सवाल मेरा कुछ था और माननीय मंत्री महोदय ने जवाब कुछ दिया । जवाब में केवल उन्होंने अपनी अक्षमता, अदूरदर्शिता और जानकारी न रखने का परिचय मात्र ही दिया और सारी बातों पर पर्दा डालते हुए यह आक्षेप लगा दिया कि मैंने लखीमपुर जनपद की मिल में ला ऐन्ड आर्डर की स्थिति उत्पन्न कर दी । ७ मार्च, ९ मार्च और ११ मार्च को काश्तकारों ने तीन क्रशर पर आन्दोलन किया तो आप कहां बैठी थीं ? आपको जनपद खीरी में जाकर समस्या का समाधान करना चाहिए था । २२ मार्च को जब काश्तकारों ने अपनी मांगें क्रशर मालिकों के सामने रखीं तो उन पर कर्मचारियों ने फायरिंग की । २४ मार्च को पुनः जेल भरो आन्दोलन किया तो दफा १८८ में गिरफ्तार किया गया । क्या उस समय जनता पार्टी के एम० एल० ए० होने के नाते लोगों को मेरा सम्बोधत करना कर्तव्य नहीं था ? मैं तो जेल चला गया था । उसके बाद अगर क्रशर की खोई में आग लगी तो उसका जिम्मेदार कौन है ? फिर अगर खोई में आग लगी तो उसकी नौबत क्यों आयी ? और यह मेरे जेल जाने के बाद स्थिति हुयी । माननीय मंत्री को इतनी दूरदर्शिता नहीं है, उनमें इतनी अक्षमता है, तो उन्हें तुरन्त इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिये । काश्तकार का दिल जलेगा, काश्तकार का आप विश्वास खो देंगी, तो अगले इलेक्शन में क्या होगा ? पिछली सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगर नसबंदी में चली गयी तो नसबंदी से भी भयंकर परिणाम इस गन्ना समस्या के हो सकते हैं। आप व्यक्तिगत नरेश चन्द्र वर्मा पर आक्षेप लगा सकती हैं, लेकिन काश्तकार कभी माफ नहीं करेगा। मान्यवर, मैंने तमाम तरीके से सुझाव रखे गन्ना विकास मंत्री जी के सामने लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया गया। आपने वक्तव्य में कह दिया कि मैंने विशेष जांच के लिये भेजा। विशेष जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही हुयी ? मान्यवर, न कार्यवाही हुयी है और न कार्यवाही की जायेगी। माननीय गन्ना विकास मंत्री तो केवल पपेट हैं। वास्तव में तो आपके अधिकारी अपने को गन्ना मंत्री समझे हुये हैं।

सुप्रीम कोर्ट के स्टे आर्डर की बात करने लगे। माननीय राजस्व मंत्री जी गये थे। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ८ रुपये काश्तकार को मिलना चाहिये। मेरी केवल एक मांग है कि १.४० पैसे की रसीद मिलनी चाहिये। लेकिन रसीद नहीं दी जाती है। नरेश चन्द्र वर्मा ने जो गन्ना सप्लाई किया था, उसकी ८ रुपये के हिसाब से रसीद मिलनी चाहिये और १.४० पैसे के हिसाब से राष्ट्रीय बैंक में जो जमा हुआ है, उसका प्रमाण नहीं है। वह १.४० पैसे किससे लेंगे ? गन्ना मंत्री महोदय से लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप शीघ्र समाप्त करें, संक्षेप में।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, उनको पूरा सुन लें। आप जेल नहीं गए थे, उनको तो जेल जाना पड़ा था।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से करने में कोई फायदा नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं भारत शुगर फैक्ट्री की रसीद माननीय मंत्री महोदय को दिखाना चाहता हूं। उसको देख सकती हैं। रसीद मेरे पास है। उसमें इण्डस्ट्री का किस तरह से सभी बातों का पता चलेगा। केवल उसमें गन्ना का वजन लिखा है। शुगर इण्डस्ट्री का नाम लिखा हुआ है। काश्तकार का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा गया। गन्ना कितने पर खरीदा, क्या मूल्य था, यह कुछ नहीं लिखा। केवल लिखा है कि ६-५० प्रति क्विन्टल। ये गन्ना विकास अधिकारी क्या काम करते हैं। केवल वक्तव्य पढ़ देने से काम नहीं चलने वाला है।

इसके अतिरिक्त दूसरी माधुरी शुगर इण्डस्ट्री की रसीद मेरे पास है। इसमें केवल लिखा है कि पेड वैलेंस ६८-१८ पैसे। ड्यू डेट लिखी है और कोई चीज नहीं लिखी। काश्तकार का नाम नहीं लिखा। कैसे रसीद जारी करते हैं ? इस तरह से नरेश चन्द्र वर्मा कृशर को चलने नहीं देते। तब कहते हैं कि सारा विवाद तो नरेश चन्द्र वर्मा डाले हुए हैं। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं अपनी आंख से देखती ? क्यों नहीं अपने कान से सुनती ? वहां जाकर काश्तकारों को सुनिए। तब सभी स्थिति से पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठिये ।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं केवल २ मिनट में सुझाव रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अब वक्तव्य समाप्त करें । केवल ८ मिनट बाकी हैं ।

(माननीय गन्ना विकास मंत्री का नाम पुकारे जाने तथा श्री नरेश चन्द्र के बोलते रहने पर जो सुनाई नहीं पड़ा ।)

आप बैठिये । अब यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा । आप जिद कर रहे हैं । आप बैठिये । माननीय गन्ना विकास मंत्री, आप खड़ी क्यों नहीं होतीं ।

मुझे खेद है कि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं । आप प्रस्तावक हैं । आपको जवाब देने में केवल पांच मिनट का समय लेना चाहिए था । आप भावावेश में आकर अवज्ञा करते हैं । इस प्रकार की अवज्ञा करना किसी भी प्रस्तावक के लिए अनुचित है ।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट बोलने की आज्ञा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं । अब जब सदन समाप्त हो जाय तब आप बोलें । आप बैठिये ! अब कोई समय नहीं मिलेगा । आप लोग नियमावली पढ़ कर आयें । नियम ५२ में पहले प्रस्तावक को अवसर मिलता है, तब वाद-विवाद होता है, फिर प्रस्तावक को उत्तर देने का अवसर मिलता है और अंत में मंत्री जी को अवसर मिलता है । अब कोई अवसर नहीं है । ६-५४ पर समाप्त कर देना है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अध्यक्षों की व्यवस्थायें हैं कि सदन में कोई भी सदस्य या पीठासीन अधिकारी हाथ से इंगित नहीं करेगा । जब आप बोलते हैं तो बार-बार हाथ कभी दायें करते हैं कभी बायें करते हैं । कभी आप धमकाते हैं । यह कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों सदन का समय नष्ट कर रहे हैं । मैनेजर सिंह जी इस प्रकार से हल्की बातें कर के ? आपको तो दाढ़ी भी है सदन के पुराने सदस्य भी हैं । इस दाढ़ी के साथ आपको गंभीरता से बोलना चाहिए ।

*श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, जो यह गन्ने की समस्या को लेकर सदन में चर्चा हुई और आपने इसके लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं क्योंकि बहुत सी बातें माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्यों की सुझाव द्वारा आई हैं और वे विचारणीय हैं। बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो करने की भी हैं। माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं उनमें मैं प्रयत्न करूंगी और मेरा एक निवेदन है कि यह जो इस समय किसानों के सामने समस्या गन्ने की आई है यह उत्तर प्रदेश में बहुत विकट और विषम परिस्थिति की है। ऐसी समस्या सन् १९६९-७० में भी उत्पन्न हुई थी। मान्यवर, हर पांच साल में ऐसी समस्या पैदा हो जाती है जिसके कारण सरकार के सामने एक संकट उत्पन्न हो जाता है। यह हमारे उत्तर प्रदेश की ही समस्या नहीं है। ऐसा हरियाणा प्रदेश में भी है। हमारे माननीय सदस्यों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए कि जनता सरकार मिल मालिकों की तरफ से जीत कर आई है। माननीय सदस्यों को मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जिस वक्त जनता सरकार ने प्रदेश का शासन संभाला और इस विभाग का पद भार मैंने लिया तो उस समय पिछली सरकार ने ९१८ करोड़ रुपये की धनराशि छोड़ी थी। मैंने मिल मालिकों को चेतावनी दी और यह कहा कि जो किसानों की धनराशि मिल मालिकों के पास है इसको वे तुरन्त भुगतान करें और उसी के परिणामस्वरूप एक महीने के समय के अंदर करीब ७ करोड़ रुपया किसानों का जो पिछली सरकार के जमाने से था जो गन्ने की कीमत का था वह दिया गया और इस समय मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहती हूं।

श्री राम रतन सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राम रतन सिंह—

आप जब व्यवस्था के प्रश्न को सुनना ही नहीं चाहते। तो मैं वाक आउट करता हूं।

(श्री राम रतन सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्रीमती चन्द्रावती—

पिछली सरकार गन्ने के किसानों का कितना हित करने वाली थी कि चलते समय कितना रुपया गन्ना किसानों का बकाय वह मिल मालिकों पर छोड़ गई और इस सरकार ने आते ही कितनी जल्दी उसका भुगतान करवाया है।

श्री अध्यक्ष—

सदस्यगण यह जानना चाहते हैं कि जो गन्ना खड़ा हुआ है और जो उसकी कीमत है उसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रही हैं?

श्रीमती चन्द्रावती—

मैं उसी पर आ रही हूं। यह समस्या गन्ना खपत करने की जो है और जो सरप्लस है उसे कैसे डाइवर्ट किया जाय और दूसरी मिलों द्वारा पेराई कराई जाय, उसकी सूची तैयार कर ली गई है। जो नीयरेस्ट मिल है उसकी तरफ यह डाइवर्ट हो, इसके लिए आदेश करवा दिए गए हैं। इसके अलावा मेरठ तथा मुजफ्फरनगर का जो गन्ना है उसे हरियाणा भेजा जा सकता है। उसके लिए वहां के मुख्य मंत्री से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में बड़ी विषम

[श्रीमती चन्द्रावती]

परिस्थिति है लेकिन उनसे बातचीत अभी चल रही है। मान्यवर, इसके लिये जो कमिटमेंट है मिलों द्वारा रिजर्व एरिया के अन्दर जो गन्ना है उसकी पेराई की व्यवस्था करनी है। उसके लिए सरकार अपने उत्तरदायित्व को समझती है और पूरी व्यवस्था करने के लिए सचेष्ट है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

माननीय मंत्री जी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे रही हैं। इस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है जिसका कोई निवारण नहीं किया गया है। मैं तथा मेरा दल इसके विरोध में वाक आउट करता है।

(श्री जगन्नाथ प्रसाद तथा श्री रियासत हुसैन ने भी सदन का त्याग किया।)

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। उनका वक्तव्य पूरा होने दीजिए।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं सदन छोड़ रहा हूं।

(श्री मन्जूर अहमद सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। इस तरह आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मैं सदन का समय बरबाद नहीं कर रहा हूं, व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के खड़े रहने पर।)

यह आपका क्या तरीका है? आप अनावश्यक समय नष्ट कर रहे हैं?

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

आप हमको ही टोकते हैं। दूसरों से कुछ नहीं कहते।

श्री अध्यक्ष—

अब कोई प्रश्न इस पर नहीं हो सकता। आपने समय समाप्त कर दिया और दो घंटे का विवाद अब इस पर समाप्त हुआ।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के बैठ जाने पर ।)

आपका यह तरीका बड़ा अशोभनीय है । आप नियमावली देखें । आपने सदन के ५ मिनट अधिक ले लिए । नियम ५२ में २ घंटे का समय समाप्त हो जाय तो फिर अपने आप चर्चा समाप्त हो जाती है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

एक मिनट का समय आप मुझे दे देते...

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में प्रश्न पूछने का कोई नियम है ?

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के पुनः खड़े होने पर ।)

आप बैठ जाइए । आप अनावश्यक यहां पर कार्यवाही में बाधा डालते हैं ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

आप बाधा डलवाने के लिए हमें मजबूर करते हैं । मैं आपका अदब करता हूं और बैठा रहता हूं । लेकिन आप मुझे पूछने नहीं देते । मैं आपकी ओर से विधान सभा....

(व्यवधान)

आप नियम के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं । मैं तो सिर्फ आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता था कि गन्ने की पिराई आप कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे और माननीय मंत्री जो कह रही हैं कि मैं हरियाणा गई थी और जाऊंगी...

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं । किस नियम से आप बोल रहे हैं ? इस पर दो घन्टे का विवाद था और वह समाप्त हो गया ।

हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा से बहिष्कृत किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(शिक्षा मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, उन्हें क्यों बुला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आज सुबह जीरो आवर में एक प्रश्न यहां पर उठाया गया था और उस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री से सूचना देने को कहा था ।

(शिक्षा मंत्री) श्री काली चरण—

श्रीमन्, श्री राजेन्द्र कुमार जी ने हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडिएट परीक्षाओं में निर्धारित उपस्थिति न होने के कारण परीक्षा में न बैठ सकने के लिए सरकार का ध्यान इधर आकर्षित किया है । श्रीमन्, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में प्रधानाध्यापक और

[श्री काली चरण]

प्रधानाचार्य को यह अधिकार है कि वह हाई स्कूल में १० दिन और इंटरमीडिएट में १० दिन व्याख्यान की छूट दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त १० दिन और १० व्याख्यान विशेष छूट देने के आदेश शासन ने दे दिए हैं। इन सब बातों के अलावा यदि कोई विशेष परिस्थिति या विशेष विद्यार्थी का प्रश्न शासन के सामने आता है जैसे बीमारी है, छात्रों की बीमारी का अवकाश इसमें नहीं गिना जाता है। अगर ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो अनुपस्थिति में उसे नहीं गिना जाता है। यह आदेश भी शासन द्वारा विद्यालयों को भेज दिए गए हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, यह बात सुनिश्चित है कि परीक्षायें कल से प्रारम्भ हो रही हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि कल उनको यह लाभ मिल जाय, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री काली चरण---

श्रीमन्, जिला विद्यालय निरीक्षकों को वायरलेस से आदेश भेज देंगे और आकाशवाणी के सम्वाददाता भी यहां पर मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि यह सूचना भी वे सारे प्रदेश को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१० अप्रैल, १९७८।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर।)

संलग्नक

शिकायतकर्त्ता का नाम	शिकायती पत्र की तिथि
१--श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी ..	५-६-७५
२--श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र ..	१५-१२-७५
३--श्री महेन्द्र सिंह यादव, देवरिया ..	१६-८-७५
४--श्री वी० एन० सिंह, कार्यकर्त्ता नवयुवक कांग्रे , देवरिया ..	१-११-७५
५--श्री शिव चरन मिश्र, गोरखपुर ..	३०-७-७८
६--श्री देव नाथ सिंह, गोरखपुर ..	२३-७-७५
७--श्री राम मंगल सिंह, मालवीय रोड, देवरिया ..	

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर ।)

संलग्नक

प्रदेश की बीमार चीनी मिलों के पुनर्वासन, आधुनिकीकरण तथा विस्तार के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित समिति के सदस्यों की सूची :

१--आयुक्त एवं सचिव, चीनी उद्योग तथा गन्ना विकास ।	अध्यक्ष
२--अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, लखनऊ ।	सदस्य
३--श्री पी० जे० मनोहर राव, निदेशक, (तकनीकी) शर्करा तथा वनस्पति निदेशालय, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य
४--डा० एम० एस० रमैया, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर ।	सदस्य
५--श्री पी० एस० माथुर, निदेशक (गन्ना विकास) निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य
६--श्री एम० एस० कौल, तकनीकी सलाहकार, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि०, लखनऊ ।	सदस्य
७--श्री विक्रम सिंह, इन्जीनियरिंग एडवाइजर उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि०, लखनऊ ।	सदस्य
८--श्री एस० पी० मिश्र, शुगर टेक्नालाजिस्ट, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि०, लखनऊ ।	सदस्य
९--श्री एस० सी० शर्मा, टेक्निकल एडवाइजर, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर ।	सदस्य
१०--श्री के० एल० जय सिंह, कास्ट एडवाइजर, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, लि०, लखनऊ ।	सदस्य
११--श्री बलराम बिहारी लाल भरद्वाज, उप सचिव, चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन ।	सदस्य/सचिव
१२--श्री बी० के० सक्सेना, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	सदस्य
१३--श्री एस० आर० जैदी, बैंकिंग सलाहकार, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ ।	सदस्य

पी० एस० यू० पी० --१६विधान सभा--२१-७-७८--८४३--पी० डी० ।